अंक 44

# राजभाषा भारती

जनवरी-मार्च 1989

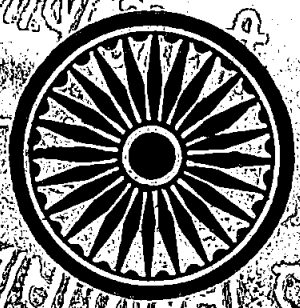

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

भारती

संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री जी. टी. नारायण, निदेशक (दूरसंचार) मंच पर (बाएं से) श्री उ.बि.नायक, मुख्य महाप्रबन्धक, श्री सी. कल्याकरन महाप्रबन्धक (विकास) तथा श्री एम. रामचन्द्रन (निदेशक)

अध्यक्षीय भाषण करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एन. कृष्णामूर्ति । साथ में बाएं से सर्व श्री बी. एस. राव, आर. कृष्णमूर्ति तथा रवीन्द्रनाथन ।

# राजभाषा भारती

## राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 11
अंक : 44

माघ--फाल्गुन 1910 शक
जनवरी--मार्च 1989

संपादक
डॉ. महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

उप-संपादक
डॉ. गुरुदयाल वजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

**सम्पादकीय**
**पाठकों के पत्र**

| ०चिन्तन | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. राजभाषा हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप--एक विवेचन | भैरवनाथ सिंह | 2 |
| 2. बैंकों में हिंदी---प्रयोगसिद्ध दृष्टिकोण | डॉ. दलसिंगार यादव | 6 |
| 3. अनुवाद एवं भाषान्तरण | डॉ. (श्रीमती) पुष्पा बंसल | 8 |
| 4. राजभाषा हिंदी में अनुवाद : समस्याएं | डॉ. नरेश कुमार | 12 |
| 5. टिहरी गढ़वाल रियासत में राजकाज की भाषा हिंदी | किरणपाल सिंह तेवतिया | 14 |
| 6. राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रगति--इंजीनियरी विज्ञान के क्षेत्र में | विश्वंभर प्रसाद गुप्त 'बंधु' | 18 |
| 7. रचनात्मक तकनीकी लेखन | डॉ. ओम् विकास | 23 |
| **० साहित्यिकी** | | |
| 8. स्वतंत्र चिंतक जैनेन्द्र कुमार | डॉ. विजयेन्द्र स्नातक | 25 |
| **० पुरानी यादें--नए परिप्रेक्ष्य** | | |
| 9. नेहरू जी और राजभाषा हिंदी | डॉ. प्रभाकर माचवे | 27 |
| **० विश्व हिंदी दर्शन** | | |
| 10. कनाडा में हिंदी | डॉ. कुलदीपचंद अग्निहोत्री | 29 |
| 11. ग्याना में हिंदी समारोह | | 31 |
| **० समिति समाचार** | | |
| **(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें** | | 32 |
| (1) पर्यावरण और वन मंत्रालय (2) रक्षा विभाग (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (4) कल्याण मंत्रालय (5) कोयला विभाग ऊर्जा मंत्रालय (6) वाणिज्य मंत्रालय (7) वस्त्र मंत्रालय (8) बैंकिंग प्रभाग (वित्त) (9) योजना मंत्रालय | | |
| **(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें** | | 47 |
| (1) कलकत्ता (2) गोवा (3) मैसूर (4) देवास (5) इन्दौर (बैंक) (6) इंदौर (7) वाराणसी (8) भोपाल (बैंक) (9) अलीगढ़ (10) करनाल (11) कोटा (12) जयपुर (बैंक) (13) मथुरा | | |

पृष्ठ

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 54

(1) वीकन परियोजना (मुख्यालय) श्रीनगर (कश्मीर)

(2) इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली

(3) अल्प संख्यक आयोग, नई दिल्ली

० राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां 56

(1) राजभाषा समारोह, जयपुर

(2) बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन का सर्वेक्षण--एक अभिनव प्रयास

(क) बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में न बढ़ने के कारण एवं उनके उपाय

(ख) बैंकों में ग्राहक सेवा और हिंदी

० हिन्दी के बढ़ते चरण 64

1. ग्राहकों की मांग पर बैंकों में हिंदी प्रयोग बढ़ा (साक्षात्कार)
2. लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में हिंदी का प्रयोग
3. आयकर विभाग, कानपुर में हिंदी के बढ़ते चरण
4. सम्पदा निदेशालय में हिंदी का प्रयोग

० हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजन 68

० हिंदी कार्यशालाएं 88

० विविधा 96

(1) विभागीय गतिविधियां

(क) केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

(ख) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

(2) समाचार दर्शन

(3) पुरस्कार योजना

(4) पुस्तक समीक्षा

० आदेश-अनुदेश 101

# संपादकीय

5 अक्तूबर 1988 को 159 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने राजभाषा हिंदी में संबोधित कर सभी को चौंका दिया। आंध्र प्रदेश निवासी श्री नरसिंह राव हिन्दी में लिखे भाषण को बहुत सुन्दर ढंग से पढ़ते चले गए। इससे पूर्व बंगला देश तथा ईरान के प्रतिनिधि क्रमशः बंगला तथा ईरानी भाषा में भाषण दे चुके हैं। रूसी, अंग्रेजी, फ्रैंच के अतिरिक्त स्पेनिश, अरबी तथा चीनी भी संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषाएं हैं।

16 सितम्बर, 1988 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राजभाषा हिंदी के बारे में सरकार का मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा था····"हिंदी खाली राजभाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा और एक विश्व भाषा भी बनने लग रही है।" संभवतः विश्व संगठन मंच से श्री राव द्वारा राजभाषा हिंदी में संबोधन सरकार की इच्छा का द्योतक है। विश्व में तीसरा स्थान रखने वाली हिंदी भाषा को विश्व संगठन की अन्य भाषाओं--रूसी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रैंच आदि के साथ स्थान मिले--यह जन-जन की इच्छा होना स्वाभाविक है। इस के साथ-साथ हमें अपने ही देश में राजभाषा हिन्दी को हर स्तर पर सब प्रकार के कामकाज में इस्तेमाल में लाना जरूरी है।

पिछले एक दशक से सरकारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रयोग में उत्साहजनक प्रगति हुई है। इस कार्य को और अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष 1989-90 का वार्षिक कार्यक्रम आप के पास पहुंच गया होगा। यह हम सब पर निर्भर करता है कि अपनी राजभाषा को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सरकार की भाषा नीति को पूर्णतया लागू करें।

इस यज्ञ में राजभाषा विभाग की यह पत्रिका अपने योगदान के रूप में राजभाषा नीति और उसके कार्यान्वयन हेतु प्रयासों से अवगत कराने के लिए कटिबद्ध है। 'चिंतन' स्तंभ में श्री भैरवनाथ सिंह ने 'राजभाषा हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप' की विवेचना प्रस्तुत की है। 'बैंकों में हिंदी प्रयोग' संबंधी डॉ. दलसिंगार यादव का लेख जोड़ दिया गया है। सरकारी कामकाज में अनुवाद का अपना महत्व है। डॉ. (श्रीमती) पुष्पा बंसल

ने अपने लेख 'अनुवाद और भाषांतरण' की गहराई को विवेचित किया है तो डॉ. नरेश कुमार ने अपने लेख 'राजभाषा हिंदी में अनुवाद की समस्याओं' का निराकरण किया है। राजभाषा हिंदी स्वतंत्रता-पूर्व हमारे देश की अनेक रियासतों की राजभाषा रही है। इसके प्रमाण श्री किरणपाल सिंह तेवतिया ने अपने लेख 'टिहरी गढ़वाल रियासत में राज-काज की भाषा हिंदी' में जुटाए हैं।

सरकारी कामकाज तक हिंदी को सीमित रखकर अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, जब तक सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देश की जनता तक नहीं पहुंचती। इस कार्य के लिए और विज्ञान की लोक-प्रियता के लिए विज्ञान के शिक्षण-प्रशिक्षण में भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त 'बंधु' का लेख 'राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रगति—विज्ञान के क्षेत्र में' प्रस्तुत है। डॉ. ओम् विकास के 'रचनात्मक तकनीकी लेखन' की चौथी किस्त भी दी जा रही है।

कथा शिल्पी जैनेन्द्र कुमार जी का स्वर्गारोहण राष्ट्रीय क्षति है। डॉ. विजयेन्द्र स्नातक का लेख 'स्वतंत्र चिंतक जैनेन्द्र कुमार' श्रद्धांजलि रूप में प्रस्तुत है। 'हल्दी घाटी' खण्ड काव्य के रचयिता श्याम नारायण पाण्डेय की 'हुंकार' भी अब हमें कभी सुनाई देगी। श्याम नारायण पाण्डेय की पावन स्मृति नवयुवकों का सम्बल बने, यह हमारी कामना है।

'पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य' में विख्यात हिंदी साहित्यकार डॉ. प्रभाकर माचवे का लेख 'नेहरू जी और राजभाषा हिंदी' पाठकों की जानकारी में अभिवृद्धि करेगा। विश्व मंच पर हिंदी के प्रचार-प्रसार को उजागर करने वाली डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री की रचना 'कनाडा में हिंदी' तथा 'गयाना में हिंदी समारोह' का विवरण 'विश्व हिंदी दर्शन' स्तम्भ में जोड़ दिए गए हैं।

अन्य स्तम्भ—समिति समाचार, राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां, हिंदी कार्यशालाएं, यथावत सामग्री से ओतप्रोत हैं, परन्तु 'हिंदी के बढ़ते चरण' में हिंदी की प्रयोग सम्बन्धी जानकारी देने वाले 'साक्षात्कार' की रिपोर्ट देने की शुरुआत इस अंक से की गई है।

देश में 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। काफी संख्या में उन आयोजनों के आलेख राजभाषा भारती के अंक 43 में दिए जा चुके हैं। शेष सामग्री इस अंक में 'हिंदी दिवस समारोह' के अन्तर्गत संकलित कर दी गई है।

'विविधा' और 'आदेश-अनुदेश' स्तम्भ पूर्ववत् हैं। □

मद्रास स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी डॉ. एस. नारायणस्वामी की अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है :

राजभाषा भारती में प्रकाशित चिंतन स्तंभ के लेख तथा अन्य स्तंभों की सामग्री ज्ञानवर्धक एवं अत्यंत उपयोगी होते हैं। विशेषतः अंक 42 में प्रकाशित 'राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा हिंदी' तथा 'भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन: शोध संस्थान की आवश्यकता एवं संभावनाएं' लेख पत्रिका की उपयोगिता में चार चांद लगा देते हैं।

आपका अथक प्रयास तभी सार्थक होगा जब राजभाषा को अपना सम्माननीय स्थान सर्वत्र मिले। □

फिल्म कथा लेखक श्री वेंकटेश्वर राव, 9/8-बी, सेक्टर-4, भिलाई नगर से लिखते हैं---

राजभाषा भारती (अंक 42) प्राप्त हुई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा हिंदी, भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन: शोध संस्थान की आवश्यकता एवं संभावनाएं, रचनात्मक तकनीकी लेखन, सिंधी भाषा भाषियों की हिंदी सेवा आदि लेखों से प्रभावित हुआ हूं। पत्रिका के पन्ने जैसे-जैसे पढ़ते और पलटते जाते हैं---हिंदी के प्रति उत्सुकता बढ़ती जाती है। प्रकाशित सामग्री न केवल राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को अंकित करती है, व्यावहारिक दृष्टि से इसमें रुचि रखने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक भी है। □

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अहमदाबाद परियोजना के उप-निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री रमेश चन्द्र शर्मा के विचार द्रष्टव्य हैं :---

पत्रिका (राजभाषा भारती) सभी विभागों के लिए उपयोगी है। इस पत्रिका से हर विभाग अपने कार्यालय में हिंदी के कार्यों को और अधिक बढ़ाने की प्रेरणा पाता है। हिंदी पत्रकारिता विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत इस पत्रिका का अपना अलग स्थान है। कामना है कि पत्रिका के अगले अंक भी इसी प्रकार सूझ बूझ से प्रकाशित हों। □

आंध्र बैंक, बेंगलूर के आंचलिक प्रबंधक श्री बी.वी हनुमन्तराव लिखते हैं कि---

राजभाषा भारती प्राप्त हुई। पत्रिका को पूरी तरह से पढ़ने के बाद लगा कि इसमें दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रिका में प्रकाशित लेखों व अन्य सामग्री से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। □

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लि., बेंगलूर के वरिष्ठ प्रबंधक (कल्याण) श्री पी.एन. कपूर की राय है:---

राजभाषा भारती (अंक 42) का प्रकाशन हिंदी की प्रगति में एक महान योगदान है। अनेक विद्वानों के लेखों ने इस पत्रिका की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं। साथ ही राजभाषा हिंदी का गौरव अभिवर्द्धन भी हो रहा है। इसमें प्रस्तुत सामग्री सुरुचिपूर्ण और पठनीय है।

रेडियो काश्मीर, श्रीनगर के केन्द्र निदेशक श्री लस्सा कौल लिखते हैं कि---

राजभाषा भारती का अंक 42 प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे केन्द्र की सूचना प्रकाशित हुई है। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद।

राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार आदि के लिए आपका प्रयास सराहनीय है तथा मेरा पूरा सहयोग इसमें सदैव रहेगा। □

यूको बैंक, इन्दौर के अधिकारी श्री हरीराम वाजपेयी को शिकायत है कि---

राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा भारती' एवं 'राजभाषा संदेश' जैसे बहुत ही उत्कृष्ट तथा स्तरीय पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं जिनमें देश भर में हिन्दी की गतिविधियों की जानकारी मिलती है किन्तु इसकी प्रतियां हमें नहीं मिल पाती हैं।" वैसे पत्रिका निःशुल्क है। हमने यह भी लिखा है कि इसे सशुल्क किया जाए तथा हम वर्ष भर की राशि अग्रिम भी देने को तत्पर हैं। □

आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा के श्री एम.आर. सकलानी का मत है---

राजभाषा भारती (अंक 42) की प्रतियां प्राप्त हुईं। राजभाषा हिंदी के संवर्धन में आपका प्रयास सराहनीय है। पत्रिका में हिंदी के बढ़ते हुए कदमों की जानकारी उपयोगी है तथा हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाने में उचित मार्ग दर्शक भी। □

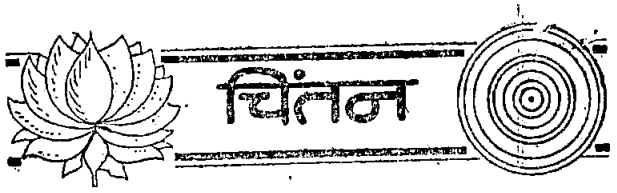


# राजभाषा हिन्दी का राष्ट्रीयस्वरूप --एक विवेचन

☐ भैरवनाथ सिंह

आयकर आयुक्त, देहरादून

**[विद्वान लेखक राजभाषा विभाग में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक रहे हैं और हिन्दी भाषा की गहराइयों का अध्ययन किया है। अपने अनुभव के आधार पर अनेक लेख भी लिखे हैं। —सम्पादक**

संपूर्ण सृष्टि विकास की प्रक्रिया से निरंतर गुजर रही है। परिवर्तनशीलता अस्तित्व की अवश्यम्भावी नियति है। सृष्टि के संपूर्ण घटक तथा अवयव हर पल, हर क्षण वर्तमान से भविष्य की ओर गतिशील हैं। स्वयं मनुष्य जिस समय इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उस समय उसका शरीर जिन ऊतकों से बनता है, मरते समय तक उनमें से अधिकांश ऊतक समाप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नये ऊतकों को जन्म मिल जाता है। यहां थोड़ी-सी गहराई से सोचें तो गति, परिवर्तन तथा विकास आदि को यदि हम सृष्टि के अस्तित्व से हटा दें तो यह बहुत मुमकिन है कि सृष्टि का स्वरूप मिट्टी के ढेले की भांति होकर रह जाए—एकदम, निश्चेष्ट, निर्जीव व मृत। हम सब अनादिकाल से परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते चले आ रहे हैं।

यदि उपर्युक्त विचार के संदर्भ में हम किसी भाषा विशेष पर ध्यान दें तो यह पाएंगे कि प्रत्येक भाषा का शब्द-भण्डार, शैली अभिव्यक्ति की प्रक्रिया आदि में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। यही भाषा की जीवन्तता का प्रतीक है। उदाहरण के लिये, प्रारंभ में यदि अंग्रेजी भाषा पर ही विचार करें तो यह हम सभी जानते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा का कोई सम्मानजनक स्थान इंग्लैण्ड में भी नहीं था। आइज़क न्यूटन ने जब अपनी पहली पुस्तक "प्रिंसिपिया" 17वीं शताब्दी के मध्य में लिखी तब उसकी यह आंतरिक इच्छा थी कि वह अपनी पहली पुस्तक को अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में लिखे। लेकिन तब अंग्रेजी भाषा इतनी सक्षम भाषा नहीं मानी जाती थी कि विज्ञान जैसे विषयों को उसके माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सके। तब न्यूटन ने, प्रिंसिपिया को ग्रीक में लिखा और उसके देहांत के अनेक वर्षों के बाद उस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। यह वह युग था जब इंग्लैण्ड में फ्रांसीसी भाषा का बोलबाला था। जो महिलाएं अंग्रेजी भाषा बोलती थीं अंग्रेजी पोशाक पहनती थी तथा अंग्रेजी ढंग से खाना खाती थी, वे सब सभ्य और संभ्रांत महिलाएं नहीं समझी जाती थीं। इंग्लैण्ड में ही अंग्रेजी बोलने वाले को हेय समझा जाता था और उसे समाज के संभ्रात वर्ग के सदस्यों द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता था।

सन् 1755 में जब सैमुएल जॉनसन का सबसे पहला प्रमाणिक अंग्रेजी कोश छपा तो उसकी दो प्रतिक्रियाएं हुईं— एक तो यह हुआ कि अंग्रेजी भाषा-भाषियों में आत्मविश्वास की झलक उभरने लगी और उनमें अपनी भाषा के प्रति धीरे-धीरे विश्वास पनपने लगा। दूसरी प्रतिक्रिया आलोचनात्मक थी और अनेक अंग्रेजी विद्वानों ने उस कोश की यह कहकर आलोचना की कि उसमें 75 प्रतिशत से भी अधिक शब्द अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के शामिल हैं। सचाई तो यह है कि आज भी उस कोश के विषय में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते हैं। पिछले दिनों मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक, डॉ. देवी प्रसन्न पट्टनायक ने यही बात कही। उन्होंने अंग्रेजी में 75 की बजाय 80 प्रतिशत तक विदेशी शब्दों का सम्मिलित होना बताया।

प्रसंगवश यहां भाषा के सहज विकास की प्रवृत्ति पर भी एक नजर डाल लेना जरूरी होगा। इस बात में कोई दो मत नहीं हैं कि आज भारतीय मूल की विभिन्न भाषाओं के कितने ही शब्द अंग्रेजी में सम्मिलित हैं। इसका सही मूल्यांकन तो नहीं हुआ है लेकिन समय-समय पर इस विषय में जो विचार सामने आए हैं उनसे लगता है कि भारतीय मूल के शब्दों की संख्या भी अंग्रेजी भाषा में नगण्य नहीं है।

अंग्रेजी भाषा के विकास के संदर्भ में जो बात सामने आती है वह यह है कि किसी भाषा के विकास की प्रक्रिया की अवधि में वह भाषा विशेष अन्य भाषाओं के शब्दों को निरंतर अपनाती जाती है । उदाहरण के लिए तंत्र-मंत्र, योग, साड़ी, धेराव, बंद, मेला आदि भारतीय मूल के अनेक नये शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर प्रयोग में लाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुर्तगाली, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी मूल के शब्दों का प्रचलन भी है । बाल्टी, तौलिया, पादरी आदि मूलतः पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं । कुर्सी, मेज कमीज, पायजामा, पायदान आदि मूलतः अरबी/फारसी के शब्द हैं । प्लेटफार्म, स्टेशन, मोटर, बस, टिकट, लालटेन बिस्कुट आदि शब्द प्रधानतः यूरोपीय भाषाओं से हमें प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि जो समाज और देश आपस में जब एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी भाषाएं भी परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह पातीं। एक दूसरी वजह जो विदेशी शब्दों के अंगीकरण अथवा अपनी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों के अनुकूलन के पीछे नजर आती है वह यह है कि जिस देश अथवा समाज के पास जिस तरह का चिंतन, विचार-धारा, सांस्कृतिक परिवेश अथवा कोई विम्ब या वस्तु नहीं होती उसके लिए उस भाषा में अभिव्यक्ति के लिए भी मौलिक शब्द उपलब्ध नहीं हो पाते और यदि हमें ऐसे विचारों अथवा भावों को अभिव्यक्त करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी संभावना यही है कि जो मूल शब्द जिस भाषा से संबद्ध हों उसी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करें ।

इससे विम्ब में विकृति भी नहीं आएगी और भाषा भी समृद्ध होगी । भाषा के विकास की इस प्रक्रिया को जिसे अन्य देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में स्वीकार करना अथवा आत्मसात करना कहा जाता है, भाषा के विकास की सहज प्रक्रिया माना जा सकता है । संभवतः इसी आशय को ध्यान में रखकर संविधान के अनुच्छेद 351 में अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करके हिन्दी को समृद्ध बनाने का स्पष्ट निर्देश भी है ।

भाषा के विकास की एक दूसरी प्रक्रिया आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम शब्दों का भाषा वैज्ञानिक आधार पर निर्माण करना है ताकि वे अभिव्यक्ति के सक्षम संवाहक बन सकें । यह भाषा का कृत्रिम विकास कहा जा सकता है। जैसे-जैसे विश्व के विभिन्न देशों में आने-जाने की गति बढ़ी है, एक देश दूसरे देश से जीवन के हर क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हुआ है, वैसे-वैसे विभिन्न भाषाओं का भी एक दूसरे के समीप आना और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना बहुत स्वाभाविक हो गया है ।

हिन्दी के प्रयोग के स्वरूप में भी विविधता है। यदि किसी भी भाषा में ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, ललित कला आदि की परिकल्पना के लिए प्रयुक्त शब्दों की छटा और संकल्पना को अपनी भाषा में उतारना है तो पहले से ऐसी व्यवस्था के अभाव में कृत्रिम तकनीकी शब्दों का निर्माण करना ही होगा । सौभाग्य से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में तकनीकी तथा पारिभाषिक शब्द बना दिए हैं । इस से हिन्दी के प्रसार और विकास को गति मिली है और भाषा समृद्ध हुई है । यदि आज इस संदर्भ में हिन्दी की बात सोचें तो यह कहा जा सकता है कि इस समय हिन्दी के प्रयोग के चार रूप हैं । पहला रूप तो खड़ी बोली है—मानक हिन्दी है—जिसमें समाचार-पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन आदि पर लिखा, बोला जाता है और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है । दूसरा रूप हिन्दी की वे बोलियां है जो अवधी, भोजपुरी तथा ब्रजभाषा आदि के नाम से विख्यात हैं । विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों में बोली जाने वाली हिन्दी इसका तीसरा रूप है जिस पर उस प्रदेश की भाषा की छाप उच्चारण तथा वाक्य रचना, में देखी जा सकती है । हिन्दी का चौथा रूप भारत के बाहर अन्य देशों में बोली जाने वाली हिन्दी का रूप कहा जा सकता है जिसमें उस देश की भाषा के अनेक शब्द रच-पच गए हैं । यह बात विशेषतः हिन्दी पर ही नहीं परन्तु संसार की हर प्रचलित भाषा पर किसी न किसी अंश तक लागू होती है । ऐसी स्थिति में भारत की राजभाषा के सार्वदेशिक और सर्व-ग्राह्य मानक रूप को निर्धारित करना और उसे विकसित करना कुछ दुष्कर काम है । फिर भी राजभाषा के उस स्वरूप को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जो भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से दुरुस्त हो तथा संविधान सम्मत हो । कम से कम हम उस परिधि को पहचान सकते हैं जिसके भीतर राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को विकसित करने का दायित्व हम सब पर है ।

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में तथा भारत सरकार की कार्यालयीन भाषा के रूप में हिन्दी के जिस रूप का इस्तेमाल किया जाना है, उसका स्वरूप क्या हो ? संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 351 में यह बात कही है कि हिन्दी का विकास इस रूप में किया जाना चाहिए कि वह देश की सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सके । यह वाक्य आधुनिक संदर्भ में अर्थ के स्तर पर जटिल हो गया लगता है । पहली बात तो यह है कि संविधान में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य 14 प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और इनमें से हर भाषा का अपना सुनिश्चित और सुनिर्धारित स्वरूप पहले से विद्यमान है । एक मलयालम भाषी व्यक्ति जिस रूप में हिन्दी का प्रयोग करता है उसका स्वरूप एक बंगला भाषी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त हिन्दी से

भिन्न होता है । इसका कारण स्पष्ट है कि देश की विभिन्न मातृभाषाओं का प्रभाव हिन्दी की ध्वनियों पर, उनके शब्दों पर तथा उसकी रचना पर स्पष्ट देखा जा सकता है । हर भारतीय भाषा के अक्षरों की संख्या अलग अलग है । भाषा विशेष में पाई जाने वाली ध्वनियां किसी दूसरी भाषा में सदैव उपलब्ध ही हों ऐसा नहीं हो पाता है । तब हिन्दी के किसी ऐसे स्वरूप का निर्धारण कर देना जिसमें भारत के सभी भाषा-भाषी लोग अपनत्व की झलक पा सकें, कभी कभी व्यावहारिक नहीं लगता क्योंकि देश की अधिकांश भाषाओं का शब्द भण्डार, वाक्य रचना, व्याकरणिक व्यवस्था, शब्दोच्चारण की विधि आदि एक दूसरे से भिन्न हैं । तब यह प्रश्न उठता है कि हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप कैसा हो और उसके मूल तत्त्व कौन-कौन से हों ? यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसी भी भाषा में चार मूल अवयव अथवा घटक माने गए हैं । ये हैं : ध्वनि, लिपि, शब्द तथा अर्थ विज्ञान और वाक्य की रचना। यहां संभवतः संदर्भवश यह जोड़ देना अप्रासांगिक नहीं होगा कि मनुष्य जाति द्वारा विभिन्न भाषाओं के विकास की प्रारंभिक अवस्था में, संप्रेषण के लिए मात्र ध्वनियों का प्रयोग किया जाता रहा होगा । मानव के विकास में यदि कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है तो वह मनुष्य द्वारा संप्रेषण की क्षमता है। मनुष्य तो क्या सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं । शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर जब मनुष्य का विकास हो रहा था और उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, उसी समय इस प्रक्रिया के साथ-साथ एक दूसरा विकास भी मनुष्य में हो रहा था और वह था---उनमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को पैदा करने तथा उन्हें पहचानने की क्षमता का विकास और विस्तार । संभवतः विकास की इस प्रक्रिया में वह दिन क्रांतिकारी रहा होगा जिस दिन इन ध्वनियों के लिए, जिन्हें मनुष्य पैदा कर सकता है तथा पहचान सकता है, लिखित संकेतों को जन्म दिया गया । यही संकेत अब अक्षर कहलाते हैं । सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहा जाता है और सार्थक शब्द समूह को वाक्य । विभिन्न भाषा-भाषियों में समस्त प्रयोजन के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को पैदा करने और उन्हें पहचानने की क्षमता देखी जा सकती है । यही अन्तर पूरे भाषा क्षेत्र पर दिखाई देता है ।

तमाम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली को अपने मूल रूप से अपनाकर हिन्दी में प्रचुर मात्रा में विदेशी शब्दों को अंगीकृत कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के अनेक मूल शब्दों को ग्रहण करके उनसे व्युत्पन्न अनेक संकर शब्द भी हिन्दी में प्रचलित हैं । आंचलिक भाषाओं के शब्दों को भी अब हिन्दी में आहिस्ता-आहिस्ता अपनाया जा रहा है । हिन्दी के सर्वग्राह्य राष्ट्रीय स्वरूप के विकास में यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी कदम कहा जा सकता है ।

जब हिन्दी के सरलीकरण की बात की जाती है तब हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप में उसकी वर्तमान देवनागरी लिपि को हटाकर उसके स्थान पर रोमन लिपि अपनाने अथवा कम से कम उसके लिंग, वचन और कारकों के प्रयोग में छूट देने की बात कही जाती है । संभवतः यह बात गंभीरता के साथ सोच-समझकर नहीं कही जा रही है । मुख्य प्रश्न यह है कि हर भाषा का एक मौलिक लक्षण होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन करना संभवतः नामुमकिन कहा जा सकता है । कुछ लोग कह रहे हैं कि हिन्दी की लिपि और उसकी संरचना के आवश्यक अवयवों में परिवर्तन की छूट देकर हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित किया जाना संभव है । मुझे लगता है कि न तो यह बात सहज और प्राकृतिक है और न ही भाषा विज्ञान के स्तर पर इस तरह किसी भाषा के मौलिक लक्षण को आमूलचूल परिवर्तित करने की कोई परम्परा विश्व में उपलब्ध है । यदि लिपि और संरचना के तत्वों को बदलना है तो इससे हिन्दी भाषा का मौलिक रूप नष्ट हो जाएगा और नई भाषा का जन्म हो जाएगा । संविधान के अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखित "हिन्दी" को घोषित किया गया है, किसी ऐसे बनी नई भाषा को नहीं । अतः हिन्दी भाषा के राष्ट्रीय स्वरूप के संदर्भ में, उसके मौलिक लक्षण जिनमें लिंग, वचन तथा कारक और लिपि आदि सम्मिलित हैं, किसी प्रकार के परिवर्तन की न तो कोई संभावना है और न ही यह संविधान सम्मत है । संविधान ने तो हिन्दी में किसी ऐसे परिवर्तन की परिकल्पना ही नहीं की है जिससे हिन्दी अपने मूल लक्षण खो दे । हां, बोलचाल में हिन्दी के जिन वाक्यों को अब हम प्रायः बिना किसी हिचक के प्रयोग करते देखते हैं वे भी हिन्दी भाषा बोलनेवाले हिन्दीतर भाषा के व्यक्तियों द्वारा प्रायः काम में लाए जाते हैं। "मुझे जाना है" के स्थान पर "मैंने जाना है" यह हिन्दी भाषा पर पंजाबी भाषा का प्रभाव है । इसी प्रकार दक्षिण भारतीय भाषाओं के बोलने वाले अपनी भाषा के वाक्यों के अनुरूप हिन्दी वाक्यों की संरचना में प्रायः परिवर्तन लाते देखे जाते हैं । लेकिन यदि ऐसे वाक्यों के प्रयोग का विरोध नहीं किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे हिन्दी का स्वरूप विकसित हो रहा है । किंतु इससे हिन्दी में---चाहे जिस किसी भी रूप में---मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है । किन्तु इस तरह विकृत हिन्दी के विकास और प्रसार की संकल्पना संविधान में नहीं की गई है ।

हिन्दी के विकास की दिशा में संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित निदेशों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। इस निदेश में दी गई सीमाओं को ठीक से समझ न पाने के कारण ही हिन्दी की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन कर डालने की बात कभी कभी उठाई जाती है । इसलिए यह उचित होगा कि हम उन सीमाओं को अच्छी तरह समझ लें जिनके भीतर ही हिन्दी का विकास करना या स्वरूप निर्धारण करना संविधान सम्मत होगा ।

पहली बात तो यह है कि संविधान में उसी हिन्दी को ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों—साहित्य, प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य, संचार माध्यम आदि के सभी भाषिक प्रयुक्तियों के लिए विकसित करने का सांविधिक दायित्व दिया गया है जो संविधान निर्माण के पहले मुख्यतः ललित साहित्य के क्षेत्र में विकसित हो रही थी और इसी हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। अतः संघ की राजभाषा "हिन्दी" और संविधान के अनुच्छेद 343 (1) या 351 में वर्णित "हिन्दी" एक ही है। इन्हें किसी भी रूप में अलग अलग नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 351 का उत्तरांश महत्वपूर्ण है। इसमें निषेधात्मक दृष्टि से विकास की दिशा की ओर संकेत किया गया है। इसमें इस बात की पुष्टि होती है कि हिन्दी का चाहे जितना भी बहुआयामी विकास किया जाए, वह किसी भी रूप में हिन्दी की मौलिक प्रकृति में हस्तक्षेप न करें, अर्थात् उसे मानक हिन्दी (खड़ी बोली) की मूल प्रवृत्ति और व्याकरण के अनुरूप ही होना चाहिए। अतः हिन्दी में लिंग परिवर्तन, विभक्तियों का लोप करना अथवा किसी ऐसे संशोधन की इजाजत संविधान नहीं देता। दूसरी महत्त्पूर्ण बात है कि हिन्दी को हिन्दुस्तानी और संविधान की आठवीं सूची में निर्दिष्ट अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करने की छूट उसी सीमा तक दी गई है जहां तक उसकी मूल प्रवृत्ति में कोई हस्तक्षेप न हो। यहां भी हिन्दी की मूल प्रकृति को बनाए रखने की बात कही गई है।

अनुच्छेद के दूसरे निदेश का संबंध हिन्दी भाषा के शब्द भण्डार की समृद्धि से है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किसी संकल्पना के लिए यदि पहले से ही हिन्दी में कोई शब्द उपलब्ध न हों और उन्हें गढ़ना पड़े अथवा अंगीकृत करना पड़े तो मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः "अन्य भाषाओं" से शब्द ग्रहण किया जाए। मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाने के पीछे ठोस आधार और चिंतन है। अधिकांश भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द हैं। इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि संस्कृत मूलक नवीन शब्दावली ही अखिल भारतीय स्तर पर सर्वग्राह्य होगी। दूसरा कारण यह है कि संस्कृत में नए शब्द निर्माण की असीम शक्ति है। यही कारण है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द निर्माण में इस निदेश को माना है।

जहां तक अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की बात है, इस सीमा पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। यहां पर "अन्य भाषाओं" से तात्पर्य केवल संविधान की आठवीं सूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं से ही नहीं है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी अथवा विश्व की किसी भी भाषा से आवश्यकतानुसार शब्द ग्रहण करने की छूट है। इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इतर भारतीय भाषाओं और बोलियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु शब्द ग्रहण की उपर्युक्त दोनों स्थितियों में इस बात का ध्यान रखना होगा कि नए शब्दों को आवश्यकतानुसार और वांछनीयता के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य भाषाओं से केवल वे ही तत्त्व और शब्द हिन्दी भाषा में लिए जा सकते हैं जो या तो पहले से ही हिन्दी में उपलब्ध न हों, या किसी सही अभिव्यक्ति के लिए जिनकी उपयोगिता आवश्यक और वांछनीय हो। इन्हीं सीमाओं के भीतर राजभाषा हिन्दी का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मैंने यहां उपर्युक्त पैराओं में अंग्रेजी भाषा के विकास की प्रक्रिया को कहीं-कहीं छुआ है और उसके संदर्भ में हिन्दी के विकास की प्रक्रिया पर संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इस तुलनात्मक अध्ययन से यह बात उभरती है कि भाषा का विकास, चाहे वह सहज हो अथवा कृत्रिम, एक सुनिश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो सकता है। अंग्रेजी भाषा का पिछली शताब्दियों में स्वरूप सुचारू रूप से बदला है परन्तु यह बदलाव शब्दों के अर्थों में, उनके भाषाई रूपों में तथा नवविकसित ज्ञान की नई विधाओं में अभिव्यक्त के अनुकूल भाषा के रूप को निखारने के संदर्भ में ही हुआ है। हिन्दी के प्रसंग में जो बात आज चर्चा का विषय है उसमें भी हमें इस प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा। हिन्दी भाषा में बहुत बड़ी संख्या में देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। विज्ञान, तकनीक, विधि आदि विषयों को हिन्दी के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सके इसके लिए हिन्दी भाषा में नए प्रयोग भी किए गए हैं परन्तु हिन्दी भाषा के जो मौलिक लक्षण हैं जिनमें लिपि का रूप, लिंग, वचन तथा कारक आदि का प्रयोग सम्मिलित है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन भाषा विज्ञान की दृष्टि से संभव नहीं है। कभी कभी भारत जैसे विशाल देश में, जहां बहुत-सी भाषाएं प्रचलित हों इस प्रकार की मांगें असंभव नहीं मानी जा सकती। अपने-अपने भाषाई अनुभवों तथा अपनी-अपनी मातृभाषाओं के स्वरूप के संदर्भ में हम राजभाषा के रूप को विकसित करने पर विचार करने को मजबूर हो जाते हैं लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही जिक्र किया है कि सभी भारतीय भाषाओं के अनुरूप एक साथ हिन्दी को ढाले जाने का प्रश्न न तो व्यावहारिक है और न भाषा विज्ञान की दृष्टि से संभव। अतः संविधान के अनुच्छेद 351 के मूल स्वर, भाषा विज्ञान भाषा के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए हिन्दी में नई तथा आवश्यक इतर ध्वनियों के लिए उपयुक्त चिह्नों तथा संपूर्ण देश की सभी संस्कृतियों को अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक शब्दावली को, जो बिना अपना मौलिक रूप खोए हिन्दी ग्रहण कर सकें उनके अंगीकरण—अनुकूलन की दिशा में प्रयत्न किए जाने चाहिएं। हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है। देश के गौरव और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम हिन्दी का विकास करें यही आज की आवश्यकता है। □

# बैंकों में हिन्दी--प्रयोगसिद्ध दृष्टिकोण

☐ डॉ. दलसिंगार यादव

**1.0 परिवेश**

बैंकों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग कुछ सीमा तक अभी भी हिंदी कक्षों या अनुवादकों तक सीमित है। बैंकों में जहां तहां दिख जाने वाली हिंदी, हिंदी अधिकारियों या अनुवादकों का आभास तो करा देती है परंतु उसमें छिपा तात्पर्य समझने के लिए मानसिक संघर्ष करना ही पड़ता है। वह हिंदी बहुतों के गले से नीचे नहीं उतरती। यहां तक कि उन द्विभाषिक साइक्लोस्टाइल किए गए पत्रों का सेट तैयार करते समय दफ्तरी भी अंग्रेजी भाषा से अपना अनुराग नहीं छिपा पाता है। अंग्रेजी अंश ही ऊपर रखता है फलस्वरूप प्रेषित करने वाले सज्जन भी उसका पूरा लाभ उठाकर अंग्रेजी में पता लिखने के सुख का भोग कर लेते हैं। ऐसे पत्र जब पाठक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए पृष्ठ पलटने की जहमत से छुटकारा पहले से ही मिला होता है। परिणाम यह होता है कि अनुवाद के साथ-साथ अनुवादक का पांडित्य भी अनुपयोगी रह जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके पीछे यदि झांकने का प्रयास किया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है और इसके सुधार के बारे में रचनात्मक प्रयास किए जा सकते हैं।

1.1 कामकाज में हिंदी के प्रयोग की प्रगति कच्छपगति से क्यों है ? इसकी गति कैसे बढ़ाई जा सकती है ? इससे संबंधित नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मौलिक चिंतन करना होगा। इस दिशा में प्रयास करने से पूर्व मानव-मनोवृत्ति और प्रबंधशास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करना होगा।

**2.0 नूतनता के रास्ते में आने वाले विभिन्न पड़ाव**

जब भी कोई नई विचारधारा या नई प्रणाली लागू की जाती है तो उसका कार्यान्वयन निम्नलिखित दस स्तरों से होकर गुजरता है। हिंदी माध्यम से बैंक का काम करवाना एक प्रकार से नया विचार या नई प्रणाली का प्रचलन करवाना है। अत: हिंदी का प्रचलन भी इन्हीं दस चरणों से गुजर रहा है। ये हैं :-

1. आवेशपूर्वक तिरस्कार (इंडिग्नैंट रिजेक्शन)
2. तर्कपूर्ण आपत्ति (रीजंड आब्जेक्शन)
3. सशर्त विरोध (क्वालिफाइड ऑपोजीशन)
4. अस्थाई सकार (टेंटेटिव ऐक्सेप्टेंस)
5. सशर्त सकार (क्वालिफाइड एंडोर्समेंट)
6. तर्कसंगत संशोधन (जूडीशियश मॉडिफिकेशन।
7. सावधानी पूर्वक प्रचार (कॉशस प्रोपेगेशन)
8. भावनापूर्ण गठबंधन (इंपैशंड एस्पौजल)
9. गर्वपूर्ण मातृत्व (प्राउड पेरेंटहुड)
10. अंधभक्तिपूर्वक प्रचार (डॉगमेटिक प्रोपेगेशन)

2.1 पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान अर्जित अपने अनुभवों से मैं यह कह सकता हूं कि हिंदी के कार्यान्वयन में बैंक प्रथम तीन चरणों को ही पार कर पाए हैं और चौथे या पांचवे चरण की परिधि पर हैं। हिंदी को सर्वमान्य बनाने के लिए बैंक के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र (टॉप मनेजमेंट) का, उपयुक्त व दृढ़ नीति के माध्यम से, समर्थन आवश्यक है ताकि हिंदी में काम करने के कारण होने वाली गलतियों से डर से काम न करने का भय स्टाफ सदस्यों के मन से दूर किया जा सके।

2.2 हिंदी की समस्या लेखन के मामले में भी है क्योंकि जो लिखा गया है उसके प्रति लिखने वाले की जिम्मेदारी भरी वचनबद्धता है। इसीलिए वह सतर्क ढंग से शब्दावली का प्रयोग करता है। सतर्कता के अतिरेक में वह कई बार उन सरल शब्दों के रूप भी शब्द-कोशों से उठाकर रख देता है जो कि उसे अपनी रोजमर्रा की भाषा से भी मिल सकते थे। बैंकों में यह समस्या और भी ज्यादा जटिल है क्योंकि कदम-कदम पर धन व कानून का भय छाया रहता है और बैंकों में पत्र व्यवहार बढ़ाने की दिशा में वह अनजानी सुरक्षा की भावना भी बड़ी अड़चन है। अंग्रेजी में चाहे कितनी भी घिसी पिटी भाषा हो लेकिन पिछले इतने संदर्भ उपलब्ध होते है कि भाषा के स्तर पर यह असुरक्षा की भावना नहीं होती है क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया प्रारूप या मसौदा कई स्तरों से होकर गुजरता है जबकि हिंदी में लिखा मसौदा अक्सर निचले स्तर पर ही जांचा जाता है। हिंदी में लिखित भाषा इसीलिए कामकाजी हिंदी का समस्या क्षेत्र बन गई है तथा शब्दकोशों के प्रति अति झुकाव के कारण कहीं सहज स्थितियां भी दुरूह होती सी प्रतीत होती हैं। ऐसे में भय व असुरक्षा की भावना से छुटकारा दिलाना वरिष्ठ तंत्र का धर्म बन जाता है। हिंदी माध्यम से काम करने वालों के साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किए जाने की घटनाएं भी स्टाफ सदस्यों के सहयोग व अनुकूल सहभागिता के रास्ते में रुकावट हैं। ऐसे कई मामले

प्रकाश में आए हैं जहां पर कि हिंदी माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। ऐसे व्यवहार से हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों का मन विरक्त हो जाता है और वह असुरक्षित महसूस करने लग जाता है। अत: जब तक विभिन्न स्तर पर स्टाफ की मुक्त रूप से सहभागिता नहीं होगी तब तक इस विषय में हितकर सुझाव तथा रचनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगी।

### 3. वैयक्तिक प्रेरणा के घटक (फैक्टर्स इन इंडिविजुअल मोटिवेशन)

बैंकों में हिंदी लागू करने के लिए हिंदी अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क करना पड़ता है। जब वे संपर्क करते हैं तो उस समय विभिन्न व्यक्तित्व विभिन्न पृष्टभूमि व शिक्षा स्तर के व्यक्तियों से सामना होता है। ऐसे में उस व्यक्ति की मनोवृत्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति पूर्वाग्रह-युक्त होता है क्योंकि यह एक स्वीकृत नियम है कि मानव स्वभावत: किसी भी नए परिवर्तन को तुरंत बिना किसी विरोध के, स्वीकार नहीं करता है। अत: योजना के कार्यान्वयन से पहले उसके साथ साहचर्य स्थापित करना चाहिए। प्रबंध टेकनीक के विद्वान प्रो. मकग्रेगर के अनुसार "जिसके साथ जैसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया जाएगा वह वैसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा"। यदि उसके साथ अविश्वास की भावना रखी जाए तो वह भी अविश्वास की भावना से ही काम करेगा। मान (एस्टीम) के बदले मान देगा, बहुत सख्त पर्यवेक्षण (क्लोज सुपरविजन) होगा तो उससे बहानेबाजी या बचाव, टालमटोल (इवेसिव) वाली मनोवृत्ति का इजहार होगा, सहभागिता (पार्टिसिपेशन) के माहौल से विश्वास बढ़ेगा, अपनापन प्रदर्शित होगा।

### 4. योजना निर्माण का व्यवहार्य मुद्दा (प्रक्टिकल ऑसपेक्ट आफ पॉलिसी फार्मूलेशन)

मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कार्य व्यापार के रास्ते में ये मूलभूत बातें आड़े आती हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं :–

1. सुरक्षा की आवश्यकता (सेफ्टी नीड्स)
2. सामाजिक आवश्यकता (सोशल नीड्स)
3. अहम् तुष्टि की आवश्यकता (ईगो नीड्स)

हर व्यक्ति यह चाहता है कि उस पर किसी प्रकार का संदेह न किया जाए, उसके अस्तित्व को कोई खतरा न हो, उसे समान रूप से सम्मान मिले और उसके अहम् को ठेस न पहुंचे। यदि हम योजना बनाते समय इनको मद्दे नजर रखें तो योजना व्यवहार्य होगी और उसे लागू करने में सफलता मिल सकती है क्योंकि मानव की मनोवृत्ति इन्हीं मूलभूत मुद्दों से नियंत्रित होती है।

### 5. प्रयोगसिद्ध अध्ययन (एम्पिरिकल स्टडी)

बैंकों में हिंदी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन करने के लिए मैंने 1983-84 में एक सर्वेक्षण किया था। यद्यपि सर्वेक्षण में नमूना समुदाय छोटा था (120 व्यक्ति) फिर भी बैंक कर्मचारियों (अधिकारियों सहित) की मनोवृत्ति का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकला है कि 66.94 प्रतिशत लोग बैंकों के प्रति उदासीन हैं। उनका 16.13 प्रतिशत अंश तो हिंदी के बारे में प्रतिकूल मनोवृत्ति वाला है। किसी वस्तु के प्रति उदासीन रहना उसे अस्वीकार करने के बराबर ही है। इस प्रकार लगभग 83.07 प्रतिशत लोग हिंदी के प्रतिपक्ष में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि हिंदी लिखने का अभ्यास न होने के कारण लोगों में गलती करने का डर बना रहता है इसलिए असुरक्षा की भावना हिंदी के प्रयोग को रोकती है।

### 6. निष्कर्ष

(1) परिवेश के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नई विचारधारा या नई प्रणाली लागू करते समय विभिन्न चरणों का जो उल्लेख किया गया है उनमें से हम अभी तक केवल तीन चरण ही पार कर पाए हैं। हिंदी का प्रयोग अभी भी "अस्थाई सकार तथा सशर्त सकार" के आसपास है।

(2) वरिष्ठ तंत्र को चाहिए कि वह कर्मचारियों की उदासीन तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति परिवर्तित करके हिंदी माध्यम से मूल लेखन को प्रोत्साहित करने की व्यवहार्य योजना बनाए तथा उसे साकार करे।

### 7. सुझाव

(1) कार्यालयों में हिंदी लिखने वाले व्यक्तियों के मन में पारिभाषिक शब्द (टर्म) और सामान्य शब्द (वर्ड) का भेद स्पष्ट नहीं है। यह भेद जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक भाषा की संस्कृत-निष्ठता बढ़ती रहेगी। वास्तव में सभी को यह बताना है कि सभी पारिभाषिक शब्द तो हैं परंतु सभी शब्द तब तक पारिभाषिक नहीं होते जब तक कि विशिष्ट संदर्भ में उनसे अर्थ अभिप्रेत नहीं होता है। अत: विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अन्य समान्य शब्द रोजमर्रा की भाषा से उठाए जा सकते हैं। इससे पाठक के मन पर भाषिक दबाव कम होगा।

(2) मूल लेखन अंग्रेजी में होता है और फिर उसका अनुवाद हिंदी में होता है। अधिकांश मामलों में, अनुवादक बर्किंग के वास्तविक दौर से गुजरा हुआ नहीं होता है।

...शेष जारी पृष्ठ 17

# अनुवाद एवं भाषान्तरण

□ डॉ. (श्रीमती) पुष्पा बंसल
डी. लिट्

यों तो अनुवाद का सीधा व निर्विवाद अर्थ है 'स्रोत भाषा' की सामग्री को 'लक्ष्य भाषा' में व्यक्त करना। आजकल अनुवाद शब्द का प्रयोग इसी क्रिया के लिए किया जा रहा है, यद्यपि इस कार्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुवाद नहीं अपितु भाषान्तरण है। कहीं कहीं अनुवाद को "एक भाषा की किसी सामग्री का दूसरी भाषा में रूपान्तर" भी कहा जाता है, परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इस कार्य के द्वारा भाषान्तरकर्ता एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा में रूपान्तरण नहीं करता, वस्तु का रूप--स्वरूप--प्रकृति--परिमाण--अर्थ सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, बल्कि ज्यों का त्यों रहना अपेक्षित है, होता केवल यह है कि वह समस्त सामग्री अपनी सम्पूर्ण इयत्ता में एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा के माध्यम से व्यक्त कर दी जाती है। सामग्री का रूप बदलना तो उस की प्रकृति उसका आत्मतत्त्व बदलने के बराबर हुआ, और अनुवादक से यह कभी अपेक्षित नहीं किया जा सकता।

यहां इस कार्य के लिए प्रयुक्त किए जा रहे शब्द "अनुवाद" पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए। "अनु" उपसर्ग पूर्वक 'वद' धातु स्रोत और लक्ष्य दो भाषाओं की परिकल्पना नहीं करती, यह तो केवल 'कथनोपरान्त कथन' को इंगित करती है। इस स्थिति को तर्क सम्मत दृष्टि व्याख्या कर सकती है, वाचन कह सकती है, आलोचना कह सकती है, टिप्पणी कह सकती है या फिर अनुवचन या दुहराना कह सकती है। "शब्दार्थ चिंतामणि" कोश में अनुवाद का अर्थ है "प्राप्तस्य पुनः कथने या ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने" (पहले प्राप्त किए गए अर्थ अथवा कहे गए अर्थ को फिर से कहना ऋग्वेद, सायण तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अनुवाद शब्द का प्रयोग दुहराने के लिए ही किया गया है)।

पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' में एक स्थान पर कहा गया है "अनुवादे चरणानाम (2.4.2) इस अनुवाद शब्द की व्याख्या भट्टोजी दीक्षित ने यों की है "सिद्धस्य उपन्यास" अर्थात "ज्ञात बात को कहना"। भर्तृहरि के अनुसार भी "आवृत्तिरनुवादो वा" अनुवाद आवृति या दुहराना ही है। जैमिनी स्पष्ट ही कहते हैं "ज्ञातस्य कथनानुवादः" (ज्ञात का कथन ही अनुवाद है।) ज्ञात अथवा प्राप्त सत्य का पुनः कथन करने की क्या आवश्यकता हो सकती है, इस पक्ष पर पाणिनी के महाभाष्यकार के कथन की टीका कर्ता कय्यर ने स्पष्ट प्रकाश डाला है, "किसी और प्रमाण से विदित बात को ही, दूसरे कार्य के लिए किसी के द्वारा श्रोता से जब कहा जाता है तब अनुवाद होता है।" इस सन्दर्भ में एक मत और है, "अन्य किसी प्रमाण से जानी हुई बात का शब्द के द्वारा कथन ही अनुवाद है।" प्रमाणान्तरावगतस्यार्थस्य शब्देन संकीर्तनमात्रमनुवादः। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृत अनुवाद शब्द का अर्थ एक भाषा से सामग्री को दूसरी भाषा में पलटना नहीं है, अपितु एक व्यक्ति के कथन का दूसरे व्यक्ति द्वारा कथन, अनुकथन अथवा पुनर्कथन है। इसमें कहीं भी अपर भाषा का तत्त्व सम्बद्ध नहीं है। इसमें तो व्याख्या स्पष्टीकरण, अनुमोदन या शिक्षा का भाव मौजूद है।

जिस अर्थ में हम अनुवाद का प्रयोग आज कर रहे हैं, उसके लिए संस्कृत में 'छाया' शब्द का प्रयोग उपलब्ध है। यह कहना तो बहुत कठिन है कि संस्कृत भाषा में अन्य भाषाओं से अनुवाद होते थे या नहीं। प्राचीन भाषा में संस्कृत अर्थात देववाणी की इतनी गरिमा तथा इतना प्रताप था कि अन्य भाषा के शास्त्रों व कृतियों का इसमें भाषान्तरण होता हो, इसकी संभावना कम है, संस्कृत की ज्ञानसम्पदा का भाषान्तरण अन्य भाषाओं में हुआ है। ज्योतिष, चिकित्सा, गणित आदि ज्ञान क्षेत्रों में विदेशी जातियों के चिन्तन व ज्ञान का प्रभाव तो पर्याप्त दीखता है, परन्तु ऐसा कोई प्रमाणिक विदेशी भाषा का ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है, कि जिसका संस्कृत अनुवाद किया गया हो। इसका एक कारण ज्ञान प्राप्त करने की मौखिक परम्परा भी हो सकती है। प्राकृतों के विकास के पश्चात् एक स्थिति ऐसी आती है कि प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद के प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में स्त्रियां तथा सेवकगण प्राकृत का प्रयोग करते थे।

उन प्राकृत वाक्यों, गीतों छन्दों को प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत में भी देने की परम्परा रही है। इसे संस्कृत में छाया कहते रहे हैं, यह "छाया" वास्तव में प्राकृत कथनों का संस्कृत में भाषान्तरण ही था। प्राकृत अपभ्रंश के पश्चात् भाषा का विकास हो जाने पर संस्कृत के ज्ञान ग्रंथों का भाषानुवाद अथवा भाषान्तरण होने की परम्परा चल पड़ी थी जिसे भाषा ही कहा जाता था। द्रष्टव्य यह है कि भाषान्तरण के लिए 'अनुवाद" शब्द का प्रयोग नहीं था। टीका अथवा भाषा टीका और कहीं कहीं 'भाषानुवाद' शब्द मिलते हैं। यां भाषानुवाद का अर्थ है संस्कृत से 'भाषा' में (बोली में) पुनर्कथन। परन्तु आज हिन्दी में ही नहीं आर्येतर भाषाओं यथा कन्नड़ और तेलुगु में भी तथा आर्य परिवार की अन्य भाषाओं यथा गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, असमी आदि सभी में अनुवाद शब्द का प्रयोग भाषान्तरण के लिए किया जा रहा है। जिसका एक कारण यह हो सकता है कि संभवतः विकास के किसी चरण में संस्कृत में ही अनुवाद शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग होने लगा होगा। अन्यथा अंग्रेजी के शब्द "ट्रांस-लेशन" के हिन्दी पर्यायवाची के रूप में शब्द भाषान्तरण अत्यन्त सटीक उपयुक्त है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के सन्दर्भों में हम अनुवाद शब्द का प्रयोग निश्चय से ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द के पर्यायवाची के रूप में कर रहे हैं। ट्रान्सलेशन शब्द में एक भाषा की सामग्री अथवा कथन को दूसरी भाषा में – जाने का––अर्थात एक भाषा के क्षेत्र––परिधि को लांघ कर दूसरी भाषा में प्रविष्ट करा देने का सूक्ष्म भाव है। इस सूत्र के आधार पर भी भाषान्तरण शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

अनुवाद एवं भाषान्तरण में भेद किया जा सकता है। अनुवाद के प्रकारों में दो प्रकार प्रमुख हैं––शब्दानुवाद (लिटरल ट्रान्सलेशन) तथा भाषानुवाद (टोटल ट्रांसलेशन)। "शब्दानुवाद" में अनुवादक के लिए शब्द तत्त्व प्रधान होता है तथा वह स्रोत भाषा की सामग्री के प्रत्येक शब्द का ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में उलटा कर देता है। न वह कुछ छोड़ सकता है, न जोड़ सकता है। इस अनुवाद में अनुवादकर्ता को अपना कार्य आरम्भ करने से पहले सम्पूर्ण सामग्री को पढ़ कर उसका अर्थ तथा भाव हृदयंगम करने की आवश्यकता नहीं होती; वह एक एक वाक्य पढ़ता है और उसको लक्ष्य भाषा में परिणत करता शीघ्रता से आगे बढ़ता जाता है। प्रत्येक प्रकार के अभिधामूलक कथन––लेखन का शब्दानुवाद किया जाता है तथा हो सकता है। परन्तु भावानुवाद की स्थिति भिन्न होती है। उसमें शब्द के स्थान पर "उच्चिष्ट अर्थ" होता है। अनुवादक को कार्यारम्भ करने से पहले सम्पूर्ण सामग्री को पढ़ कर उसमें अन्तर्निहित भाव या उद्देश्य को समझना होता है। भाव हृदयंगम करने की इस प्रक्रिया में अनुवाद्य सामग्री का शब्द तत्त्व (भाषा तत्त्व) गौण हो जाता है तथा अर्थ तत्त्व (भाव तत्त्व) प्रधान। अनुवाद वास्तव में जिस सामग्री का लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करता है, वह स्रोत भाषा का शब्द नहीं अपितु उन शब्दों में अन्तर्निहित भाव होता है। यहां भाव तत्त्व से शब्द तत्त्व तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझ लेना होगा।

भाषा को चाहे "वाग्देवी" "अक्षर ब्रह्म" "वाणीवीणापाणि" इत्यादि परम आदर सूचक सम्बोधन दिए गए हों हमारे चिन्तन के इतिहास में उसका चाहे कितना भी महार्थ स्थान सुरक्षित हो, पर ज्वलन्त सत्य यह है कि भाषा तत्त्व की भूमिका एक साधन तत्त्व की ही है साध्य तत्त्व की नहीं। भाषा की उत्पत्ति व अस्तित्व स्वान्तः सुखाय नहीं है। उस का सम्पूर्ण अस्तित्व किसी उद्देश्य, किसी कार्य, अथवा किसी साध्य की सिद्धि में साधन रूप बनने के लिए है। वह साध्य है भावाभिव्यक्ति। भगवान शिव ने जब डमरू बजा कर 'अइशुण ऋलृक, एओङ् एऔच, हयवरट लण' आदि सूत्र तथा उन के माध्यम से भाषा का विकास किया था, तो निश्चय ही इन्होंने इस तत्त्व के विकास की आवश्यकता अनुभव की होगी। भाषा का जन्म निरुद्देश्य है और न ही भाषा का प्रयोग भाषा के लिए किया जाता है। मानव हृदय में जो विविध भाव विविध रूपों में जन्म लेते रहते है वे अभिव्यक्ति के लिए व्यग्र रहते हैं। अभिव्यक्ति का अथ केवल बाह्याभिव्यक्ति ही नहीं है आन्तरिक रूप से भी भाव आकारित-रूपित हो कर ही अभिव्यक्त होते हैं। भावों का स्वामी मानव अपने भाव को स्पष्टतया देखने–पहचानने की स्थिति में तभी आता है जब उस के भाव अपने आप को किसी रूप, किसी चिह्न, किसी आकार में ढाल चुके होते हैं। व्यक्ति अपने ही भाव अथवा विचार को समझने के लिए तब तक छटपटाता रहता है, जब तक कि वह अरूप, निराकार परन्तु असीम प्राणवन्त सामग्री स्वयं को भाषा तत्त्व में आकारित न कर ले। हम अपने मन की बात सुनते समझते हैं, तो वह भाषा तत्त्व के ही माध्यम से, मन ही मन सोचने का कार्य, स्वयं से तर्क करने का कार्य, अनुभूति में से गुजरने का कार्य और कल्पनाएं–अनुमान, भ्रांति, सन्देह, उहापोह इत्यादि का कार्य–ये सब कार्य भाषा तत्त्व के माध्यम से ही किए जाते हैं। हम कभी भाषा के बिना नहीं सोच सकते। भाषा शब्दमयी भी होती है, ध्वनिमयी भी, रंग रेखामयी भी एवं मुद्रा–भंगिमामयी भी। इसी से मानव मन का कोई भाव––विचार या तो भाषा में आकार ग्रहण करता है, या संगीत की स्वर लहिरी में, या चित्र आलेखन में और या शरीर की मुद्रा भंगिमा अभिनय में। यह स्थिति केवल कलाओं की ही हो, यह बात नहीं है। गणितशास्त्र ज्योमिति शास्त्र तथा अन्य भौतिक शास्त्रों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चिह्न, विभिन्न डायग्राम, रेखा, बिन्दू आदि

उन शास्त्रों की भाषा है। एक म्यूजिक कम्पोजर व कंडक्टर की भुजाओं, हाथों, पैरों व गर्दन की विभिन्न गतियां उस की अपनी भाषा है, जो शब्दों के स्थान पर शारीरिक गतियों व भंगिमाओं पर निर्भर है। यह दूसरी बात है कि इस भाषा को शब्दों की भाषा में अनूदित किया जा सकता है—और यह क्रिया भाषान्तरण की क्रिया न हो कर अनुवाद की क्रिया होगी।

अब यदि हम भावों की भाषा में अभिव्यक्ति के प्रश्न पर लौटें तो सर्वप्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि अभिव्यक्ति का अर्थ है आकारित होना, एक रूप एक आकार ग्रहण करना। आकार के बिना तो पहचान नहीं हो सकती, भाव का कोई व्यक्तित्व नहीं बन सकता। आकार के अभाव में तो सब कुछ तरल है, वाष्प है असीम है, अनन्त है, नाम-पहचान गुणहीन। आकार ही अभिव्यक्ति है। अव्यक्त ब्रह्म भी तभी व्यक्त होता है, आकार ग्रहण करता है, जब गुणमय बनता है, व्यक्तित्वमय बनता है।

भाव की भाषा में अभिव्यक्ति दो स्तरों पर होती है आन्तरिक स्तर पर तथा बाह्य स्तर पर। आन्तरिक स्तर पर अभिव्यक्ति केवल भाव के धारणकर्ता के लिए ही होती है, जब वह स्वयं अपने भाव या विचार को समझने पहचानने लगता है। बाह्य स्तर पर अभिव्यक्ति उसके बाद में होती है, तथा वह 'स्व" के लिए नहीं अपितु 'पर' के लिए होती है। जब आन्तरिक रूप से अभिव्यक्त सामग्री को भाषा में बांध कर मुखरित कर दिया जाता है, तब उसके बाह्याभिव्यक्ति होती है। बाह्याभिव्यक्ति सर्वदा किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष 'पर' श्रोता के प्रति उद्दिष्ट होती है। अपने भावों–विचारों का लेखन भी आन्तरिक अभिव्यक्ति की मुखर बाह्याभिव्यक्ति है, चाहे उस प्रक्रिया में लेखक के होठ हिल नहीं रहे होते तथा मुख से कोई आवाज निकल नहीं रही होती। लेखन वास्तव में कथन का ही एक विकल्प है।

बाह्याभिव्यक्ति तो भावों-विचारों के आन्तरिक अभिव्यक्त रूप की होती है, परन्तु सूक्ष्म प्रश्न यह है कि भावों-विचारों की भाषातत्त्व में आन्तरिक अभिव्यक्ति कैसे होती है? हृदय में उद्भूत सामग्री आरम्भ में तो एकदम अस्पष्ट, बिखरी हुई (Diffused) होती है। धीरे-धीरे वह स्वयं को व्यवस्थित करती है। अनावश्यक असम्बद्ध अंशों को झटक कर स्वयं को व्यस्थित करके एक बिम्ब, एक मानस चित्र में परिणत करती है। यह बिम्ब अभिव्यक्ति की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इस बिम्ब के सम्पूर्ण होने पर अभिव्यक्ति का दूसरा चरण आरम्भ होता है वह है बिम्ब का अपने लिए भाषा का आकार स्वीकार करके उस में आबद्ध होना तथा आकारित हो जाना। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो एक सतत यात्रा है जो मानस-बिम्ब निर्मिति से आरम्भ होकर निरन्तर अन्दर से बाहर की ओर, मौन से मुखरता की ओर, निराकारिता से साकारिता की ओर तथा अव्यक्त से व्यक्त की ओर चलती रहती है। मानसबिम्ब आन्तरिक रूप से ही भाषा में ढल कर धारण-कर्ता के निकट चीन्हा जाने योग्य होता है। पर वह बहुत स्पष्ट, भावस्वर तथा एकदम सुनिर्दिष्ट व्यक्तित्व वाला नहीं होता। जब की सरूपता केवल इतनी होती है कि उस के धारणकर्ता को उस की झलक मिल जाती है उस की पहचान हो जाती है। अब अभिव्यक्ति के अगले चरण में यह आन्तरिक अभिव्यक्त वस्तु उस बिम्ब की भूमिका में आ जाती है, जिसे बाह्य तौर पर 'पर' के लिए, स्पष्ट भाषा में मुखरित होना है। आन्तरिक अभिव्यक्त वस्तु एवं बाह्याभिव्यक्त रूप के बीच भी एक लम्बा फासला होता है। उस में कहीं वस्तु की नोक पलक दुरूस्त की जाती है, इस की आकृति प्रकृति में परिमार्जन-परिशोधन किया जाता है और कहीं उस निरन्तर परिशोध्यमा सामग्री के लिए उपयुक्ततम समर्थतम शब्दों—भाषाखण्डों की खोज की जाती है। आन्तरिक वस्तु अर्थात् भावबिम्ब के उपयुक्त बाह्य शब्द की खोज सरल नहीं होती। बल्कि यों कहें कि शब्द व उसके वाच्यार्थ में वह शक्ति वह सामर्थ्य ही नहीं होती कि वह भावबिम्ब को आकारित करने का उत्तरदायित्व वहन कर सके। अतः इस कार्य के लिए शब्द-संरचना, वाक्य-संरचना, शब्द का स्थान तथा लक्षक व व्यंजक शब्दों से काम लिया जाता है। वस्तुस्थिति यह हो जाती है कि इन सब युक्तियों के प्रयोग से जो अभिव्यक्ति सम्पूर्ण होती है-वह संपूर्ण होकर मानसबिम्ब को एक्जेक्ट रूप में भाषाबद्ध कर देती है, उसकी भाषा-रचना में शब्द-तत्त्व का महत्त्व और मूल्य बहुत घट जाता है तथा शब्द-प्रयोग या संरचना-तत्त्व का मूल्य बढ़ जाता है। वहां शब्द का मूल्य संदर्भ के अधीन हो जाता है। संदर्भ बड़ा हो जाता है और शब्द छोटा। संदर्भ प्रधान भाषा-प्रयोग ही हार्दिक अनुभूत सामग्री को अभिव्यक्त कर सकती है, क्योंकि उस में भाव तत्त्व प्रधान होता है भाव ही वास्तव में अभिव्यंग्य व आकारणीय सामग्री होती है।

अब यदि हम भाषानुवाद के प्रश्न पर आएं तो देखेंगे कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति का भावानुवाद ही हो सकेगा, शब्दानुवाद नहीं। इस में अनुवादक को कार्यारम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण सामग्री को एक, दो, तीन, दफा पढ़ कर उस के शब्दों व शब्दार्थों को नहीं, अपितु उसमें निहित भाव-सामग्री को हृदयंगम करना होगा। भाव को हृदयंगम करने के पश्चात् उस सामग्री को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना होगा। यहां भी प्रक्रिया वही दोहराई जाएगी, अर्थात् अनुवादक जिस भाव सामग्री को स्रोत भाषा में से ग्रहण करेगा वह उस के लिए एक प्रकार से भाव तत्त्व बन जाएगी। मूल भोक्ता के मन में तो भाव स्वयं उत्पन्न होता है पर अनुवादक को वह भाव स्रोत सामग्री में से मिलता है। पर भाव का तो रूप नहीं होता। वह अनुभव तो होता

है पर साकार नहीं । अत : आकारित होने के लिए वह मानसबिम्ब में ढलेगा, तत्पश्चात् उस बिम्ब को भाषा में अभिव्यक्त किया जाएगा । इस बार जिस भाषा की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा वह मूल भाषा से पृथक कोई दूसरी भाषा होगी, अर्थात् स्रोत नहीं अपितु लक्ष्य भाषा होगी क्योंकि प्रत्यक भाषा की सामर्थ्य, प्रकृति, गठन व भंगिमा भिन्न होती है, अतः अभिव्यक्ति की जो भंगिमा शब्द-प्रयोग का जो ढांचा, जो व्यवस्था, जो सिस्टम स्रोत भाषा सामग्री में था, वह अब परिवर्तित हो जाएगा। अनेक स्थानों पर मुहावरों-लोकोक्तियों आदि की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तित कर देना पड़ेगा, सांस्कृतिक सन्दर्भों को या छोड़ देना पड़ेगा, या व्याख्यायित करना पड़ेगा या कोई समानान्तर सांस्कृतिक संदर्भ ढूंढना पड़ेगा । अन्यथा अनूदित सामग्री भाव-गरिमा खो बैठेगी । इस प्रकार हम ने देखा कि भावानुवाद में शब्द के स्थान पर अर्थ अथवा अभीष्ट अर्थ का महत्त्व होता है, भाष के स्थान पर भाव महत्त्वपूर्ण होता है तथा अनुवादकर्ता मूल लेखक के मानसबिम्बों को स्रोतभाषा से ग्रहण करके अपने मानस बिम्बों में पलटता है और फिर लक्ष्यभाषा में अपने उन मानस बिम्बों को अभिव्यक्त करता है इस तरह शब्दानुवाद एवं भावानुवाद में बहुत अन्तर होता है । भावानुवाद के कार्य में सर्जनात्मकता का पूरा दखल होता है । यह ठीक है कि वह सर्जनात्मकता स्वतन्त्र-स्वछन्द-सर्वत्र नहीं होती । वह नियंत्रित व सीमित होती है । मूल सर्जनात्मकता की छाया होती है । मूल की परिधि—रेखाएं उस की लक्ष्मण रेखाएं होती हैं तथा मूल के प्रति सम्पूर्ण वफादारी उस की मर्यादा, जिस की रक्षा उसे प्राणों पर खेल कर भी करनी है। शब्दानुवाद सर्जनात्मकता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता । इसी कारण **शब्दानुवाद में शब्दकोश समस्त समस्याओं का समाधान है तथा भावानुवाद में कभी कभी शब्दकोश समस्याओं का कारण सिद्ध होता है ।**

अब यदि हम भाषान्तरण व अनुवाद के प्रश्न पर लौटें, तो कह सकते हैं कि शब्दानुवाद को 'भाषान्तरण' कहा जा सकता है, क्योंकि उस में 'अनुवदन' नहीं होता और भावानुवाद को "अनुवाद" क्योंकि उसमें मात्र भाषान्तरण नहीं होता । भावानुवाद केवल एक भाषा का दूसरी भाषा में उल्था कर देना ही नहीं होता, वह अन्य भाषा में किया गया अनुगंयन अथवा पुनर्कथन ही होता है जोकि 'अनुवाद' शब्द की उपेक्षा है ।

स्कूली शिक्षा के आरम्भिक प्राइमर्ज, सूचनाएं, पत्रकारिता, सरकारी विज्ञप्तियां, विधि-साहित्य, तकनीकी व वैज्ञानिक सामग्री तथा किसी भी प्रकार का स्पष्ट तथ्य-कथन, इतने क्षेत्रों में भाषान्तरण (शब्दानुवाद) की आवश्यकता है । व्यक्तिगत पत्र, दैनिक दैनन्दिनी, साहित्य, शास्त्रों की व्याख्याएं, तर्क-वितर्क, शास्त्रार्थ, साहित्यिक समालोचनाएं, टिप्पणियां तथा किसी भी प्रकार के भावोच्छवास के लिए अनुवाद (भावानुवाद) की आवश्यकता है ।

इस से स्पष्ट होता है कि हमें अनुवाद के क्षेत्र में इन दोनों टर्म्ज की आवश्यकता है । शब्दानुवाद एवं भावानुवाद अनुवाद के दो प्रकार नहीं हैं–दो प्रकार के अनुवाद हैं जिन की प्रकृति (Nature) आत्मा, शरीर रचना (Anatomy) प्राणतत्त्व, तथा सौन्दर्य शास्त्र (Aesthetics) नीति (Ethics तथा रसायन शास्त्र (Chemistry) सब कुछ भिन्न है । इन का कार्य क्षेत्र भिन्न है, इन के औजार भिन्न हैं इन के लक्ष्य भिन्न हैं इन की शक्ति भिन्न है तथा इन, की सफलता के मानदण्ड भी भिन्न हैं। ये दो वास्तव में दो भिन्न संसार हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि वार्ता और साहित्य। हमें गर्व है कि हमारी भाषा में इन दो अनुवाद-प्रकारों के लिए दो सार्थक सक्षम शब्द वर्तमान है। अंग्रेजी भाषा में तो सब का कार्य एक ही शब्द "ट्रान्सलेशन" से चलाना होता है। अच्छा हो कि हिन्दी में काम काज करते समय हम क्षेत्र-भेद के अनुसार इन दो शब्दों का प्रयोग किया करें। इस से एक ओर हिन्दी भाषा की समृद्ध अभिव्यक्ति—क्षमता झलकती है दूसरी ओर अनुवादक का कार्य क्षेत्र—निर्धारण की स्पष्टता के कारण सुगम हो जाता है । □

–यू-एच. 6/9 जे
मडिकल एन्क्लेव
रोहतक–124001

# राजभाषा हिन्दी में अनुवाद : समस्याएं

☐ डॉ० नरेश कुमार

अनुवाद मात्र भाषा का अंतरण नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया हैं। यद्यपि कोश अनुवाद में सहायक होते हैं और इनके सहारे हम अनुवाद की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं तथापि भाषा पर अनुवाद की पकड़ और अर्थ पर ग्रहण-क्षमता होने तथा प्रत्येक वाक्य में निहित संकल्पना को समझकर अभिव्यक्त करने की स्थिति में ही सफल अनुवाद होता है। अनुवाद में भाव को प्रधानता मिलनी चाहिए। विधि संबंधी अनुवाद को छोड़कर यह आवश्यक नहीं है कि जितने शब्द अंग्रेजी शब्दावली में हों, उन सभी का हिन्दी में अनुवाद किया जाए। शब्द और अर्थ का संबंध प्रत्येक भाषा तथा विषय में अलग अलग होता है। माया, ब्रह्म, पुरुष (परमात्मा), योग, नाड़ी, तंत्र, मंत्र आदि शब्दों का क्या अनुवाद हो सकता है, उनका तो लिप्यंतरण ही करना होगा। "जनेऊ" का अनुवाद Sacred thread नहीं होगा, बल्कि "जनेऊ" या "यज्ञोपवीत" को ज्यों का त्यों लिप्यंतरण करना होगा।

शब्द का अर्थ देशगत, पात्रगत एवं कालगत होता है। अर्थ संदर्भगत प्रयत्न होता है। यथा General election का "आम चुनाव या निर्वाचन" किन्तु Director General का 'महानिदेशक' होगा। भाषा प्रयोग से पुष्ट होती है। भाषा की प्रकृति के अनुसार प्रत्ययों के योग से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यथा—prison+er=कैदी, jail+er=कारापाल, कारागारिक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उपयुक्त अर्थ को दृष्टि में रखते हुए पर्याय का चुनाव करना अनुवादक की योग्यता पर निर्भर करता है, उदाहरण-circulation का अर्थ (रक्त के संदर्भ में) "परिसंचरण" होगा और किसी सूचना को प्रचारित करने के अर्थ में 'परिचालन" होगा। अनुवाद की पृष्ठ भूमि में धार्मिक विश्वासों को भी दृष्टि में रखना पड़ता है, यथा prophet का पैगम्बर (पैगाम लाने वाला) किन्तु messiha का 'मसीहा' (मार्गदर्शक) ही अनुवाद होगा।

कतिपय शब्द अर्थ की दृष्टि से कुछ मिलते-जुलते प्रतीत होते हैं, किन्तु उनके अर्थ को दृष्टि में रखते हुए उनके विशिष्टि प्रयोग से हमें परिचित होना चाहिए यथा—sanction के लिए संस्वीकृति, मंजूरी, approval के लिए 'अनुमोदन' permission के लिए 'अनुमति' concurrence के लिए 'सहमति', order के लिए 'आदेश', direction के लिए 'निदेश' और instruction के लिए "अनुदेश", ordinance के लिए 'अध्यादेश' और command के लिए "समादेश" पर्याय होगा। विभिन्न संस्थाओं के लिए निर्धारित शब्दावली के अंतर को भी समझना होगा, यथा—agency अभिकरण, authority प्राधिकरण, corporation निगम, undertaking उपक्रम, institute संस्था, institution संस्थान, प्रसंगानुसार plant, के पर्याय—"संयंत्र, पौधा" दोनों के अन्तर को समझना होगा hardware "यंत्र सामग्री" और soft ware— 'यंत्रेतर सामग्री', के अर्थांतर पर भी दृष्टि रखनी होगी।

अनुवाद में विशिष्ट देश की संस्कृति को दृष्टि में रखते हुए, अनुवाद प्रस्तुत करना होगा, यथा—फारसी में "यार" प्रिया के लिए प्रयुक्त होता हैं। साहित्यिक मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए heroic couplet का अनुवाद "वीर छंद" न होकर "द्विपदी" होगा।

अंग्रेजी के मुहावरे का अनुवाद हिन्दी में प्रयुक्त मुहावरे में अथवा उसके लाक्षणिक भाव को देते हुए ही किया जाना चाहिए to poke one's nose into others affairs का अनुवाद "दखलंदाजी" या "टांग अड़ाना", to put the horse before the cart का अनुवाद "ऊटपटांग" या "सर्वथा विपरीत बात" होगा। a bed of roses का "गुलाब की सेज" 'at daggers drawn' का अर्थ 'छुरे निकाले हुए', 'at home in' का अनुवाद घर में नहीं होगा। उपयुक्त मुहावरों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुहावरों का कभी शाब्दिक अनुवाद नहीं करना चाहिए अपितु उसका अनुवाद हिंदी में प्रचलित मुहावरे के रूप में ही देना चाहिए, यथा—to ask for it के लिए "मुसीबत मोल लेना" अथवा "ओ बेल मुझे मार" अथवा उपयुक्त मुहावरों का लक्षणिक भाव भी हिंदी में दिया जा सकता है।

उपयुक्त पर्यायों का होना : अर्थ की स्पष्टता की दृष्टि से अनुवाद में उपयुक्त पर्यायों का होना वांछनीय है और हिन्दी की प्रकृति, शैली का बनाए रखना अति आवश्यक है। उदाहरणार्थ—'you will appreciate my difficulty' वाक्य का अनुवाद "आशा है कि आप मेरी कठिनाई समझेंगे" ही ग्राह्य है। additional secretary का अनुवाद "अपर सचिव" होना चाहिए, न कि

"अवर सचिव" No admission का "नहीं प्रवेश" न कर "प्रवेश वर्जित" अथवा "प्रवेश निषेध" और admission with permission के लिए "अनुमति से प्रवेश" के स्थान पर "आज्ञा लेकर अंदर आएं" होना चाहिए। Undersigned is directed to say का प्राय: शाब्दिक अनुवाद किया जाता है—"अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है" जबकि "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है" के रूप में अनुदित करना हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होगा।

अशुद्ध अनुवाद के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, जिनमें अंग्रेजी को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया है, और अर्थ का अनर्थ हो गया है

| | |
|---|---|
| 1. He hardly works. | 1. वह कठिन परिश्रम करता है। |
| 2. You do the upper work. | 2. आप ऊपर का काम कर लें |
| 3. Crocodile tears. | 3. मगर के आंसू |
| 4. Lion's share. | 4. सिंह का भाग |
| 5. Lip sympathy. | 5. ओष्ठ की सहानुभूति |
| 6. Foot of the mountain. | 6. पर्वत का चरण |
| 7. She parted with all her valuables. | 7. वह अपने सभी आभूषणों सहित अलग हो गई |
| 8. Fowl cholera. | 8. दुष्ट हैजा |
| 9. To fertilize the eggs. | 9. अंडो को उर्वर बनाने के लिए |
| 10. Police is patrolling the roads. | 10. पुलिस सड़कों पर पैट्रोल छिड़क रही है |
| 11. Deadly snake. | 11. मरा हुआ सांप |
| 12. The speaker told it criminal negligence.) | 12. अध्यक्ष ने इसे फौजीदारी लापरवाही बताया |
| 13. The Prime Minister said it while addressing the constructive workers. | 13. प्रधानमंत्री ने यह बात निर्माण मजदूरों को संबोधित करते हुए कही |

अनुवाद में जहां तक संभव हो सरल एवं बोधगम्य शब्दावली का ही प्रयोग किया जाए, यथा consigner के लिए 'परेषक' के स्थान पर "माल भेजने वाला" और consignee के लिए 'परेषती' के स्थान पर "माल पाने वाला" पर्याय दिया जाए तो अधिक सरल रहेगा। अधिकरण (tribunal) के award के लिए "पंचाट" के स्थान पर पंचनिर्णय" पर्याय अधिक सुबोध होगा। इसी प्रकार 'inaccessibility' के अनुवाद में "अनधिगम्यता" के स्थान पर "तक न पहुंच पाना", scrutiny के लिए "संवीक्षा" के बजाए "जांच" पर्याय देने से अनुवाद हिंदी का साधारण ज्ञान रखने वाले पाठक के लिए भी बोधगम्य होगा। वस्तुत: अनुवाद को सरल एवं सुबोध बनाना अनुवादक के भाषा ज्ञान पर निर्भर करता है। कोश में दिए हुए भिन्न-भिन्न पर्यायों के प्रसंगानुकूल भाव को समझने पर ही अनुवादक उपयुक्त शब्द का चयन कर सकता है और इस प्रकार की अर्थ संबंधी विसंगतियों से बच सकता है। शब्द के रूढ़िगत अर्थ पर अनुवाद की सतत दृष्टि रहनी चाहिए यथा—बैंकिंग शब्दावली में 'hypothecation' के लिए "दृष्टिबंधन" रेहन की क्रिया के प्रसंग में प्रचलित है, किंतु यदि कोई अनुवादक इसके लिए 'नजरबंदी' पर्याय देता है तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। □

जे-235, पटेल नगर, गाजियाबाद, उ.प्र

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।

— नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

# टिहरी-गढ़वाल रियासत में राजकाज की भाषा हिन्दी

☐ किरन पाल सिंह तेवतिया

स्वाधीनता प्राप्ति से पहले देश में ऐसी छोटी-बड़ी अनेक रियासतें थीं जिनमें राजकाज की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग होता था। राष्ट्रीय अभिलेखागारों और प्राचीन पुस्तकालयों से मिले दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गुजरात से लेकर बिहार तक तथा मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक के सम्पूर्ण क्षेत्र में बिखरी हुई इन हिन्दु रियासतों के बीच आपसी पत्र व्यवहार का माध्यम एक मात्र हिन्दी ही थी। ग्वालियर, भरतपुर अलवर, जयपुर, इन्दौर, बीकानेर बनारस, गढ़वाल आदि ऐसी ही देशी रियासतें थीं जिनमें हिन्दी न केवल राजभाषा के पद पर सुशोभित थी वरन् देश के अन्य भागों के हिन्दी प्रेमियों के लिए प्रेरणास्रोत भी बनी हुई थी।

सम्बन्धित विषय पर बात करने से पहले गढ़वाल के विषय में जानना अधिक युक्तिसंगत होगा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग का वह क्षेत्र जो आदिकाल से ही ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रहा है और जिसके प्रांगण में प्राकृतिक सौन्दर्य से सज्जित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच परम-पावन गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, 'गढ़वाल' के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल रियासत के राजपरिवार के कैप्टेन शूरवीर सिंह पंवार के अनुसार "पुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध है कि गंगा की सप्त प्रमुख धाराओं :—(1) भागीरथी (2) मन्दाकिनी, (3) नन्दाकिनी, (4) अलकनन्दा, (5) धौली, (6) पिंडर एवं (7) नयार द्वारा सींचित भूखण्ड ही ऋगवेद में वर्णित वैदिक आर्यों का मूलस्थान 'सप्तसिन्धु' देश हो, जो आज गढ़वाल नाम से विख्यात है।"[1] भाषा विज्ञान कोश के अनुसार "मध्ययुग में बहुत गढ़ों के कारण इसे लोग 'गढ़वाल' कहने लगे।"[2]

टिहरी-गढ़वाल रियासत के अधिकृत क्षेत्र को दर्शाते हुए 9 मई 1930 को टिहरी दरबार ने भारतीय सर्वेक्षण देहरादून से रियासत का एक राजनीतिक-मानचित्र[3] तैयार कराया था, जिसके अनुसार टिहरी गढ़वाल को उत्तर में बिशहर व तिब्बत, पूर्व में ब्रिटिश-गढ़वाल, दक्षिण में देहरादून और पश्चिम में जौनसार-बाबर व रेंगढ़ की सीमाओं के बीच दर्शाया गया है। आज की भांति पूरे राज्य को जिलों में न बांटकर 11 परगनों तथा 80 पट्टियों में विभाजित किया गया था। यह बीसवीं शताब्दी के आरम्भ की बात है परन्तु इससे पहले निश्चय ही गढ़वाल एक विस्तृत राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था।

गढ़वाल रियासत का उदय चौदहवीं शताब्दी से पहले ही माना जाता है और तब से लेकर स्वाधीन भारत में विलय के समय (सन् 1947) तक इस पर पंवार वंशियों का ही आधिपत्य रहा। प्रसिद्ध विद्वान श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अनुसार ये पंवार राजा गुजरात से आकर यहां बस गये थे।[4] "चौदहवीं शती तक गढ़वाल का विस्तार एक शक्तिशाली एवं वैभवपूर्ण राज्य के रूप में हो गया था। गढ़वाल के पंवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल पंवार की सैंतीसवीं पीढ़ी के परम पराक्रमी नरेश अयजपाल पंवार ने चौदहवीं शती तक अपने राज्य का ऐसा विस्तारण किया, कि समस्त गढ़वाल के विभिन्न भागों को एकत्र कर एक सुदृढ़ एवं ऐशवर्य सम्पन्न विशाल राज का निर्माण कर केन्द्रीय स्थान पर श्रीनगर नामक राजधानी की स्थापना की"।[5]

गढ़वाल क्षेत्र की एक बोली है जो 'गढ़वाली' नाम से जानी जाती है। अनेक भाषा-शास्त्रीयों ने गढ़वाली को हिन्दी का ही रूप माना है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के वर्गीकरण में जहां डा. उदय नारायण तिवारी और डा. भोलानाथ तिवारी ने गढ़वाली को क्रमशः 'मध्य पहाड़ी' और 'माध्यमिक-पहाड़ी भाषा' के अन्तर्गत रखा है वहीं डा. हरदेव बाहरी 'पहाड़ी हिन्दी' के रूप में इसका उल्लेख करते हैं। लेकिन इन सभी विद्वानों का मूलाधार प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक

[1] गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज-संपादक शूरबीर सिंह पंवार, प्रस्तावना-पृ० 11.

[2] डा. भोलानाथ तिवारी—भाषा विज्ञान कोश पृ. 191.

[3] यह मानचित्र कैप्टन शूरवीर सिंह पंवार, देहरादून के संग्रहालय में सुरक्षित है।

[4] K. M. Munshi—Glory that was Gurjar Desh, Part I, P26

[5] गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज संपा० शूरवीर सिंह पंवार, प्रस्तावना, पृ० 15.

सरजार्ज ग्रियर्सन का भारत का 'लिग्विस्टिक सर्वे' है जिसमें उन्होंने गढ़वाल को 'मध्य पहाड़ी भाषा' के अन्तर्गत हिन्दी का रूप माना है। गढ़वाली पर हिन्दी-संस्कृत के साथ-साथ गुजराती तथा राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। क्षेत्रीयता और उच्चारण की दृष्टि से गढ़वाली हिन्दी से कुछ भिन्न प्रतीत होती है परन्तु मूलरूप में देवनागरी लिपि में लिखित यह हिन्दी ही है।

गढ़वाल-नरेशों ने अपनी रियासत के कार्यों की भाषा इसी गढ़वाली को बनाया। उस समय राज्य की केवल प्रमुख घटनाओं को ही लिपिबद्ध किया जाता था और क्योंकि उस काल तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था इसलिए लेखन के लिए ताम्रपत्र ही सबसे सुरक्षित साधन था। अत: प्रजा के विभिन्न व्यक्तियों अथवा देवालयों को दान या पुरस्कार देते समय ताम्रपत्र पर ही राजादेश लिखकर दिया जाता था। देवनागरी लिपि में लिखित ये ताम्रपत्र गढ़वाल के अनेक देवालयों तथा व्यक्तिगत संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित हैं। ऐसा ही एक ताम्रपत्र हाटगांव जिला चमोली के पंडित कुमुलानन्द थोकदार के पास सुरक्षित है जिसमें गढ़वाल नरेश महाराज पृथ्वीपति शाह के संवत् 1714 (सन् 1657) में हाटगांव के पंडित दुर्गु को भूमिदान दिए जाने का आदेश अंकित है यहां उस ताम्रपत्र को उसी रूप में दिया जा रहा है।

ताम्रपत्र महाराजा पृथ्वीपति शाह का

श्रीराम

श्री साके 1579 संवत् 1714 कार्तिक मासे दीन 27 गते प्रतीपदा तीथों वीसाषा नक्षत्र श्रीनग्र सुभ स्थान श्री महाराज ज्युले भगा पत्र

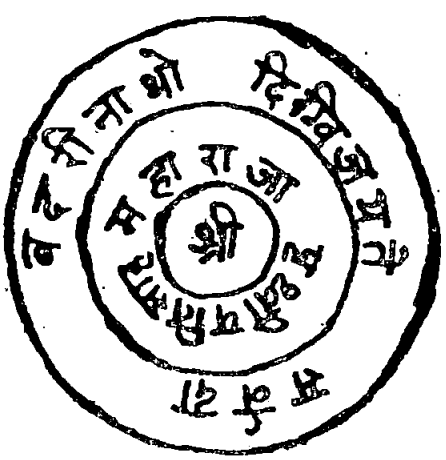

दुरगु हटवाल को पंच पुरेतु वी थी 45. ज्यूला ला माटी गोथलारे उड्डी का दीना 5..., फच ही समेत दुरगु का संतान तात्री षाण षपण देणु वृती हरण नी करणु साषी श्री रंगीवास जसोधर पुरोहीत गंजसीग भंडारी सत्र सींग कठैत सींग गुसाञ्जी धामसींग नेगी बषतु नेगी चन्द्रभान चौहाण साधीक बीष्ट अधानु भंडारी लला भंडारी भगा पत्र लीषीतं संकर जो फुरमावन से करणू अपणा जाणा दुरगु ले काम काज करणो सुभमस्तु।"[7]

गढ़वाल नरेश महाराजा फतेशाह (सन् 1667–1714) पर छत्रपति शिवाजी का विशेष प्रभाव पड़ा। वे शिवाजी को आदर्श मानकर उनकी नीतियों का अनुसरण करते थे। उन्होंने शिवाजी की ही भांति अपने राज्य में भी सन् 1699 में एक अष्टकोणी मुद्रा चलाई जिसके दोनों ओर देवनागरी लिपि में राजकीय-चिन्ह अंकित थे। इन मुद्राओं का रूप नीचे दिखाया जा रहा है—

## गढ़वाल राज्य के प्राचीन सिक्के. 8

मुगलकाल में उर्दू-फारसी के चलन के कारण प्रशासन की भाषा में भी इनके शब्दों की बहुतायत होने लगी, जिसका प्रभाव पूरे देश के साथ गढ़वाल पर भी पड़ा। यद्यपि रियासत की लिपि देवनागरी ही रही परन्तु राजकाज की भाषा उर्दू-फारसी मिश्रित हिन्दी हो गई जो ब्रिटिशकाल में भी इसी रूप में प्रयुक्त होती रही। यहां उसी भाषा का एक उदाहरण दिया जा रहा है—"....अब हमने तुम्हारे सब उजरों बाबत हुक्म दे दिया है जो दुरुस्ती उजरात 2/3/8/10/11/18/19/20/21 को हमने कर देने को कहा है तब होगी तुम लोग अपने को अच्छी तावेदार रिआया साबित करोगे और जो कुछ तुम्हारे जिम्मा मामला और शेस है अदा करो और जैसा कि अच्छे गढ़वाल के लोग करते हैं तैसा तुम भी करो जब कुंवर साहब हमको लिखेंगे कि तुमने अपने जिम्मा का सब कुछ अदा कर दिया और तुम्हारा चलन अच्छा है तो हम तबदीली बाबत लिखेंगे जो बातें हमने ऊपर कही हैं उनका बन्दोबस्त आसानी से हो सकता है तुमको शिकायत की जाये कुछ नहीं है तुमको चाहिये राशी से रहो जितनी रकम देहरा और जौनसार वाले जो तुम्हारे पड़ौसी हैं उनको देनी पड़ती है उससे आधी तुमको नहीं देनी पड़ती तुमको कानून से और चपरासियों से कनिष्ट

[6] डा. अब्राहम जार्ज ग्रियर्सन —लिग्विस्टिक सर्वे, भाग-1 खण्ड 1, पृ० 120

[7] गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज संपा० शूरवीरसिंह पंवार, पृ० 5

[8] शिवाजी का प्रभाव उत्तरांचल तक था लेख, कैप्टेन शूरवीरसिंह, धर्मयुग, 28 जुलाई 1974, पृ० 18, (25, अंक 22)

बिलों से और सिपाहियों से · · · तकलीफी नहीं है तुमको अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिये कि तुमको ऐसी तकलीफें नहीं हैं।"[9] यह उस पत्र का कुछ अंश है जो ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत के लिए नियुक्त कमिश्नर व एजेन्ट एच. जी. रौस ने 15 जुलाई 1887 को रियासत के उन काश्तकारों को लिखा था जिन्होंने सन् 1887 में गढ़वाल के नाबालिग शासक महाराजा कीर्तिशाह के संरक्षक कुंवर विक्रमसिंह की शिकायत रियासत के नैनीताल-स्थित पॉलिटीकल एजेन्ट से की थी। इस पत्र में रौस महोदय ने सभी 22 शिकायतों का क्रमवार उत्तर दिया है। पत्र पर हस्ताक्षर व मोहर अंग्रेजी में है परन्तु उसकी लिपि देवनागरी है।

गढ़वाल की सम्पूर्ण जनता की बोलचाल और साहित्य की भाषा हिन्दी थी। अतः रियासत की ओर से जनता से सम्बन्धित सूचना, अदालती नोटिस, सम्मन आदि सभी हिन्दी में ही दिए जाते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में जनता को सावधान करने के लिए इश्तहार भी निकाले जाते थे। प्रस्तुत है ऐसे ही एक इश्तहार का रूप—

"अज दफ्तर विजारत रियासत टिहरी-गढ़वाल ॥
ता. 1 फरवरी सन् 1913 इस्वी ॥
इस्तहार आम ॥

जुमले मुलाज्मान व गैर मुलाजमान व पुलीस औफीसरान व चौकीदारान व पटवारीयान व थोकदारान व मालगुजारान व सौदागरान व दुकानदारान व आम रियाया रियासत टिहरी-गढ़वाल को बजरिये इश्तहार हाजा मत्तले किया जाता है और हुक्म दिया जाता है कि दरबार को उस शख्स की अशखास की जुस्तजूअ और गिरफ्तारी की बहुत बड़ी जरूरत है जिस शख्स ने या जिन अशखास ने 23 दिसम्बर सन् 1912 को व मुकाम देहली व मौके आम जल्लूह जनाब वालाशान हजूर पुरनूर वाईसराय बहादुर दाम इकबालहु के हाथी बम का गोला फेंका था ऐहतमाल है कि गालिबन वह ऐसा शख्स था ऐसे अशखास गिरफ्तारी से बचने की गरज से पहाड़ों में भाग आये हों और व लिवास फकीराना या भीक मांगने वालों की सूरत में या किसी और भेष में पहाड़ों की खोहों में या जंगलों में या कस्बों में या क्षेत्रों में या गांवों की बस्तीयों में फिरते हों या छिपे हों :—

लिहाज आम ऊपर लिखे लोगों को व और दूसरे लोगों को हुक्मन् यह हिदायत किई जाती है कि तुम लोग दिलोजान से ऐसे मुजरिमों के पता लगाने व गिरफ्तार करने से रात दिन मशरूफ रहो और मकदूर से जियादे कोशिस करो मावजेमे शख्स पता लगाने वाले को 1000) रु. नकद व शख्स गिरफ्तार करने वाले को 2000) रु. नकद और सरोपा और उमर भर के लिये माकूल पेन्सनन इनआम आता होगी और सनद खैरख्वाही व नेकनामी कभी अदा होगी जिससे आगे उसकी औलाद भी दरबार से फायदा उठावेगी :— · · · · · · · · · · ॥"[10]

न्याय को जनता में और अधिक लोकप्रिय बनाने तथा अदालत के सभी कार्यों को सुचारूरूप से चलाने के लिए सन् 1918 में रियासत की तरफ से जनभाषा हिन्दी में 'नरेन्द्र हिन्दु ला' प्रकाशित कराया गया। यह पुस्तक दो भागों में है और इसमें गढ़वाल में मान्यता प्राप्त प्रथाओं व जातिगत सामाजिक बन्धनों को भी कानूनी नियमों के अन्तर्गत रखा गया है। पुस्तक में दिए गए नियम (धारा) 282 को यहां दिया जा रहा है :—

"282 बाप के हयात्तदम तकसीम— बाप जायदाद का मालिक और काबिज होता है बेटे उस जायदाद पर हक पसमांदा रखते हैं व बाप को बिला बाप की रजामन्दी के जायदाद को तकसीम कराने पर मजबूर नहीं कर सकते न उसके खिलाफ तकसीम के लिए किसी अदालत माल या दीवानी में मतालबा नहीं कर सकते और यही नजीर वहां भी लाजिम आती है जहां जायदाद दादा के कब्जे में हो और बेटे उसके हयातदम इन्तकाल कर चुके हों और वारिस पसमांदा पोते मौजूद हों,।"

रियासत में जब किसी नए महाराजा का राज्याभिषेक होता था तो महाराजा सिंहासन पर बैठने और जनता का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात सर्वप्रथम राज की तरफ से किसी जन-कल्याण की योजना की घोषणा किया करते थे। इसी परम्परा का पालन करते हुए टिहरी-गढ़वाल रियासत के अन्तिम नरेश महाराजा मानवेन्द्रशाह के राज्याभिषेक के शुभावसर पर 22-6-1946 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार महाराजा ने रियासत की जनता के लिए एक नए शासन विधान की घोषणा की थी। इस अधिसूचना का कुछ अंश यहां दिया जा रहा है—[11]

"टिहरी गढ़वाल राज्य सूचना

ता. 27 मई 1946 को राज्य सिंहासन पर बैठने के शुभ अवसर पर श्री 108 महाराजा मानवेन्द्र बहादुर जू ने एक शासन विधान की घोषणा की थी जो कि टिहरी गढ़वाल राज्य (बिधान संख्या 1 सम्वत् 2003) के नाम से प्रचलित है। यह विधान छपकर प्रकाशित हो चुका है और इसकी प्रतियां पं. द्वारिका प्रसाद नौटियाल औषधालय बुक डिपो, टिहरी से मिल सकती हैं।

---

[9] कैप्टेन शूरवी सिंह पंवार के सौजन्य से प्राप्त फोटो-प्रतिलिपि

[10] 'गढ़वाली' सचित्र मासिक पत्रिका, संपादक पं० तारादत्त गैरोला एम०ए०, भाग 1 2, फरवरी 1913, सम्वत् 1969, चैत्र अंक 11 पृ० 343

[11] 'नरेन्द्र हिन्दुलासन' 1918, पंडित हरिकृष्ण रतौरी (मजीर और रेजेंसी कौंसिल के द्वितीय मेम्बर, टेहरी गढ़वाल स्टेट), पृ० 543

उपरोक्त शासन विधान में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय बातें है :—

(अ) राज्य प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सदस्यों में से राज्य शासन व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी नियुक्त किये जायेंगे। राज्य प्रतिनिधि सभा में 20 निर्वाचित और 15 नियोजित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य मिल कर हैं। अतः इस सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है और इस समय भी निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य राज्य शासन व्यवस्थापिका सभा के मन्त्री हैं.....

नरेन्द्र नगर
ता. 22-6-46

जी.एस. सिंह,
एम.ए. एल एल बी
प्रकाशन अफसर
टिहरी गढ़वाल राज्य"[12]

ऐसे और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि तत्कालीन गढ़वाल रियासत में 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक राजकाज की भाषा के रूप में हिन्दी का ही प्रयोग होता था। केवल प्रशासन की ही नहीं वरन् रियासत के जनमानस की भाषा भी इस बीच हिन्दी ही थी और इसी हिन्दी को रियासत के नरेशों ने राजभाषा के पद पर उस समय प्रतिष्ठित किया जब राजभाषा नाम से कोई भाषा जानी ही नहीं जाती थी। राजदरबारियों के अतिरिक्त स्वयं नरेश और राज-परिवार के सदस्यों में भी इसी हिन्दी का चलन था। गढ़वाल में हिन्दी के प्रसार-प्रचार के मूलरूप में दो ही कारण माने जा सकते हैं ; पहला यह कि उस समय गढ़वाली इतनी उन्नत नहीं थी जितनी कि आज है और दूसरे उसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। लिपि के लिए गढ़वाली को देवनागरी को ही अपनाना पड़ा है। और यह निर्विवाद सत्य है कि जो भी देवनागरी लिपि को सीखेगा उसे हिन्दी स्वयं ही आ जाएगी। □

प्रधान प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, चिकित्सालय
देहरादून

[12] कैप्टन शूरवीरसिंह पंवार क सौजन्य से

---

पृष्ठ 7 का शेषांश

वह संगठित अनुभव के अभाव में, भाषा के स्तर पर उस सृजनात्मक आजादी का लाभ नहीं उठा पाता जो कि एक ललित लेखन करने वाला व्यक्ति उठा पाता है। अनुवाद शुद्धता व समय की सीमा के कारण संप्रेषणीयता के मामले को चाहकर भी अहमियत नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक जब तक बैंकिंग के कामकाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ता तब तक उसके अनुवादों में सहज सम्प्रेषणीयता की बात वास्तविक अर्थ में नहीं भर पाएगी जो कि दुरूहता से बचने के लिए जरूरी है। अंत : हिंदी में मूल लेखन का प्रयास करना चाहिए। हिंदी कक्षों का काम अनुवाद के बजाए संबंधित विभागों द्वारा तैयार हिंदी प्रारूपों का संशोधन हो, अनुवाद करवाना बंद किया जाए। जब तक अनुवाद का सहारा लिया जाता रहेगा तब तक न तो हिंदी में काम-काज शुरू होगा और न ही लक्ष्य प्राप्त होगा।

(3) समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का प्राप्त करना अनिवार्य किया जाए। यदि किसी विभाग/कार्यालय द्वारा लक्ष्य न प्राप्त हो पाए तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाए तथा उचित स्पष्टीकरण न होने पर उसे ज्ञापन जारी किया जाए।

3.1 केन्द्रीय अध्ययन दल सभी विभागों व कार्यालयों का निरीक्षण करे। वर्ष में कम से कम एक बार यह निरीक्षण जरूरी हो और निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों/कमियों/चूकों के बारे में उन कार्यालयों को शीघ्र सूचित किया जाए और शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट मांगी जाए।

3.2 केन्द्रीय निरीक्षण दल कार्यालयों के निरीक्षण के समय हिंदी की प्रगति के बारे में केवल हिंदी कक्षों में समेकित आंकड़ों का ही निरीक्षण न करे बल्कि विभागवार रिपोर्ट लिखे और विभागों द्वारा लक्ष्य न पूरा किए जाने पर टिप्पणी लिखे।

(4) ग्राहक सेवा वाले विभागों में ग्राहकों की मदद के लिए हिंदी जानने वाले अधिकारी को सेवा उपलब्ध करवानी चाहिए और इस आशय का एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए कि "फार्म हिंदी में भरने के लिए सहायता उपलब्ध है। आप फार्म हिंदी में भरें, कार्रवाई में कोई विलम्ब नहीं होगा।" □

एस-3/427, गोकुल धाम,
गोरेगांव, बम्बई-400063

# राष्ट्र-भाषा हिन्दी की प्रगति : इंजीनियरी विज्ञान के क्षेत्र में

☐ विश्वंभर प्रसाद गुप्त 'बन्धु'

[इंजीनियरी के क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति के बारे में यह गंभीर गवेषणात्मक निबंध लिखकर लेखक ने एतिहासिक महत्व का अभिलेख ही प्रस्तुत कर दिया है। वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सेवा-निवृत्त इंजीनियर और हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी तथा संस्कृत के अधिकारी विद्वान है जिनके अथक परिश्रम से उस विभाग में हिन्दी के प्रयोग में चतुर्मुखी प्रगति हुई। इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स के हिन्दी विभाग के आनरेरी तकनीकी संपादक हैं, और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की सिविल इंजीनियरी विशेषज्ञ समिति के सदस्य रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति पारितोषिक (दो बार), भारत सरकार के अखिल भारतीय बाल साहित्य पुरस्कार (दो बार), नव-साक्षर-साहित्य पुरस्कार (एक बार) और विश्वकर्मा पुरस्कार (दो बार) मिल चके हैं। हिन्दी में विज्ञान विषयक और इंजीनियरी की कई पुस्तकों के पुरस्कृत लेखक होने के साथ साथ उन्होंने कई खण्ड काव्य और नाटक भी लिखे हैं। ऐसी अनेकविध साहित्यिक सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन (1977), विज्ञान वैचारिकी अकादमी (1981), और विज्ञान परिषद (1986), ने उन कासार्वजनिक सम्मान किया है।—संपादक ]

हिंदी सदियों से सारे भारत की प्रमुख संपर्क भाषा रही है, और इसी नाते यह बहुत पहिले से ही 'राष्ट्र-भाषा' कहलाती रही है।

### हिन्दी की अखिल भारतीयता

हिंदी का अखिल-भारतीय स्वरूप उभारने में देश भर के मनीषी और सभी धर्मों-मतों के पोषक अपना योग देते रहे हैं। दसवीं सदी में गुरु गोरखनाथ ने, तेरहवीं-चौदहवीं सदी में हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्यों अमीर खुसरो तथा बाबा फरीद शकरगंज ने; तदनंतर तानसेन, रसखान और कवयित्री 'ताज' ने, स्वामी, हरिदास, वल्लभी संप्रदाय के गायकों सूरदास, कुंभनदास और छीत स्वामी ने; गंगोटी, शेख फरीद और रहीम ने; संत तुलसी मीरा और जायसी ने; महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव ने; छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी और महाकवि भूषण ने; सिख संम्प्रदाय के दस गुरुओं ने; महाराजा रणजीत सिंह तथा मुहम्मद तुगलक के दरबारी कवियों ने हिंदी का आश्रय लेकर अपनी-अपनी वाणी और लेखनी सफल की, समर्थ की और पवित्र की है, और हिंदी को अखिल-भारतीयता प्रदान की है।

अठारहवीं सदी में हैदराबाद के कवि अहमदुल्ला; औरंगजेब-कालीन कवि मतिराम, वृंद, कृष्ण सामंत आदि; बिहार के समर्थ कवि बोधा, त्रावनकोर के नरेश स्वाति तिरुनाल; गुजरात के प्रेमानंद और नरसैया आदि सभी हिंदी पर मुग्ध थे। आधुनिक काल में भी गुजरात के महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी, पंजाब के स्वामी श्रद्धानंद, महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के नेताजी सुभाषचंद्र बोस आदि ने स्वतंत्रता-संग्राम की ज्योति हिंदी के माध्यम से ही जगाई। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर तो 'भानु कवि' के नाम से हिंदी में कविता करके अपने को धन्य मानते थे।

हिंदी की इस अखिल-भारतीयता के कारण ही स्वतंत्रता के उपरांत सारे देश के मनीषियों ने इसे राष्ट्र-भाषा बनाया। संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा (और कुछ विद्वानों के अनुसार दूसरा) स्थान रखनेवाली हमारी राष्ट्र-भाषा हिंदी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों और गहनतम विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण सक्षम है और अब सब प्रकार से समृद्ध हो गई है। हिंदी राष्ट्र-गगन की वह दिव्य ज्योति है जिसके बिना सारा राष्ट्र अंधतम गहराइयों में डूब जाए और विश्व के मानचित्र पर भारत कहीं भी दिखाई न दे।

### उपयोगी कला : इंजीनियरी

मानव-जीवन के लिए उपयोगी कलाएं मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटी गई हैं : ललित कला, और व्यावहारिक कला। इन दोनों में अंतर बहुत कम है। ललित कलाएं रंजन-प्रधान होती हैं किंतु वे मानव-जीवन के लिए उपयोगी भी होती हैं; और व्यावहारिक कलाएं व्यापक व्यवहार की कलाएं होते हुए भी मानव-मन को रंजित करने वाला अवश्य होनी चाहिए। इन दोनों के मध्य भ्रम दूर करने के लिए ललित कला को अब मानविकी कहा जाने लगा है और व्यावहारिक कला को विज्ञान।

विज्ञान का एक रूप होता है विशुद्ध विज्ञान जिसमें पदार्थों के रूप, गुण, व्यवहार आदि का कोरा अध्ययन होता है; और दूसरा रूप होता है व्यावहारिक विज्ञान जिसमें विशुद्ध विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त हुए ज्ञान का मानव-हित में प्रयोग किया जाता है। व्यावहारिक विज्ञान की दो मुख्य धाराएं हैं : इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी और चिकित्सा शास्त्र।

इन दोनों ही धाराओं का मानव-हित की दृष्टि से बड़ा महत्व है, और इनके ज्ञान का प्रसार सारी जनता में होना आवश्यक है। इसलिए साहित्य स+हित से निष्पन्न होने के कारण यदि जन-हित-साधक है तो व्यावहारिक विज्ञानों के विषय उसमें अवश्य होने चाहिएं और वह राष्ट्र-भाषा हिंदी में भी पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है।

**व्यावहारिक विज्ञान का प्राचीन वाङ्मय**

भारत में इन दोनों ही धाराओं के बारे में प्राचीन ज्ञान प्रायः सारा ही संस्कृत में लिपिबद्ध है। किंतु चिकित्सा-शास्त्र या आयुर्वेद का बहुत सा प्राचीन ज्ञान कुछ नवीन जानकारी के साथ हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। इंजीनियरी भी, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी भी किसी सीमा तक आ जाती है, प्राचीन भारत में बहुत समृद्ध थी जैसा कि इसके विपुल साहित्य से प्रकट होता है। किंतु प्राचीन इंजीनियरी साहित्य प्रायः सारा का सारा संस्कृत में ही उपलब्ध है।

**हिन्दी आधुनिक विज्ञान की ओर**

साहित्य में जन-कल्याण की दृष्टि से भारतीय भाषाओं के उपयोग पर बहुत पहिले ही विद्वानों का ध्यान गया था। हिंदी में बाबू श्यामसुंदर दास की गणित विषयक शब्दावली 1901 में, ठाकुर प्रसाद खत्री का भौतिकी विषय कोश 1902 में और दर्शन, भूगोल, रसायन आदि की शब्दावलियां 1906 में प्रकाशित हो चुकी थीं। सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन या सहयोग न होते हुए भी भारतीय शिक्षा-शास्त्रियो ने अपने प्रयत्न जारी रखे थे। महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी और अन्य ने उन्नीसवीं सदी के आठवें दशक में त्रिकोणमिति, बीजगणित, कलन (कैल्कुलेस), स्थिति-विज्ञान (स्टेटिक्स), और गति-विज्ञान (डाइनैमिक्स) जैसे गहन वैज्ञानिक विषयों पर पुस्तकें लिखीं और छपवाईं। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में इनमें संस्कृत के ही सारे शब्द इस्तेमाल किए गए थे।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने स्थापित होते ही शब्दावली का काम हाथ में लिया और 1911 में भौतिकी, रसायन और विद्युत जैसे मौलिक वैज्ञानिक विषयों की पारिभाषिक शब्दावली प्रकाशित की। 1913 में प्रयाग में विज्ञान परिषद की स्थापना भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य के प्रकाशन और प्रचार के उद्देश्य से हुई। उसने हिंदी में 'विज्ञान' मासिक पत्र निकालना आरंभ किया जिसमें संस्कृत पर आधारित हिंदी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए सभी वैज्ञानिक विषयों पर लेख छपते रहे। 1920 के बाद बहुत से विश्वविद्यालयों और शिक्षा मंडलों ने हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं को इंटर कक्षा तक और कुछ ने तो बी.ए. तक शिक्षा का माध्यम बना दिया। इसलिए मौलिक विज्ञानों में हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी अच्छी शब्दावली बन गई।

**इंजीनियरी में हिन्दी का प्रवेश**

शिल्पी और इंजीनियरी शिक्षा-संस्थाओं में अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती थी। इसलिए इन विषयों की पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं हुआ। फिर भी विद्वानों के प्रयत्न जारी रहे। 1930 और 1940 के बीच अजमेर के श्री सुखसंपतराय भंडारी ने कितने ही शिल्प-विज्ञानों की जैसे, इंजीनियरी, औषधि-विज्ञान आदि की बड़ी परिभाषावली प्रकाशित की और औद्योगिकी तथा पाश्चात्य औषधि-विज्ञान पर भी कई पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई।

हिंदी के अखिल-भारतीय स्वरूप ने इंजीनियरों को विशेष आकृष्ट किया और अपने ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी के प्रयोग पर उन्होंने विचार करना आरंभ किया। इनमें एक महत्वपूर्ण रचना 'गृह विज्ञान' (लेखक श्री वी. सी. एस. मेहता) हिंदी पुस्तक भंडार नागपुर से इस सदी के (शायद) तीसरे या चौथे दशक में प्रकाशित हुई थी। लगभग उसी समय महाराष्ट्र के प्रख्यात इंजीनियर, आर. एस. देशपांडे ने वास्तु-शास्त्र संबंधी अपनी दो मराठी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए। ये रचनाएं इंजीनियरों के अतिरिक्त जन सामान्य में भी बहुत लोकप्रिय हुई। इनमें पारिभाषिक शब्दों के लिए बहुधा प्रचलित शब्द और साथ में अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त हुए थे। किंतु पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता सभी लेखक विशेष रूप से अनुभव करते थे।

बंगाल सरकार 1877 में ही एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की थी जिसके एक सदस्य श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने विषय की विशालता से चकित होकर सर्व-सम्मति से कुछ कर सकने में निराशा ही प्रकट की थी। किंतु विद्वान हतोत्साहित नहीं हुए। 1943 से 1946 तक आचार्य डा. रघुवीर ने अंग्रेजी-भारतीय भाषा कोश चार खंडों में प्रकाशित किया। उनका काम आगे भी चलता रहा और 1955 में उन्होंने अपना वृहत अंग्रेजी-हिंदी कोश प्रकाशित किया, जिसमें सभी वैज्ञानिक विषयों के शब्द हैं।

**वार्तकीय परिभाषा मंडल**

चौथे दशक में ही महाराष्ट्र में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण करने के लिए एक वार्तकीय परिभाषा मंडल बनाया था जिसके प्रमुख आधार-स्तंभ प्राध्यापक सखाराम विनायक आपटेजी एम.ए. थे। उन्होंने अन्य-अन्य शास्त्र-विभागों में परिभाषा निर्माण का काम अविरल रूप से 1932 से जारी रखा था। संस्कृत वाङमय का और भाषाका उन का ज्ञान प्रगाढ़ था। संस्कृत शब्दों के व्युत्पादन में उनकी विशेष गति थी। इस मंडल के दो और स्थायी सदस्य श्री त्र्यंबक गोविंद ढवलेजी गणितज्ञ, और श्री विष्णु सखाराम घाटेजी एल.सी.ई. थे। श्री ढवलेजी मौसम विज्ञान विभाग के एक कार्यकर्ता थे और श्री घाटेजी रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर थे। ये दोनों भी संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे।

### मंडल की कार्य-पद्धति

अनेक परिभाषा-प्रेमियों की सूचनाओं के अनुसार दो अन्य भाषा-ज्ञानी भी मंडल की सभाओं में सम्मिलित किए गए थे । प्राचीन वाङ्मय में जो संज्ञाएं मिलती हैं उनको ढूंढ-खोजकर मंडल के सामने रखने का कार्य इनकी ओर से होता था । तकनीकी विषय की किसी एक शाखा का कार्य पूरा होने के बाद दूसरी शाखा का कार्य हाथ में लिया जाता था । जहां तक किसी शाखा विशेष का कार्य जारी रहता था, तब तक उस शाखा के विशेषज्ञ इंजीनियर को स्वीकृत सदस्य के रूप में मंडल में विशेष रूप से शामिल किया जाया करता था । इस तरह के स्वीकृत सदस्य से मंडल की ओर से प्रार्थना की जाती थी कि वे अपने विषय की पर्याप्त ग्रंथ-रचना हिंदी में करने के लिए जिन संज्ञाओं की आवश्यकता है उनको इकट्ठा किया जाए और यथासंभव संज्ञा की व्याख्या भी साथ-साथ ही दी जाए, या कोई ऐसा ग्रंथ पेश किया जाए जिसमें उन संज्ञाओं का पर्याप्त रूप में विवरण उपलब्ध हो । यह परिभाषा-निर्माण का पहिला चरण होता था ।

इसके बाद एक-एक अंग-प्रत्यंग से संबंध रखने शब्द प्रकरणशः अलग-अलग किए जाते थे और एक-एक प्रकरण के शब्द फिर भी अलग-अलग उप-प्रकरणों में बाद में बांटे जाते थे । इनमें से एक-एक संज्ञा को लेकर प्रो. आपटेजी उसकी अर्थ-व्याप्ति और कार्य-व्याप्ति निश्चित करने की कोशिश करते थे, जिसके बाद मंडल की साप्ताहिक बैठकों में एक-एक शब्द पर चर्चा होती थी, व्याख्याएं देखी जाती थीं और शंका-उपशंकाओं का निर्मूलन किया जाता था । इस प्रकार अनेक सभाओं में चर्चा होने के बाद उक्त विषय की भौतिक संज्ञाएं निर्धारित की जाती थीं जिनपर फिर अनेक सभाओं में चर्चा होती थी, पर्यायवाची हिंदी संज्ञाएं सुझाई जाती थीं, और चर्चा के बाद अंतिम रूप से संज्ञाएं निर्धारित की जाती थीं । जो शब्द संस्कृत में पहिले से ही उपलब्ध हैं और हिंदी में भी मिलते थे, उनको प्रौढ़ परिभाषा में स्वीकृत करने की कोशिश की जाती थी ।

### इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स की पहल

भारतीय इंजीनियरों के विषय में यह बात अवश्य संतोषजनक है कि यूरोपीय संस्कृति भारत में फैलने से पहिले जो शिल्प-शास्त्र यहां प्रचलित था, उसके प्रति विरोधी भावना आंग्ल परिपाटी के भारतीय इंजीनियरों में कभी नहीं रही, भले ही कई अन्य शास्त्रों में आधुनिक विद्वानों को और संस्थाओं की प्रवृत्ति अपनी-अपनी प्राचीन प्रणाली के ग्रंथों और व्यवसायियों को पद-दलित करने की ओर रही हो, चाहे वह शासन के शिक्षा-प्रसार के फलस्वरूप हो या फिर नए की चकाचौंध के प्रति आकर्षण के कारण । किंतु इंजीनियरों में अपने प्राचीन गौरव के प्रति आस्था, स्वदेशी के प्रति प्रेम और स्वाभिमान की मात्रा सदा ही विद्यमान रहीं है । यहां भारतीय शिल्प-शास्त्र की उत्कृष्टता का उचित गर्व भी लोगों में हीन भावना से रोकता रहा ।

इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) इंजीनियरों की एक अखिल-भारतीय संस्था है जिसे 1935 में रायल चार्टर प्राप्त हुआ था । तब से इसे एक अखिल-भारतीय विश्व-विद्यालय का दर्जा प्राप्त है (जिसके इस समय लगभग पचास-साठ-हजार छात्र देश भर में फैले हुए अपनी निजी तैयारी करते और स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं देते हैं) । इस इस्टिट्यूशन के मुख-पत्र (जरनल) में हिंदी का प्रवेश भारतीय गणराज्य के आरंभ के पहिले ही हो चुका था— इंस्टिट्यूशन की कौंसिल ने 7-7-1949 की अपनी बंबई की बैठक में ऐतिहासिक 21वां प्रस्ताव पास करके अपने अंग्रजी जनरल में हिंदी विभाग आरंभ करने का निश्चय कर लिया था । इस प्रकार जहां वार्तकीय परिभाषा मंडल ने पारिभाषिक शब्दावली बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रखी थी और कई लेखकों ने हिंदी में पुस्तकें लिखना आरंभ कर रखा था, शोध-निबंधों में हिंदी का प्रयोग करने और हिंदी की एक विशेष शैली जो तकनीकी कार्य के उपयुक्त हो, प्रस्तुत करने में इंस्टिट्यूशन ने ही पहल की; और इसका श्रेय अत्यंत दूर-दर्शी कौंसिल-सदस्य पूनावासी श्री नरहरि सदाशिव जोशी, ए.एम.आई.ई. को जाता है जो बंबई लोक निर्माण विभाग कार्य के रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे और हिंदी मातृ भाषी बोलने वाले न होते हुए हुए भी जिनका अडिग विश्वास था कि देश की एकता और प्रगति तथा इंजीनियरी विज्ञान का अपेक्षित प्रचार-प्रसार हिंदी के माध्यम से ही संभव है । भारतीयता के पुजारी एक अन्य सदस्य मेजर नारायण बालकृष्ण गद्रे, एम.आई.ई. आई एस. ई. (रिटायर्ड) ने यहां तक सुझाया था कि इंस्टिटयूशन को भारतीय शिल्प-शास्त्र परिसंस्था' नाम देना अधिक उपयुक्त होगा, तथापि अनेक वैज्ञानिक कारणों से यह संभव नहीं हुआ ।

गद्रेजी ने इंस्टिट्यूशन के सामने यह प्रस्ताव भी रखा था कि संस्कृत तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं में विद्यमान वाङ्मय का पूरा संग्रह हर एक केन्द्र में किया जाए और ऐसे ग्रंथों में से स्वीकार करने योग्य पारिभाषिक शब्दों का खोज में एक-एक स्थायी समिति हर एक केन्द्र में नियुक्त की जाए जिससे सरकारी अधिकारियों और विज्ञों को शब्दों के चुनाव में पूरी सहायता मिलती रहे । इसके अनुसार प्राचीन भारतीय शिल्प वाङ्मय संबंधी प्रदर्शनी कई स्थानों पर लगाई गई थी और अब स्थायी रूप से नागपुर में है ।

### भारत सरकार का हाथ

इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स ने वार्तकीय परिभाषा मंडल के साथ मिलकर 1950 से चार साल तक बहुत परिश्रम-पूर्वक खास शिल्पीय दृष्टिकोण से संपादित लगभग डेढ़-दो-हजार इंजीनियरी शब्दों का समूह प्रस्तुत किया और मेजर

गद्रे ने 1954 में भी भारतीय शिक्षा मंत्री के कार्यालय की शिल्प परिभाषा विज्ञ समिति के सामने अपने विचार रखे । उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि संस्कृत के विद्वानों ने बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है, किंतु शिल्प-साहित्य की उन्नति इंजीनियरों के ही प्रयत्न से होगी । फलस्वरूप भारत सरकार ने अपना सांविधानिक उत्तरदायित्व समझा और शिक्षा मंत्रालय के हिंदी विभाग को धीरे-धीरे सुदृढ़ करते हुए 1 मार्च 1960 को केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कर दी । इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की विशेषज्ञ समितियां काम करती थीं, जिनकी संख्या 1961 तक 26 हो गई और लगभग तीन लाख शब्द तैयार कर दिए गए ।

इंस्टिट्यूशन के उत्साही सदस्यों की प्रेरणा से अक्तूबर 1961 में ही डा. डी. एस. कोठारी के सभापतित्व में एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नियुक्त हो गया।

**शब्दावली संबंधी कार्य का समन्वय**

भारत सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानीकी शब्दावली आयोग को ये कार्य सौंपे गए थे :

क : वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के संबंध में तब तक किए हुए कार्य की समीक्षा करना ;

ख : किए हुए कार्य के संबंध में समन्वय के सिद्धांत निश्चित करना और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बनाना ;

ग : विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए हुए काम का उनकी सहमति से समन्वय करना और शब्दावलियों का अनुमोदन करना ; और

घ : वैज्ञानिक विषयों पर आदर्श पुस्तकें तैयार करने के लिए नीति निश्चित करना और उसका कार्यान्वयन करना।

एतदनुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में दिसंबर 1950 में गठित वैज्ञानिक शब्दावली मंडल के काम को व्यापक बनाया गया और वार्तकीय परिभाषा मंडल एवं इंस्टिट्यूशन आफ़ इंजीनियर्स की पूरी सहायता ली गई : इस प्रकार देश के असंख्य विद्वानों, वैज्ञानिकों और भाषा-विदों के समर्पित परिश्रम के फलस्वरूप विभिन्न विषयों की शब्दावलियां और उनके प्रस्तावित हिंदी पर्यायों की अंतिम सूचियां प्रकाशित करके देश भर में परिचालित की गई, उन पर सम्मतियां, आपत्तियां और विचार आमंत्रित किए गए; और नई जानकारी के अनुसार पुनः विचार-विमर्श करके शब्द निश्चित किए गए तथा अंतिम सूचियां तैयार की गई । फिर इन्हें वर्ण-क्रम से समेकित करके जनवरी 1962 में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने एक विशाल पारिभाषिक शब्द-संग्रह प्रकाशित किया। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था । विज्ञान की दिन-प्रति-दिन की प्रगति की दृष्टि से काम आगे भी जारी रहा ।

नए शब्द निर्माण करते समय (1) भार और नाप की इकाइयां, जैसे मीटर, ग्राम, अर्ग, डाइन, कैलोरी, लीटर आदि (2) व्यक्तिवाचक नामों के आधार पर बने शब्द, यथा ऐम्पियर फारेनहाइट, वोल्ट, वाट आदि; (3) लगभग सारे संसार में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द, यथा ऐस्फाल्ट, रेडियो, पेट्रोल, राडार आदि; (4) नए तत्वों और यौगिकों के वैज्ञानिक नाम, यथा ऐल्युमिनियम, आक्सीजन, हाइड्रोजन, बोरियम कार्बन, क्रोमेट, डाइ-आक्साइड आदि; और (5) वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान सरीखे विज्ञानों में द्वि-नाम पद्धति; जो संसार की अनेक विकसित भाषाओं में या कम से कम तीन योरपीय भाषाओं में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं, हिंदी में भी वैसे ही रखे गए । भारतीय संविधान की धारा 351 में शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से ग्रहण करने का निदेश है । हिंदी को अखिल भारतीय रूप देने तथा शब्दावली को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से संविधान में निर्दिष्ट आदान हितकर है, अतः स्वीकार किया गया है ।

शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में इंस्टिट्यूशन आफ़ इंजीनियर्स के हिन्दी संपादक एवं पंजाब के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री ब्रजमोहन लाल ने अग्रणी काम किया जिसे उनके उत्तराधिकारी, इन पंक्तियों के लेखक ने आगे बढ़ाया। इंस्टिट्यूशन के जनरल के द्वारा शब्दावलियों का व्यापक प्रचार-प्रसार और निबंधों में प्रयोग होता रहता था और प्रबुद्ध इंजीनियरों की प्रतिक्रियाएं मालूम होती रहती थीं । वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अब भी शब्दावली पर काम कर रहा है । लगभग सभी विज्ञानों की शब्दावली तैयार हो चुकी हैं । इंजीनियरी का एक वृहत् अंग्रेजी-हिंदी शब्द-कोश प्रकाशित हो चुका है और परिभाषा-कोश बन रहा है । हिंदी-अंग्रेजी कोश बनाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

**हिन्दी में इंजीनियरी साहित्य का निर्माण**

पाठ्य पुस्तकें और अनुषंगी पुस्तकें तैयार करने की ओर भी सरकार का ध्यान गया है। विश्वविद्यालय स्तर की मौलिक पुस्तकें लिखने और अंग्रेजी की मानक पुस्तकों का अनुवाद करने की दिशा में व्यापक प्रयास हुआ है। विभिन्न आई.आई.टी. संस्थाओं और रुड़की विश्वविद्यालय की मदद से कार्य कराया जा रहा है। देश के पांच हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अकादमियां बनी है जिन्हें पालिटेकनीक स्तर तक की पुस्तकों के प्रकाशन का काम सौंपा गया है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 1979 तक लगभग पांच सौ पुस्तकें इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में तैयार हो चुकी थीं, जिनमें से सिविल, यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरी की 332 पुस्तकों

की एक अनंतिम सूची इंस्टिट्यूशन के जरनल के दिसम्बर 1979 अंक में और कृषि इंजीनियरी की 104 पुस्तकों की एक सूची अप्रैल 1982 अंक में छपी है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1966 से 1980 तक 15 वर्ष में प्रकाशित हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की एक निदेशिका प्रकाशित की हैं जिसके अनुसार 3000 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन उस अवधि में हुआ था। ये चिकित्सा विज्ञान से लेकर इंजीनियरी कृषि तथा अन्य सभी जन सामान्य के तथा स्कूल कालेजों के वैज्ञानिक विषयों की है। पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन बराबर जारी हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग पुस्तकों के लेखन तथा प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पुरस्कार योजनाएं चलाते हैं।

**वैज्ञानिक और तकनीकी पत्र पत्रिकाएं**

यह एक रोचक तथ्य है कि हिन्दी में वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं की कमी नहीं है। आज कृषि चिकित्सा, इंजीनियरी, भू-विज्ञान, प्राणि विज्ञान आदि अनेक विषयों पर हिन्दी में नियमित रूप से लगभग 321 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। शोध पत्रिकाएं भी निकलती हैं, जिनमें से विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका और इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स का हिन्दी जरनल प्रमुख हैं। इस जरनल की इस समय 11000 प्रतियां छपती हैं और समय समय पर विशेषांक भी निकलते हैं जिनमें सामयिक महत्व के उच्च कोटि के शोध निबंध होते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक वैज्ञानिक पत्रिकाएं 70-80 साल से नियमित प्रकाशित हो रही है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका 1913 से, विज्ञान 1915 से और उद्यम 1918 से लगातार निकल रही है। इनके अतिरिक्त उच्च स्तर की विज्ञान कथाएं और लेख साप्ताहिक हिन्दुस्तान, विज्ञान प्रगति, धर्मयुग आदि में भी प्रकाशित होते रहते हैं। मेला पाक्षिक और अन्य विज्ञान पत्रिकाओं के विज्ञान कथा विशेषांक भी समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।

**सरकारी कार्यालयों के तकनीकी काम में हिन्दी का प्रयोग**

भारत सरकार के इंजीनियरी कार्यों के निष्पादन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रमुख हैं। इस विभाग में लेखक ने 1959-60 से ही सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग आरंभ कर दिया था और हिन्दी में सामान्य कार्य के अतिरिक्त तकनीकी कार्य और अनुवाद आदि में सहायता के लिए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की एक शाखा का गठन कर लिया था। फलस्वरूप अनेक अधिकारी नियमित कार्य में काफी कुछ और तकनीकी कार्य में भी कुछ प्रयोग हिन्दी का करने लगे। मंत्रालय में तकनीकी विषयों पर भी हिन्दी में टिप्पणियां भेजी जाने लगी और 'निर्माण नाम' की एक तकनीकी पत्रिका भी निकाली गई जो आठ-दस साल तक चलीं। इससे विभाग में सभी जगह हिन्दी में काफी काम होने लगा।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अपनी स्थापना होते ही सारा विभागीय साहित्य अनुवाद करने के लिए मंगा लिया था; किन्तु नौ-दस साल तक अनुवाद में कुछ प्रगति न हुई; हां, साहित्य अवश्य संशोधित और बहुत परिवर्द्धित हो गया। इन पंक्तियों के लेखक जब संपर्क अधिकारी (हिन्दी) बने और इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स के हिन्दी संपादक हुए तब उन्होंने भारत सरकार को पुनः विश्वस्त किया कि तकनीकी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद और इंजीनियरी कामों में हिन्दी का प्रयोग इंजीनियरों द्वारा ही संभव हो सकता है। दीर्घकालीन विचार-विमर्श और भगीरथ प्रयास के फलस्वरूप वे 1971 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक हिन्दी शाखा स्थापित करने में सफल हुए और फिर सभी दिशाओं में हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा।

विभाग के सारे तकनीकी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद हुआ और हिन्दी के प्रयोग में सहायता देने के लिए सहायक पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई। सभी कार्यालयों में कार्यान्वयन समितियां बनीं और सहायक अमला नियुक्त हुआ। ताजी जानकारी के अनुसार इस समय लगभग तीन चौथाई कार्यालयों में लगभग तीन चौथाई काम हिन्दी में होने लगा हैं। बहुत से तकनीकी अनुमान हिन्दी में बनते हैं और वास्तुकीय नक्शों में भी हिन्दी का प्रयोग हो रहा है।

देश के अन्य इंजीनियरी कार्यालयों, विभागों और राज्य सरकारों ने भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साहित्य की सहायता ली हैं। □

बी-154, लोक विहार
पीतमपुरा, दिल्ली-34

# रचनात्मक तकनीकी लेखन

☐ डॉ० ओम् विकास

[राजभाषा भारती अंक 41, 42 एवं 43 में प्रस्तुत लेख की क्रमशः पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्तें प्रकाशित की जा चुकी हैं। प्रस्तुत किस्त में कंप्यूटर पर रचनात्मक तकनीकी लेखन की दिशा में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव दिए गए हैं। —सं०]

**हिन्दी में तकनीकी लेखन संवर्धन हेतु सुझाव**

हिन्दी में तकनीकी लेखन को बढ़ाने में शब्दावली निर्माण, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन महत्वपूर्ण हैं।

**1. तकनीकी शब्दावली**

तकनीकी शब्द अपेक्षाकृत जल्दी जल्दी बदलते हैं। इनकी परिभाषा बदल जाती है और नए शब्द गढ़ जाते हैं। प्रयोग से नए सरल और अधिक उपयुक्त शब्द मिलते हैं। शब्दावली के अभाव में तकनीकी लेखन रुकता है। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर शब्दावली को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जुलाई 1987 तक पूरा नहीं कर पाया। इससे कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में लेखन रुका। सुझाव है कि—

(1) विषयवार तकनीकी शब्दावली छोटे आकार में तैयार करायी जाए।

(2) प्रत्येक नए तकनीकी क्षेत्र में संक्षिप्त शब्दावली जल्दी से जल्दी प्रकाशित करायी जाएं। नए तकनीकी क्षेत्र में संक्षिप्त शब्दावली 6 माह में और वृहद शब्दावली एवं परिभाषा कोश अगले 3 वर्षों में तैयार करने की व्यवस्था की जाए।

**2. तकनीकी विभागों एवं शिक्षण संस्थानों में हिन्दी में तकनीकी लेखन प्रोत्साहन अधिकारी की नियुक्ति**

अंतरिक्ष, परमाणु, इलेक्ट्रोनिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे भारत सरकार के सभी तकनीकी विभागों, और टी.आई.एफ.आर., आई.आई.टी. जैसे सभी शिक्षण एवं शोध संस्थानों में तकनीकी लेखन प्रोत्साहन अधिकारी की नियुक्ति की जाए। वह संस्थान अथवा सरकारी विभाग और उसके अन्तर्गत उपक्रमों में वैज्ञानिकों को हिन्दी में तकनीकी लेखन में मदद दें; शब्दावली, परिभाषा, कोश निर्माण और तकनीकी लेखन कार्यशालाओं के आयोजन का दायित्व निर्वाह करे। इसके लिए वे-त-श आयोग अपने शब्दावली विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारियों को भारत सरकार के तकनीकी विभागों में प्रतिनियुक्ति करने की व्यवस्था कर सकता है।

**3. रचनात्मक तकनीकी लेखन में प्रशिक्षण**

तकनीकी शिक्षा में तकनीकी लेखन के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप तकनीकी विषयों में प्रशिक्षित विद्यार्थी तकनीकी उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। नई परियोजनाओं को अपने उच्च अधिकारियों से स्वीकृत कराने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। यह शिकायतें विशेष रूप से उद्योगों से मिलती है। ब्रिटेन में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों में संप्रेषणीयता का बढ़ता हुआ अभाव वहां के तकनीकी शिक्षाविद अनुभव करते हैं। संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं (डिआना रेल्टन, 1986) 1970 के दशक में इस संबंध में कई रिपोर्टें प्रकाशित हुई। 1976 में इंजीनियरिंग कौंसिल ने तकनीकी लेखन और वार्ताओं को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इंजीनियर के लिए अपने उच्च अधिकारी और अधीन अधिकारियों को तकनीकी तथ्यों को स्पष्टतः प्रस्तुत करने के लिए संप्रेषण कौशल अनिवार्य है। इसे कला माना। इंजीनियरिंग कोर्स में इसे भी शामिल करने की सिफारिश की।

अप्रैल 1984 में एल्टन विश्वविद्यालय (बर्मिघम) में रेल्टन ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को संप्रेषण कौशल का प्रशिक्षण कैसे दिया जाय, इस विषय पर अध्ययन शुरू किया। लाबोरो वि.वि. में कम्यूनिकेशन स्किल्स पर अलग कोर्स है। स्ट्रेथ क्वाइड वि.वि. में कम्यूनिकेशन स्किल्स इंजीनियरिंग कोर्स का अभिन्न अंग बन गया है। वहां इस पर अलग से कोई कोर्स नहीं। प्रत्येक विषय के प्रशिक्षण के समय इसका ध्यान रखा गया।

सुझाव है कि—

(1) इंजीनियरिंग कोर्स में तकनीकी संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

(2) त-सं. कौशल प्रशिक्षण के लिए शिक्षक तैयार करने के लिए 1½ वर्ष का कार्यक्रम (एम फिल/एम टेक) शुरू किया जाए।

(3) त-सं-कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में शोध कार्य करने, आवश्यक सामग्री तैयार करने और विश्वविद्यालयों में परामर्श प्रदान करते रहने के उद्देश्य से त-सं. को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए।

**4. तकनीकी संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

त-सं. को प्रशिक्षण को कई विषयों के सार समागम विषय के रूप में समझा जा सकता है। इसमें भाषा विज्ञान, तर्क सिद्धान्त, अनुवाद विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सामूहिक चर्चाओं, संचार प्रबंधन को शामिल किया जा सकता है।

**4.1 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में त.सं. का विषय**

इसमें निम्नलिखित संभव घटकों को रखा जा सकता है।

(1) ——सूचना संग्रह एवं विश्लेषण कौशल
——संदर्भ स्रोतों का प्रयोग
——पाठन एवं श्रवण दक्षता
——सार लेखन दक्षता
——संगोष्ठी आदि में भाग लेने की तैयारी
——प्रोजेक्ट कार्य व्यवस्था
——साक्षात्कार से सूचना संग्रह

**(2) तकनीकी और अतकनीकी श्रोताओं के लिए प्रस्तुतीकरण**

——रिपोर्ट, शोध पत्र, सारांश आदि लिखना, संक्षेपण, शैली, संपादन एवं प्रस्तुति
——मौखिक प्रस्तुति
——औपचारिक भाषण
——शोध पत्र पढ़ना
——वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना
——ग्राफ और आंकड़ों की प्रस्तुति
——व्यावसायिक पत्र संधि पत्र, टेलेक्स लिखना
——हाथ से किए जाने वाले किसी जटिल कार्य के लिए नियमावली तैयार करना
——प्रचार प्रसार सामग्री बनाना
——नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भरना, साक्षात्कार देना

**(3) सामूहिक चर्चा**

——नेतृत्व-विकास
——वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास करना, उनमें कार्य के प्रति अभिरुचि पैदा करना, उन्हें संगठित करना।
——कार्य आदेश देना, द्वंद सुलझाना
——कार्य पूरा होने पर प्रतिक्रिया बताना
——कार्मिक चयन
——बैठक के लिए कार्य-वृत्त, चर्चा सार तैयार करना
——सहपाठियों के साथ सामूहिक लेखन और सामूहिक प्रस्तुतिकरण

**(4) सामान्य सिद्धांत**

——जन संचार माध्यमों का ज्ञान
——प्रबंधक और कार्मिकों के बीच संस्थागत जन संचार
——शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों में जन संचार

**(5) तर्क सिद्धान्त**

——सैट थ्यौरी का आरंभिक परिचय
——प्रेरण सिद्धान्त, पारन प्रमेय आदि
——शब्द निर्माण, वाक्य रचना और विषय-प्रतिपादन में तार्किक सिद्धांत

**(6) भाषा विज्ञान**

——व्याकरण, वाक्य विन्यास
——पठनीयता संकेतांक
——शब्द परिचय
——अनुवाद के सिद्धांत

**4.3 त.सं. को प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम**

तकनीकी संप्रेषण कौशल प्रशिक्षकों के लिए $1\frac{1}{2}$ वर्ष के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित घटक हो सकते हैं—

(1) सूचना संग्रह एवं विश्लेषण, (2) तकनीकी और अतकनीकी प्रस्तुति, (3) सामूहिक चर्चा, (4) जन संचार के सिद्धांत
(5) तर्क सिद्धांत
(6) भाषा विज्ञान
(7) अनुवाद विज्ञान
(8) ललित साहित्य में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति
(9) शब्द संसाधन और शैली सुधार प्रोग्राम
(10) कार्यशालाएं
(11) प्रोजेक्ट
(12) शोध वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग उद्योग के प्रबंधकों से भेंट।

.....जारी अगली अंक

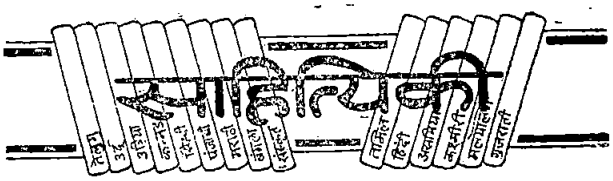


# स्वतंत्र चिंतक जैनेन्द्र कुमार

☐ डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

श्री जैनेन्द्र कुमार से मेरा परिचय सन् 1940 में हुआ। मैं उस समय अपनी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था। जैन गुरुकुल पंचकूला (अम्बाला) में प्रधानाचार्य का पद रिक्त था और उसी पद के लिए मुझे संस्था के प्रबंधक महोदय से साक्षात्कार के लिए दिल्ली बुलाया गया था। मैं संस्था के विषय में कुछ नहीं जानता था। केवल जैन शब्द के कारण मैंने सोचा कि शायद जैनेन्द्र कुमार जी को कुछ जानकारी होगी और उनसे मिलकर संस्था के विषय में मुझे कुछ सूचनाएं मिल सकेंगी। मैं जैनेन्द्रजी के निवास स्थान पर पहुंचा और अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। जैनेन्द्र जी भी उस संस्था के विषय में विशेष जानकारी नहीं रखते थे। केवल इतना अवश्य जानते

**जैनेन्द्रजी किसी वाद (इज्म) या मतवाद में विश्वास नहीं करते। सत्य-अहिंसा की परिभाषा भी अपने चिन्तन के आधार पर करते थे। गांधी के प्रशंसक और समर्थक होने पर भी गांधीवादी लेखक कहलाना पसन्द नहीं करते थे। जैनेन्द्र जी स्वतंत्र चिंतक और इस शताब्दी में हिन्दी के मूर्धन्य विचारक थे। उनकी अपनी प्रतिभा और मनस्विता ही उनकी पथ प्रदर्शक थी। ऐसी मौलिकता अन्यत्र दुर्लभ है।**

थे कि यह संस्था स्थानकवासी पंथ की जैन संस्था है। संस्था की शैक्षिक गतिविधि तथा प्रबंध पद्धति के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बातचीत शुरू होने पर उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'सुनीता' की चर्चा चल पड़ी। मैं सुनीता उपन्यास को उस समय हरिप्रसन्न के अमर्यादित आचरण के कारण पसंद नहीं कर सका था। 'परख' उपन्यास को तो मैंने दस वर्ष पहले अपने छात्र जीवन में ही पढ़ लिया था। सत्यधन और कट्टो के चरित्र जिस शैली से उपन्यास में चित्रित किए गए थे, वे मोहक और भीतर से आकर्षक होने पर भी साधारण पाठक की पकड़ से बाहर थे।

मैंने जैनेन्द्रजी से इन दोनों उपन्यासों की चर्चा करते समय उनकी अभिव्यंजना की सराहना की जो उन्हें शायद पसंद नहीं आई। उनका कहना था 'अभिव्यंजना का भी कोई शिल्प होता है क्या? यदि होता है तो मैं उसे नहीं जानता। मैं बात करता हूं तो शिल्पविधि से नहीं, मन-वचन की सहज विधि से करता हूं। अतः परख और सुनीता के शिल्प का संधान मेरे लिए सार्थक नहीं है। कथ्य के अभ्यान्तर में यदि पाठक का प्रवेश नहीं होता तो मेरा लेखन भी निरर्थक हो जाता है'।

सैंतालीस वर्ष पहले की बात को मैं अपनी स्मृति के आधार पर ही लिख रहा हूं। सुनीता और हरिप्रसन्न का सामाजिक संबंध उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका रागात्मक और अभ्यान्तर संबंध है। इसे समझे बिना उपन्यास के इन पात्रों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा नहीं जा सकता। बातचीत लगभग दो घंटे हुई। मैं उनकी बात को अस्वीकार करते हुए भी जैनेन्द्रजी से अस्वीकार नहीं कर सका और इस प्रथम भेंट-साक्षात्कार को आज तक पूरी आत्मीयता से अपने भीतर संजोए हुए हूं। उसके बाद तो जैनेन्द्रजी से अनेक बार अनेक विषयों पर बातचीत होती रही किन्तु वैसी आकर्षक बात शायद कभी नहीं हुई।

मैं सन् 1947 में दिल्ली आया। उस समय संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगों का विषाक्त वातावरण था। पंजाब और दिल्ली में तो हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त था। मैं भारत विभाजन से लगभग एक मास पहले दिल्ली आया था और अपने लिए घर की तलाश में था। दिल्ली से मेरा परिचय नहीं था और दिल्ली निवासियों में जैनेन्द्रजी ही ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें मैं पहले से जानता था। रामजस कालेज में जब साक्षात्कार के लिए आया था, तब भी जैनेन्द्रजी के दरियागंज स्थित निवास पर गया था। नियुक्ति हो जाने पर मैं पुनः उनके आवास पर गया और दिल्ली में रहने के लिए मकान आदि के बारे में जानकारी चाही। जैनेन्द्रजी ने तो कुछ नहीं बताया किन्तु भाभीजी (श्रीमती जैनेन्द्र) ने मुझे कई अच्छे परामर्श दिए और अंत में उन्हीं के सुझाव पर मैंने शाहदरा में किराए पर मकान लेकर रहना तय किया। मैं भाभीजी के पास प्रायः परामर्श लेने जाता और वे सदा मेरी सहायता करतीं।

उनका कहना था कि जैनेन्द्रजी से कोई व्यावहारिक बात करना व्यर्थ है। यदि कोई सलाह लेनी हो तो सीधे मेरे पास आ-जाया करो। जैनेन्द्रजी तो कलम पकड़ना ही जानते है।'

मैं सन् 1949 में दरियागंज में आ गया और जैनेन्द्रजी के आने-जाने की सुविधा के साथ मिलने के अधिक अवसर प्राप्त होने लगे। उनके उपन्यासों पर प्रायः चर्चा होती और जैनेन्द्रजी के दार्शनिक चिन्तन से मेरा शनैः शनैः परिचय होने लगा। उनकी पुस्तक 'समय और हम' तथा 'समय, समस्या और सिद्धान्त' के प्रकाशन पर मैंने समीक्षात्मक लेख भी लिखे। आकाशवाणी ने 'समय और हम' पर पुस्तक समीक्षा, वार्ता के अंतर्गत भी प्रसारित की। जैनेन्द्रजी को वह वार्ता पसंद आई, मुझे उत्साहवर्धक पत्र लिखा।

दिल्ली सभा, संगोष्ठी और समारोहों की नगरी है। यहां मास में एक-दो समारोह अवश्य होते हैं। आज से बीस-पच्चीस वर्ष पहले इस प्रकार के साहित्यिक समारोहों में जैनेन्द्रजी की उपस्थिति अनिवार्य थी। मुझे याद है कि जैनेन्द्रजी जिस किसी सभा-संगोष्ठी में बोलते विद्वत्जन उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। जैनेन्द्रजी ने कभी किसी अन्य व्यक्ति के विचारों का अनुसरण या अनुमोदन नहीं किया वरन् अपने मौलिक चिन्तनपूर्ण विचारों को ही अपने वक्तव्य में स्थान दिया। मैंने उन्हें किसी दूसरे विद्वान या दार्शनिक के विचारों को उद्धृत करते नहीं सुना। महावीर स्वामी या महात्मा गांधी को भी उन्होंने कभी अपने भाषणों में उद्धृत नहीं किया। 'मैं ऐसा मानता हूं', 'मेरी मान्यता है', 'मैं समझता हूं' आदि वाक्य खंडों से उनका भाषण भरा रहता था। उनकी यह 'मैं परक शैली' उनके मौलिक चिन्तन और स्वतंत्र व्यक्तित्व की परिचायक है।

सन् 1967 में उनकी एक पुस्तक 'कहानीः अनुभव और शिल्प' शीर्षक से प्रकाशित हुई। जैनेन्द्रजी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं इस पुस्तक की भूमिका लिखूं। उनके अनुरोध को टालने का मैं साहस नहीं कर सकता था। अतः मैंने एक शर्त पर भूमिका लिखनी स्वीकार की कि मैं जो कुछ लिखूंगा वह ज्यों का त्यों छपेगा। जैनेन्द्रजी उसमें काट-छांट नहीं करेंगे। जैनेन्द्रजी ने मेरी शर्त स्वीकार कर ली और मैंने पुस्तक की लंबी 18 पृष्ठों की भूमिका लिख दी और वह ज्यों की त्यों पुस्तक में छपी। इसी पुस्तक में जैनेन्द्रजी ने मेरी भूमिका के बाद 'अपनी कैफियत' शीर्षक से 14 पृष्ठों का लेख लिखा और कुछ विवादास्पद मुद्दों, पर अपनी बात कही। यह पुस्तक जैनेन्द्र जी को रचना-प्रक्रिया और कहानी की मूल संवेदना को समझने में सबसे अधिक सहायक है। इस छोटी-सी पुस्तक में जैनेन्द्र के कहानी शिल्प और कहानी गठन की प्रक्रिया पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। जैनेन्द्रजी की कहानी के संबंध में मैंने एक टिप्पणी अपनी भूमिका में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखी थी। 'जैनेन्द्र की कहानियों में जिन पात्रों की सृष्टि हुई है वे केवल आपबीती को दुहराने वाले न होकर आपबीती के कार्य-करण संबंधों में उलझने वाले, उन गुत्थियों में स्वयं उलझ कर इन्हें सुलझाने का प्रयत्न करने वाले हैं। कौन कह सकता है कि उलझनों को सुलझाने की हरेक कोशिश सदा सुलझन में ही खत्म होती है--अनेक बार मन की गुत्थियों के फेर में पड़कर जैनेन्द्र के पात्र यदि स्वयं दिग-भ्रमित हो गए हों तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। जैनेन्द्र के मन का संशय और संदेह जीवन को अधिक गहराई से जानने-समझने का साधन मात्र है। यह उनकी जीवन-यात्रा का प्रारंभिक सोपान मात्र है, यात्रा का अंतिम पड़ाव या गन्तव्य नहीं।' इस उद्धरण को मैंने यहां इसलिए अंकित किया कि जैनेन्द्रजी ने इसे विवादास्पद माना था। जैनेन्द्रजी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार ठहराने वालों से भी जैनेन्द्रजी का मत पूरी तरह नहीं मिलता। उन्होंने मुझे बताया था 'मैं मानव मन की बात को करता हूं किन्तु फ्रायड या युंग जैसे किसी मनोविश्लेषणशास्त्री की तरह हरगिज नहीं करता। मैं चिकित्सा शास्त्र के आधार पर भी मन का अतल गहराई में जाने का प्रपंच नहीं फैलाता। अतः मुझे मनोवैज्ञानिक शैली या मनोविश्लेषणात्मक शैली का कथाकार ठहराना उचित है।'

जैनेन्द्र साहित्य पर मैंने अपने निर्देशन में दिल्ली विश्वविद्यालय से एक शोध-प्रबंध लिखवाया था। उस समय मैंने जैनेन्द्रजी से कई बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया था। उनके विचारों में स्पष्ट था कि जैनेन्द्र जी किसी वाद (इज्म) या मतवाद में विश्वास नहीं करते। अत्य-अहिंसा की परिभाषा भी वे अपने चिन्तन के आधार पर करते थे। गांधी के प्रशंसक और समर्थक होने पर भी गांधीवादी लेखक कहलाना पसंद नहीं करते थे। जैनेन्द्रजी स्वतंत्र चिंतक और इस शताब्दी में हिन्दी के मूर्धन्य विचारक थे। उनकी अपनी प्रतिभा और मनस्विता ही उनको पथ-प्रदर्शक थी। ऐसी मौलिकता अन्यत्र दुर्लभ है।

सौजन्य : दैनिक हिन्दुस्तान

# नेहरू जी और राजभाषा हिन्दी

☐ डा. प्रभाकर माचवे

हिन्दी की सेवा के कार्य में हम 1935 से लगे हुए हैं। स्वराज्य से पहले गांधी के युग में जैसे खादी राष्ट्रीयता की वर्दी थी ; हिन्दी राष्ट्रीय एकात्मकता का एक प्रतीक थी। वह जमाना था कि महात्मा गांधी ने अपने पुत्र देवीदास गांधी को मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का कार्य करने भेजा। उनका प्रेम विवाह राजगोपाला चारी की बेटी लक्ष्मी से हुआ। तब उत्तर-दक्खिन का भेद नहीं था। सब प्रदेशों के लोग हिन्दी को अपनाने में गर्व अनुभव करते थे। काका साहब कालेलकर महाराष्ट्र-गुजरात के थे। परन्तु हिंदुस्तानी प्रचार में उन्होंने जीवन लगा दिया। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस बंगाल के थे। पर आजाद हिंद फौज का 'मार्च' (कूच) का गाना हिन्दी में लिया-- 'कदम कदम बढ़ाए जा' कर्नाटक के गंगाधरराव देशपांडे ने वृद्धावस्था में पुत्र के साथ हिन्दी की राष्ट्रभाषा-परीक्षा दी और तमष के राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य भारती ने पांडिचेरी से संपादित 'इन्दियै" पत्रिका में हिन्दी पाठ प्रकाशित किए।

स्वराज्य आने के बाद, बापू के 1948 में देहावसान के बाद, नेहरू युग देश में आया। उन्हीं की प्रेरणा से विदेश सेवा में डा. हरिवंशराय बच्चन की नियुक्ति हुई। उन्हीं की प्रेरणा से साहित्य अकादमी ने सब भारतीय भाषाओं से हिन्दी में श्रेष्ठ पुस्तकें अनुवादित कराई। नैशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट में हिन्दी प्रकाशन आरम्भ हुआ। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री आदि ने विभिन्न मंत्रालयों का कार्य हिन्दी राजभाषा में कराने को बल दिया। डा. बालकृष्ण केसरी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय में अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के साथ-साथ हिन्दी के एक दर्जन श्रेष्ठ लेखकों को आकाशवाणी से जोड़ा--जगदीश-चन्द्र माथुर, बालकृष्ण राव के अतिरिक्त सुमित्रानन्दन पन्त, भगवतीचरण वर्मा, हरीकृष्ण 'प्रेमी', उदयशंकर भट्ट, अज्ञेय, डा. नगेन्द्र, गिरिजा कुमार माथुर, श्याम परमार, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, 'अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, 'पटीस', रमईकोका, लोहासिंह, आरसी, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, चिरंजीत, ग.मा. मुक्तिबोध, प्रकाश चन्द्र शर्मा इत्यादि। मैं भी तब 1948 से 1954 तक आकाश-वाणी इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली विदेश प्रसारण सेवा से जुड़ा था।

1964 में नेहरू जी नहीं रहे। शास्त्री जी का कार्यकाल अत्यल्प रहा। उसी समय मुझे संघ लोक सेवा आयोग में दो वर्षों के लिए प्रशासनिक परीक्षाएं हिन्दी में लेने की योजनायें विशेषाधिकारी (भाषा) के कार्य का उत्तरदायित्व मिला। 1966 में दक्षिण भारत में हिन्दी-विरोधी दंगे हुए। डा. राधाकृष्णन और श्री अरविन्द के आश्रम की लाइब्रेरियां लूटी गई। चार आदमियों ने आत्महत्या की। हिन्दी के कार्य को काफी प्रति-गति मिली। श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' हिन्दी के विशेष अधिकारी बनाए गए। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पारिभाषिक शब्दावली कोश बनाए। पर राजनैतिक कारणों से भाषा का सवाल उलझता गया।

सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी कार्य के लिए विशेष 'सेल' (विभाग) खुले। सैकड़ों 'हिन्दी अधिकारी' नियुक्त हुए। मुझे भी आठ दस मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों का सदस्य रहने का कई वर्षों तक सौभाग्य मिला है। शिक्षा, गृह, सूचना-प्रसार, रेल, विज्ञान और तकनीकी विभाग, डाकतार इत्यादि। परन्तु इन सलाह देने वालों की सलाह सुनता कौन है ? सब कागजी कार्यवाही होते रहती है। राजभाषा के प्रसार प्रचार का कार्य अब भी बहुत धीमी गति से चल रहा है।

मेरे मत से इस धीमी गति के अनेक कारण हैं। वे हैं--

(1) हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में, क्या जनता और क्या अधिकारियों में हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी का प्रेम और रौब बढ़ता जा रहा है।

(2) हिन्दी भाषा भाषी अन्य भारतीय भाषाएं नहीं सीखते। अन्य भाषा भाषियों को राजभाषा की महत्ता समझाने में जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए, नहीं लेते।

(3) हिन्दीतर भाषा-भाषी अधिकारी कोई बड़ा और शीघ्रगामी परिवर्तन लाने में हिचकिचाते हैं।

(4) कहीं-कहीं भाषा के प्रश्न को अनावश्यक रूप से हिन्दू, मुस्लिम सिख, ईसाई आदि प्रमुख धार्मिक विश्वासों के साथ जोड़ दिया जाता है। न उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है। न पंजाबी सिर्फ सिखों की, या अंग्रेजी ईसाईयों की। और सब हिन्दू हिन्दी नहीं बोलते या काम में लाते हैं। पर ऐसे भ्रम साम्प्रदायिक कारणों से फैलाए जाते हैं।

(5) कहीं-न-कहीं यह गहरा अन्धविश्वास जनसाधारण के मन में है कि अंग्रेजी माध्यम की शाला का विद्यार्थी हिन्दी माध्यम की शाला के विद्यार्थी से अधिक तेज, सफल और नौकरी पाने में सक्षम होता है।

(6) यह भी एक धारणा है कि विज्ञान की पढाई तो अंग्रेजी में ही हो सकती है हिन्दी में नहीं। यह बात गलत है।

(7) हमारी संसद और विधान सभाओं तथा विधान परिषद के हिन्दी भाषी सदस्य हिन्दी में भाषण नहीं देते। उनके प्रति आग्रही नहीं है। वे पश्चिम से आतंकित हैं।

(8) राजभाषा के कार्य की प्रगति से जनसाधारण पूरी तरह अवगत या सजग नहीं। जन संचार माध्यम—फिल्म, डाक्युमेंट्री, दूरदर्शन, पत्रपत्रिकाएं इसके बारे में 'नहीं' के बराबर जानकारी देती हैं। ऐसा क्यों है ?

मेरा तो गहरा विश्वास है कि भारत का भविष्य जन-भाषा के विकास में ही है और वह अधिकांश लोगों की सामान्य समझ की भाषा हिन्दी ही है। जनतंत्र में जनभाषा के बिना काम कैसे बढ़ सकता है ? □

73, वल्लभनगर,
इन्दौर-452003

---

**हमने अपने संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो।**

**—प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी**

---

**देश को किसी सम्पर्क भाषा की आवश्यकता होती है और वह (भारत में) केवल हिन्दी ही हो सकती है।**

**—श्रीमती इंदिरा गांधी**

---

# चित्र समाचार-I

## हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह

'स्मारिका' विमोचन करते हुए डॉ. क. उ. माडा, महाप्रबन्धक ।

दि. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मन्युफैक्चरिंग कं. लि. उटकमण्ड में हिन्दी सप्ताह की एक झलक ।

स्वागत भाषण करते हुए प्रभारी राजभाषा अधिकारी श्री आर. स्वामिकुलत्त ।

स्वागत करते हुए 'टी बोर्ड' के सचिव श्री सुप्रभात सोम। मंच पर (दाएं से) उपाध्यक्ष श्री एस. एस. आहूजा, प्रो. कल्याणमल लोढा, श्री डी.बी. मुखर्जी तथा श्री तपन कुमार चक्रवर्ती।

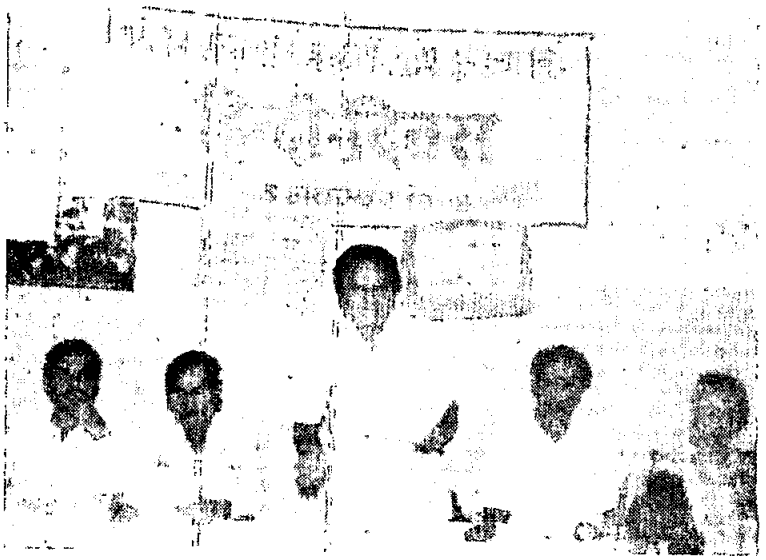

कार्यक्रम की एक झलक।

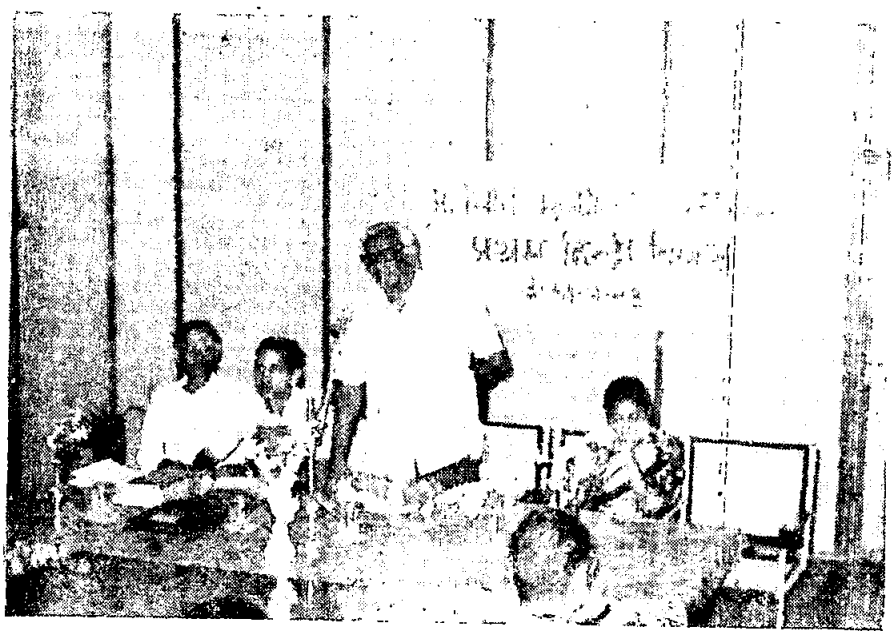

संबोधित करते हुए श्री वी. सुब्बा राव (हि. शि. यो.) तथा मंच पर (बाएं से) श्री डी. डी. माथुर, कार्यप्रबन्धक श्री पी. के. मेहरोत्रा और श्रीमती दुर्गा लक्ष्मी प्रसन्ना।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए वाणिज्य मंत्री श्री जे. वेंगल राव (दाएं से तीसरे)

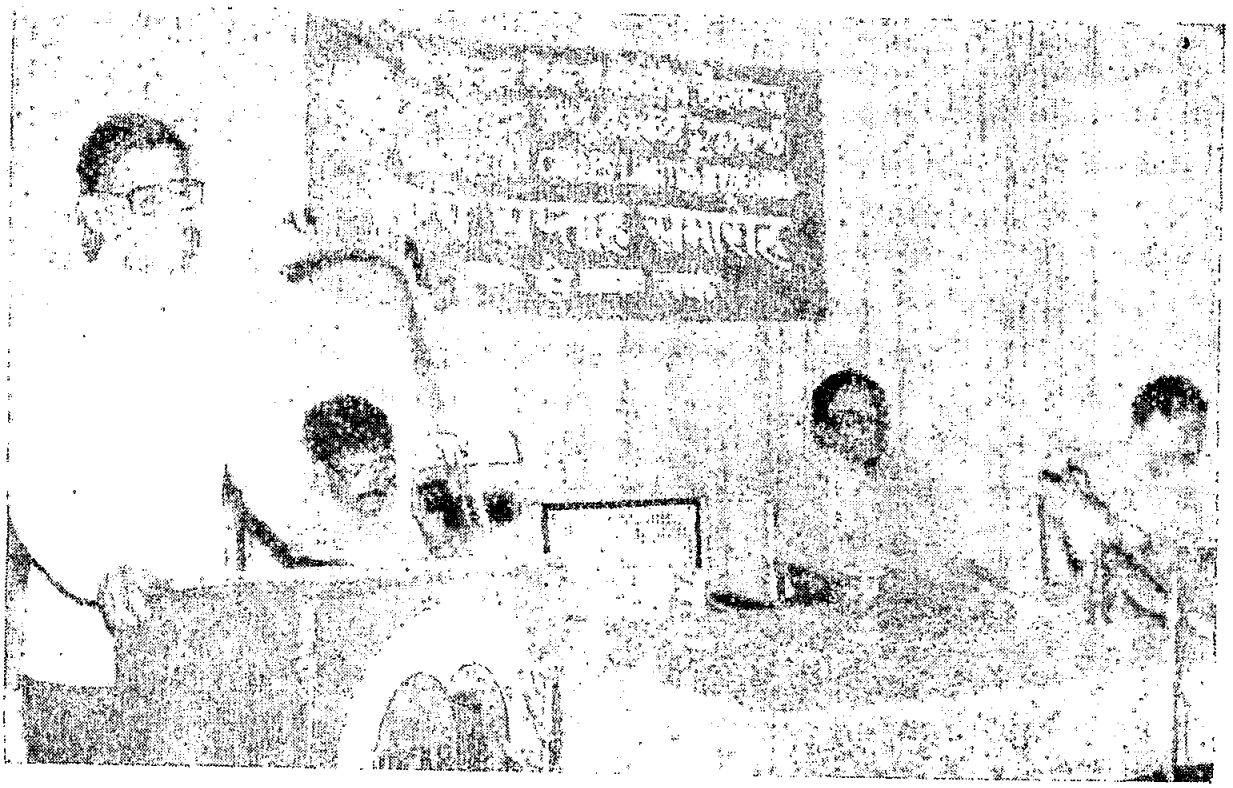

हैदराबाद : मुख्य अतिथि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के उपाचार्य डॉ. विजय राघव रेड्डी भाषण देते हुए। मंच पर (बाएं से) अध्यक्ष—कर्मचारी संघ श्री जी. आर. रेड्डी तथा श्री म. लक्ष्मणाचार्यलु।

कार्यक्रम की एक झलक।

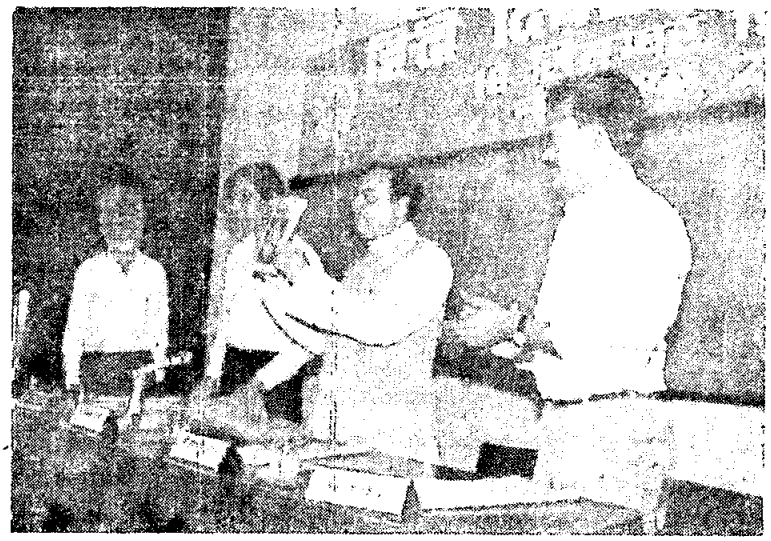

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर: मुख्य अतिथि प्रो. मुकुल चन्द्र पाण्डेय 'मंद बालू छन्ना : प्रचालक मार्गदर्शिका' का विमोचन करते हुए।

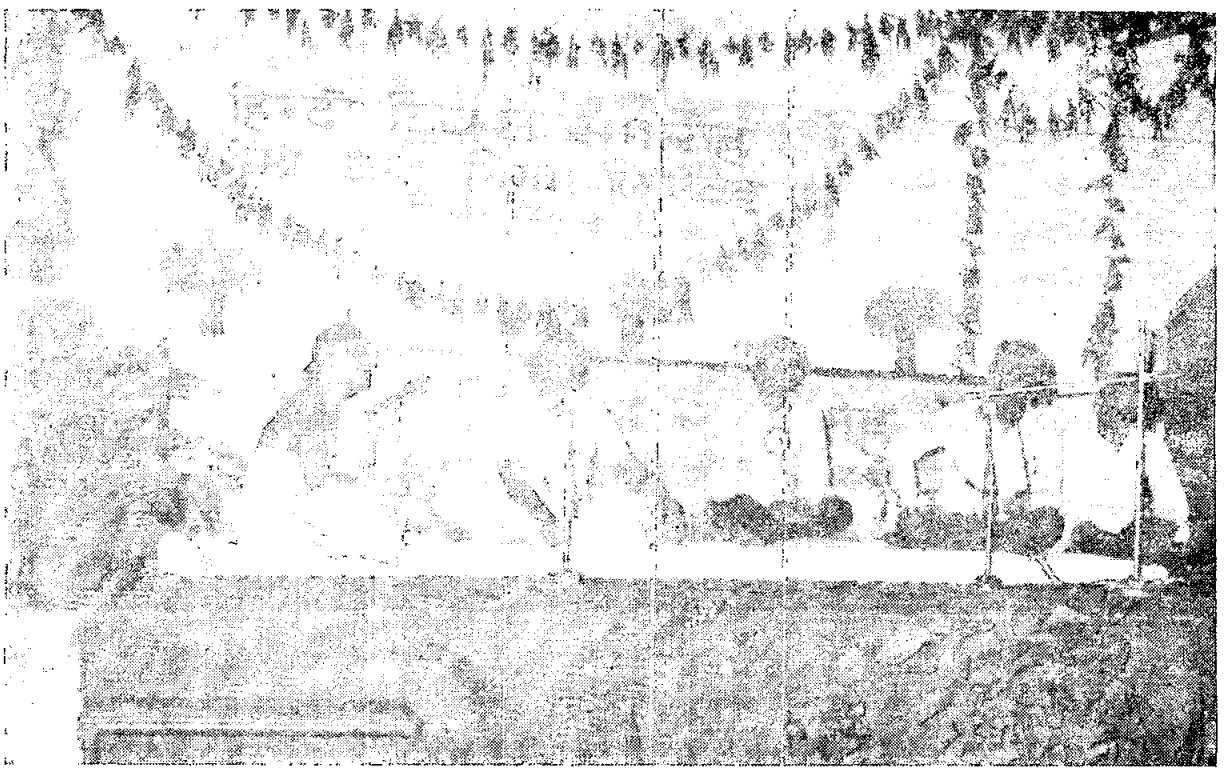

काव्य गोष्ठी में (बाएं से) डा. इन्दु वशिष्ट, सर्वश्री नरेन्द्र राय, अरुण शेखर बहुगुणा, में हपाल वर्मा तथा रामावतार शर्मा

प्रथम पुरस्कार विजेता–श्री ए. के. दत्त मजूमदार भाषण देते हुए।

विश्व हिंदी दर्शन

# कनाडा में हिन्दी

□ डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

अमेरिका में शासन ने "मैल्टिंग पाट" का प्रयोग करके वहां एक नई सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का विकास करने का प्रयास किया । लेकिन अब धीरे-धीरे इस प्रयोग की असफलताएं सामने आने लगी हैं जिन्हें सरकार परोक्ष-अपरोक्ष रूप से स्वीकारने भी लगी है । इसके विपरीत कनाडा सरकार का मत है कि कनाडा समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम अर्थात् बहु सांस्कृतिक (Multi Culture) समाज है । इसका सौन्दर्य इनका अलग-अलग विकास करने में है न कि एक पात्र में पिघल जाने के लिये विवश करने में । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये "विरासती भाषा" (Heritage Language) कार्यक्रम कनाडा में शासकीय स्तर पर स्वीकृत किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को अंग्रेजी व फ्रैंच भाषाओं के अतिरिक्त उनकी मातृभाषा की शिक्षा भी दी जाती है । कनाडा के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार "विरासती भाषा से अभिप्राय कनाडा की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी या फ्रैंच के अतिरिक्त भाषा है ।·····बहुसंख्यक छात्रों के लिये यह भाषा उनकी मातृभाषा है ।"

'विरासती भाषा कार्यक्रम' के उद्देश्यों के बारे में कहा गया है कि—

(क) ···इस से (मातृभाषा सीखने से) (छात्रों को) कनाडा के बहु सांस्कृतिक वातावरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता मिलेगी।

(ख) इससे (छात्रों को) अपनी एवं अपने माता-पिता की सांस्कृतिक धरोहर पर गौरव करने में सहायता मिलेगी।

ओंटारियो प्रान्त में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 44 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है । इस में सात भारतीय भाषाएं बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू व हिन्दी भी सम्मिलित हैं । अतः कनाडा में अनेक स्कूलों में बच्चों को हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है अथवा की जा रही है।

### मुकुल हिन्दी विद्यालय

मुकुल हिन्दी स्कूल की स्थापना कनाडा की संघीय राजधानी ओटावा में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त की पत्नी श्रीमती मेघाभदकमकर के प्रयासों से 1971 में हुई थी । वित्तीय सहायता संघीय सरकार, प्रान्तीय शिक्षा मंत्रालय के 'विरासती भाषा विभाग' से प्राप्त हुई थी । इस स्कूल का विस्तार हो रहा है एवं अब इसकी दो शाखाएं सर राफर्ट बोर्डन शाखा और हिल क्रैस्ट शाखा खुल गई है । छात्रों की संख्या तीन सौ के आस-पास और अध्यापकों की दस के लगभग है।

'मुकुल जहां छात्रों को हिन्दी भाषा का ज्ञान (लिखना, पढ़ना, एवं बोलना) करवाता है वहां यह एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के तौर पर भी कार्य करता है । हिन्दी कवि सम्मेलनों का आयोजन (12 अक्तूबर 1984 को काका हाथरसी के सम्मान में कवि सम्मेलन) दीवाली, होली, भारत स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस इत्यादि का आयोजन इसके क्रियाकलापों में सम्मिलित हैं । भारतीय नृत्य, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्य, गायन इत्यादि की शिक्षा भी विद्यालय में प्रदान की जाती है।

### स्कूल ऑफ ईस्ट इंडियन लेंगूएजज एंड आर्ट

कैलगरी में स्थित यह विद्यालय हिन्दी भाषा के अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त भारतीय ललित कलाओं की शिक्षा भी देता है । कैरेबियन देशों से आये भारतीयों को इधर 'ईस्ट इंडियन' के नाम से पुकारा जाता है । अतः इस आधार पर हिन्दी वर्गीकरण भी "पूर्वी भारतीय भाषा" में हो जाता है ।

### हिन्दी परिषद टोरांटो

यह परिषद् भी हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था करती है । 1985 में परिषद ने टोरांटो नगर में चार हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोले । परिषद के उत्साही हिन्दी शिक्षकों में श्री जगदीश शास्त्री, श्री कमलेश शारदा, श्री अमरनाथ वातिश व श्रीमती अजीत वधवा के नाम उल्लेखनीय हैं।

### हिन्दू स्वयंसेवक संघ

कनाडा का हिन्दू स्वयंसेवक संघ भी अनेक स्थानों पर हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था करता है। स्वयंसेवक संघ विद्यालयीय छात्रों की साप्ताहिक बैठकों का आयोजन करता है जिसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था भी रहती है। संघ के सप्ताहिक, पाक्षिक शिविर भी होते हैं जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है। इन कार्यक्रमों से जुड़े हिन्दी सेवियों में श्री एल. एम. सभ्रवाल, श्री सुरेंद्र शारदा, श्री सत् बधवा आदि प्रमुख हैं।

### विश्व हिन्दू परिषद् ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया

परिषद् ने अनेक हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोले हैं जिनकी संख्या समयानुसार व छात्रानुसार घटती बढ़ती रहती है। परिषद् का प्रमुख उद्देश्य तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है लेकिन फिर भी हिन्दी शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है और भारत से प्राप्त हिन्दी बाल साहित्य का वितरण किया जाता है।

### केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली

यहां के पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से भी कनाडा के कुछ छात्र प्रतिवर्ष हिन्दी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय वेंक्यूवर में हिन्दी के उच्च अध्ययन की व्यवस्था है एवं टोरांटो विश्वविद्यालय में प्रारम्भिक स्तर के हिन्दी शिक्षण की सुविधा है।

## सांस्कृतिक संस्थान

**(क) हिन्दी परिषद् टोरांटो**—परिषद् एक लम्बे अरसे से टोरांटो के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय है। भारतीय सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन परिषद् का मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय साहित्यिक प्रतिभाओं के मिल जुल बैठने का एक सार्थक मंच परिषद् ने उपलब्ध किया है। 19 जनवरी 1985 को परिषद् ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें तेरह स्थानीय कवियों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख डा. शिवनन्दन यादव, प्रो. हरिशंकर आदेश, डा. एस. भारतेन्दु, श्री इन्द्रकान्त पटेल थे। डेढ़ सौ के लगभग श्रोता आधी रात से भी ज्यादा देर तक तन्मय होकर बैठे रहे। टोरांटो में यह अपने प्रकार का पहला सफल आयोजन था। परिषद् हिन्दी में अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा देने वाला एक मासिक सूचना पत्रक भी प्रकाशित करती है। वार्षिक पिकनिक इसकी गतिविधियों का एक अन्य आकर्षण है और इस अवसर पर प्रायः एक लघु भारत का भान होता है। यह भारतीयों की सामाजिक चेतना को जागृत रखने का प्रशंसनीय प्रयास है। परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम त्रिपाठी गयाना निवासी हैं। महासचिव कृष्ण कुमार, कोषाध्यक्ष इन्द्रकान्त पटेल, सांस्कृतिक सचिव स्नेह सिंघवी, सूचना सचिव कालेश्वर प्रसाद हैं। हिन्दी परिषद् तुलसी जयन्ती, सूर जयन्ती, हिन्दी दिवस का आयोजन भी करती है।

**(ख) हिन्दी लिटरेरी सोसायटी ऑफ कनाडा**—इसका प्रादुर्भाव जून 1983 में वैंक्यूवर में हुआ। सोसायटी प्रसिद्ध कनाडी संस्था "कनाडी एशियाई अध्ययन संस्थान" (Canadian Asian Studies Association) से संबंधित है। और राष्ट्र की प्रमुख प्रबुद्ध संस्था लर्नेड सोसायटीज आफ कनाडा (Learned Societies of Canada) के साथ अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करती है। इसकी स्थापना हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रचार-प्रसार को दृष्टि में रखकर कतिपय हिन्दी प्रेमियों तथा संस्कृति सचेतकों द्वारा की गई थी। उनमें प्रो. ओ.पी. द्विवेदी ग्वल्फ विश्वविद्यालय, प्रो. आर. वी. सिंह गैकमास्टर विश्वविद्यालय हैमिल्टन, श्रीनाथ प्रसाद द्विवेदी कैलगरी, डा. राधेश्याम पाण्डेय बिलसनवर्ग और प्रो. टी.डी. द्विवेदी कानकार्डिया विश्वविद्यालय मांट्रियाल प्रमुख हैं।

सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में कहा गया है—

(क) हिन्दी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन-अध्यापन प्रोत्साहित एवं समुन्नत करना।

(ख) हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में शोध एवं प्रकाशन समुन्नत करना।

(ग) पत्रिका, समाचार पत्रिका का प्रकाशन करना।

(घ) सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों एवं विद्वत् गोष्ठियों का आयोजन करना।

(ङ) हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कानाडा, भारत एवं अन्य देश के साहित्य, अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य शैक्षणिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में अभिवृद्धि करना।

अपने उद्देश्यों के अनुरूप ही सोसायटी ने अक्तूबर 1983 में ही त्रैमासिक 'हिन्दी संवाद' का शुभारम्भ किया। 6—8 जून 1984 को ग्वल्फ विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा एवं साहित्य पर एक त्रिदिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें प्रसिद्ध हिन्दी विद्वानों, श्री के. ब्रायंट (ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय), श्री पुरूषोत्तम पटेल (ओटॅवा विश्वविद्यालय) श्री तेज भाटिया (Syracuse University) श्री नाथ प्रसाद द्विवेदी कैलगरी, श्री राबर्ट हियूशटड (हार्बड विश्वविद्यालय) राजेन्द्र सिंह (मांट्रियाल विश्वविद्यालय) सी.पी. सिंह (कानकार्डिया विश्वविद्यालय) ने हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विभिन्न पक्षों पर शोधपूर्ण निबन्ध पढ़े एवं कनाडा में हिन्दी की स्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। यह गोष्ठी लर्नेड सोसायटीज़ कान्फ्रैंस 1984 के अन्तर्गत सम्पन्न हुई।

**(ग) क्यूबेक हिन्दी एसोसीएशन**

कनाडा के फ्रैंच बहुल क्षेत्र (RIVIERE DES PRAIRIES) में कार्यरत यह संस्था हिन्दी के शिक्षण एवं साहित्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित है। इसके क्रिया-कलापों में भी कविता पाठ, साहित्य परिचर्चाएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है।

**(घ) हिन्दी परिषद ग्रॅंफ मनीटोवा**

हिमशीत विनीपेग में कार्यरत इस परिषद् ने एक प्रकार से ध्रुवों के आसपास भी हिन्दी स्वरों को मुखरित होने का मंच प्रदान किया है। परिषद् कलात्मक एवं साहित्यिक अभिरुचि सम्पन्न हिन्दी प्रेमियों को एक सार्थक मंच प्रदान करती है और हिन्दी में सृजनात्मक प्रतिभा को प्रफुल्लित होने का अवसर प्रदान करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कवियों के कविता पाठ, पिकनिक, होली, दीवाली, बसन्त-पंचमी का आयोजन सब परिषद् के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

**चलचित्र वीडियो इत्यादि**

ये कनाडा में हिन्दी के सशक्त व सार्थक वाहक बन उभरे हैं। दूरदर्शन के हिन्दी कार्यक्रमों में प्रायः सप्ताहान्त में हिन्दी चलचित्र दिखाया जाता है। वीडियो के प्रचार से भी प्रायः प्रत्येक भारतीय घर में ही हिन्दी चलचित्रों को देखता है। वीडियो क्रान्ति ने तो कनाडा में जन्मी, पली व बढ़ी भारतीय पीढ़ी को एक बार पुनः हिन्दी की ओर उन्मुख किया है, उसे समझने के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। लिखने-पढ़ने को छोड़ भी दें तो केवल समझ एवं बोल सकने की क्षमता के प्रति इस पीढ़ी को प्रेरित किया है। □

बी० बी० एन कालेज, चकमोह, हमीर पुर (हि0 प्र0)

सौजन्य: 'विश्व ज्योति'

# गयाना में हिन्दी समारोह

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र जार्जटाउन, गयाना के सभागार में दिनांक 21-9-88 को हिन्दी सप्ताह समारोह मनाया गया। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र एवं देश के अन्य भागों में स्थित हिन्दी विद्यालयों ने 14 से 20 सितम्बर तक अपने-अपने विद्यालयों में हिन्दी भाषण, कविता पाठ, बात-चीत, रामचरितमानस पाठ आदि का आयोजन किया। हिन्दी सप्ताह के समापन-समारोह के आरंभ में भारतीय उच्चायोग के हिन्दी अधिकारी एवं सांस्कृतिक अताशे श्री नारायण कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए गयाना में हिन्दी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला तथा गयाना की सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल दिया।

भारतीय उच्चायुक्त महामहिम श्री जी. डी. आटूक ने हिन्दी के सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी हिन्दी शिक्षकों को कभी-कभी एकत्र होकर गयाना में हिन्दी अध्यापन की समस्याओं पर विचार करना चाहिए और ऐसी पाठन पद्धतियों पर विचार करना चाहिए जिससे हिन्दी का अध्ययन सुगम और प्रभावी हो सके।

गयाना विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक डा. रामजी तिवारी ने गयाना में हिन्दी शिक्षण तथा हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव रखा। सभा में केन्द्र के निदेशक तथा समारोह के अध्यक्ष डा. एम. आर. रंगराजन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

(विस्तृत विवरण के लिए देखिए—'राजभाषा पुष्पमाला' जनवरी 1989)

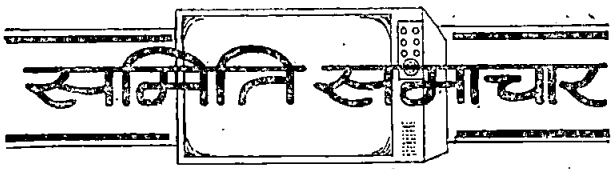


# (क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सातवीं बैठक पर्यावरण और वन मंत्री श्री जेड. आर. अन्सारी की अध्यक्षता में, 30 दिसम्बर, 1988 को सम्पन्न हुई। श्री अंसारी ने सदस्यों का स्वागत किया तथा बताया कि--

1. जनवरी में हमारे पास हिन्दी के केवल 17 टाइपराइटर थे जो अब बढ़कर 42 हो गए हैं तथा पांच नए टाइपराइटर और खरीद रहे हैं। इस तरह अब हमारे पास 22 प्रशिक्षित हिन्दी टाइपिस्ट और 15 प्रशिक्षित हिन्दी स्टेनोग्राफर हो गए हैं। राजभाषा विभाग के सहयोग से पर्यावरण भवन में हिन्दी, हिन्दी स्टेनोग्राफी और हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था चल रही है।

2. उप निदेशक (राजभाषा) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 19 कार्यालयों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार संबंधित कार्यालयों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

3. भारतीय वन सेवा की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के विकल्प को लागू करने के बारे में मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर रहा है।

4. पुस्तकालय के लिए हिन्दी की पुस्तकें खरीदने पर विशेष बल दिया गया है।

5. प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए हमने सभी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए हिन्दी स्टाफ मंजूर कर दिया है तथा प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।

2.1 मंत्री जी ने पर्यावरण से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखों के लिए पुरस्कार योजना के तहत जिन लेखकों को पुरस्कार के लिए चुना गया तथा उन्हें दिए गए पुरस्कारों व प्रमाण-पत्रों के बारे में बताया। उन्होंने आगे बताया कि समिति की सिफारिशों के अनुसार पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंत्रालय ने "पर्यावरण" नामक पत्रिका का पहला अंक निकाला है जिसका मंत्री जी ने विमोचन किया।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे गए पत्रों को छोड़कर, मंत्रालय में हो रही हिन्दी की प्रगति के प्रति सन्तोष व्यक्त किया गया। मंत्री जी ने कहा कि इस बारे में पिछली तिमाही की अपेक्षा 30.9.88 को समाप्त तिमाही में हिन्दी में भेजे गए पत्रों में 6% की वृद्धि हुई है और हम इसमें निरन्तर सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि हम शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

हिन्दी सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति देखने के लिए किए गए निरीक्षणों की सराहना की गई। सदस्यों का मत था कि इस तरह सभी कार्यालयों के निरीक्षण किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत सम्पर्क व मार्गदर्शन का अच्छा असर होता है।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि अधिकारियों और अनुभागों को सहायक साहित्य के रूप में हिन्दी से हिन्दी कोश भी उपलब्ध कराए जाएं। उनका सुझाव था कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त हिन्दी कोश मंगाकर सभी संबंधितों में वितरित की जा सकती है। यह प्रस्ताव मान लिया गया।

"गंगा" पर संकलन के सम्बन्ध में गंगा परियोजना निदेशालय के संयुक्त सचिव श्री डी.एस. बग्गा ने बताया कि 100 से भी अधिक विश्वविद्यालयों से सम्पर्क करके पहला संकलन तैयार करके प्रकाशित किया जा रहा है।

समिति को बताया गया कि "न्यू फारेस्ट" का नाम बदल कर "नव-वन" करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए डाक-तार आदि जैसे अन्य विभागों की सहमति ली जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

संसद सदस्य डा. फागुनी राम ने कहा कि बिहार के कई विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में पर्यावरण की

पढ़ाई होती है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि पर्यावरण और वन मंत्रालय इस विषय पर छात्रों के लिए उपयागी साहित्य का प्रकाशन करे । पर्यावरण और वन सचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक समिति गठित की गई है जिसमें कालेजों के लिए पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने के उद्देश्य से मंत्रालय के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है । उन्होंने सदस्यों को जानकारी दी कि विशिष्ट पर्यावरणीय विषयों पर साहित्य पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ।

समिति को बताया गया कि प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्वीकृत हिन्दी पद शीघ्र भर दिए जाएं ताकि प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध की जा सके । मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इन पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में 30 सितम्बर, 1988 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की समीक्षा की गई और इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि दिल्ली व पोर्ट ब्लेयर जैसे "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन नहीं किया जा रहा है । पर्यावरण एवं वन सचिव ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित कार्यालयों के अध्यक्षों को लिख दिया है । यह कहा गया कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा हिन्दी में जारी मूल-पत्रों का प्रतिशत काफी कम है। पर्यावरण और वन मंत्री जी ने समिति को बताया कि इस दिशा में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है । उन्होंने कहा कि 31-3-88 को समाप्त तिमाही और 30-9-88 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों से मालूम हो जाएगा कि 31-3-88 को केवल 19% मूल-पत्र हिन्दी में जारी हुए थे जबकि 30-9-88 को समाप्त अवधि में 27% मूल-पत्र हिन्दी में जारी हुए हैं । इस प्रकार स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

## रक्षा विभाग

1. रक्षा विभाग और तीनों सेनाओं तथा अन्तर सेवा संगठनों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री श्री कृष्णचन्द्र पंत की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति की सत्रहवीं बैठक 01 दिसम्बर, 1988 को हुई।

2. रक्षा मंत्री जी ने बताया कि अब रक्षा मंत्रालय में दो हिन्दी सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं—एक रक्षा विभाग के लिए और दूसरी रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के लिए। इन दोनों समितियों के बन जाने से इन विभागों में हिन्दी में सरकारी कामकाज किए जाने में आड़े आने वाली समस्याओं पर अब विस्तृत रूप से चर्चा हो सकेगी और सम्पूर्ण रक्षा संगठन में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने सदस्यों को बताया कि रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी और राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, सदस्य हैं। उस समिति के द्वारा किए गए सोच-विचार के परिणामस्वरूप रक्षा विभाग और सेना मुख्यालयों ने प्रशिक्षण स्थापनाओं में हिन्दी के प्रयोग के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं।

3. उन्होंने यह भी बताया कि तीनों सेनाओं की सेवा शर्तों के कारण उन्हें अब तक राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं। इस पर राजभाषा विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया और अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि तीनों सेना मुख्यालयों को मंत्रालय के साथ शतप्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में करना होगा तथा सेना मुख्यालय और उसकी निचली फार्मेशनों के बीच 15 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में होगा, जबकि नौसेना और वायुसेना के मामले में इसे 10 प्रतिशत रखा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह लक्ष्य वर्ष 1988–89 के लिए रखा गया है और इसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाती रहेगी।

4. सदस्यों को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रक्षा संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी पुस्तकों के लिए अब प्रथम पुरस्कार 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है तथा द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों की राशि भी बढ़ाकर क्रमशः 7,000 रुपये और 5,000 रुपये कर दी गई है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए रक्षा मंत्री श्री पंत ने अब तक हुई प्रगति का श्रेय हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के सक्रिय योगदान को दिया।

6. उसके बाद रक्षा सचिव ने रक्षा स्थापनाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने, मैनुअलों की अनुवाद व्यवस्था के बारे में विचार करने के लिए गठित समिति द्वारा किए गए निर्णयों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सेना मुख्यालयों को यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि—(1) प्रशिक्षण स्थापनाओं में हिन्दी और अंग्रेजी की मिली-जुली भाषा में प्रशिक्षण दिया जाए, (2) इन्स्ट्रक्टरों की भर्ती के समय यह देख लिया जाए कि उम्मीदवारों को हिन्दी का भी कार्यसाधक ज्ञान हो, (3) हिन्दी माध्यम से बी. एससी. या एम. एससी. परीक्षा पास इन्स्ट्रक्टरों को हिन्दी माध्यम से भी प्रशिक्षण देने के लिए कहा जाए, (4) विभागीय परीक्षाओं के प्रश्नपत्र द्विभाषी बनाए जाएं और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को पहले से ही यह बताया जाए कि वे अपने प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में भी दे सकते हैं, और (5) उपकरणों

से संबंधित मैनुअलों आदि को छोड़कर शेष मैनुअलों एवं प्रकाशनों का अनुवाद सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों या कार्मिकों से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर करवाया जाए।

7. रक्षा मंत्री जी ने "**स्वतंत्रता के चालीस वर्ष : रक्षा संगठन में हिन्दी**" नामक स्मारिका का विमोचन किया और फिर एक संक्षिप्त पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्राफी/पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

8. **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी का प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग** : इस संबंध में सदस्यों को बताया गया कि प्रश्न-पत्रों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग की है और उनके साथ इस मामले को उठाया गया है। रक्षा मंत्री जी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर विचार किया जाएगा।

9. **तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद** : सदस्यों को बताया गया कि सेना मुख्यालयों से कहा गया है कि वे उपकरणों से संबंधित प्रकाशनों को छोड़कर शेष प्रशिक्षण और तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद अगले दो वर्षों के भीतर सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों और कार्मिकों से मानदेय के आधार पर करवाएं।

10. **सीधी भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग** : सदस्यों ने इस बारे में कार्यसूची के साथ भेजी गई टिप्पणी में बताई गई स्थिति को नोट किया। उनका विचार था कि यद्यपि तीनों सेनाओं में भर्ती परीक्षाओं में माध्यम के रूप में हिन्दी का कुछ हद तक प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन तटरक्षक संगठन अभी भी अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं को अंग्रेजी माध्यम से ही ले रहा है। तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधि ने सदस्यों को बताया कि रक्षा मंत्रालय से प्राप्त आदेशों के आधार पर वे भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

11. **केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत बने नियमों के हिन्दी रूपान्तर की उपलब्धता** : राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि अब तक जितने भी नियम बनाए गए हैं, उन्हें द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि इसके लिए सभी पुराने रिकार्ड देख कर यह मालूम करना होगा कि उनमें से कितने ऐसे अधिनियम या नियम हैं, जिनका अनुवाद किया जाना है।

**विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग।**

सदस्यों को सूचित किया गया कि तीनों सेना मुख्यालयों सहित सभी कार्यालयों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे यह देखें कि विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी तैयार हों।

**रक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में 30 सितम्बर, 1988 को समाप्त हिन्दी तिमाही के दौरान हिन्दी के प्रयोग के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा।**

इस विषय पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए :—

(1) सामान्य आदेशों को द्विभाषी जारी करने और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने की दिशा में हुई प्रगति की प्रशंसा करते हुए सदस्यों ने कहा कि इन दोनों मामलों में शतप्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(2) तारों को हिन्दी में भेजने के बारे में श्री वेद प्रताप वैदिक का कहना था कि अगर तार हिन्दी में भेजे जाते हैं तो उन पर खर्च कम आता है। उनका आग्रह था कि इस बात को सभी संबंधित कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने हिन्दी में तार भेजने के लिए जो सामग्री तैयार की है, वह उपयोगी है और उसे सभी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(3) श्री वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि जैसा कि पहले भी सुझाव दिया गया था, रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री सामान्य जनता के लिए भी ज्ञानवर्द्धक है और इसलिए इसे भी हिन्दी में प्रकाशित किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि यह संस्थान एक स्वायत्त संगठन है फिर भी उनका यह सुझाव उस संस्थान को विचारार्थ भेजा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि का कहना था कि हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित आशुलिपिकों और टंककों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 18-11-88 की बैठक सूचना और प्रसारण मंत्री श्री हर किशन लाल भगत की अध्यक्षता में संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

सबसे पहले मंत्री महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और बताया कि जैसा कि उन्होंने पिछली बैठक में कहा था कि मंत्रालय हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए अधिक से अधिक काम कर रहा है, इस वर्ष मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिन्दी पर "हिन्द की वाणी" नामक एक वृत्तचित्र बनाया है, जिसे 14 सितम्बर, 1988 को दूरदर्शन पर दिखाया गया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष में मंत्रालय ने कुछेक हिन्दी प्रतियोगिताएं भी आयोजित कीं, जिनके सफल प्रतियोगियों को बाद में नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने सभी सदस्यों को हर्षपूर्वक सूचित किया कि मंत्रालय में धारा 3(3) का पूरा-पूरा पालन करने पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री महोदय ने बताया कि मंत्रालय और उसके अधीन माध्यम एककों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें वर्ष 1990 तक दो वर्ष की अवधि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने राजभाषा नियम 8(4) के तहत शत-प्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए दो अनुभागों को भी विनिर्दिष्ट करने के बारे में सूचना दी। मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप मंत्रालय व इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को और बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई और कार्यसूची की मदों को लिया गया।

मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों के साइनबोर्डों को द्विभाषी/त्रिभाषी बनाने का कार्य अगली बैठक होने से पहले कर दिया जाए।

श्री आशिस सान्याल ने लाइब्रेरी अनुदान में से 25 प्रतिशत राशि हिन्दी पुस्तकों के लिए सुरक्षित रखने का सुझाव दिया था। मंत्री महोदय ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा कि "ग" क्षेत्र से प्रकाशित कुछ उपयोगी हिन्दी पुस्तकें खरीदने के बारे में एक योजना बनाई जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने मंत्रालय द्वारा सितम्बर मास में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और मंत्रालय के सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हिन्दी दिवस के उपलक्ष में सितम्बर में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को कुल 18 पुरस्कार (5,900 रुपए के) दिए गए। मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नकद पुरस्कार योजनाएं अवश्य सहायक होंगी और नकद पुरस्कार पाने वाले प्रतियोगी अपना काम हिन्दी में करने का प्रयास करेंगे।

## कल्याण मंत्रालय

कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 24 अक्तूबर, 1988 को कल्याण मंत्री डॉ. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदया ने बताया कि मंत्रालय या उससे संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी का जितना प्रयोग होना चाहिए, वह नहीं हुआ है और यह आश्वासन दिया कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारी विशेष रूप से प्रयास करेंगे कि हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो और हिन्दी से संबंधित जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उनका पूर्णरूपेण पालन हो।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर निम्नलिखित जानकारी दी गई:—

(1) सचिव, राजभाषा विभाग ने सदस्यों को बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने आश्वासन दिया है कि मंत्रालयों को दिसम्बर तक द्विभाषी कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की संभावना है।

(2) सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति को बताया कि लोकनायक भवन में हिन्दी कक्षा आयोजित करने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को अन्य जगहों पर ही भेजा जा सकता है। जैसे सी. जी. ओ. काम्पलेक्स आदि।

(3) हिन्दी में मौलिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के संबंध में राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना है। इसे मंत्रालय में क्रियान्वित करने पर विचार किया जा सकता है।

(4) भारत में "समाज कार्य विश्वकोष" के हिन्दी अनुवाद के कार्य में तेजी लाई जाए। अनुवाद का कार्य सेवा निवृत्त हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों को मानदेय आधार पर दिया जा सकता है।

(5) मंत्रालय के कामकाज में आने वाले शब्दों की शब्दावली तैयार करने के संबंध में सचिव राजभाषा विभाग ने सुझाव दिया कि शब्दावली को अंतिम रूप देने से पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को दिखा दिया जाए।

**1. मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति।**

मंत्रालय की जून, 1988 को समाप्त तिमाही में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति विशेष संतोषजनक नहीं पाई गई। हिन्दी

के काम में तेजी लाने के लिए हिन्दी अनुभाग को और मजबूत किया जाए। मंत्रालय में नये सृजित किए हुए उप-निदेशक के पद के लिए राजभाषा विभाग सुयोग्य व्यक्तियों के नामों का सुझाव करेगा ताकि यह पद जल्दी से जल्दी भरा जा सके। हिन्दी अनुभाग को मजबूत करने के लिए यदि और पदों की आवश्यकता हुई तो उन पर भी मंत्रालय विचार करेगा। जो कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित हैं अथवा जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा विभाग के आदेशानुसार पत्रों के मसौदे मूल रूप से हिन्दी में ही प्रस्तुत करने चाहिएं। मानक पत्रों का अनुवाद करके संबंधित अनुभागों को उपलब्ध कराया जाए ताकि हिन्दी का अधिक प्रयोग हो सके। मंत्रालय में तार की बजाय टेलेक्स का अधिक उपयोग होता है जो कि केवल अंग्रेजी में हैं, द्विभाषी टेलेक्स प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। आशुलिपिकों को और टंककों को हिन्दी प्रशिक्षण हेतु यथासंभव भेजा जाए।

**2. मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति।**

समिति ने यह पाया कि कुछ कार्यालयों में धारा 3(3) का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। समिति ने निर्देश दिया कि मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का पूर्णरूपेण पालन करेंगे और इसमें कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिन कार्यालयों में कार्यान्वयन समितियां गठित नहीं हुई हैं, ऐसी समितियों का तुरन्त गठन करेंगे। सभी कार्यालयों में हर तिमाही में कम-से-कम एक बार कार्यान्वयन समिति की बैठकें बुलाई जाएं ताकि हिन्दी के प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हो सके। जिन संस्थानों में हिन्दी के स्टाफ की कमी है, वे नई भर्ती अथवा नए पदों के सृजन के लिए विशेष प्रयास करेंगे।

**3. मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय "राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली" से संबंधित मदें।**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर फिर से विचार करेगा ताकि अधिक से अधिक पाठ्यक्रमों का माध्यम हिन्दी अथवा द्विभाषी हो सके। हिन्दी के पद जो समाप्त कर दिए हैं, उनका पुनः सृजन करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं। संस्थान के कर्मचारियों को मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है ताकि स्वतंत्र रूप से कार्यशाला आयोजित न करनी पड़े। संस्थान हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान देगा।



## कोयला विभाग (ऊर्जा मंत्रालय)

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 को ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई। अध्यक्ष जी ने बैठक के प्रारम्भ में कहा कि स्वर्गीय गंगा बाबू के निधन से न केवल कोयला विभाग की हिंदी सलाहकार समिति निर्धन हुई है, बल्कि समस्त भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि आचार्य नरेन्द्र देव और गंगा बाबू जैसे शांत और संतुलित व्यक्तित्व बहुत ही कम देखने में आते हैं। इसके बाद समिति के सदस्यों ने गंगा बाबू को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

2. हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई शुरू की। सदस्यों/अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अब तक की बैठकें बहुत सार्थक रही हैं। उनमें लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों पर निष्ठा से कार्रवाई करने का हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया है। उन्होंने उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मूल पत्राचार में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। कंपनियों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में इस समिति के नामित सदस्यों को नियमपूर्वक बुलाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा नीचे के अधिकारियों के साथ हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु चर्चा की जा रही है, मानक मसौदे तैयार किए गए हैं ताकि पत्राचार में हिंदी का प्रतिशत बढ़े और **छः अनुभागों को राजभाषा नियम 8 (4) के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।** अभी तक विभाग में चार कार्यशालाएं चलाई जा चुकी हैं जिनमें कर्मचारियों से हिंदी में कार्य करने हेतु अभ्यास कराया जाता है। इस वर्ष विभाग में 14 सितम्बर, 1988 से 27 सितम्बर, 1988 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर 32 प्रतियोगियों को आलेखन, निबंध, नारा आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर सुविख्यात लेखक तथा समालोचक श्री क्षेम चन्द्र "सुमन" को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था जिन्होंने अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें अधिक से अधिक हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सदस्यों को विभाग द्वारा पहली बार निकाली गई स्मारिका के बारे में भी सूचित किया। इस अवधि में विभाग द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 2 अधिकारियों तथा 4 कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण के लिए और 2 आशुलिपिकों को तथा 5 अवर श्रेणी लिपिकों को हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण के लिए नामित किया गया। जून की बैठक के बाद कंपनियों के 4 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन के 2 कार्यालयों

को राजभाषा नियमावली के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया । अध्यक्षजी ने निर्देश दिया कि सदस्यों को राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में नियमित रूप से बुलाया जाए । उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि श्री विट्ठल राव जाधव को वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर में नामित कर दिया जाए ।

3. श्री तिवारी ने कोयला विभाग की रिपोर्ट में दिखाई गई पत्राचार की 81% की वृद्धि पर बधाई दी । उन्होंने कहा कि विभाग में शत-प्रतिशत के लक्ष्य की आपूर्ति के समान ही कार्य हो रहा है और इस प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह विभाग शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर अग्रसर है ।

4. श्री विजय कुमार यादव सांसद ने कहा कि जब तक विभाग द्वारा रोमन टाइपराइटरों के 50% देवनागरी के टाइपराइटरों की खरीददारी नहीं कर ली जाती तब तक किसी भी रोमन टाइपराइटर की खरीददारी न की जाए। राजभाषा सचिव श्री महाजन ने केवल इलैक्ट्रानिक द्विभाषिक टाइपराइटरों की खरीद की बात पर जोर दिया। अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया कि इसके बाद केवल इलेक्ट्रानिक द्विभाषिक टाइपराइटर ही खरीदे जाएं ।

5. श्री यादव ने इस बात पर आपत्ति की कि विभाग की रिपोर्ट में दर्शाए गए नियम 10(4) के अंतर्गत 33 कार्यालयों में से 27 कार्यालयों को ही अभी तक अधिसूचित किया जा सका है । उन्होने कहा शेष कार्यालयों को अभी तक क्यों नहीं अधिसूचित किया गया ? उन्होंने कहा कि कंपनियों के 33 कार्यालयों में से 21 में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। उक्त बकाया 12 कार्यालयों में भी इसका गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया ? विभाग ने सूचित किया कि अगली बैठक तक इन छः कार्यालयों को भी अधिसूचित और शेष 12 कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को गठित किए जाने की पूरी कार्रवाई की जाएगी ।

6. श्री यादव तथा श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी सांसद ने "क" क्षेत्र के साथ 100% हिंदी में पत्राचार किए जाने का सुझाव दिया । उन्होंने कहा विभाग के 81% पत्राचार को बढ़ाया जाए और इसे 100% के लक्ष्य तक बढ़ाया जाए । अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया कि श्री यादव तथा श्री चतुर्वेदी द्वारा कही गई बात ठीक है । हमें "क" तथा "ख" क्षेत्रों के साथ पत्राचार को लक्ष्य के बराबर शीघ्र लाना होगा ।

7. श्री श्यामा चरण तिवारी ने इस बात का उल्लेख किया कि लगभग 3 वर्ष पूर्व जब हिंदी सलाहकार समिति का गठन हुआ था उस समय से लेकर अब तक हिंदी अनुभाग में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है, जबकि पत्राचार 81% तक पहुंच गया है तथा अन्य समितियों से संबंधित कार्य और राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में पत्राचार में काफी वृद्धि हुई है । अध्यक्ष जी ने इस बारे में उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया ।

8. श्री तिवारी ने इस बात का उल्लेख किया कि एन. एल.सी. ने केवल अंग्रेजी में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया । उन्होंने यह भी कहा कि अब तो कारपोरेशन का काम राजस्थान और गुजरात तक पहुंच गया है, अतः हिंदी में काम होना चाहिए । अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि कारपोरेशन की रिपोर्ट अगली बैठक में हिंदी में भी प्रस्तुत की जाए ।

9. श्री जाधव ने कोयला विभाग में प्रवीणता प्राप्त 72 कर्मचारियों में से केवल 10 कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने पर असंतोष व्यक्त किया। इस पर समिति को यह सूचित किया गया कि ये वे 10 व्यक्ति हैं जो लगभग अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करते हैं । इसके अलावा 14 अनुभागों में से छः अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है। श्री यादव ने कहा कि प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को तो 1-4-1988 से सारा काम मूल रूप से हिंदी में करने के आदेश हैं । अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि "क" क्षेत्र में तो कम-से-कम हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य किया जाना चाहिए ।

**कोयला खान भविष्य निधि संगठन**

10. सचिव राजभाषा ने इस बात का उल्लेख किया कि सी. एम.पी.एफ. की रिपोर्ट में 3072 पत्रों को अंग्रेजी में भेजा गया है और हिंदी में मात्र 133 पत्र भेजे गए हैं। इसका आशय यह हुआ कि केवल 4% कार्य हिंदी में हो रहा है और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा रहा है । इस बात पर श्री यादव ने भी नाराजगी व्यक्त की। सी.एम.पी.एफ. के प्रतिनिधि ने बताया कि यह इस लिए हो रहा है कि उनके पास स्टाफ की कमी है और बोर्ड ने कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वीकृति देने में विलंब किया है । अध्यक्ष जी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि जबकि संगठन के 13 कार्यालय "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित है, फिर भी 4% कार्य हिंदी में क्यों हो रहा है ? मंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि संगठन के प्रतिनिधि अपने अधिकारियों को राजभाषा नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी दें और पत्राचार हिंदी में शत-प्रतिशत किया जाए । उन्होने यह भी कहा कि राजभाषा नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

**नार्दर्न कोल फील्ड्स लि.**

11. सचिव राजभाषा ने नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा 12,000 पत्र अंग्रेजी में भेजने तथा हिंदी में केवल 1406 पत्र "क" तथा "ख" क्षेत्रो को भेजे जाने का उल्लेख किया । ना. को. लि. के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी आशुलिपिकों तथा टंककों की कमी के कारण हिंदी में काम कम हो रहा है । कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी ।

12. डा. सरोज अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी प्राय: अंग्रेजी में ही डिक्टेशन देते हैं इसलिए हिंदी नहीं आ पा रही है। उनका सुझाव था कि उच्च अधिकारी अपना कार्य हिंदी में शुरू कर दें ताकि उनके अधीन कर्मचारी भी उनके कार्य से प्रेरणा लें। अध्यक्ष जी ने इस बात का समर्थन करते हुए यह निर्देश दिया कि अधिकारी इस सुझाव का अनुसरण करें।

13. राजभाषा सचिव ने ना. को. लि. की रिपोर्ट में से देखकर यह कहा कि 920 कर्मचारियों में से केवल 540 कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। ना. को. लि. के प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त आंकड़ों में गलती से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल कर लिए गए हैं।

14. श्री अशोक चक्रधर ने अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर एक कविता सुनाई। श्री चक्रधर ने अपनी कविता के माध्यम से विभाग के 81% पत्राचार की प्रशंसा की तथा इस बात पर जोर दिया कि बकाया 19% को भी हिंदी में किए जाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष जी ने इस कविता की बहुत सराहना की और निर्देश दिया कि इसे कार्यवृत्त का अंग माना जाए और इसे खनन भारती में भी प्रकाशित किया जाए। अध्यक्ष जी ने यह भी निर्देश दिया कि केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. की रिपोर्ट पर, जिस पर इस बैठक में चर्चा की जानी थी, अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

## वाणिज्य मंत्रालय

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7-10-1988 को बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने की।

चर्चा प्रारंभ करते हुए माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में काफी सार्थक चर्चा होती रही है और उसके आधार पर बहुत सटीक निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों पर कार्रवाई पूरी होने से मंत्रालय में तथा इसके संगठनों में राजभाषा कार्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1988 राजभाषा अधिनियम, 1963 का रजत जयन्ती वर्ष है और इस दृष्टि से इस वर्ष राजभाषा कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। राजभाषा अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन एक कानूनी जरूरत की पूर्ति ही नहीं, बल्कि संविधान के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि पिछली बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं : जैसे उद्योग भवन में ही राजभाषा विभाग के सहयोग से हिंदी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, कार्यशालाओं का आयोजन, वरिष्ठ अधिकारियों की राजभाषा बैठकें जिनमें से एक को हिंदी सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य ने भी संबोधित किया, गृह-पत्रिकाओं में हिंदी को अधिक स्थान, चाय बोर्ड द्वारा "भारत चाय समाचार" नाम से केवल हिंदी की ही पत्रिका का प्रकाशन किया, धारा 3 (3) के अनुपालन और मूल पत्राचार में वृद्धि पर ध्यान, तार हिंदी में भेजना, आदि। मंत्रालय के सभी संगठनों में तथा मंत्रालय में भी हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा उत्साहपूर्वक मनाया गया और इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताएं की गईं। वाणिज्य मंत्रालय ने ही पहली बार एक हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जिससे राजभाषा नीति के अलावा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का भी परिचय मिलता है। राजभाषा कार्य के लिए मंत्रालय में स्टाफ में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है और विचाराधीन है। इसमें मुख्य कठिनाई राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद से इतर राजभाषा कार्य के आंकलन के लिए मापदंड निर्धारित करने की है। इस समस्या का हल हो जाने पर स्टाफ में वृद्धि हो सकेगी। सभी संगठनों में भी स्टाफ की स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार स्टाफ बढ़ाने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री बेलिया ने कहा कि अनुवाद कार्य से इतर राजभाषा कार्य के आंकलन संबंधी मानदंड एक महीने की अवधि में बनाकर जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1981 में निर्धारित न्यूनतम स्टाफ मानदंडों के अनुसार मंत्रालय में तथा उसके संगठनों में स्टाफ की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए क्योंकि इस पर कोई रोक नहीं है। अधिकांश सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि स्टाफ बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय पहल करे क्योंकि अब राजभाषा पदों का सृजन सचिव और वित्तीय सलाहकार ही मिलकर कर सकते हैं, वित्त मंत्रालय की अनुमति आवश्यक नहीं रह गई है।

स्टाफ संबंधी विस्तृत चर्चा के निष्कर्ष पर अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि मंत्रालय में अनुवाद कार्य तथा संसदीय कार्य को ध्यान में रखते हुए राजभाषा स्टाफ तुरन्त बढ़ाया जाए, अनुवाद से इतर कार्य के लिए राजभाषा विभाग के मानदंडों की कुछ समय प्रतीक्षा कर ली जाए, सभी अधीनस्थ संगठनों में न्यूनतम राजभाषा स्टाफ की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाए, हिंदी स्टाफ के लिए पदोन्नति और अन्य सुविधाओं के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा हिंदी स्टाफ बढ़ाने के प्रस्तावों पर कार्रवाई तेजी से की जाए। इस संबंध में अगली बैठक तक कार्रवाई करके रिपोर्ट दी जाए।

डा. रत्नाकर पांडे ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि मंत्रालय में लगातार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। किन्तु अधीनस्थ संगठनों में कार्यशालाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इनकी उपयोगिता देखते हुए तथा प्रवीणता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपने मसौदे हिंदी में ही प्रस्तुत करने के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मंत्रालय में कार्यशालाओं का सिलसिला चलता रहे। किन्तु अधीनस्थ संगठन भी कार्यशालाओं का जल्दी-जल्दी आयोजन किया करें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि मंत्रालय में तथा अधीनस्थ संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य अपने कामकाज में हिंदी का अधिक प्रयोग करें ताकि उनका काम दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदर्श बने।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि यह सुझाव अच्छा है और इस पर अमल किया जाए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि अनेक मंत्रालय अपने-अपने काम से संबंधित हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय का कार्य और साधन दोनों ऐसे हैं कि वाणिज्य संबंधी विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तक लिखने की योजना बनाई जाए और प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को उपयोगी बताते हुए इसका अनुमोदन किया और आदेश दिया कि तदनुसार कार्रवाई की जाए।

डा. रत्नाकर पांडे और श्री यादव ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय की पत्रिकाओं में हिन्दी की सामग्री बढ़ना शुभ लक्षण हैं। किन्तु अभी भी अनेक संगठनों में केवल अंग्रेजी पत्रिकाएं निकल रही हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया कि (1) इन पत्रिकाओं को हिन्दी में भी अथवा कम से कम द्विभाषी अवश्य किया जाए, (2) इनमें लिखने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए, और (3) यथासंभव लेखकों को कुछ प्रोत्साहन/पारिश्रमिक भी दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि इस दिशा में सभी संभव प्रयास किए जाएं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि टेलेक्स, कम्प्यूटर और टेलीप्रिंटर को द्विभाषी कराने और इन यांत्रिक सुविधाओं में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा राजभाषा कार्य बहुत पीछे लौट जाएगा क्योंकि यांत्रिक सुविधाओं का प्रयोग बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग इस ओर विशेष ध्यान दे और द्विभाषी यांत्रिक सुविधाएं मिलने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कराए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मंत्रालय में तथा संगठनों में तदनुसार कार्रवाई की जाए और राजभाषा विभाग भी अपना पूरा सहयोग दे।

**देवनागरी (हिन्दी) में तार**

श्री तुलसीराम तथा श्री यादव ने कहा कि मंत्रालय को छोड़कर अन्य संगठन हिंदी में तार बिल्कुल नहीं देते। हिंदी में तार देना कम खर्चीला, सुविधाजनक और राजभाषा नीति के अनुकूल है। अतः हिंदी में तार भेजने की ओर ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी संगठन वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में तार भेजना सुनिश्चित करें।

श्री यादव ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के संगठन और उनके सहयोगी प्रतिष्ठान विदेशों में प्रचार सामग्री भेजते हैं तथा वस्तुओं की पैकिंग भी की जाती है। इनमें हिंदी का कितना प्रयोग किया जा रहा है इस बात की जानकारी समिति के सदस्यों को भी कराई जाए। समिति में वरिष्ठ पत्रकार और अनुभवी विद्वान हैं, यह लोग ऐसी सामग्री में हिंदी के प्रयोग के संबंध में उपयोगी सुझाव दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि श्री यादव द्वारा इंगित प्रचार सामग्री आदि की जानकारी माननीय सदस्यों को भी कराई जाए और उनके सुझावों का लाभ उठाया जाए।

**मूल पत्राचार**

श्री तुलसीराम ने मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न पर हम बार-बार विचार करते हैं। जो थोड़ी प्रगति जहां भी हुई है उसके लिए बधाई किंतु यह याद रखा जाए कि लक्ष्य 100 प्रतिशत, 80 प्रतिशत आदि हैं, इन्हें प्राप्त करना है। इस संबंध में कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि जो भी करना पड़े वह किया जाए। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अनुभागों, विभागों और संगठनों में अपने सहयोगियों के साथ मदवार चर्चा करें और देखें कि पत्र व्यवहार किन मदों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। जिनमें यह बढ़ सकता है उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं, जिनमें कुछ कठिनाइयां हैं उनमें वह कठिनाइयां दूर की जाएं अथवा समिति को भी बताई जाएं ताकि सब लोग सुझाव दे सकें। इस बारे में विस्तृत टिप्पणी दी जाए क्योंकि सारे काम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनके पास भारत भर से पत्र आते हैं किंतु हिंदी पत्रों की संख्या बहुत ही कम होती है। व्यापारी वर्ग तो कभी भी हिंदी में पत्र नहीं लिखता। माननीय सदस्य इस दिशा में अपने स्तर पर अपने स्थान से कुछ प्रयास करें और हमें भी सुझाव दें।

श्री तुलसीराम और श्री यादव ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय और उसके संगठनों से सरकारी दफ्तरों के अलावा जनता को, व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों को हिंदी में पत्र भेजना प्रारंभ किया जाए। संभव है कि आपको जनता से भी हिंदी में पत्र मिलना प्रारंभ हो। डा. पांडे ने कहा कि आप अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में देना शुरू कीजिए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

13. श्री तुलसीराम और डा. पांडे ने कहा कि धारा 3 (3) के पालन में तो कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। यह कानूनी जरूरत है और इसके लिए स्टाफ, टाइपराइटर, टाइपिस्ट जो भी सुविधा जरूरी हो वह तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं ऐसा प्रयास किया जाए कि अगली बैठकों में धारा 3 (3) के उल्लंघन का कोई भी उदाहरण नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों का धारा 3 (3) के बारे में कथन बिल्कुल सही है। इस संबंध में सभी सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं और इसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

**राज्य व्यापार निगम**

श्री तुलसीराम ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के एक कार्यालय के संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के समय यह पता चला कि उनके किसी अध्यक्ष ने आने और जाने वाले पत्रों की डायरी की प्रणाली बंद करने का आदेश दिया। फलस्वरूप, राजभाषा कार्य की स्थिति जानने के लिए आंकड़े नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा कि एस.टी.सी. में ऐसी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय के आदेश पर एस.टी.सी. के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसा आदेश पहले दिया गया था किंतु अब कह दिया गया है कि राजभाषा कार्य के लिए समुचित आंकड़े प्रस्तुत करने की दृष्टि से डायरी प्रणाली प्रारंभ की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एस.टी.सी और अन्य संगठन भी आंकड़ों की सुविधाजनक और ठीक प्रस्तुति के संबंध में आदेश जारी करें। जो कठिनाइयां हों वह दूर की जाएं और अगली बैठक में स्थिति बताई जाए।

श्री यादव ने कहा कि संगठनों के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि का ज्ञान नहीं होता। श्री तुलसीराम और डा. पांडे ने श्री यादव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के नाते उनका भी यही अनुभव है। वरिष्ठ कार्यपालकों और अध्यक्षों को राजभाषा नीति से संबंधित अधिनियम और नियम आदि को भी गंभीरता से पढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों की यह शिकायत दूर की जाए। इन प्रश्नों के सार संक्षेप तैयार करके सभी संगठनों के अध्यक्षों/वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाएं। व इन्हें पढ़ें और आवश्यक अवसरों पर इनकी जानकारी के साथ चर्चा में भाग लिया करें।

श्री तुलसीराम और श्री यादव ने कहा कि अधीनस्थ संगठनों में राजभाषा कार्य के निरीक्षण का काम बहुत शिथिल है। मंत्रालय और अधीनस्त संगठनों दोनों को ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। निरीक्षणों की बहुत उपयोगिता है क्योंकि उनसे अनेक समस्याएं तुरन्त ही हल हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निरीक्षण कार्य में तेजी लाई जाए। मंत्रालय और संगठन इस संबंध में मिलकर कार्यक्रम बनाएं।

**विदेश व्यापार संस्थान**

डा. पांडे ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि संस्थान में सभी मुद्दों पर राजभाषा कार्य की स्थिति दयनीय है। इसमें सुधार आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने संस्थान के प्रतिनिधि महानिदेशक से कहा कि व संस्थान में राजभाषा कार्य के सभी पहलुओं पर ध्यान दें और अगली बैठक में अपने ठोस प्रयासों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

**चाय बोर्ड**

श्री यादव तथा डा. पांडे ने चाय बोर्ड की प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चाय बोर्ड के काम में हिंदी के प्रयोग की काफी संभावनाएं हैं किंतु वहां अभी उतना राजभाषा कार्य नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इसका स्पष्ट कारण है वहां न्यूनतम हिंदी स्टाफ का भी नहीं होना। चाय बोर्ड के आकार, काम का विस्तार और स्वरूप तथा कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या आदि का ध्यान रखते हुए वहां वरिष्ठ हिंदी अधिकारी तथा अन्य हिंदी कर्मचारियों की नियुक्ति तुरंत होनी चाहिए। यह काम समयबद्ध योजना बनाकर किया जाए तथा अगली बैठक में कृत कार्रवाई बताई जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि चाय बोर्ड में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी आदि समुचित हिंदी पदों का सृजन करके कृत कार्रवाई बताई जाए और राजभाषा कार्य की गति तेज की जाए।

श्री यादव तथा डा. पांडे ने मसाला बोर्ड की प्रगति रिपोर्ट की भी विस्तृत समीक्षा की। श्री यादव ने कहा कि बोर्ड की आठ पत्रिकाओं में से केवल एक में हिंदी को स्थान दिया गया है, वह भी केवल मुख पृष्ठ पर। बोर्ड का कार्य

और कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है किंतु वहां हिंदी स्टाफ पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अथवा सहायक निदेशक का पद तथा अनुवाद और टाइपिंग कार्य के लिए भी पर्याप्त पद होने चाहिए। बोर्ड के सचिव डा. नायर ने बताया कि बोर्ड की कुछ प्रचार सामग्री हिंदी में है तथा सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत की जा चुकी है। एक पत्रिका हिंदी में निकालने का विचार है। इस पर कार्रवाई एक महीने में हो जाएगी। डा. पांडे ने कहा कि इसी प्रकार समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर वरिष्ठ हिंदी अधिकारी आदि पदों का भी सृजन किया जाए और राजभाषा कार्य आगे बढ़ाया जाए। मसाला बोर्ड का तो सम्पर्क पूरे भारत से तथा हिन्दी क्षेत्रों से विशेष रूप से रहता है और इस बोर्ड के कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। सम्भवतः समुचित स्तर के राजभाषा स्टाफ के नहीं होने के कारण संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मसाला बोर्ड सदस्यों द्वारा इंगित राजभाषा कार्य की संभावनाओं का उपयोग करे और समुचित स्तर के राजभाषा स्टाफ की व्यवस्था भी तुरंत करे।

श्री यादव ने कहा कि मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिंदी सलाहकार समिति के एक सदस्य को प्रेक्षक रखा गया है। इसी प्रकार सभी संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में भी समिति के सदस्यों को पर्यवेक्षक नामित किया जाए। इससे राजभाषा कार्य को निःसंदेह बल मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सुझाव पर समुचित कार्रवाई की जाए।

डा. पांडे तथा श्री तुलसीराम ने कहा कि अभी भी कुछ संगठन ऐसे हैं जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां या तो हैं नहीं अथवा सक्रिय नहीं हैं। समिति के सदस्य सचिव एवं राजभाषा कार्य के प्रभारी संयुक्त सचिव श्री चतुर्वेदी ने माननीय सदस्यों को बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संबंध में सर्वेक्षण किया जा रहा है और कोई भी संगठन ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति सक्रिय नहीं हो। जिन संगठनों में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 25 से कम होगी उनको दूसरे कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह कार्रवाई शीघ्र ही पूरी की जाए। मंत्रालय की कार्रवाई के अलावा सभी संगठन स्वयं भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित आदेशों का ध्यान रखें और उनका पालन करें।

श्री यादव ने कहा कि राजभाषा कार्य से जुड़े हुए अनेक प्रकार के पुरस्कार हैं। यह सारे पुरस्कार देने की योजना सभी संगठनों में लागू नहीं हैं क्योंकि सम्भवतः अधिकारियों को इनका ज्ञान नहीं है। सभी स्तरों पर पुरस्कारों का समुचित ज्ञान कराया जाए और पुरस्कार प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुरस्कारों के संबंध में सभी आदेशों और व्यवस्थाओं का पूरा पालन योजना और समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाए।

श्री तुलसीराम तथा श्री यादव ने कहा कि हिंदी सप्ताह आदि समारोहों में समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए। श्री यादव ने कहा कि मंत्रालय में हिंदी सप्ताह के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशाला में उन्हें आमंत्रित किया गया था और अधिकारियों से चर्चा करके तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें प्रसन्नता हुई थी।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भविष्य में आयोजित समारोहों में माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाए।

**विशेष सुझाव**

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, के प्रतिनिधि श्री पन्नालाल शर्मा ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(क) माननीय वाणिज्य मंत्री ने अपने भाषण में जो निम्नलिखित वाक्य बोला वह बहुत सुन्दर है :—

"राजभाषा अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन एक कानूनी जरूरत की पूर्ति ही नहीं, संविधान के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है।" इस आदर्श वाक्य का विभिन्न तरीकों से अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, जैसे संगठनों की पत्रिकाओं में इसे छापना, विभिन्न स्थानों पर इसे लिखवाकर टांगना, मुद्रित कराके इसका वितरण, आदि।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के सम्मेलनों आदि में बैनर आदि हिन्दी में नहीं रहते। इन्हें हिन्दी में अथवा द्विभाषी अवश्य रखा जाए।

(ग) जहां जहां कोड, मैनुअल, फार्म आदि का हिन्दी अनुवाद हो गया है वहां उन्हें शीघ्र ही मुद्रित कराया जाए।

(घ) हिन्दी में प्रशिक्षित स्टेनोग्राफरों तथा टंककों से काम नहीं लिया जा रहा है। उनसे हिन्दी का काम अवश्य लीजिए।

(ङ) यह सुनिश्चित कीजिए कि मशीनीकरण हिन्दी के मार्ग में बाधक नहीं बने। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय ली जाए तथा उद्योग मंत्रालय से सम्पर्क किया जाए जहां मशीनीकरण और राजभाषा कार्य के बीच तालमेल बैठाया गया है।

(च) बैठकों तथा सम्मेलनों में स्वागत और धन्यवाद हिन्दी में देने की परिपाटी प्रारंभ की जाए।

(छ) एक ऐसा मोनोग्राम/मोहर बनाई जाए जिसमें यह सुझाव/संकेत हो कि वाणिज्य मंत्रालय हिन्दी में प्राप्त पत्रों पर सहर्ष कार्रवाई करता है तथा उनके उत्तर देता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से गैर-सरकारी पार्टियों से पत्र व्यवहार में तथा आमतौर पर अन्य पत्रों में भी किया जाए।

(ज) जो लोग "राजभाषा नीति संबंधी आदेशों" का पालन करते हैं उनकी गोपनीय चरित्रपंजी/रिपोर्टों में इस बात की अच्छी प्रविष्टि की जाए।

कई सदस्यों ने श्री शर्मा के उपर्युक्त सुझावों का समर्थन किया। वाणिज्य मंत्री जी के उद्बोधन वाक्य का अधिक से अधिक प्रचार करने का सभी ने आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री शर्मा के सुझाव उपयोगी हैं तथा उनके अनुसार कार्रवाई की जाए।

25. डा. रत्नाकर पांडे ने कहा कि उन्हें वाणिज्यिक जोनकारी एवं अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता की 'धूपछांह' पत्रिका प्राप्त हुई है। इस पत्रिका का सामग्री चयन, सम्पादन तथा प्रकाशन सराहनीय है किन्तु इसे साइक्लोस्टाइल के स्थान पर मुद्रित रूप में निकाला जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि श्री पांडे के प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने अन्त में कहा कि आज की बैठक बहुत सार्थक रही। मंत्रालय के तथा सभी संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी आज के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करें और राजभाषा कार्य को आगे बढ़ाने में सहर्ष योगदान दें।

डा. पांडे, श्री यादव तथा श्री तुलसी राम ने अध्यक्ष महोदय को राजभाषा कार्य में इतनी रुचि लेने और मार्गदर्शन करने के लिए बधाई दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक सम्पन्न हुई।

## वस्त्र मंत्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति की सातवीं बैठक दिनांक 27-9-1988 को हुई। बैठक का शुभारंभ करते हुए समिति के अध्यक्ष वस्त्र मंत्री श्री राम निवास मिर्धा जी ने सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों के मार्गदर्शन और सहयोग से वस्त्र मंत्रालय तथा उसके संगठनों में राजभाषा कार्य आगे बढ़ रहा है। राजभाषा नीति का उद्देश्य यह है कि देश का शासन देश की ही सरल और सहज भाषा में चलाया जाए। हिन्दी इस कसौटी पर खरी उतरती है। इसलिए संविधान में इसे राजभाषा का सम्मान दिया गया। हमारा प्रयास है कि राजभाषा नीति की विभिन्न व्यवस्थाओं का यथासंभव पूरा पूरा पालन किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बहुत हर्ष की बात है कि वस्त्र मंत्रालय के दो संगठनों अर्थात भारतीय कपास निगम और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, (महाराष्ट्र साउथ) का राजभाषा कार्य अखिल भारतीय स्तर पर उत्तम पाया गया है और इन दोनों संगठनों को माननीय प्रधान मंत्री जी ने 16 सितम्बर, 1988 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अपने कर-कमलों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इन दोनों संगठनों के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमारी बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। हमारा अन्य सभी संगठनों से भी अनुरोध है कि वे इन दोनों संगठनों से प्रेरणा लें और अगले वर्षों में वे भी पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि सितम्बर माह में समिति के सदस्यों के सुझाव के अनुसार मंत्रालय के मुख्यालय में और सभी संगठनों में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मंत्रालय में "हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" एक अनोखा प्रयास रहा जिसके जरिए राजभाषा नीति के साथ-साथ भारतीय सभ्यता, साहित्य और संस्कृति की भी जानकारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष महोदय ने समिति को हर्षपूर्वक यह भी सूचित किया कि मंत्रालय में हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण की भी स्वतंत्र व्यवस्था राजभाषा विभाग के सहयोग से उद्योग भवन में की गई है। उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर राजभाषा कार्य में प्रगति हो रही है, भले ही रफ्तार अभी तेज नहीं है।

चर्चा प्रारंभ करते हुए श्री बालकवि बैरागी ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय में स्वतंत्र हिन्दी अनुभाग की स्थापना का निर्णय बहुत पहले लिया गया था। संसदीय राजभाषा समिति को भी इस संबंध में आश्वासन दिया गया था। किन्तु अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि केवल वस्त्र मंत्रालय में ही नहीं मंत्रालय के अनेक संगठनों में भी स्वतंत्र हिन्दी अनुभाग नहीं है। यदि हैं भी तो उनमें गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम स्टाफ तक नहीं है। इस स्थिति में तुरन्त सुधार होना चाहिए।

समिति के सदस्य सचिव श्री चरणदास चीमा ने सदस्यों को सूचित किया कि मंत्रालय में स्वतंत्र हिन्दी अनुभाग की स्थापना का प्रस्ताव मंत्रालय के ही वित्त प्रभाग के विचाराधीन है। इसी प्रकार सभी संगठनों को भी

हिदायतें दी गई हैं कि वे राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम राजभाषा स्टाफ तो यथाशीघ्र नियुक्त करें। अनेक सदस्यों ने कहा कि विचार और निर्देश की प्रक्रिया में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, विशेषकर तब जबकि राजभाषा संबंधी पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं है और सरकार ने मंत्रालय के सचिव तथा वित्तीय सलाहकार को ही पूरा और स्पष्ट अधिकार दे दिया है कि वे राजभाषा संबंधी पदों का सृजन करें।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा कार्य के लिए पर्याप्त स्टाफ के प्रश्न पर हर बार चर्चा होती है। अब हिन्दी पदों के सृजन संबंधी नए निर्देश और मंत्रालय को प्राप्त अधिकार के अनुसार इस काम में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। सदस्यों के बार बार अनुरोध पर उन्होंने आदेश दिया कि अगली बैठक में सभी संगठनों आदि में राजभाषा स्टाफ के संबंध में स्पष्ट और निश्चित जानकारी दी जाए।

समिति की बैठकों में संगठनों के अध्यक्षों के स्वयं नहीं आने का मुद्दा उठने पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बार जो अध्यक्ष नहीं आए हैं उन्होंने पहले ही समुचित कारण बताते हुए सूचना दे दी है। फिर भी, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी अध्यक्ष समिति की बैठकों में स्वयं उपस्थित होने का ध्यान रखें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने कई बार राजभाषा कार्य के संबंध में योजना बनाने का प्रश्न उठाया है परन्तु इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री महाजन ने सूचित किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजभाषा कार्य को भी एक मद के रूप में शामिल करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री महाजन के स्थिति बताने से माननीय सदस्य श्री यादव के प्रश्न का समाधान हो जाता है। फिर भी, मंत्रालय तथा सभी संगठन वर्तमान निर्देशों और नीति के दायरे में ही राजभाषा कार्य के लिए अपनी छोटी छोटी योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उन्हें ऐसा करना भी चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त ने श्री महाजन की सूचना और अध्यक्ष महोदय के निर्देश का स्वागत करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित छोटी छोटी योजनाओं के लिए बजट प्रावधान भी होना चाहिए। अनेक सदस्यों ने श्री दासगुप्त का समर्थन करते हुए कहा कि बजट प्रावधान बहुत आवश्यक मद है। श्री दासगुप्त ने कहा कि उदाहरण के लिए एन.टी.सी. (धारक कम्पनी) ही बताएं कि उनके यहां राजभाषा कार्य के लिए कितना बजट प्रावधान है। एन.टी सी. के निदेशक ने बताया कि पिछले समारोह के लिए छः हजार रुपये का प्रावधान किया गया था। एन.टी.सी. (महाराष्ट्र साउथ) के अध्यक्ष ने बताया कि उनके यहां एक लाख रुपए का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि राजभाषा कार्य के लिए बजट प्रावधान किया जाए और अगली बैठक में सभी संगठन इसके आंकड़े प्रस्तुत करें।

राजभाषा सचिव श्री महाजन ने यांत्रिक सुविधाओं का प्रश्न उठाया और कहा कि अभी इस प्रकार की सुविधाएं द्विभाषी उपलब्ध कराने पर कम ध्यान दिया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि यांत्रिक सुविधाएं द्विभाषी उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह ध्यान भी रखा जाए कि इनसे हिन्दी में कितना काम लिया जा रहा है। किसी द्विभाषी यंत्र से केवल अंग्रेजी में काम लेना उचित नहीं होगा। श्री महाजन ने कहा कि द्विभाषी यंत्रों--उदाहरण के लिए द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर के प्रयोग का प्रशिक्षण भी अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि द्विभाषी यांत्रिक सुविधाओं के संबंध में कार्यवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि विभिन्न समारोहों में एन.टी.सी. तथा वी.आई.सी. की भांति ही अन्य संगठन भी समिति के सदस्यों को यथासंभव आमंत्रित करें और सूचना तो अवश्य ही दें।

अध्यक्ष महोदय ने इस बिन्दु पर यह प्रश्न उठाया कि विभिन्न समारोहों में किसी मुद्दे पर पुरस्कृत अधिकारियों और कर्मचारियों से बाद में भी पूछा जाए कि वे अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार राजभाषा कार्य तथा प्रशिक्षण के संबंध में लगभग 10 प्रकार के प्रोत्साहन पुरस्कार हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सभी पुरस्कार वस्तु मंत्रालय तथा उसके संगठनों में अवश्य प्रदान किए जाएं क्योंकि अभी राजभाषा कार्य प्रेरणा और प्रोत्साहन के जरिए ही बढ़ाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री यादव के सुझाव के अनुसार कार्रवाई सभी संगठनों में की जाए।

श्री बालकवि बैरागी ने कहा कि नियम 10(4) के अधीन कार्यालयों को अधिसूचित करने का काम तेजी से नहीं चल रहा है। इस संबंध में सर्वेक्षण और प्रशिक्षण की गति तेज की जाए तथा नियम 10(4) के अधीन अधिक से अधिक कार्यालय अधिसूचित किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि श्री बैरागी के सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए।

सचिव (राजभाषा) श्री गहाजन ने कहा कि विभिन्न संगठनों की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि अभी काफी लोगों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान कराने का प्रशिक्षण बाकी है। इस प्रशिक्षण के लिए अनेक प्रोत्साहन पुरस्कार हैं तथा पत्राचार पाठ्यक्रम तक की सुविधा है। अतः इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी संगठन हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षण को निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास करें।

अनेक सदस्यों ने कहा कि रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि सारे तथ्य और आंकड़े सावधानी से नहीं भरे जाते अथवा नवीनतम प्रोफार्मा में नहीं भरे जाते।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि माननीय सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रहे और विचार-विमर्श में सुविधा रहे।

संगठनों की रिपोर्टों की समीक्षा अनेक सदस्यों ने विस्तार से की तथा त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, सुझाव दिए तथा अच्छे कार्य की प्रशंसा भी की। इस संबंध में मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:—

(1) भारतीय कपास निगम के काम की सभी सदस्यों ने प्रशंसा की। निगम के अध्यक्ष श्री लाल ने बताया कि उनके संगठन में माननीय सदस्यों द्वारा इंगित तथा सचिव (राजभाषा) द्वारा गिनाए गए पुरस्कार तो दिए ही जाते हैं, उनके अलावा भी राजभाषा कार्य की प्रगति के लिए सुविधानुसार अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी संगठनों को कपास निगम का अनुकरण करना चाहिए।

(2) **एन.जे.एम.सी. के कार्यालय में तथा यूनिटों में** राजभाषा कार्य की **स्थिति बहुत असंतोषजनक समझी गई**। सदस्यों ने कहा कि उनके मुख्यालय में पूरा हिन्दी स्टाफ होना चाहिए और सभी यूनिटों में कम से कम एक अनुवादक और एक हिन्दी टाइपिस्ट अवश्य होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि एन.जे.एम.सी. में राजभाषा कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था करके अगली बैठक में रिपोर्ट दी जाए।

(3) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में राजभाषा कार्य की प्रगति को विशेष रूप से नोट करते हुए सदस्यों ने कहा कि इस कार्यालय से देवनागरी में तार जाने की गुंजाइश है। अतः वहां से देवनागरी में तार भेजे जाएं।

(4) रेशम बोर्ड के कार्यालय में राजभाषा कार्य की प्रगति को संतोषजनक बताते हुए आग्रह किया गया कि वहां राजभाषा कार्य की गति और विस्तार में वृद्धि की जाए।

(5) पटसन निगम के कार्य की समीक्षा करते हुए हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था, प्रशिक्षण, धारा 3(3) का पालन तथा मूल पत्राचार पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया।

(6) **उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम** में राजभाषा कार्य की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। निगम के अध्यक्ष ने बताया कि अभी वहां लोगों को हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं है अतः हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोई स्टेनोग्राफर अथवा टाइपिस्ट अभी हिन्दी भाषा ही ठीक नहीं जानता। अतः हिन्दी आशुलिपि/टाइप का प्रशिक्षण देना संभव नहीं है। अनेक सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार तो इस निगम में राजभाषा कार्य बहुत समय तक प्रारंभ नहीं हो सकेगा। सदस्यों ने यह भी कहा कि निगम के अध्यक्ष अहिन्दी भाषी होने पर भी स्वयं बहुत अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं। अतः हिन्दी भाषा का कम ज्ञान होना उनके निगम में कोई समस्या नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक स्टेनोग्राफर/टाइपिस्ट तुरन्त ऐसा रख लिया जाए जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों की आशुलिपि/टाइप जानता हो। इसके अलावा राजभाषा कार्य की अन्य मदों पर भी यथासंभव शीघ्र ही कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

(7) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम में राजभाषा कार्य की समीक्षा करते हुए श्री बैरागी ने कहा कि निगम में हिन्दी पत्राचार में वृद्धि होने की बजाय कमी हो रही है। निगम के अध्यक्ष श्री जोशी ने बताया कि उनके काफी सप्लायर 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में हैं। अतः हिन्दी पत्राचार का कुल प्रतिशत कम प्रतीत हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप अपनी सही प्रगति बताने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों का पत्राचार दीजिए ताकि आपकी प्रगति की समीक्षा हो सके।

(8) बी.आई.सी. के अध्यक्ष श्री दीक्षित ने अपने निगम में राजभाषा कार्य की विस्तृत जानकारी दी और आश्वासन दिया कि 31-12-1988 तक उनके निगम का 69 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगेगा। श्री वैरागी को इस प्रशंसात्मक टिप्पणी के उत्तर में थी कि निगम में पत्राचार पहले ही 75 प्रतिशत तक होने लगा है, श्री दीक्षित ने कहा कि वह सारी कार्यमदों को मिलाकर 60 प्रतिशत हिन्दी कार्य का लक्ष्य घोषित कर रहे हैं।

(9) **वस्त्र आयुक्त श्री अरुणकुमार** ने अपने कार्यालय में राजभाषा कार्य की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिन्दी कर्मचारियों की कमी पूरी की जा रही है और आशा है कि राजभाषा कार्य की सभी मदों पर उनके कार्यालय में शीघ्र ही संतोषजनक कार्रवाई होने लगेगी। श्री वैरागी ने उनसे कहा कि उनके कार्यालय में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाया जाए। राजभाषा सचिव श्री महाजन ने कहा कि उनके कार्यालय से देवनागरी में तार भी जाने चाहिए।

(10) **विकास आयुक्त (हथकरघा)** के कार्यालय में राजभाषा कार्य की विस्तृत जानकारी संयुक्त विकास आयुक्त श्रीमती रंजना सिन्हा ने दी। उन्होंने अनुरोध किया कि नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करने के संबंध में राजभाषा विभाग के आदेश अधिक विस्तृत और स्पष्ट होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा विभाग कृपया इस विषय में आवश्यक परिपत्र जारी करे।

(10) **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम** लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक ने अपने निगम में राजभाषा कार्य की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगम के राजभाषा समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी पधारे थे, नए देवनागरी टाइपराइटर खरीदे गए हैं, द्विभाषी टैलेक्स के लिए संबंधित प्राधिकारियों को लिखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली तिमाही में निगम के राजभाषा कार्य में काफी प्रगति होगी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने अनेक सुझाव दिए : जैसे यांत्रिक सुविधाओं में कम्प्यूटर हिन्दी को पचास वर्ष पीछे ले जा रहा है। राजभाषा विभाग विशेष रूप से ऐसे उपाय करे कि कम्प्यूटर प्रयोग से भी हिन्दी आगे बढ़े, पीछे नहीं जाए। वस्त्र मंत्रालय तथा संगठनों के अधिकारी भी इस बारे में मनन करें और अपने विचार प्रकट करें।

श्री यादव के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी कार्य के बारे में पूछताछ की थी। कुछ दूतावासों में इस संबंध में व्यवस्था हुई है। फिर भी उनका विचार था कि वहां हिन्दी का योग कुछ मदों में प्रयास करने पर बढ़ सकता है। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत हिन्दी में ही की और यह देखा कि अपनी ओर से पहल करने पर हिन्दी में विचार-विनिमय में कोई कठिनाई नहीं होती। उन्होंने बताया कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्री यादव के संकेत के अनुसार विदेशों में भी हिन्दी के प्रचार और प्रसार की संभावनाएं हैं, जरूरत इन संभावनाओं का उपयोग करने की है।

## बैंकिंग प्रभाग (वित्त मंत्रालय)

दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को बैंकिंग प्रभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 48वीं बैठक श्री मंत्रेश्वर झा, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक के मेजबान बैंक आंध्र बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के० आर० नायक ने अध्यक्ष श्री मन्त्रेश्वर झा के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में बैंकिंग प्रभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अहम भूमिका है। श्री नायक ने राजभाषा के क्षेत्र में आंध्र बैंक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री झा ने आंध्र बैंक और विशेष रूप से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री नायक को बैठक की मेजबानी करने और बैठक की अच्छी व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश "ग" क्षेत्र में होते हुए भी हिन्दी को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और इस दृष्टि से हैदराबाद के ऐतिहासिक नगर में इस बैठक का और भी महत्त्व बढ़ जाता है। श्री झा ने भारतीय रिजर्व बैंक शील्ड विजेता बैंकों और इन्दिरा गांधी शील्ड विजेता बैंकों को बधाई दी कि उन्होंने बैंकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है।

दिनांक 15 जुलाई, 1988 को संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष साक्ष्य के संदर्भ में उन्होंने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों को भेजे गए अपने अर्ध शासकीय पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्त सचिव ने यह आश्वासन दिया है कि आगामी प्रथम जनवरी से सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार सभी प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों में प्रशिक्षण दोनों भाषाओं में उपलब्ध करा दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कारपोरेशन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक आफ इंदौर द्वारा धारा 3(3) के उल्लंघन और स्टेट बैंक आफ पटियाला, देना बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हिन्दी में प्राप्त कुछ पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने पर उन्होंने खेद व्यक्त किया ।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, चण्डीगढ़ तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई द्वारा बड़ी संख्या में अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों की भर्ती के विज्ञापनों की चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की कि एक ओर सरकारी क्षेत्र के बैंक शिकायत करते हैं कि उनके पास हिन्दी टंककों और आशुलिपिकों की अत्यधिक कमी है और दूसरी ओर वे बड़ी संख्या में अंग्रेजी टंकक/आशुलिपिक भर्ती के लिए विज्ञापन देते हैं ।

दिनांक 1 जनवरी, 1989 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की तैयारी के विषय में चर्चा के दौरान इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने हैंड आऊट दोनों भाषाओं में तैयार कर लिए हैं ।

न्यू बैंक आफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टेट बैंक आफ हैदरावाद, स्टेट बैंक आफ मैसूर, भारतीय स्टेट बैंक, सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर ने सूचित किया कि उन के सभी हैंड आऊट निर्धारित तारीख तक द्विभाषिक रूप में तैयार हो जाएंगे ।

तत्पश्चात् कार्यसूची की मदों पर क्रमानुसार चर्चा की गयी और निम्नलिखित निर्णय लिये गए :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग प्रभाग को निर्धारित प्रोफार्मा में 15 अक्टूबर, 15 नवम्बर, और 15 दिसम्बर, 1988 को प्रशिक्षण संबंधी कार्य में प्रगति का मासिक विवरण भेजेंगे ।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशिक्षण संबंधी मासिक बैठकों में बैंकिंग प्रभाग को आमंत्रित किया जाएगा ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में धारा 3(3) के उल्लंघन और हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये जाने को रोकने के ठोस उपाय किए जाएंगे ताकि अगली तिमाही में इस प्रकार के उल्लंघन को पूर्णतः समाप्त किया जा सके ।

(4) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, चण्डीगढ़ के संयोजक बैंक और भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई द्वारा राजभाषा विभाग के नए अनुदेशों के संदर्भ में बड़ी संख्या में अंग्रेजी टंकक/आशुलिपिकों का विज्ञापन दिये जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाएगी ।

(5) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार की गयी प्रगति का जायजा लेने के लिए, यदि आवश्यक समझा गया तो बैंकिंग प्रभाग द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों में जाकर स्थिति का आकलन किया जाएगा ।

(6) सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कोडों/मैनुअलों के द्विभाषिक मुद्रण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है वे अपना शेष कार्य 31 दिसम्बर, 1988 तक पूरा कर लें ।

(7) सभी बैंकों द्वारा पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देने के लिए अपने अनुरोध आई बी पी एस/एन आई बी एम के पास भेज देने चाहिए ।

## योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक योजना मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में शुक्रवार 19 अगस्त, 1988 को योजना भवन में हुई ।

2. बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि कुछ दिन पूर्व ही योजना आयोग को राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है । उन्होंने यह भी बताया कि आयोग के 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में से अब तक 26 कार्यालय अधिसूचित किए जा चुके हैं । अध्यक्ष ने सदस्यों को बताया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संदर्भ में राजभाषा के लिए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है, जिससे राजभाषा की प्रगति को वांछित गति मिल सकेगी । उन्होंने यह भी कहा कि योजना आयोग की कौटिल्य पुरस्कार योजना के पुरस्कारों की राशियां बढ़ा दी गई हैं और प्रथम पुरस्कार की राशि दुगुनी कर अब दस हजार रुपए कर दी गई है ।

3. श्री मदन पाण्डेय ने कहा कि सरकार में अगर मंत्री हिन्दी पसंद करते हैं तो हिन्दी में काम अधिक होता है । ऐसा लगता है कि इस समय योजना मंत्रालय ऐसे हाथों में है जिससे हम आशा कर सकते हैं कि हिन्दी की अधिक प्रगति हो सकेगी । उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन रिपोर्ट में संयंत्रों की कमी दिखाई गई है । संयंत्रों की कमी

के कारण हिन्दी में काम करना चाहते हुए भी लोग हिन्दी में काम नहीं कर पाते हैं। उनका कहना था कि हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या कम है इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में हिन्दी का बहुत कम प्रयोग होता है। योजना मंत्रालय को चाहिए कि अपनी ओर से जो जानकारी संसद को दी जाए वह हिन्दी में दी जाए।

4. श्रीमती प्रतिभा सिंह ने आशा व्यक्त की कि मंत्रालय में हिन्दी की और प्रगति होगी। उन्होंने प्रमाणित शब्दकोश बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक शब्दकोष में "खादी" का बहुत ही गलत अर्थ दिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि यदि वे शब्द-कोश का और उसके प्रकाशक का नाम उन्हें भेजें तो वे संबंधित अधिकारियों को लिखेंगे। श्रीमती सिंह ने यह भी कहा कि यदि अधिकारीगण ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन हिन्दी में देंगे तो आशुलिपिकों को उसी तरह से भर्ती किया जा सकेगा।

5. श्री हुताशन शास्त्री ने सुझाव दिया कि योजना आयोग विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देते समय यह भी शर्त लगाएं कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हिन्दी का प्रयोग होगा। उदाहरणार्थ, जब तक हिन्दी में प्रोडक्ट का नाम न लिखा जाये तब तक उसको मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

6. श्री वी०वी० महाजन, सचिव, राजभाषा विभाग ने योजना आयोग में हिन्दी टाइपिस्टों की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि टाइपिस्टों की संख्या बहुत कम है। इसके उत्तर में निदेशक (प्रशासन) ने बताया कि इस बार आयोग के 23 कर्मचारियों को टाईपिंग के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है।

7. "क" और "ख" क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों की पृष्ठ-भूमि; टिप्पणियां आदि मूलतः हिन्दी में तैयार करना। यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रभागों को इस बारे में परिपत्र जारी कर दिया जाएगा।

8. यह निर्णय लिया गया कि सांख्यिकी विभाग की तरह योजना आयोग में भी जांच विन्दु बनाने की व्यवस्था की जाए।

9. योजना आयोग/सांख्यिकी विभाग में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति। सर्वश्री पन्ना लाल, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव तथा डा० लक्ष्मी नारायण दुबे ने योजना आयोग तथा सांख्यिकी विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाए जाने के बारे में किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयत्नों को जारी रखा जाए। यह कहा गया कि अनेक बार आदेश आदि द्विभाषी तो निकलते हैं पर साथ-साथ नहीं। ये कागजात अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में ही साथ-साथ निकाले जाएं। योजना आयोग में कुछ अनुभागों में कुछ विषय हिन्दी में काम के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए चुन लिए जाएं। योजना आयोग के कार्यालयों में आयोग के अधि-कारियों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। हिन्दी अनुभाग के कर्मचारियों को अनुवाद प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। सचिव, राजभाषा विभाग ने सुझाव दिया कि टेलि-प्रिन्टर और टेलेक्स को द्विभाषी करने के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना मंत्री की ओर से एक अपील निकाली जाए।

10. सदस्यों ने सांख्यिकी विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों के पद भरने संबंधी सूचना की जानकारी चाही। सचिव, सांख्यिकी विभाग ने बताया कि इस बारे में वित्त विभाग से बातचीत चल रही है और दो पदों की जो मांग की गई थी, स्वीकृत हो गई है।

## (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

### कलकत्ता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 11वीं बैठक 4-8-88 को श्री ना०कृ० पद्मनाभन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री वी०वी० महाजन, सचिव/राजभाषा, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर महासभा की शोभा बढ़ाई। इस समिति में करीब 250 सदस्य-कार्यालयों में से कुल 234 लोगों ने भाग लिया। श्री अजय कुमार दास, आ०नि० बोर्ड के सदस्य/कार्मिक ने कलकत्ता/हावड़ा स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों/उद्यमों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में न० रा०का०स० की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

एस०के० गंगोपाध्याय, मुख्य आयकर आयुक्त एवं न० रा०का०स० क्षेत्र-1 के उपाध्यक्ष ने न०रा०का०स० शील्ड पुरस्कार संबंधी रिपोर्टों से सभा को अवगत कराया और सर्वश्रेष्ठ यूनिट और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के शील्ड प्राप्त करने वाले विजेता कार्यालयों के नाम क्रमशः सीमा सुरक्षा बल कार्यालय और श्री एस०वी० जैन डाक महाध्यक्ष की घोषणा की गई जिन्हें श्री वी०वी० महाजन द्वारा शील्डें प्रदान की गईं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने वाले 14 कार्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही हिन्दी निबंध, वाद-विवाद, टंकण आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

सचिव राजभाषा श्री महाजन ने साधारण सभा के अवसर पर आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विभिन्न सदस्य-कार्यालयों द्वारा आकर्षक स्टालों में सुसज्जित

आकर्षक रूप-रेखा, चमकीले चार्टों और उत्कृष्ट मॉडलों की प्रदर्शनी का दिग्दर्शन करते हुए उन्होंने अत्यधिक संतोष प्रकट किया ।

श्री सी०पी० बोहरा, उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सदस्य-कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की संवीक्षा को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और उनकी उपलब्धियों तथा कमियां बताते हुए भविष्य में कमियों में सुधार लाने का आग्रह किया ।

सभा के बाद हिन्दी एकांकी "प्रोमोशन" का मंचन किया गया और अंत में एकांकी टीम के सदस्यों को उपहार भेंट किए गए ।

### गोवा

गोवा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 3 नवम्बर 88 को श्रीमती जे०के० श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गोवा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

श्री हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया ।

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पणजी गोवा में अंश-कालिक टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के लिये जगह की व्यवस्था हेतु अपर समाहर्ता सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अनुदेशक की व्यवस्था हेतु मात्स्यकी टेकनालाजी के केन्द्रीय संस्थान पणजी के प्रभारी वैज्ञानिक ने आश्वासन दिया था किन्तु टाइपराइटरों के अभाव में अंशकालिक टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र शुरू नहीं किया जा सका । काफी चर्चा करने के बाद श्री हरिओम श्रीवास्तव ने सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि केवल पांच देवनागरी टाइपराइटर की व्यवस्था आप कर सकें तो टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जा सकता है । उनके अनुरोध पर निम्नलिखित कार्यालयों के उपस्थित अधिकारियों ने हिन्दी का एक-एक टाइपराइटर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया :—

1. दि० ओरियन्टल इन्शुरेन्स कम्पनी 2. दि० न्यू इन्डिया एश्योरेन्स कम्पनी 3. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 4. संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा, तथा 5. मर्केन्टाइल मरीन डिपार्टमेन्ट मोर्मुगांव ।

सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपना-अपना टाइपराइटर सचिव न०रा०का०स० के पास भेज दें ।

वास्को में हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण के बारे में श्री गाडगिल सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी हि० शि० यो० वास्को ने बताया कि मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा शिपयार्ड तथा एम०एम०टी०सी० ने अपने कर्मचारियों के लिये अपने कार्यालय में ही व्यवस्था कर ली है । इस सम्बन्ध में उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव ने श्री गाडगिल से अनुरोध किया कि वे अपने प्रशिक्षण केन्द्र पर अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करें । इस पर श्री गाडगिल ने बताया कि उनके खुद के कर्मचारी ही बहुत अधिक है फिर भी यदि भविष्य में सम्भव हुआ तो वे वास्को में स्थित अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को भी मौका देंगे । उनके इस आश्वासन पर समिति ने प्रसन्नता जाहिर की ।

समिति को सूचित किया गया कि गोवा में हिन्दी प्रशिक्षण के दो केन्द्र हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं—एक पणजी में तथा दूसरा वास्को में ।

लावडी ने कहा कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएं पास करने पर जो सुविधाएं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रही हैं वही सुविधाएं बैंक के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिये ऐसा प्रस्ताव बैंक आफ इन्डिया के श्री मिश्रा ने समिति के समक्ष रखा । इस पर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस विषय पर बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा हो चुकी है और एक तरह से यह नीति विषयक मामला है जो कि इस समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है ।

### मूल हिन्दी पत्राचार

मूल हिन्दी पत्राचार पर अपना विचार प्रकट करते हुए श्री श्रीवास्तव ने कहा कि "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिये "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ 10 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिन्दी में करना है यह लक्ष्य बहुत अधिक नहीं है । छोटे-मोटे पत्रों तथा नेमी प्रकार के पत्रों को हिन्दी में भेजकर इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है ।

### मैसूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 2 सितम्बर 1988 को आयोजित की गई । डा० देवी प्रसन्न पट्टनायक, अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया और नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्यों से कहा । उसके बाद पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हुई । कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पढ़ी गई । सदस्यों को बताया गया कि राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/1/85—रा०भा०डी० ता० 30-5-1988 के अनुसार मैट्रिक में हिन्दी तृतीय भाषा के रूप में उत्तीर्ण कर्मचारियों को भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है । इस कारण हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चलने वाली प्राज्ञ कक्षाओं में अधिक कर्मचारियों का नामांकन किया जाए ।

समिति को बताया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन की ओर से ता० 30 व 31, मई 1988 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया और विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों व राष्ट्रीयकृत बैंकों से करीब 30 कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया । मैसूर नगर के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाए जा रहे हैं, जिसमें हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी प्राध्यापक सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे हैं ।

मुख्य अतिथि श्री रामचन्द्र मिश्र, उप निदेशक, (कार्यान्वयन), दक्षिणी क्षेत्र ने राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में सदस्यों की श्रद्धा पर प्रसन्नता प्रकट की । श्री मिश्र ने कहा कि हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं का पूर्ण प्रयोजन लेना चाहिए और उनको कोई दूसरा काम न दिया जाए जिससे राजभाषा संबंधी कार्यों में धीमी प्रगति हो जाए । उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के प्रयोजन के लिए अधिक हिन्दी कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए । राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान अपने अपने स्तर पर या आपसी चर्चा के द्वारा कर लेना चाहिए ।

बैठक के अंत में डा० जी०आर०वी० गुप्ता ने सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया ।

### देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देवास की पहली बैठक बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में 8-12-1988 को हुई । समिति के अध्यक्ष श्री मु०वै० चार महाप्रबन्धक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास ने बैठक की अध्यक्षता की ।

बैठक को प्रारंभ करते समय समिति के अध्यक्ष और मेजबान कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री मु०वै० चार के कहा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग केवल आदेश अथवा परिपत्रों से नहीं बढ़ सकता, इसके लिए परस्पर सहयोग, सामंजस्य और प्रोत्साहन जरूरी है ।

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की ओर से राजभाषा नीति का सार बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया । अध्यक्ष महोदय ने बैंक नोट मुद्रणालय के हिन्दी अधिकारी डॉ० आलोक कुमार रस्तोगी को सदस्य सचिव के रूप में मनोनीत किया ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री एम०सी० पुरोहित ने समिति के गठन तथा उद्देश्यों की जानकारी दी ।

अंत में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री एम०एन० श्रीरंगनाथन ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया ।

### इन्दौर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की प्रथम बैठक दिनांक 15 अक्तूबर 1989 को श्री आर० एस० विडीकर, आंचलिक प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया, मध्य प्रदेश अचंल ने की । राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री महेश पुरोहित उपस्थित हुए ।

सदस्य सचिव श्री तारादत्त जोशी ने प्रसन्नता के साथ उल्लेख किया कि इन्दौर स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमें सभी बैंकों से अपेक्षित विवरणी यथासमय प्राप्त हो गयी थी । फलस्वरूप हम इस बैठक में सार्थक विचार-विमर्श कर सकते हैं । प्राप्त विवरणियों के आधार पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए :—

| | कुल | अधिकारी | कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| (1) स्टाफ : | | | |
| (क) कार्यरत | 3633 | 1056 | 2577 |
| (ख) हिन्दी ज्ञान प्राप्त | 3585 | 1038 | 2547 |
| (ग) अप्रशिक्षित | 48 | 18 | 30 |

| | टंकक | आशुलिपिक |
|---|---|---|
| (2) हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण : | | |
| (क) कार्यरत | 290 | 26 |
| (ख) प्रशिक्षित | 84 | 06 |
| (ग) अप्रशिक्षित | 206 | 20 |
| (3) सामान्य आदेश : | | |
| (क) कुल | 6396 | |
| (ख) द्विभाषिक | 2960 | |
| (ग) अंग्रेजी | 3436 | |
| (4) टंकण यंत्र : | | |
| (क) हिन्दी | — 73 | |
| (ख) अंग्रेजी | — 252 | |
| (5) हिन्दी में प्राप्त पत्र/उनके उत्तर : | | |
| (क) कुल प्राप्त | — 86547 | |
| (ख) हिन्दी में उत्तर | — 67505 | |
| (ग) अंग्रेजी में उत्तर | — 1481 | |
| (6) मूल पत्राचार | | |
| (क) कुल | — 242387 | |
| (ख) हिन्दी | — 179885 | |
| प्रतिशत | — 74 प्रतिशत | |
| (7) तार : | | |
| (क) कुल | — 21354 | |
| (ख) हिन्दी | — 7456 | |
| प्रतिशत | — 35 प्रतिशत | |
| (10) आंतरिक कामकाज का प्रतिशत | — 47 प्रतिशत | |

मुख्य अतिथि श्री पुरोहित ने सभी उपस्थित बैंक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए अनुरोध किया कि समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। सभी अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने हेतु व्यवस्था करें। कार्यालय के एक/दो विभागों का समस्त कार्य हिन्दी में करने के लिए चयन करें। प्रशिक्षण केन्द्र के हैंडआउट्स को द्विभाषा में तैयार करवाएं। हिन्दी पुस्तकालय स्थापित करें और पुस्तकों हेतु स्वीकृत कुल राशि का 50 प्रतिशत राशि हिन्दी पुस्तकों पर खर्च करें। मध्य प्रदेश में सभी पत्राचार हिन्दी में करें। फाइलों पर विषय द्विभाषी/हिन्दी में लिखें। अवकाश अभिलेख, पत्रों के पते, हिन्दी में लिखें/लिखवायें। मार्च, 1989 तक सभी अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करें।

अध्यक्ष श्री रमेश शंकर विडीकर ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब एकजुट होकर अपने निरंतर प्रयासों से इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। सरकार की नीति के अनुसार हमें इसके बेहतर प्रयोग की संभावनाओं पर विचार करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में पूरा सहयोग मिलता रहेगा।

## इन्दौर

नरा०का०स० की नवीं बैठक आकाशवाणी केन्द्र, मालवा हाऊस, इन्दौर में दिनांक 22 सितम्बर 1988 को हुई। नए अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क मध्यप्रदेश ने बैठक की अध्यक्षता की तथा राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई से श्री जयप्रकाश, सहायक निदेशक शामिल हुए।

समिति के सचिव श्री राजकुमार केसरवानी ने बतलाया कि नगर समिति की बैठक में विचार विमर्श के लिए इन्दौर के सभी केन्द्रीय कार्यालय/निगम/उपक्रम/बैंक आदि से 30 जून, 1988 को समाप्त तिमाही अवधि को हिन्दी प्रगति की रिपोर्ट नगर के 25 कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्थिति इस प्रकार है।

**1. हिन्दी टाईपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण**

| | टाइपिस्ट/ नि०श्रे०लि० | आशुलिपिक |
|---|---|---|
| 1. कुल कार्यरत | 438 | 82 |
| 2. हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षित | 163 | 25 |
| 3. अप्रशिक्षित | 275 | 57 |

**2. पत्राचार**

| | |
|---|---|
| 1. कुल | 2,57,521 |
| 2. हिन्दी में | 1,96,253 |
| 3. हिन्दी प्रतिशत | 76% |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **3. तार** | |
| 1. कुल | 10,680 |
| 2. हिन्दी में | 5,577 |
| 3. हिन्दी तारों का प्रतिशत | 52% |

इन्दौर के केन्द्रीय कार्यालयों ने अपने "क" क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 25% से दुगुनी प्रगति की है।

समिति अध्यक्ष/समाहर्ता श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि इन्दौर नगर में हिन्दी का अच्छा वातावरण है, कुछ कार्यालय तो 80 और 90% तक अपना कामकाज हिन्दी में कर रहे हैं। उनके प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी दफ्तरों में हिन्दी का कार्य केवल आदेश या परिपत्र जारी करने से नहीं वरन् परस्पर सहयोग और प्रोत्साहन देने से ही बढ़ेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी के सद्प्रयासों से हिन्दी को वह गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा, जिसकी वह हकदार है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश सहायक निदेशक ने सरकार की राजभाषा नीति तथा हिन्दी सम्बन्धी अद्यतन आदेशों की जानकारी देते हुए नगर के केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी सदस्य कार्यालयों से अपने-अपने कार्यालयों में सभी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने तथा सरकार की राजभाषा नीति की सभी अपेक्षाओं का पालन करने पर जोर दिया।

## वाराणसी

समिति की छः माही बैठक भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के सभा कक्ष में समिति के अध्यक्ष श्री रामजी सिन्हा, आयकर उप आयुक्त, वाराणसी रेन्ज, वाराणसी की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के उप महा प्रबन्धक श्री जी०डी० नागपाल तथा राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री नाहर सिंह वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे।

श्री नागपाल ने बताया कि स्टेट बैंक की वाराणसी क्षेत्र की 158 शाखाओं में से 42 शाखाओं में सारा कार्य हिन्दी में ही होता है तथा प्रशासनिक कार्यालय के चार अनुभाग सारा कार्य हिन्दी में करने के लिए चयनित हैं। क्षेत्र की 10 शाखाएं प्रतिवर्ष हिन्दी में कार्य करने के लिए चयनित की जाती हैं और केन्द्रीय कार्यालय से नियुक्त तथा उनके कार्यालय के आन्तरिक लेखा परीक्षक, प्रभारी अधिकारी और प्रबन्धक शाखाओं में हिन्दी में हो रहे कार्य का निरीक्षण करते हैं। उनके अनुसार "ग" क्षेत्र को छोड़कर उनके क्षेत्र में 72% पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। 90% तार हिन्दी में भेजे जाते हैं।

विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा तथा कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों/प्रतिनिधियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

मंडल प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम ने बताया कि पूरे मंडल में अधीनस्थ विभागों/शाखाओं में कुल 124 अंग्रेजी तथा 76 देवनागरी टाइपराइटर हैं। उन्होंने बताया कि 13 स्टेनोग्राफर तथा 71 टाइपिस्ट सभी हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी तथा टाइपिंग जानते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार 99% मूल पत्र हिन्दी में तथा 98% धारा 3(3) के कागजात द्विभाषी ही जारी होते हैं।

**श्री राजाराम सिंह, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, डीजल रेल कारखाना** ने बताया कि कारखाना में कुल टाइपिस्ट 96 हैं, उन में से हिन्दी टाइपिंग 85 जानते हैं। कुल स्टेनोग्राफर 56 में से हिन्दी आशुलिपि जानने वाले 49 आशुलिपिक हैं। कुल टाइपराइटर 156 में से देवनागरी टाइपराइटर 66 हैं।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। लगभग 90% मूल पत्रों को हिन्दी में ही जारी किया जाता है।

**डा० गोपी चन्द शुकल, प्रभारी राजभाषा, भारतीय स्टेट बैंक** ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके कार्यालय में अंग्रेजी टंकक 55, हिन्दी टंकक 10, अंग्रेजी आशुलिपिक 3, हिन्दी आशुलिपिक कोई नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि 55 रोमन तथा 12 देवनागरी टाइपराइटर हैं। डा० शुक्ला ने आगे बताया कि कार्यालय से 6069 कागजात द्विभाषी तथा 49622 मूल पत्रों में 37970 हिन्दी तथा 11652 अंग्रेजी में भेजे गए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

## भोपाल (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल की 8वीं बैठक दिनांक 16 नवम्बर 1988 को सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के सभाकक्ष में आयोजित की गई: इसकी अध्यक्षता संयोजक बैंक के आंचलिक प्रबन्धक श्री एन० बालकृष्णन ने की। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भोपाल के प्रभारी अधिकारी श्री महेश चन्द्र पुरोहित ने समिति के कार्यकलापों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि वर्ष के अन्त तक टाइपिस्टों एवं टाइपराइटरों की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत हो जानी चाहिए।

### अन्तर-बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन

अन्तर-बैंक प्रतियोगिताओं के आयोजन से भोपाल में सभी बैंकों में हिन्दी प्रयोग का एक अच्छा वातावरण बना है तथा हिन्दी प्रयोग में भी वृद्धि हुई है। इस अनुभव के आधार पर आगामी वर्ष के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व अलग-अलग बैंकों को निम्नलिखित प्रकार से सौंपा गया :—

| | |
|---|---|
| 1. बैंकिंग शब्द ज्ञान | न्यू बैंक आफ इण्डिया |
| 2. पत्राचार | सिन्डीकेट बैंक |
| 3. बैंकिंग प्रश्नावली वस्तु निष्ठ | देना बैंक |
| 4. बैंकिंग प्रश्नावली सैद्धांतिक | सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया |
| 5. अनुवाद गद्यांश | इलाहाबाद बैंक |
| 6. अनुवाद वाक्यांश | ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स |
| 7. लेजर पोस्टिंग | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया |
| 8. शुद्ध लेखन | यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया |
| 9. व्याकरण सम्बन्धी जानकारी | कनारा बैंक |
| 10. लघु कथा | भारतीय स्टेट बैंक |
| 11. निबन्ध प्रतियोगिता स्थान पर आकर | बैंक ऑफ इण्डिया |
| 12. निबन्ध लिखकर भेजना | पंजाब नेशनल बैंक |
| 13. सुलेख | स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर |
| 14. हिन्दी के सुबोध वाक्य | यूको बैंक |
| 15. सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी | बैंक ऑफ इण्डिया |

उपसमिति की बैठक में इनके आयोजन की तारीखें निश्चित की जाएंगी।

**गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों या एवं हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था** इस सम्बन्ध में सभी बैठकों की आवश्यकता के आधार पर एक सूची बनाई जाए तथा तदनुसार व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

## अलीगढ़

अलीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौदहवीं बैठक की अध्यक्षता श्री जी०के० जलोटा आयकर उपायुक्त ने की। बैठक में अलीगढ़ स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग की ओर से श्री शमशेर अहमद खान, अनुसंधान अधिकारी ने बैठक में भाग लिया। समिति के सचिव श्री युवराज बजाज ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया।

श्री बजाज ने रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर हिन्दी में पत्र-व्यवहार का प्रतिशत पिछली बार से बढ़ा है। लेकिन "क" क्षेत्र में स्थिति खराब हुई है। इसके बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। डाक वस्तु भंडार (प्रपत्र एवं मुद्रा) से "क" क्षेत्र को 291 पत्र हिन्दी में तथा 3302 पत्र अंग्रेजी में लिखे गए हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। डाक वस्तु भंडार के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें सारे देश से पत्र-व्यवहार

करना पड़ता है जिसकी वजह से पत्र अंग्रेजी में लिखने पड़ते हैं। इस पर श्री खान ने कहा कि भविष्य में "क" क्षेत्र में हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का प्रयास करें।

बैंक आफ बडौदा के दो तथा भारत सरकार मुद्रणालय अलीगढ़ में भी दो आदेश अंग्रेजी में थे। उनसे भविष्य में ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया।

श्री दर्शनानन्द रस्तोगी अधीक्षक अभियन्ता आकाशवाणी, अलीगढ़ ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र की भांति यदि एक प्रश्न पत्र हिन्दी का भी अनिवार्य कर दिया जाए तो नौकरी पाने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को हिन्दी सीखना अनिवार्य हो जाएगा।

श्री खान ने बताया कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों के लिए 1-4-88 से हिन्दी पत्राचार शतप्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कोई कर्मचारी हिन्दी में काम करने से मना करता है तो उसके संबंध में राजभाषा विभाग को लिखें। हिन्दी सीखने पर औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के संबंध में उन्होंने कहा कि एच०ए०एल० भी औद्योगिक संस्थान है वहां के कर्मचारियों को उन्होंने प्रोत्साहन पुरस्कार दिए हैं उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस आधार पर प्रोत्साहन पुरस्कार दिए हैं। श्री खान ने पूरा विवरण भिजवाने का आश्वासन दिया।

### करनाल

दिनांक 22-9-88 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन कक्ष में श्री एन०एल० कालड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

बैठक की कार्यवाही के प्रारम्भ में अध्यक्ष प्रो० कालड़ा ने सूचित किया कि समिति के सचिव श्री वर्मा का स्थानान्तरण हो गया है। श्री सी०एल० वोहरा (जीवन बीमा निगम) को सचिव बनाया गया।

कार्य सूची पर मद वार विचार करते हुए अध्यक्ष ने भिन्न-भिन्न कार्यालयों से आए हुए प्रतिनिधियों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में पूछा, इस विषय में जानकारी देते हुए प्रभारी प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय करनाल ने कहा कि इस अवधि में समिति की ओर से कोई भी सदस्य विभागों में हिन्दी की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए नहीं गया। अध्यक्ष ने कहा कि हम सब के लिए राजभाषा नियमों, अधिनियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि स्वयं अधिकारीगण हिन्दी की प्रगति के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं।

निर्णय लिया गया कि हिन्दी के कार्य में प्रगति लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जोकि विभागों में जाकर हिन्दी में हो रहे कार्यों का निरीक्षण करें और अध्यक्ष की ओर से विभागों को उस समिति द्वारा हिन्दी के काम का निरीक्षण करने हेतु पत्र लिखना चाहिए। इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई।

1. श्रीमति आशा बजाज, प्रभारी प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय।
2. श्री ए०सी० अग्रवाल, सहायक मण्डलीय प्रबन्धक, ओरियन्टल इन्शयोरेन्स कं० लि०
3. श्री आर०पी० शर्मा, हिन्दी अनुवादक, भविष्य-निधि।

यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को हिन्दी टंकण अथवा हिन्दी आशुलिपि को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उन कर्मचारियों को जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें या तो प्राइवेट रूप से हिन्दी सीखने के लिए या उन्हें अपने कार्यालय में अपने ही सहयोगियों से हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया जाए।

### कोटा

समिति की 14वीं बैठक 30 नवम्बर, 88 को मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय में हुई। अध्यक्षता करते हुए श्री अवतारसिंह लेहल, मण्डल रेल प्रबंधक ने पूर्व बैठकों की अपेक्षा इस बैठक में अधिक सदस्यों के उपस्थित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सभी सदस्यों से हिन्दी भाषा को सौहार्दपूर्ण रूप से सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। प्रारंभ में अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय के उप निदेशक श्री नाहर सिंह वर्मा का स्वागत किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष श्री अवतारसिंह ने उनकी ओर से एक नगर राजभाषा शील्ड भी प्रारम्भ की जिसका सभी सदस्यों ने हर्षध्वनि से स्वागत किया। यह प्रथम बार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, कोटा को संयुक्त रूप से तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त नगर के अन्य कार्यालयों के उल्लेखनीय कार्य करने वाले 60 कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के उप निदेशक श्री नाहरसिंह वर्मा ने इस अवसर पर वार्षिक कार्यक्रम तथा विभिन्न हिन्दी प्रोत्साहन योजनाओं एवं भारत सरकार की नीति पर खुली चर्चा की। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों के सुझावों, कठिनाइयों आदि का निराकरण किया तथा गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यालयाध्यक्षों से आग्रह किया।

समिति सचिव श्री तारा चन्द ने राजभाषा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों की ब्यौरेवार समीक्षा करते हुए कहा कि धारा 3(3) का अनुपालन कुछ कार्यालयों को छोड़ कर लगभग सभी कार्यालयों में हो रहा है। मूल पत्र-व्यवहार की स्थिति भी पूर्वापेक्षा ठीक है। अधिकांश कार्यालय लक्ष्य से अधिक पत्राचार हिन्दी में कर रहे हैं और कुछ लक्ष्य के बिल्कुल समीप हैं। **सेवातार हिन्दी में भेजने में बैंकों द्वारा उनके कोड अंग्रेजी में होने के कारण कठिनाई बतलाई गई तथा बीमा कम्पनियों ने उनके टैरिफ अंग्रेजी में होन के कारण पत्राचार के प्रभावित होने की शिकायत की।** बैंक प्रबन्धकों से आग्रह किया गया कि वे अपने सामान्य तार तो हिन्दी में दिया करें तथा प्रधान कार्यालयों से कोड हिन्दी में बनवाने का आग्रह करें। कुछ कार्यालयों में रह गई कमियों को शीघ्र दूर करने के लिए उनके कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध किया और कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। विभिन्न अधिकारियों ने भी राजभाषा के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों के प्रति सुझाव दिए तथा प्रशासनिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया जिसका समाधान किया गया।

## जयपुर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बैंक आफ बड़ौदा के संयोजकत्व में 4 अक्तूबर, 1988 के दिन आयोजित की गई। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्यान्वयन) श्री वीर अभिमन्यु कोहली इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। राजस्थान अंचल के उप महाप्रबन्धक श्री एन०एस० खन्ना ने बैठक की अध्यक्षता की। राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री नाहरसिंह वर्मा, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के उप मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम, राजस्थान सरकार के भाषा निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री के अलावा सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि तथा हिन्दी अधिकारियों समेत 80 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे।

राजभाषा विभाग के उपसचिव श्री कोहली ने अपने भाषण में कहा कि बैंकों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति संतोषजनक है। श्री कोहली ने हिन्दी के प्रयोग के बारे में जारी अद्यतन आदेशों की जानकारी सदस्यों को दी तथा यह अपेक्षा की कि सभी बैंक वर्ष 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू करें। उन्होंने बैंक नगर समिति की सक्रियता एवं इसकी कार्यवाही को प्रयोजनमूलक बनाने के लिए बैंक औफ बड़ौदा की प्रशंसा की। राजभाषा संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए भी उन्होंने बैंक की सराहना की।

उप-महाप्रबन्धक श्री एन०एस० खन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जयपुर शहर में स्थित बैंकों में हिन्दी के अनुकूल वातावरण तयार करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं तथा सभी सदस्यों की सहायता से तथा राजभाषा विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा दिए गए इस कार्य को अच्छी तरह से निभाएंगे।

समिति के सदस्य-सचिव, वरिष्ठ प्रबन्धक (प्र०लेखा० एवं राजभाषा) श्री डी०एम० जैन ने पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही तथा विभिन्न बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत की।

**हिन्दी मूल पत्राचार**

हिन्दी मूल पत्राचार में पंजाब नेशनल बैंक 92.04 प्रतिशत पूरा करके सभी बैंकों से आगे है।

हिन्दी में 80 से 90 प्रतिशत मूल पत्राचार करने वाले बैंक हैं:—

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, भारतीय स्टेट बैंक एवं ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स।

70 प्रतिशत से अधिक मूल पत्राचार हिन्दी में करने वाले बैंक हैं:—

बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया तथा न्यू बैंक ऑफ इण्डिया

शेष बैंकों से अनुरोध है कि वे 1988-89 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने यहां हिन्दी मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए सघन प्रयास करें।

**(2) हिन्दी पत्रों का उत्तर**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा विजया बैंक ने 5-5 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया है जो कि नियम विरुद्ध है। कृपया भविष्य में इस ओर ध्यान दें तथा सभी हिन्दी पत्रों का जवाब हिन्दी में देना सुनिश्चित करें।

**(3) धारा 3(3) का अनुपालन**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने 4 परिपत्र केवल अंग्रेजी में जारी किये हैं। शेष बैंकों में इसका अनपालन किया जा रहा है।

**(4) हिन्दी में तार**

यूको बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, विजया बैंक, सिण्डिकेट बैंक को छोड़कर शेष सभी बैंकों में हिन्दी में भेजे गए तारों का प्रतिशत संतोषजनक रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 97 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी 95 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजे हैं।

**मथुरा**

"किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ा तत्त्व है मनोबल। हिन्दी को भी आगे बढ़ाने के लिए मनोबल की ही आवश्यकता है।" यह उद्‌गार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मथुरा की छटवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मथुरा रिफाइनरी के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रबंधक, श्री एस०के० चक्रवर्ती ने व्यक्त किए। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि बंगला भाषी होते हुए मुझे हिन्दी में काम करने में शुरू में कुछ कठिनाइयां आईं थीं किन्तु अब कोई नहीं होती।

इससे पूर्व इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित मेजबान युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक, श्री संजीव शर्मा ने कहा कि हिन्दी के विकास में हिन्दी भाषी ही रोड़ा डाल रहे हैं। राजभाषा के प्रचार प्रसार में अहिन्दी भाषियों का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिन्दी लिखते समय सरल सुबोध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर विभागों की राजभाषा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदस्यों के साथ प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप–निदेशक उत्तर क्षेत्र कार्यालय श्री नाहर सिंह वर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी को रोजी रोटी से जोड़ना जरूरी है।

## (ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

**बीकन परियोजना (मुख्यालय), श्रीनगर (कश्मीर)**

मुख्यालय बीकन परियोजना की राजभाषा समिति की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 1989 को श्री के०वी०आर० कृष्णामूर्ति, अधीक्षण अभियन्ता (प्रवरण कोटि), कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

श्री कृष्णामूर्ति ने सदस्यों को बताया कि मुख्यालय में फिलहाल सभी प्रशासनिक फार्म, आवेदन, संचलन आदेश, संचलन स्वीकृति, अवकाश प्रार्थना-पत्र, निपटान-पत्र पूर्णतः राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे हैं।

श्री ग्वालदास केसवानी सहायक निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना ने सुझाव दिया कि जहां तक हो "क" व "ख" क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्र राजभाषा में भेजे जाएं इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों को भेजे जाने वाले पत्रों पर जहां तक हो सके हस्ताक्षर हिन्दी में ही किए जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि राजभाषा में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए नियमित अवधि पर कार्यशालाओं का आयोजन अवश्य किया जाए जिसमें अधिकारी एवं कार्मिक भाग लेकर छोटे–छोटे टिप्पण आलेखन स्वयं लिख सकेंगे। अध्यक्ष ने आदेश दिया कि कार्यशालाएं विधिवत आयोजित की जाएं।

राजभाषा पत्राचार को बढावा देने के सम्बन्ध में सभी सदस्यों का विचार था कि सभी को एकजुट होकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए। पत्राचार को बढ़ाने के संबंध में श्री के० सी० भाटिया का सुझाव था कि हमारे सम्मेलनों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यवाहियों में भी राजभाषा का पूर्णतः प्रयोग करके हम सभी लोगों के दिलों में राजभाषा की प्रगति के लिये कार्य करने का उत्साह पैदा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस तथ्य को स्वीकारते हुये इस पर अमल करने हेतु कहा।

हिन्दी प्रशिक्षण के विषय पर चर्चा करते हुए सभी सदस्यों का सुझाव था कि इस प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्यालय प्रांगण में होने से काफी मात्रा में लोगों को लाभ मिल सकेगा—इस प्रश्न के उत्तर में हिन्दी शिक्षण योजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी नामित होने से ही यह व्यवस्था यहां सम्भव हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये। वर्तमान में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी आदेश दिए।

**इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली**

13 अक्तूबर, 1988 की ईआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा कंपनी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ललित के० चण्डोक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42वीं बैठक संपन्न हुई।

कार्यसूची के अनुसार सर्वप्रथम पिछले कार्यवृत्त को पुष्टि के लिए सबके सामने पढ़ा गया। पुष्टि के पूर्व राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री मैत्रेय ने कुछ सुझाव रखे जो इस प्रकार हैं: राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों पर बैठक में अधिक चर्चा की जानी चाहिए। (2) सुचारू रूप से कार्य करने के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों को शीघ्र भरा जाए। जब तक यह पद नहीं भरे जाते और यदि आवश्यक हो तो हिन्दी जानने वाले कर्मचारी हिन्दी कक्ष में लगाए जाएं।

3. तिमाही रिपोर्ट पर जो भी समीक्षा की जाए उसे कार्यवृत्त में दिया जाए तथा रिपोर्ट आगे से नए प्रोफार्मा पर भेजी जाए।

नियम 8(4) और 10(4) में अधिसूचित विभागों तथा कार्यालयों के नामों में और नाम जोड़े जाएं। इस विषय पर यह बताया गया कि कंपनी के कार्यों को देखते हुए अभी यह संभव नहीं होगा, फिर भी हिन्दी कार्य को बढ़ाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के नए आदेशों के अनुसार हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अर्थात् जिन्होंने हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से पास की या जिनका बी०ए० में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा है, ऐसे सभी कर्मचारियों को "क" क्षेत्र के कार्यालयों के साथ केवल हिन्दी में पत्राचार करना चाहिए। हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की सूची बनाकर हर विभागाध्यक्ष को बताया जाए कि आपके यहां प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी आगे से अपना काम हिन्दी में करें।

कम्पनी के जिन विभागों में हिन्दी में जो-जो कार्य किए गए हैं उनके नमूनों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वाले दिन मेज पर प्रदर्शित करने पर विचार किया जाए ताकि बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को किए जा रहे कार्य की जानकारी मिल सके और उसका प्रचार हो सके। यह भी सुझाव दिया कि किए गए कार्यों की एक प्रति रखकर मास्टर फाइल भी बनाई जाए।

सूचना दी गई कि टलीप्रिंटर हिन्दी में आ गया है। कंप्यूटर साफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं लेकिन हर कार्यालय अपने-अपने यहां साफ्टवयर तैयार करें। इसके लिए राजभाषा विभाग में श्री कौशिक मुखर्जी से संपर्क किया जा सकता है।

हिन्दी में मूल रूप से पत्र लेखन होना चाहिए और मूल पत्रों का रिकार्ड रखा जाए। हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में सहयोग मिलेगा।

इसके बाद निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा हुई :

(1) कंपनी की ओर से बताया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की विभागों के साथ की गई बैठकें बड़ी सफल रही ह और दूसरा दौर शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है और अधिसूचित विभागों में क्या प्रगति हुई है उसे अगली बैठक में रखा जाएगा।

(2) न्यूनतम पदों के सृजन के बारे में कंपनी पूरा प्रयास कर रही है परन्तु निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले कर्मचारी मिल नहीं पा रहे हैं अतः विचार किया जा रहा है कि कुछ छूट देकर कर्मचारी भर्ती किए जाएं।

(3) बताया गया कि साइट/ब्रांच/क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी के प्रति बड़ा उत्साह है और बम्बई, कलकत्ता, बड़ौदा, नागोथाने आदि कई स्थानों पर हिन्दी सप्ताह जोरशोर से मनाया गया।

(4) बताया गया कि हमारे यहां अनेक ड्राइंगें, रिपोर्टें द्विभाषी बन रही हैं और काफी कार्य हिन्दी में होने लगा है जिसको राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि आकर कभी भी देख सकते हैं।

(5) बताया गया कि आंतरिक निरीक्षण समिति बना रहे हैं जो हिन्दी कार्य की प्रगति देखेगी।

(6) कम्पनी ने आगे से केवल हिन्दी टाइपराइटर खरीदने का निर्णय लिया हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हिन्दी टाइपराइटर सभी को आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहें।

## अल्प संख्यक आयोग, नई दिल्ली

दिनांक 21-9-88 को कार्यान्वयन समिति की ठी बैठक श्री अशोक पाहवा, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष ने उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का प्रारम्भ किया। पिछली बैठक में टिप्पणियां, जिनका निर्णय बैठक में हुआ, वे इस प्रकार हैं।

(1) अल्पसंख्यक आयोग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित करके सराहनीय कार्य किया गया है।

(2) पत्राचार: अध्यक्ष ने आयोग के कार्यालय द्वारा हिन्दी में आयोग द्वारा राज्यों/केन्द्रों पत्राचार पर खेद एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को संतोष प्रकट करते हुए कहा कि हिन्दी में पत्र व्यवहार हो रहा है। राजभाषा विभाग से आए श्री मनोहर लाल मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी ने अध्यक्ष से अनुरोध करते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार वांछित कागज-पत्र द्विभाषी ही जारी होने चाहिएं।

(3) आयोग की ओर से जारी होने आदेशों, सामान्य आदेशों, ज्ञापनों, कार्यालय आदेशों एवं अधिसूचनाओं को अभी पूर्णरूपेण द्विभाषी जारी नहीं हो सके हैं। हिन्दी स्टाफ की कमी के कारण केवल कार्यालय आदेशों का लगभग 60 प्रतिशत ही द्विभाषीय जारी किए गए हैं।

(4) हिन्दी कार्यशाला: बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने जोर देकर अध्यक्ष से निवेदन किया कि हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हिन्दी कार्यशाला होनी चाहिए।

(5) आयोग में ग्रुप "घ" कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां का कार्य हिन्दी में शुरू हो चुका है। शुरुआत करने के लिए वेतन बिल हिन्दी में ही लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए और कार्यालय आदेश को संकलित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(6) अंग्रेजी के आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलाया जाए।

(7) अधिक से अधिक नोटिंग/ड्राफ्टिंग हिन्दी में किया जाए।

# राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

## राजभाषा-सम्मेलन, जयपुर

जयपुर के सूचना केन्द्र में भाषा विभाग द्वारा राजस्थान विधिक सहायता एवं शिक्षा संस्थान तथा अन्य हिन्दी सेवी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में "हिन्दी दिवस" समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजभाषा के बहुआयामी विकास एवं प्रगति को परिलक्षित करने वाली एक राजभाषा प्रदर्शनी भी आयोज़ित की गई। इसके साथ ही "स्वभाषाएं :— आत्मगौरव की आधारशिला" विषय पर एक उच्चस्तरीय संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्र के चिन्तकों ने भाग लिया।

**सभी न्यायाधीश हिन्दी में की गई बहस को अधिक महत्व देने लगे हैं।**

**—न्यायमूर्ति सुरेन्द्र नाथ भार्गव**

इस समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व कुलपति डॉ० रामचरण मेहरोत्रा एवं विशिष्ट अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव थे। अध्यक्षता डॉ० ओंकार नाथ त्रिपाठी आयकर आयुक्त राजस्थान ने की। न्यायमूर्ति सुरेन्द्रनाथ भार्गव ने दीप प्रज्जवलित करके हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। "स्वभाषाएं",—आत्मगौरव की आधारशिला" संगोष्ठी के विषय का प्रवर्तन करते हुए भाषा निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री ने बताया कि भारत सरकार तथा हिन्दी भाषी राज्यों के विभागों, निगमों तथा बैंकों में हिन्दी की बहुत प्रगति हुई है फिर भी अभी अंग्रेजी का पूर्ण बहिष्कार किया जाना संभव नहीं हो पाया है। अनेक कार्यों में दोनों भाषाओं का विकल्प दिया होता है, यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि जहां हिन्दी व अंग्रेजी के काम करने का विकल्प है वहां हम हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे।

वरिष्ठ पत्रकार श्री युगल किशोर चतुर्वेदी ने संगोष्ठी को बताया कि शासक वर्ग द्वारा हिन्दी को बढ़ावा दिये जाने के जितने प्रयास अपेक्षित हैं उतने नहीं हो पाए हैं।

पूर्व सेशन जज गिरधर आचार्य ने कहा कि जिस तरह हमारे पूज्य ग्रंथ चार वेदों का भारत के सभी क्षेत्रों में आदर किया जाता है उसी प्रकार हिन्दी को भी भारत के सभी क्षेत्रों द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए।

विषय पर विचार प्रकट करते हुए न्यायमूर्ति श्री पानाचन्द जैन ने कहा कि एक ओर तो हम हिन्दी को बढ़ावा देने का राग अलापते हैं, दूसरी और जगह-जगह अंग्रेजी स्कूल खुलते जा रहे हैं। यह हमारी गुलामी की मानसिकता का परिचायक है।

समारोह के प्रमुख अतिथि एवं विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ० रामचरण मेहरोत्रा ने कहा कि देश का गौरव हिन्दी के गौरव के साथ सदियों से जुड़ा है। आज भी हमारी सही पहचान हिन्दी से ही होगी। उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की कि भाषा के संबंध में द्विभाषी स्थिति अनिश्चितकाल तक नहीं रहनी चाहिए।

न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी में लिखने-बोलने में किसी भी प्रकार से हीन भावना महसूस नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि उच्च न्यायालय में अब हिन्दी में ही याचिका आदि दायर करने और फैसले लिखे जाने की परम्परा विकसित हो रही है। हमें वकीलों को भी हिन्दी में ही बहस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी न्यायाधीश हिन्दी में की गई बहस को अधिक महत्व भी देने लगे हैं।

संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉ० ओंकारनाथ त्रिपाठी ने ओजस्वी शब्दों में कहा कि यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी राजनीति एवं निहित स्वार्थों के चक्रव्यूह में फंस गई है। हिन्दी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए।

**संगोष्ठी में यह विचार चेतना हुई कि हिन्दी दिवस पर हिन्दी राज्यों के निवासी दृढ़ होकर यह संकल्प लें कि हम मांगलिक अवसर पर निमंत्रण पत्र हिन्दी में होने पर ही जाएं, उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सामान खरीदें जिनके साइन बोर्ड हिन्दी में बने हों—चैकों आदि को हिन्दी में ही भरें तथा अपने सभी प्रकार के पत्रों में हिन्दी का ही प्रयोग करें।**

इस संगोष्ठी का संचालन एवं धन्यवाद प्रस्ताव श्री नरेशचन्द्र गोयल, अभिभावक एवं सचिव, राजस्थान विधिक सहायता एवं शिक्षा संस्थान- जयपुर ने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय, भारत सरकार के विभागों उपक्रमों, बैंकों के प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ हिन्दी सेवकों ने सक्रिय भाग लिया।

# बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन का सर्वेक्षण : एक अभिनव प्रयास

दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वावधान में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उप सचिव (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने दीप जलाकर इस राजभाषा संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान अंचल के उप महाप्रबन्धक श्री एन०एस० खन्ना ने की। संगोष्ठी में डॉ० कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार भी विशेष आमंत्रित थे। इस संगोष्ठी में जयपुर शहर में कार्यरत सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक श्री एन० एस० खन्ना ने विशिष्ट अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी की विषय वस्तु की जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न कार्यपालकों/अधिकारियों तथा विभिन्न शाखाओं के ग्राहकों से बातचीत करके ये आलेख तैयार किए गए हैं, इसलिए ये वास्तविकता के निकट हैं। इसमें दिए गए सुझावों को अमल में लाने पर बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को निश्चय ही बढ़ावा मिलेगा। संगोष्ठी के उद्घाटन भाषण में श्री वीर अभिमन्यु कोहली ने संगोष्ठी के लिए चुने गए विषयों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विषयों का चयन काफी सूझबूझ के साथ किया गया है। उन्होंने विषयों का चुनाव करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वस्तु स्थिति का सही ज्ञान करके उस पर विचार विमर्श करने से ही बैंकिंग में हिन्दी प्रयोग की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकेगा।

श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस संगोष्ठी में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से जुड़े विभिन्न विभागों/बैंकों को बुलाकर आपसी सामंजस्य और सहयोग भावना को सुदृढ़ किया है। साथ ही यह सुखद स्थिति है कि बैंकों के उच्चाधिकारी/कार्यपालक भी हिन्दी प्रयोग के प्रति गहन रुचि रखते हैं।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री नाहर सिंह वर्मा ने इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को बधाई दी तथा सभी सदस्य बैंकों को अनुरोध किया कि वे आलेखों में व्यक्त किए गए सुझावों को कार्यान्वित करें।

## बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में न बढ़ने के कारण एवं उनके उपाय

### प्रथम आलेख

उपर्युक्त विषय पर सर्वेक्षण करने हेतु गठित बैंक अधिकारियों की उपसमिति ने दिनांक 22 एवं 23 सितम्बर, 1988 को जयपुर स्थित ग्यारह बैंकों का दौरा किया तथा प्रत्येक कार्यालय के 2-3 वरिष्ठ अधिकारियों से इस संदर्भ में सम्पर्क किया। इस आशय के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गयी थी, जिसे दो भागों में बांटा गया था, इसके प्रथम भाग में राजभाषा हिन्दी के अनुपालन सम्बन्धी 15 संक्षिप्त प्रश्नों का उत्तर केवल हां/नहीं में पूछा गया था तथा दूसरे भाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों, तत्संबंधी सुझावों एवं हिन्दी संबंधी उल्लेखनीय कार्यों आदि की जानकारी ली गई थी।

तदनुसार, इस प्रश्नावली के प्रथम भाग में पूछे गए 15 प्रश्नों के उत्तरों पर आधारित निष्कर्ष क्रमशः निम्नानुसार है:—

(1) सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्यतया राजभाषा संबंधी प्रमुख नियमों की जानकारी है।

(2) लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे राजभाषा अनुपालन को भी बैंक के अन्य कार्यों के समान महत्व देते हैं।

(3) लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने यह इंगित किया है कि वे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं।

(4) बैंक कार्यालयों में हिन्दी में काम करने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा सामान्यतया प्रोत्साहन दिया जाता है।

(5) कुछ कार्यालयों को अधिसूचित कराया जाना अभी शेष है।

(6) सभी कार्यालयों में अधिकतर स्टाफ सदस्यों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

(7) कुछ कार्यालयों को छोड़कर लगभग सभी कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हिन्दी टंकक एवं हिन्दी टंकण यंत्र उपलब्ध हैं। (केवल वर्तमान हिन्दी कार्य-निष्पादन के आधार पर)।

(8) हिन्दी में कार्य करने हेतु सभी बैंक कार्यालयों में अनुकूल वातावरण है।

(9) कई कार्यालयों में ऐसे विभाग/अनुभाग निर्धारित नहीं किए गए हैं जिनमें अधिकतर या समस्त कार्य हिन्दी में किया जा सकता है। फिर भी, कुछ कार्यालयों में स्वतः ही यह कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(10) वर्तमान अंग्रेजी टंककों/अंग्रेजी आशुलिपिकों/अहिन्दीभाषी स्टाफ सदस्यों को हिन्दी प्रशिक्षण हेतु नामित करने का कार्य कुछ कार्यालयों में किया गया है व कुछ में शेष है।

(11) अधिकतर कार्यालयों में मूल पत्र हिन्दी में लिखने प्रारम्भ किए गए हैं।

(12) हिन्दी में पत्राचार के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी हिन्दी का प्रयोग कुछ कार्यालयों में समुचित रूप से प्रारम्भ किया गया है। तथापि, यह अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पा रहा है।

(13) अधिकतर कार्यालयों में अनुवाद का कार्य सामान्यतया राजभाषा अधिकारी द्वारा ही किया जाता है।

(14) अधिकतर कार्यालयों में स्टाफ सदस्यों को बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया जाता है तथा नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

(15) बहुत से कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी हिन्दी के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी सहयोग करते हैं किन्तु एक-दो अपवादों को छोड़कर यह कार्य वे अधिकतर स्वेच्छा से तथा समय मिलने पर ही करते हैं।

इन निष्कर्षों पर आधारित अभियुक्तियां संक्षेप में निम्नलिखित हैं --

(क) कार्यालयों को अधिसूचित कराने के विषय में तेजी लाई जाए।

(ख) कार्यालयों के कुछ विभागों/अनुभागों को हिन्दी में समस्त कार्य करने हेतु शीघ्र निर्धारित किया जाए।

(ग) हिन्दी प्रशिक्षण के कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

(घ) अनुवाद का कार्य केवल अत्यन्त आवश्यक दशाओं में राजभाषा अधिकारी को दिया जाए ताकि वे राजभाषा अनुपालन संबंधी अन्य अपेक्षाओं की ओर अधिक ध्यान दे सकें।

(ङ) हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं को अनिवार्यतः हिन्दी संबंधी कार्यों के लिए ही उपयोग में लाया जाए।

संदर्भगत प्रश्नावली के द्वितीय भाग के अन्तर्गत हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों, तत्संबंधी सुझावों व उल्लेखनीय कार्यों का संकलित विवरण मोटे तौर पर इस प्रकार है :--

(1) स्टाफ सदस्यों को तकनीकी हिन्दी शब्दों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

(2) बैंकों के प्रधान कार्यालयों से अंग्रेजी पत्राचार को प्रमुखता दी जाती है।

(3) हिन्दी संबंधी आंकड़ बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान रहता है, जिससे हिन्दी में व्यावहारिक कार्य कम होता है।

(4) पत्रों को भेजने/कार्य के निपटान में जल्दी होने के कारण अधिकतर अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती है।

(5) हिन्दी पत्रों का उत्तर विलंब से मिलना भी बाधक ठहराया गया।

(6) अंग्रजी लिखने की प्रवृत्ति बनी हुई है।

(7) हिन्दी के प्रयोग के प्रति कोई अनिवार्यता न होना एक बड़ी कमजोरी है।

(8) अधिकतर स्टाफ सदस्यों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिससे उनका अंग्रेजी से जुड़ाव स्वाभाविक रूप से बना रहता है।

(9) हिन्दी के प्रति हीन भावना तथा इच्छा की कमी है, जबकि अंग्रेजी प्रतिष्ठा की प्रतीक समझी जा रही है।

(10) विधिक मामलों में हिन्दी का प्रयोग करने में कठिनाई आती है।

(11) अधिकतर बैंकों के निदेशक मंडल का समस्त कार्य-व्यवहार मुख्यतः अंग्रजी में होता है।

(12) अहिन्दी भाषी राज्यों से स्थानान्तरित होकर आए अधिकारियों को हिन्दी सीखने व इसमें कार्य करने में कठिनाई आती है तथा कुछ वर्षों में ही वे अपने गृह-राज्य को लौट जाते हैं। जिससे उनके द्वारा सीखी गई हिन्दी का समुचित व्यावहारिक उपयोग उन क्षत्रों में नहीं हो पाता।

(13) कई उच्चधिकारियों का हिन्दी के प्रयोग के विषय में संकुचित दृष्टिकोण है।

हिन्दी के प्रयोग को पढ़ाने हेतु प्राप्त मुख्य व्यावहारिक सुझाव:

(1) हिन्दी संबंधी नीति को अनिवार्य बनाया जाए व इसके अनुपालन को बल देने हेतु कुछ क्षेत्र निश्चित किए जाएं।

(2) हिन्दी में कार्य करने हेतु अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।

(3) हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के विषय में अंतिम परीक्षा के स्थान पर आवधिक रिपोर्ट संबद्ध कार्यालय को भजी जाए ताकि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर भी संतोषजनक रिपोर्ट होने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं हिन्दी कार्य हेतु प्राप्त की जाएं।

(4) सभी आवश्यक निर्देश हिन्दी में दिए जाएं व नीतियां मूलतः हिन्दी में बनाई जाएं।

(5) आंकड़ों की बजाय मूल हिन्दी पत्राचार की ओर अधिक ध्यान दिया जाए ।

(6) हिन्दी में पूरा काम करने हेतु विभागों/अनुभागों का चयन शीघ्र किया जाए ।

(7) हिन्दी में काम करने की इच्छा बढ़ाई जाए, जिसके लिए विभागीय प्रतियोगिताएं उपयोगी हो सकती हैं ।

(8) हिन्दी-कार्यशालाओं के पश्चात् अनुवर्तन की कार्रवाई की जाए ।

(9) भविष्य में केवल हिन्दी टंकक एवं हिन्दी आशु-लिपिक ही नियुक्त किए जाएं ।

(10) ग्राहकों से समस्त पत्राचार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्यतः हिन्दी में किया जाए ।

(11) आंतरिक परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी भी हो ।

(12) कार्यालय के आंतरिक कार्यों में हिन्दी की मात्रा बढ़ाई जाए ।

(13) हिन्दी में हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया जाए ।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न बैंकों द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य :

(1) कार्यालय में साप्ताहिक "हिन्दी कार्य दिवस" रखना व उस दिन सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करना ।

(2) हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अंतर्विभागीय प्रतियोगिताएं/शील्ड/प्रोत्साहन आदि ।

(3) सभी मानक-पत्रों का द्विभाषीकरण व समस्त बधाई कार्डों में हिन्दी का प्रयोग ।

(4) बैंक शाखा खोलने से पूर्व ही उसे 100 प्रतिशत हिन्दी कार्य हेतु नामित करना ।

(5) बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को 5-6 पृष्ठों तक के अर्द्धशासकीय पत्र हिन्दी में भेजे गए हैं, जबकि प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों ही अहिन्दी-भाषी हैं ।

(6) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को एक बैंक द्वारा पूरे क्षत्र के लिए केवल हिन्दी टंककों व आशुलिपिकों की नियुक्ति की मांग भजी गई है ।

(7) वाऊचर, चैक व प्रविष्टियों में 100 प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग ।

(8) बैंकिंग संबंधी मानक तार-संदेशों की पुस्तिका सभी कर्मचारियों को दी गई है ।

इन कार्यों को अन्य बैंकों द्वारा भी अपनाया जा सकता है ।

हिन्दी के प्रयोग पर प्राप्त विशिष्ट अभ्युक्तियां :

(1) हिन्दी स्वतः ही धीरे-धीरे बढ़ रही है ।

(2) हिन्दी अनुपालन के प्रति दंड की व्यवस्था उपयोगी नहीं होगी ।

(3) हिन्दी-भाषी अधिकारियों का हिन्दी के प्रति रूझान कम है ।

(4) हिन्दी सम्बन्धी दिखाव समाप्त किए जाएं ।

(5) हिन्दी को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय भावना का विकास करना आवश्यक है ।

उप-समिति द्वारा प्रस्तावित संस्तुतियां :

(1) राजभाषा संबंधी प्राप्त सभी निदशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा उनके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए ।

(2) प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक नोटिंग आदि का कार्य हिन्दी में करने पर बल दिया जाए तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में तत्संबंधी सूचना प्राप्त करने का कालम जोड़ा जाए ।

(3) हिन्दी कार्यान्वयन हेतु अंर्तबैंक सहयोग बढ़ाया जाए ।

(4) हिन्दी प्रशिक्षण को समयबद्ध बनाया जाए ।

(5) हिन्दी अनुपालन की जांच के कार्य में तीव्रता लाई जाए तथा इसके प्रेषण हेतु बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में एक उप समिति गठित की जाए, जो बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के हिन्दी कामकाज की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उपयोगी सुझाव दे सके ।

(6) सभी आगामी नियुक्तियों में हिन्दी माध्यम का विकल्प तथा हिन्दी भाषा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र अनिवार्य रूप से रखा जाए । अंग्रजी टंककों व अंग्रेजी आशुलिपिकों की आगामी नियुक्ति पर तब तक के लिये अस्थाई रोक लगाई जाए, जब तक कार्यालयों में हिन्दी टंककों व आशु-लिपिकों का अपेक्षित अनुपात पूरा न हो जाए ।

(7) जयपुर स्थित सभी बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों के प्रमुखों हेतु बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक "एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला" आयोजित की जाए, जिसमें राजभाषा की अनुपालना संबंधी मुख्य अपेक्षाओं की संक्षिप्त जानकारी दी जाए ।

(8) अनुवाद के स्थान पर मूल हिन्दी कार्य को प्रमुखता दी जाए ताकि भाषा की सरलता, सहजता एवं प्रवाह बना रहे, इससे एक ओर तो मूल कार्य हिन्दी में करने की प्रवृत्ति विकसित होगी तथा दूसरी ओर राजभाषा अधिकारी हिन्दी अनुपालन संबंधी अन्य अपेक्षाओं पर पूर्ण ध्यान दे सकेंगे ।

(9) स्टाफ सदस्यों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में उनके "हिन्दी कार्य में सहयोग' का कालम भी जोड़ा जाए ।

(10) किसी भी रूप में हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ सदस्यों की सेवाओं का हिन्दी कार्य के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाए ।

(11) समस्त कार्यालयों में राजभाषा अनुभाग की मूलभूत संरचनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति की जाए, यथोचित संख्या में हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों की नियुक्ति, पर्याप्त देवनागरी टंकण यंत्रों की खरीद, आवश्यक संदर्भ-साहित्य उपलब्ध कराना एवं राजभाषा अधिकारी हेतु सहायक स्टाफ की व्यवस्था करना ।

आलेख प्रस्तुति : प्रथम उप-समिति

संयोजक—प्र० अग्रवाल, स्टाफ अधिकारी (हिन्दी) भा०ओ०वि० बैंक जयपुर ।

सदस्य : 1. रमेश चंद—हिन्दी अधिकारी केनरा बैंक, जयपुर

2. राजेन्द्र अरोड़ा, कार्मिक प्रबंध एवं सम्पर्क अधिकारी (हिन्दी) बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर ।

3. श्री विनोद मेहरा, प्रभारी (राजभाषा) भारतीय स्टट बैंक, जयपुर ।

## बैंकों में ग्राहक सेवा और हिन्दी

### (जयपुर स्थित शाखाओं के संदर्भ में)

ग्राहक के बारे में गांधी जी ने कहा था—

"ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है । वह हम पर आश्रित नहीं है परन्तु हम उस पर आश्रित हैं । वह हमारे कार्य में बाधक नहीं है वरनद्व वह हमारे कार्य का प्रयोजन है । वह कोई बाहरी व्यक्ति न होकर हमारे व्यापार का एक अंग है । उसकी सेवा करके हम उस पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं । वह हमें सेवा का अवसर प्रदान करके हम पर मेहरबानी कर रहा है ।"

गांधी जी के उक्त मंत्र-वाक्य में निहित अर्थपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषी क्षत्रों में कार्यरत बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि ग्राहक का विश्वास प्राप्त कर उससे आत्मीयता बढ़ाने तथा उसे अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए उसकी भाषा हिन्दी में बोलें और उसका बैंकिंग से संबंधित सारा काम हिन्दी में करें ।

ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों की शाखाओं में तो हिन्दी में प्रशंसनीय काम हो रहा है, परन्तु शहरी शाखाओं की स्थिति क्या है ? हिन्दी के प्रयोग के बारे में ग्राहक क्या सोचता है और बैंकर क्या कहता है, इसी का सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग विभिन्न बैंकों की शाखाओं में गये तथा बैंकर एवं ग्राहकों से मिले । दोनों से बातचीत करने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि बैंकर और ग्राहक दोनों हिन्दी का प्रयोग करना चाहते हैं परन्तु प्रश्न उठता है कि पहल कौन करे । बैंकर कहता है कि हमने ग्राहकों को हिन्दी में काम करने की छूट दे दी है । शाखा परिसर में इस आशय की सूचनायें लगायी गयी हैं और हम अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने का प्रयास कर रहे हैं । दूसरी ओर ग्राहक कहता है कि बैंक वालों ने केवल पोस्टर लगा रखे हैं, परन्तु अपेक्षित मात्रा में काम हिन्दी में नहीं हो रहा है । अधिकतर ग्राहकों को शाखा परिसर में लगी सूचनायें पढ़ने की फुर्सत ही नहीं होती है, अतः उनका ध्यान इन सूचनाओं पर जाता ही नहीं है और यदि जाता भी है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है । आम ग्राहक सरल हिन्दी के पक्ष में भी है, तथा वह चाहता है कि हिन्दी के सम्पूर्ण कार्य की पहल बैंकों की ओर से होनी चाहिए । मजे की बात यह है कि दोनों की बोलचाल की भाषा हिन्दी ही है, परन्तु समस्या केवल लिखित भाषा की है ।

सर्वेक्षण के दौरान ग्राहकों तथा बैंकरों से किये गए सवाल तथा प्राप्त जवाबों का सार निम्नानुरूप है ।

#### ग्राहकों के जबाव

**1. आम बैंक के साथ किस भाषा में काम करते हैं**

लगभग 80 प्रतिशत लोगों का कहना था कि चूंकि बैंक वाले अधिकतर काम अंग्रेजी में करते हैं, अतः हमें भी अंग्रेजी में ही काम करना पड़ रहा है ।

2. आपका बैंक आपकी पास बुक, मांग ड्राफ्ट आदि किस भाषा में देता है ?

अधिकतर अंग्रेजी में, परन्तु अब धीरे-धीरे हिन्दी में देना शुरू किया है ।

3. आपके हिन्दी पत्रों के जवाब किस भाषा में मिलता है ?

सभी ने कहा कि उन्हें उनके द्वारा भेजे गये हिन्दी पत्रों का जवाब हिन्दी में ही प्राप्त होता है ।

4. क्या आप जानते हैं कि बैंकों में हिन्दी में काम हो रहा है ?

70 प्रतिशत का कहना था कि जानते हैं । शेष का कहना था कि हिन्दी सप्ताह के दौरान शाखा परिसर के बाहर लगे केवल बैनर से ही पता चलता है । परन्तु काउन्टर पर अधिकतर कार्य अंग्रेजी का ही देखने को मिलता है ।

5. क्या आपने बैंक वालों से कहा है कि वह आपके साथ हिन्दी में पत्राचार करें ।

99 प्रतिशत लोगों का जवाब था 'नहीं", जोर देने पर कहते हैं कि हमें अपना काम करवाने की जल्दी रहती है, अतः भाषा की ओर अधिक ध्यान नहीं जाता है ।

6. क्या बैंक की ओर से आपको चैक आदि हिन्दी में काटने की सलाह दी जाती है ?

लगभग सभी का जवाब था "नहीं", परन्तु जब हमने परिसर में लगे नोटिस की ओर उनका ध्यान दिलाया तो जवाब मिला कि हमें उसे पढ़ने की फुर्सत ही नहीं हैं, । इसका उपाय पूछने पर सुझाव दिया गया कि काउन्टर पर बैठे कर्मचारी को चाहिए कि वह ग्राहकों को इस बारे में बताये।

7. बैंकों में हो रहे हिन्दी प्रयोग की जानकारी ग्राहकों को देने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

—इस सवाल के जवाब में मिले कुछ सुझाव निम्नानुरूप हैं :

(क) शाखा में हो रहे हिन्दी प्रयोग की जानकारी बड़े-बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखकर प्रवेश द्वार के भीतर या बाहर लगाया जाना चाहिए ।

(ख) नया खाता खोलते समय ग्राहकों को हिन्दी प्रयोग के बारे में सूचित किया जाना चाहिये ।

(ग) चैक आदि हिन्दी में ही स्वीकार किये जाने चाहिए।

(घ) बैंक की ओर से ग्राहकों के साथ सारा पत्र व्यवहार केवल हिन्दी में ही किया जाना चाहिये ।

(ङ) फार्म आदि सरल तथा समझ में आने वाली भाषा में उपलब्ध होने चाहिये

(च) बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाये जाने चाहिये ।

(छ) पास बुक में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संक्षिप्ताक्षर के हिन्दी पर्याय, पास बुक में छपे हुए होने चाहिये।

(ज) शिक्षित ग्राहक यह सोचता है कि यदि वह बैंक के साथ हिन्दी में व्यवहार करेगा तो बैंक वाले यह समझेंगे कि उसे अंग्रेजी नहीं आती है, इस हीन भावना को दूर करने के लिए बैंकों को हिन्दी प्रयोग की पहल करनी चाहिये तथा हिन्दी का प्रयोग करने वाले ग्राहक को शाखा प्रबंधक की ओर से प्रशंसा पत्र भेजा जाना चाहिये ।

(झ) बैंकों में हो रहे हिन्दी प्रयोग का प्रचार समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के जरिए भी व्यापक रूप से किया जाना चाहिये ।

8. क्या आपको नहीं लगता कि यदि बैंक अपना सारा काम हिन्दी में करने लगे तो इससे ग्राहकों को अधिक सुविधा हो सकती है ?

—सभी ने एक ही जवाब दिया कि इससे ग्राहकों को अधिक सुविधा होगी ।

### बैंक वालों से प्राप्त जवाब

1. आप ग्राहकों से किस भाषा में बातचीत करते हैं ?

—सभी का जवाब था ग्राहकों से हिन्दी में ही बातचीत करते हैं ।

2. आप ग्राहकों के संबंधित कार्य जैसे—पास बुक, मांग ड्राफ्ट, जमा रसीदें देना, आदि का काम किस भाषा में करते हैं ?

—अधिकतर बैंकरों का जवाब था लगभग 65 प्रतिशत हिन्दी में करते हैं ।

3. आपके यहां आने वाले ग्राहक चैक काटना, रुपये जमा कराने की पर्ची भरना, मांग ड्राफ्ट के लिए आवेदन देना आदि का काम किस भाषा में करते हैं ।

—इसके जवाब में बताया गया कि 20 प्रतिशत ग्राहक हिन्दी का तथा 80 प्रतिशत ग्राहक अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं ।

—इन आंकड़ों को देखकर ग्राहकों को शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक लगता है ।

4. आपके उच्च कार्यालयों से कितने पत्र हिन्दी प्राप्त होते हैं ।

—उच्च कार्यालयों से लगभग 20—40 प्रतिशत पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं, कुछ शाखाओं में यह प्रतिशत 60 से 70 प्रतिशत भी है ।

5. छोटे ऋणकर्त्ताओं से पत्राचार :

—सभी शाखाएं यह पत्राचार हिन्दी में ही करती हैं।

6. क्या हिन्दी प्रयोग के बारे में ग्राहक जानता है ।

—लगभग सभी का जवाब "हां" ही है, परन्तु ग्राहकों के विचारों से यह मेल नहीं खाता है ।

7. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिए।

—इसके जवाब में अनेक सुझाव दिये गये हैं, कुछ महत्व-पूर्ण सुझाव निम्नानुरूप हैं :—

(क) समाचार पत्र तथा दूरदर्शन द्वारा प्रचार किया जाये ।

(ख) जहां आवश्यक हो, हिन्दी टाईपराइटर/टाइपिस्ट देना चाहिये ।

(ग) स्थानान्तरित होकर आने वाले अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को नई पोस्टिंग देने से पूर्व गहन हिन्दी प्रशिक्षण की सहायता की जानी चाहिये ।

(घ) हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में इसका उल्लेख होना चाहिये ।

(ङ) हिन्दी भाषा की जानकारी रखते हुए भी हिन्दी में काम न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये ।

(च) हिन्दी समाचार पत्र/रोचक पत्रिकाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिये ।

(छ) जयपुर स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र तथा संयुक्त प्रचार समिति को भी अपने विज्ञापनों में हिन्दी के प्रयोग की जानकारी ग्राहकों को देनी चाहिये ।

8. क्या आपको लगता है कि हिन्दी का कार्य अतिरिक्त कार्य है ।

—लगभग सभी का जवाब था "नहीं"

9. आपको ऐसा नहीं लगता कि हिन्दी के प्रयोग से बैंक के कर्मचारी अपने विचारों को अधिक सुचारू रूप से व्यक्त कर पायेंगे।

—सभी ने इस बात से पूर्ण सहमति व्यक्त की।

10. कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जाने चाहिये ।

—शाखा में डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिये ।

—उच्चाधिकारियों को भी अपना काम हिन्दी में करना चाहिये जिससे उनके अधीन काम करने वाले स्टाफ सदस्य प्रोत्साहित होंगे ।

निष्कर्ष

ग्राहक समुदाय तथा बैंकर दोनों के सवाल-जवाब में एक बात स्पष्ट है कि दोनों चाहते हैं कि हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये। यह दोनों के लिए सुविधाजनक है, अभी सवाल उठता है कि पहल कौन करे । बैंकर को अंग्रेजी प्रयोग की आदत पड़ी हुई है तथा वह अपना दैनिक कार्य शीघ्र निपटान में लगा रहता है । ग्राहक को अपने धन की चिन्ता है। अतः वह मजबूरी में खामोश है, वह वही करता है, जो बैंकर चाहता है । अब निष्कर्ष यही निकलता है कि गांधी जी के मंत्र-वाक्य के अनुरूप हमारे लिये ग्राहक ही सब कुछ है, उसकी सुविधा; हमारी सुविधा है। उसकी मांग की पूर्ति करना, उसकी आवश्यकता के अनुरूप काम करना हमारा कर्त्तव्य है । जब ग्राहक कहता है कि हिन्दी का प्रयोग उसके लिये सुविधाजनक है तो हमें उसे यह सुविधा प्रदान करने के लिये अपनी अंग्रेजी आदत को तिलांजली देकर, स्वयं की हिन्दीमय बनाना होगा । इसी में हमारा हित सुरक्षित है ।

जयपुर स्थित शाखाओं में हिन्दी प्रयोग की ओर हम निम्नलिखित सुझाव देना चाहेंगे ? :—

1. सभी बैंक अपनी शाखाओं में डेस्क-शिक्षण की व्यवस्था करें।

2. जयपुर स्थित विभिन्न बैंकों की शाखाओं में कार्यरत हिन्दी की प्रारंभिक जानकारी रखने वाले अहिन्दी-भाषी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में या कोई प्रमुख बैंक एक सप्ताह का गहन हिन्दी-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करे। इस पर होने वाला खर्च प्रतिभागियों के अनुपात में सभी बैंक वहन करें ।

3. बैंकों को चाहिए कि ये शाखा में काउन्टर पर कार्यरत अपने स्टाफ-सदस्यों को सूचित करें कि शाखा में आने वाले ग्राहक को हिन्दी प्रयोग की जानकारी देते रहें एवं उन्हें फार्म आदि भरने में सहायता करें ।

4. शाखाओं में मांग-ड्राफ्ट के काउन्टर पर निम्न-लिखित आशय की प्लेट लगाई जानी चाहिये
—हमारे यहां मांग-ड्राफ्ट हिन्दी में भी जारी किये जाते हैं। आप अपना आवेदन हिन्दी में दे सकते हैं।

5. नया खाता खोलते समय ग्राहक को हिन्दी-प्रयोग की जानकारी दी जानी चाहिए ।

6. शाखा के साथ हिन्दी में व्यवहार करने वाले ग्राहक को शाखा-प्रबंधक की ओर से प्रशंसा-पत्र दिया जाना चाहिय।

7. जयपुर स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र तथा संयुक्त प्रचार समिति द्वारा अपने विज्ञापनों में हिन्दी प्रयोग की जानकारी ग्राहकों को देनी चाहिये । विभिन्न स्तरों पर ग्राहक सेवा समितियों की बैठकों में हिन्दी प्रयोग के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिये ।

8. दूरदर्शन केन्द्र जयपुर तथा आकाशवाणी जयपुर से अनुरोध किया जाना चाहिए कि समय-समय पर बैंकों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करें ताकि एक प्रकार की जागरूकता आम जनता में पैदा हो सके ।

9. शाखा परिसार के बाहर या भीतर, इस आशय का बड़ा बोर्ड या बैनर लगाया जाना चाहिये कि "ग्राहक शाखा के साथ अपना पूरा व्यवहार हिन्दी में कर सकता है" ।

10. बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में एक "मार्गदर्शक दल" गठित किया जाना चाहिए जो समय-समय पर, विभिन्न बैंकों के कार्यालय तथा शाखाओं में जाकर हिन्दी प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श कर, आवश्यक सलाह देता रहे ।

आलेख प्रस्तुति : द्वितीय उप-समिति

1. श्री उमाकांत स्वामी, संयोजक
   प्रबंधक (राजभाषा),
   बैंक ऑफ बड़ौदा
2. श्री ओम प्रकाश, सदस्य
   हिन्दी अधिकारी,
   सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
3. श्री सुनंत जैन, सदस्य
   हिन्दी अधिकारी,
   यूको बैंक

---

सब को हिंदी सीखनी चाहिए
—इस के द्वारा सारे भारत को सुविधा होगी । — चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

---

हिंदी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है ।
हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए । — रवीन्द्र नाथ ठाकुर

---

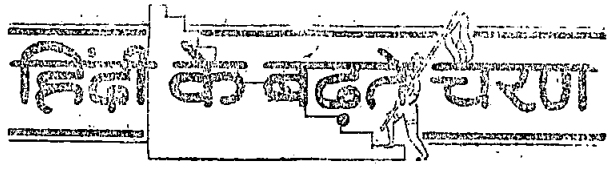

# हिंदी के बढ़ते चरण

## ग्राहकों की माग पर बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा

न्यू बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा प्रयोग की जानकारी के लिए सहायक महाप्रबंधक श्री इन्द्रपाल महेन्द्र से राजभाषा भारती के लिए उपसंपादक डॉ० गुरुदयाल बजाज ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश।

——संपादक

श्री महेन्द्र (दाएं से प्रथम) से वातचीत करते हुए (दाएं से प्रथम) डॉ. गुरुदयाल बजाज तथा साथ में श्री सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा और अन्य अधिकारीगण।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रयासरत हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों /विभागों /कार्यालयों आदि में जहा कार्यालयीन पत्राचार में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है, तो सरकारी उपक्रमों विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस दिशा में सघन प्रयास किए गए हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, नई दिल्ली में हैं और इस की कुल 543 शाखाएं हैं।

**राजभाषा भारती : महेन्द्र जी! दिल्ली अंचल की शाखाओं में राजभाषा प्रयोग की क्या स्थिति है ?**

श्री महेन्द्र : डॉ. बजाज हमारे बैंक की दिल्ली अंचल में 47 ब्रांचें तथा चार विस्तार काउन्टर है इनमें से सात ब्रांचें नागलोई, कृष्णनगर, राधेपुरी, पपरावत, चंदन होला, डेरा, नांगल देवत हिन्दी में काम करने के लिए घोषित हैं। इन शाखाओं में सामान्यत: प्रत्येक कार्य हिन्दी में किया जाता है कुल मिलाकर इन ब्रांचों में लगभग 90% कार्य हिन्दी में चल रहा है।

**भारती : अन्य शाखाओं को हिन्दी शाखाएं घोषित करने में क्या कठिनाई है ?**

श्री महेन्द्र : बजाज जी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था कि बाकी शाखाओं में हिन्दी में कार्य नहीं हो रहा है पिछले दो तीन वर्षों से ब्रांचों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। वार्षिक, कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास जारी है।

**भारती : अन्य शाखाओं को हिन्दी शाखाएं घोषित करने के बारे में क्या योजना है ?**

श्री महेन्द्र : सामान्य कार्य तो सभी ब्रांचों में, सफलतापूर्वक हिन्दी में ही हो रहा है, किन्तु बड़े बड़े प्रोजक्टों के ऋण आदि के केस अंग्रेजी में मिलने पर बैंक को पूरी प्रक्रिया में हिन्दी प्रयोग में कठिनाई होती है। फिर भी हमारी योजना है कि शेष शाखाएं भी चरणबद्ध रूप में पूरा काम हिन्दी में करने के लिए घोषित की जाएं।

**भारती : महेन्द्र जी ! मेरी मान्यता है कि यदि मुख्यालय में हिन्दी में कार्य होगा तो अधीनस्थ कार्यालयों शाखाओं में स्वतः ही हिन्दी प्रयोग बढ़ेगा।**

श्री महेन्द्र : डा. बजाज : मैं आप के इस विचार से काफी हद तक सहमत हूं श्री आर. सी. सुनेजा हमारे बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदभार गृहण करने के बाद हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत बढ़ा है। श्री सुनेजा की हिन्दी के प्रति व्यक्तिगत रूचि और प्रेरणादायक व्यक्तित्व अन्य कर्मियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। दिल्ली अंचल कार्यालय में कार्मिक शाखा हिन्दी कार्य के लिए विनिर्दिष्ट है। बैंक कार्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्णतया हिन्दी में दर्ज की जाती है। बैंक के लगभग 460 मानक मसौदे (प्रपत्र) आदि द्विभाषिक रूप में प्रकाशित है। बैंक के महत्वपूर्ण दस्तावेज---अनुदेश पुस्तिका (तीन खण्डों) में बैंकिग व्यवहार के विभिन्न पहलुओं जैसे--- विदेशी मुद्रा विनिमय हुण्डी, परक्राम्य लिखत, आयात निर्यात नाबार्ड योजना आदि विषयों के अतिरिक्त कृषि अग्रिमों के लिए प्रक्रियागत निर्देश पुस्तिका, अनुशासन/सतर्कता पुस्तिका, अधिकारी/कर्मचारी सेवा पुस्तिका आदि प्रकाशन द्विभाषिक रूप में होने से ग्राहकों तथा बैंक कर्मियों को हिंदी में पत्राचार करने में सहायता मिली है। ग्राहकों की माग पर हमारे बैंकों में, विशेषकर राजस्थान और मध्यप्रदेश में, हिन्दी में कार्य को उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन दोनों प्रदेशों की शाखाओं में ग्राहकों और बैंक कर्मियों की अभिरूचि के कारण लगभग 90% से अधिक कार्य हिन्दी में चल रहा है। कुल मिलाकर हमारे बैंक में 60–65% कार्य हिन्दी में होने लगा है।

**भारती : कर्मचारियों के लिए हिन्दी में कार्य करने के अभ्यास के लिए क्या व्यवस्था है ?**

श्री महेन्द्र : बैंक कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए चण्डीगढ़ तथा फरीदाबाद में हमारे दो प्रशिक्षण विद्यालय चल रहे हैं। 31-12-1988 तक इन संस्थानों में बैंक कर्मियों को अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता था। इस के अतिरिक्त राजभाषा नीति की जानकारी और अभ्यास हेतु तीन दिन के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी परन्तु अब राजभाषा विभाग के आदेशानुसार पहली जनवरी 1989 से हमारे उपर्युक्त दोनों संस्थानों में प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी कर दिया गया है।

इस के अतिरिक्त अंचल कार्यालयों में कार्यपालकों और अधीनस्थों के लिए तीन-तीन मास के अन्तराल पर हिन्दी कार्यशालाएं चलाई जाती है।

**भारती : कर्मियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर रहे हैं ?**

श्री महेन्द्र : बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से की जाती है। क्वालिटी सर्किल योजना के अन्तर्गत शाखा स्तर पर 'ग्राहक सेवा समितियां' बनाई गई है। इन समितियों की बैठकों में एक तरफ तो ग्राहक-सेवा में सुधार के उपाय ढूंढ़ जाते हैं, वहीं इन समितियों की गतिविधियां हिन्दी में दर्ज की जाती है। इस प्रकार ग्राहकों को बैंक से पत्राचार/लेन देन हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

**भारती : मेरा अभिप्राय बैंक कर्मियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने से था।**

श्री महेन्द्र : हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों पर बैंक कर्मियों को हिन्दी टाईप लेखन/आशुलिपि का प्रशिक्षण तथा हिन्दी भाषा की जानकारी के लिए नामित किया जाता है। परीक्षा पास करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हिन्दी में कार्य करने पर कर्मियों की मासिक नकद भत्तों के अतिरिक्त प्रशंसापत्र भी दिए जाते हैं।

☐ प्रस्तुति : डॉ गुरुदयाल बजाज

# लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में हिन्दी का प्रयोग

संस्थान के निदेशक श्री गिरवर प्रसाद अग्रवाल के प्रेरणादायक नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण संस्थान में राजभाषा प्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 1987-88 के दौरान राजभाषा की प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैं :—

**1. मूल पत्राचार में हिन्दी प्रयोग**

राजभाषा वर्ष 1987–88 के दौरान कुल जारी हुए 24,387 पत्रों में, से 16,894 पत्र हिन्दी में और 7,493 पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए। इस प्रकार 69% पत्राचार हिन्दी में किया गया। गत वर्ष यह 65% था।

**2. तकनीकी साहित्य**

कुल 116 तकनीकी रिपोर्ट आदि दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिनमें से 65 दस्तावेज हिन्दी में अथवा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में तैयार किए गए। इन रिपोर्टों की सूची इस रिपोर्ट के अन्त में परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए हिन्दी में तैयार की गई 25-25 परियोजनाओं का पंचम और षष्टम अंक जारी किया गया। इन परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट "ख" और "ग" में दी गई है। पहले जारी किए गए प्रथम अंक की 25 परियोजनाओं का संशोधन किया गया।

**3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अन्य आयोजनों में हिन्दी प्रयोग**

लघु उद्यमियों के लाभार्थ विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संगोष्ठी, क्रेता-विक्रेता मिलन, खुली चर्चा, कार्यशाला अभियान आदि आयोजन सम्पादित किए गए, जिनका माध्यम प्रमुखतः हिन्दी ही रहा। इन आयोजनों पर तैयार की गई रिपोर्टों में भी हिन्दी का प्रमुख स्थान रहा।

4. **हिन्दी प्रगति निरीक्षण**

हिन्दी प्रभाग द्वारा प्रशासन व लेखा प्रभाग का तथा विस्तार केन्द्र, कोटा की हिन्दी प्रगति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्टों में दिए गए सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इन निरीक्षणों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए और सम्बन्धित प्रभाग/केन्द्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा।

5. वर्ष 1987-88 के दौरान हिन्दी में तैयार किए गए तकनीकी तथा अन्य प्रलेखों की सूची।

1. **विशेष अध्ययन रिपोर्ट** राजस्थान में हाथ के औजार उद्योग

2. **प्रशिक्षण पाठ्य-सामग्री** घड़ी की मरम्मत

3. **प्रौद्योगिकी अंतरण प्रलेख** ए. सी. सी. पाईप्स एवं फिटिंग्स

4. **तकनीकी पेपर** : भारत वर्ष का मार्बल उद्योग

5. **विवरणिका** : औद्योगिक निविष्टि—औद्योगिक क्षेत्र सम्पदा

6. गणतंत्र मेला प्रदर्शनी में भाग लेने पर विवरणिका

7. राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास में ल. उ. से. सं. जयपुर का योगदान (1958–1987)

8. **निदेशिका** युवा इंजीनियरों के लिए आयोजित उद्यमियता विकास कार्यक्रमों के सफल इन्जीनियरों की निदेशिका (प्रथम अंक)

**अभियान**

9. 15 अक्टुबर, 1987 को जयपुर में विकलांग युवाओं के लिए आयोजित उद्यमियता विकास संधान अभियान की रिपोर्ट

10. 16 फरवरी, 1988 को जयपुर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित उद्यमियता विकास-संधान अभियान की रिपोर्ट

**निदानशाला**

11. राजस्थान के प्लास्टर ऑफ पैरिस उद्योग के आधुनिकीकरण पर आयोजित निदानशाला की रिपोर्ट

**औद्योगिक अध्ययन रिपोर्ट**

12. मैं० मानक एन्टरप्राईजेस, जोधपुर

**उत्पाद एवं प्रक्रिया उन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

13. चर्म की फैसी वस्तुएं बनाने पर आयोजित उत्पाद व प्रक्रिया उन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिपोर्ट

14. कांच व चीनी मिट्टी के सामान पर सजावट तथा स्क्रीन प्रिंटिंग।

15. विद्युत लेपन पर आयोजित उत्पादन व प्रक्रिया उन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिपोर्ट

**स्टेटस रिपोर्ट**

16. लाईम तथा हाईड्रेटेड लाइम उद्योग पर स्टेटस रिपोर्ट

17. उद्यमियता विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जूते, सैंडल व चप्पलों के पैटर्न कटिंग, डिजाईनिंग व निर्माण पर उद्यमियता विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिपोर्ट।

**रिव्यू रिपोर्ट**

41. यांत्रिक खिलोनों पर रिव्यू रिपोर्ट

42. 150 से. ग्र. तक के थर्मामीटरों पर रिव्यू रिपोर्ट

43. ड्राईंग यंत्रों (इंजीनियरिंग) पर रिव्यू रिपोर्ट

44. अन्य ड्राईंग, मथमैटिकल एव सर्वेक्षण यंत्रों थ्योडोलाईट्स को छोड़कर पर रिव्यू रिपोर्ट

45. मीनियचर वैक्यूम वल्वों (आंटोवल्व को छोड़कर)—पर रिव्यू रिपोर्ट

46 मिक्सर/ग्राइंडर्स, जैसे मील मिन्सर ज्यूस एक्सट्रेक्टर, पर रिव्यू रिपोर्ट

47. कार्बाईड टिप्ड टूल्स सिगनल पायन्ट ब्रेज्ड कार्बाईड बिट्सइ निर्माताओं से क्रय किए गए पर रिव्यू रिपोर्ट

48. सेन्ट्रीफयूजल पम्प्स, 10—10 से. मी. साईज तक के, पर रिव्यू रिपोर्ट

49. प्रेशर स्टोव पर रिव्यू रिपोर्ट

50. 30 टन तक की क्षमता वाले हाईड्रालिक जैक पर रिव्यू रिपोर्ट

51. 0.75 किलो तक के प्रेशर डाई कास्टिंग पर रिव्यू रिपोर्ट

52. कान्टैक्ट लेंस पर रिव्यू रिपोर्ट

53. सिलाई मशीन पर रिव्यू रिपोर्ट

54. पानी के मीटरों पर रिव्यू रिपोर्ट

55. छात्र एवं चिकित्सा उपयोग के माईक्रोस्कोप पर रिव्यू रिपोर्ट

58. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत तैयार की गई परियोजना रूपरेखाओं का प्रथम अंक (संशोधित)

59. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार परियोजना पुस्तिका (षष्टम अंक)

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के पंचम अंक के तहत तैयार की गई परियोजना रूपरेखाएं

(क) निर्माण उद्योग

1. लोहे की जालिया, 2. गोटा बनाना, 3. हाथ ठलिया एव बैल व ऊंट गाडी बनाना 4. साड़ी फाल, 5. लिककिस्प 6. हेयर आयल 7. पाप कार्न, 8. सोफटी आईसक्रीम, 9. प्लास्टिक फाईल कवर 10. पापड बनाना, 11. शटलकाक 12. स्पोर्टस नेट 13. वेजिटवल टैनिग द्वारा पकाई गई खालें 14. पीतल के टोकन 15. अल्यूमिनियम का सजावटी सामान 16. फाइल क्लिप्स 17. पीतलके कफिलंग्स 18. क्वार्टज घड़ियां 19. टयूब लाईट चोक 20. टी. वी. स्टेबलाईजर 21. सीमेन्ट के गमले 22. ठोस काच के खिलौने 23. कांच पर डेकोरेशन 24. सीमेन्ट के दरवाजे व चौखट 25. बारदाना मरम्मत करना

स्वरोजगार योजना के षष्टम अंक के तहत तैयार की गई परियोजना रूपरेखाएं

(क) निर्माण उद्योग

1. साईकिल के चैन कवर 2. सूती निवार, 3. कार्ड बोर्ड स्लैट, 4. टमाटर सास (चरफरी), 5. अगरबत्ती, 6. सैनेटरी नेपकिन ,7. प्लास्टिक की वस्तुएं, 8. पेपर पिने 9. कपडों में लगने वाले हुक 10. स्क्रू ड्राईवर, 11. की चेन 12. छोटे वल्व 13. टी. वी. एन्टीना 14. बैटरी एलीमिनेटर , 15. छोटे ट्रांसफार्मर , 16 सीमेंट की टंकी , 17 रंगीन चाक , 18. प्लास्टर आफ पेरिस के खिलोने 19. सीमेन्ट टाईल्स 20. स्टोन कटिंग ,21 औद्योगिक दस्ताने 22, स्कुटर / मोटर साईकिल के सीट कवर्स 23. घड़ी के चमड़े के पटटे 24 जयपुरी नागरा (देशी जूती)

(ख) सेवा उद्योग

25. टाईप इंस्टीटयूट

# आयकर विभाग: कानपुर में हिन्दी के बढ़ते चरण

प्रस्तुति : जयप्रकाश हिलोरी

आयकर प्रभार, कानपुर में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा उसके प्रसार प्रचार के लिये अनेक प्रयास किए गए। हैं। आयकर आयुक्त श्री जी.सी. अग्रवाल सभी प्रकार के पत्रों में हिन्दी में हस्ताक्षर करते हैं। इससे अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं । उनके फलस्वरूप वर्तमान समय में निम्नलिखित कार्य हिन्दी में किए जाने लगे हैं :—

1. स्थापना सम्बन्धी सभी प्रकार का कार्य ।
2. लेखा सम्बन्धी कार्य (जैसे वेतन बिल, यात्रा भत्ता बिल, फुटकर बिल) ।
3. सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां ।
4. करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी नोटिस ।
5. आयकर सम्बन्धी सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां ।
6. चालान, रिफन्ड वाउचर ।
7. धारा 143( 1) के अन्तर्गत पारित किए जाने वाले सभी कर-निर्धारण-आदेश ।

**8. आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा कुछ संवीक्षायुक्त जटिल कर-निर्धारण-अपीलीय-आदेश हिन्दी में भी जारी किये गए।**

9. छह हिन्दी कार्यशालाओं को सुचारू रूप से चलाया गया, जिसमें आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), आयकर आयुक्त (अपील) तथा सहायक आयकर आयुक्तों ने व्याख्यान दिए और विभागीय विषयों का हिन्दी में अभ्यास करवाया। इन हिन्दी कार्यशालाओं का उद्घाटन एवं समापन विभाग के उच्च अधिकारियों यथा, —श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, श्री टी. सी. शुक्ल, मुख्य आयकर आयुक्त (उ.प्र.) लखनऊ श्री जी. सी. अग्रवाल, आयकर आयुक्त, कानपुर, श्री बी.पी. गुप्त, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कानपुर एवं श्री सुरेश कपूर, आयकर आयुक्त (अपील), कानपुर द्वारा सम्पन्न किया गया। इनमें से एक कार्यशाला केवल आयकर अधिकारियों के लिए एवं एक कार्यशाला आयकर निरीक्षकों के लिए थी।

10. हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता की गई जिसके अन्तर्गत आयकर विभाग के 8 कर्मचारियों को आयकर आयुक्त द्वारा एक वृहत्त समारोह में 26 जनवरी, 88 को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1987-88 में तीन बैठकें की गईं;

## संपदा निदेशालय में हिन्दी का प्रयोग

संपदा निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 23-9-88 को हुई 41वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट।

(ग) जो अनुभाग 50% से कम पत्राचार हिन्दी में कर रहे हैं वे अपने हिन्दी पत्राचार का विभिन्न अनुभागों से प्राप्त 30-9-88 की तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट

.....(जारी पृष्ठ 87)

# हिन्दी दिवस समारोह

## बैंक

### भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कलकत्ता

विकास बैंक के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में 19 से 23 सितंबर, 1988 तक उत्साह-पूर्वक मनाए गए हिन्दी सप्ताह समारोह का 19 सितंबर को महाप्रबंधक डॉ. क.उ. माडा ने उद्घाटन किया। समापन समारोह की अध्यक्षता भी डॉ. माडा ने ही की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात इतिहासकार व भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के निदेशक डॉ. रमेश चंद्र शर्मा पधारें। मुख्य वक्ता थे— दिनमान व नवभारत टाइम्स के कलकत्ता संवाददाता श्री मुहम्मद इस्राईल अंसारी।

**देश के सर्वतोमुखी विकास के लिए हिंदी आवश्यक।**

**डॉ. रमेश चंद्र शर्मा**

मुख्य अतिथि डा. शर्मा ने कहा, 'हिन्दी किसी जाति, धर्म; क्षेत्र या संप्रदाय की भाषा नहीं है। उस पर सबका अधिकार बराबर है। जो लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजी के बिना वैज्ञानिक उन्नति नहीं हो सकती, उनसे मेरा सवाल है कि "पिछले 40 वर्षों में कितनी तरक्की कर पाए हैं हम अंग्रेजी के सहारे? जबकि हमसे बाद में आजाद हुए देश अपनी भाषा के बल पर हमसे कहीं अधिक तरक्की कर चुके हैं।" उन्होंने बल देकर कहा कि "देश के सर्वतोमुखी विकास के लिए हिन्दी का आना आवश्यक है।"

डॉ. माडा ने स्टाफ सदस्यों को आह्वान किया कि जिस जोशो-खरोश के साथ उन्होंने हिन्दी सप्ताह के आयोजनों में हिस्सा लिया, उसी उत्साह से दफ्तरी काम में भी हिन्दी को अपनाएं।

डॉ. माडा ने "समग्र विकास" पत्रिका के दूसरे अंक का भी विमोचन किया। 19,20,21 व 22 सितंबर को क्रमशः हिन्दी गद्य याचन, दृश्य वर्णन, सद्यः भाषण तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जिनमें कम-से-कम 10 व अधिक-से-अधिक 28 प्रतियोगी शामिल हुए।

पुरस्कार वितरण समारोह में कुल 38 पुरस्कार और प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले स्टाफ सदस्यों को प्रमाणपत्र भी दिए गए।

### भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, कोयम्बटूर

आंचलिक कार्यालय में 14 सितम्बर, 1988 को हिंदी दिवस समारोह के आयोजन का वातावरण बनाने के लिए दिनांक 6-9-88 से हिंदी निबंध, हिंदी पत्रलेखन, हिन्दी अनुवाद, हिंदी टाइपलेखन, हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिन्दी भाषण कला आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें तीस से अधिक कर्मियों ने भाग लिया।

मुख्य हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता श्री के. स्वामीनाथन, उपमहाप्रबंधक ने करते हुए अपना भाषण हिंदी में दिया। उन्होंने बैंक कर्मियों से हिंदी सीखने की सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। श्री पी.एम. मोहम्मद, तथा श्री एस. सुन्दर, आंचलिक प्रबंधकों ने कर्मचारियों से हिंदी सीखने में उत्साहपूर्वक भाग लेने तथा बैंक द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से हिंदी ज्ञानार्जन करते हुए बैंक कार्य में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में गिफ्ट चैक दिए गए। शेष प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए। हिंदी की प्रवीण, प्रबोध परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। "उप महाप्रबंधक की राजभाषा "शील्ड" "त्रिपुर शाखा" को दी गई।

### भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता

बैंक के प्रधान कार्यालय, कलकत्ता में 16–22 सितम्बर, 1988 हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी हस्ताक्षर, हिन्दी सुलेख, हिन्दी शब्द-ज्ञान तथा हिन्दी भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

सप्ताह के अंतिम दिन हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक श्री पी.आर. बालसुब्रह्मण्यन् ने की तथा मुख्य अतिथि प्रसिद्ध भाषाविद् डा. पांडुरंग राव, निदेशक, भारतीय भाषा परिषद् थे। डॉ. राव ने हिन्दी में पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया तथा हिन्दी दिवस को भाषा दिवस के रूप में मनाने तथा सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान देने को कहा। हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण और हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी पत्रिका "पुनर्निर्माण" का विमोचन श्री पी. आर. बालसुब्रह्मण्यन ने किया। उन्होंने राजभाषा अधिनियम का पूरी तरह पालन करने पर बल दिया। हिन्दी अधिकारी श्री विजय कुमार शर्मा ने धन्यवाद दिया।

**बैंक ऑफ बड़ौदा (राजस्थान अंचल), जयपुर :**
**हिंदी प्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति—सं०**

अंचल कार्यालय तथा जयपुर एवं जोधपुर क्षेत्र द्वारा हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितम्बर, 1988 के दिन जयपुर में संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक—श्री निहालचन्द जैन ने हिन्दी को समृद्ध बनाने पर बल दिया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान अंचल के उप महाप्रबंधक श्री एन.एस. खन्ना ने कहा कि आज का दिन हिन्दी जानने वालों के लिए आत्म विश्लेषण का दिन है। आज के दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अपने कामकाज में केवल हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे। श्री खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों की नई योजनाओं की सफल क्रियान्विति हिन्दी के प्रयोग के बिना संभव नहीं है।

प्रारंभ में अंचल कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक श्री डी. एम. जैन ने स्वागत किया तथा राजस्थान अंचल में वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय कार्यों का ब्यौरा दिया। श्रीमती कंवल खन्ना ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया और सहायक महाप्रबंधक (निरीक्षण) श्री जी.एस. जैन ने धन्यवाद दिया।

मंच संचालन प्रबंधक (राजभाषा) श्री उमाकांत स्वामी तथा राजभाषा अधिकारी श्रीमती विजया श्रीवास्तव ने किया।

समारोह में अंचल की निम्नलिखित शाखाओं/कार्यालयों को हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया :

जयपुर क्षेत्र:

1. सूरवाल 2. भगवतगढ़ 3. बहरावड़ा खुर्द

जोधपुर क्षेत्र :

1. बीदासर 2. खाण्डेला 3. अनाजोपुर

कोटा क्षेत्र :

1. झिराना 2. चिकारड़ा 3. बनेठा

उदयपुर क्षेत्र :

1. पालोदा 2. सारोदा 3. गोपीनाथ का गढ़ा

अजमेर क्षेत्र :

1. मसूदा 2. भिना 3. जूनिया

**चयनित शाखाएं :**

1. जवाजा 2. बोहेड़ा 3. पड़िहारा

**क्षेत्रीय कार्यालय :**

1. कोटा क्षेत्र 2. जोधपुर क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यालय—**जयपुर/जोधपुर के विभाग :**
जयपुर क्षेत्र—कार्मिक विभाग
जोधपुर क्षेत्र—अंकेक्षण एवं निरीक्षण विभाग

**अंचल कार्यालय के विभाग :**

1. कार्यालय प्रबंधक विभाग 2. कृषि विभाग

हिन्दी दिवस के अवसर पर अंचल के स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

**जबलपुर में बैंकों द्वारा सामूहिक आयोजन**
**एक अनुकरणीय प्रयास—सं०**

नगर के सभी बैंकों द्वारा दिनांक 14-9-88 को हिन्दी दिवस और दिनांक 14-9-88 से 19-9-88 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक बैंकों के द्वारा अनेक अंतर-बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

**अंतर बैंक हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता**

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 27 मई, 1988 को जबलपुर शहर के बैंकों के कर्मचारियों के लिए अंतर बैंक टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता क्षे० का० के निम्नलिखित कर्मचारी विजेता रहे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री एल.आर. पाण्डेय | भारतीय स्टेट बैंक क्षे.का. | प्रथम |
| 2. | श्री सतीश बंसल | भारतीय स्टेट बैंक क्षे.का. | द्वितीय |
| 3. | श्री ओमप्रकाश भारती | इलाहाबाद बैंक, क्षे.का. | तृतीय |
| 4. | श्री एल.डी. मोटवानी | पंजाब नेशनल बैंक, क्षे.का. | सांत्वना |
| 5. | श्री ए.के. विद्यार्थी | यूनियन बैंक आफ इंडिया गोरालबाग शाखा | सांत्वना |

**सामूहिक हिन्दी दिवस का आयोजन दिनांक 19-9-88**

समिति के उपाध्यक्ष श्री जयकृष्ण टण्डन, क्षेत्रीय प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के मुख्य अतिथि एवं श्री एच.पी. चांडुकार, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में सामूहिक हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें नगर के बक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक गायन प्रतियोगिता भी हुई। उल्लेखनीय है कि समारोह में बैंकों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम का संयोजन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभारी (राजभाषा) श्री सुरेन्द्र वैद्य और हिन्दी अधिकारी श्री प्रकाश वर्मा ने किया।

**हिन्दी मास एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन :**

सितम्बर मास में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनके अधीन कार्य करने वाली शाखाओं में हिन्दी प्रयोग की स्थिति में काफी गति आई है।

इस मास के दौरान स्टेट बैंक द्वारा अनेक आंतरिक प्रतियोगिताओं का निम्नानुसार आयोजन किया गया।

(1) शब्द ज्ञान प्रतियोगिता
(2) तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता
(3) हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता
(4) टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
(5) टंकण प्रतियोगिता
(6) अनुवाद प्रतियोगिता
(7) प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
(8) सामूहिक हिन्दी दिवस के अवसर पर गायन प्रतियोगिता

**1. अंतर बैंक हिन्दी कार्यशाला**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिनांक 22-2-88 को सर्व बैंक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें नगर के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों ने बड़ी सक्रियता से भाग लिया।

**2. अंतर बैंक हिन्दी प्रश्न मंच कार्यक्रम**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 8-9-88 को बैंक के आंचलिक प्रबंधक श्री आई.पी. हिंगोरानी की अध्यक्षता में प्रथम अंतर बैंक हिन्दी प्रश्न मंच कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रश्न मंच प्रश्नोत्तर तैयार करने में एवं निर्णायक का दायित्व पूरा करने में श्री आर एस. दलाल, अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कर्मचारी विजेता रहे :—

| | | |
|---|---|---|
| श्री अमरजीत सिंह बेदी | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेपियर टाउन शाखा | प्रथम |
| कु० रीता बजाज | पंजाब नेशनल बैंक नागपुर रोड | द्वितीय |
| श्री प्रभात पारनवाल | पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय | तृतीय |

**3. अंतर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन गोष्ठी**

दिनांक 9-9-1988 को आयोजित गोष्ठी में नगर के सभी बैंकों के अधिकारियों ने बड़ी सक्रियता से भाग लिया। संचालन, केन्द्रीय कार्यालय के उपमुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री एम०पी० वैद्य, एवं भारत सरकार के उपनिदेशक श्री हरिओम श्रीवास्तव ने किया।

**4. हिन्दी कार्यशाला**

14 मार्च, 1988 को कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

**5. अधिकारी वर्ग के लिये हिन्दी कार्यशाला**

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा दिनांक 05-9-88 से 07-9-88 तक अधिकारी वर्ग के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन बैंक के आंचलिक प्रबंधक, श्री आई०पी० हिंगोरानी के द्वारा किया गया। कार्यशाला के दौरान हिन्दी पत्राचार प्रतियोगिता भी की गई।

**6. अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन**

बैंक आॅफ महाराष्ट्र ने क्षेत्रीय प्रबंधक श्री माधव लिमये की अध्यक्षता में दिनांक 12-5-88 को अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता की। निबंध का विषय "नर से बढ़कर नारी" था। इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित विजेता रहे :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री एस०पी० दीक्षित | भारतीय स्टेट बैंक | प्रथम |
| 2. श्री योगेश चोपड़ा | बैंक आफ इंडिया | द्वितीय |
| 3. कु. रीता बजाज | पंजाब नेशनल बैंक | तृतीय |

इस सप्ताह के दौरान बैंक आफ महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों को हिन्दी प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक आंतरिक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया :—

(1) क्षेत्र स्तरीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता
(2) क्षेत्र स्तरीय महाबैंक चित्रकला प्रतियोगिता
(3) क्षेत्र स्तरीय महाबैंक हिन्दी स्लोगन प्रतियोगिता
(4) हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता
(5) राजभाषा कार्यान्वयन संगोष्ठी

उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त हिन्दी दिवस समारोह के दौरान शाखा स्तर पर, प्रविष्टि लेखन, हिन्दी वाद-विवाद, हिन्दी संभाषण, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं एवं अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

**अंतर बैंक हिन्दी पत्राचार कार्यक्रम**

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के द्वारा दिनांक 10-9-88 को अंतर बैंक हिन्दी पत्राचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के अधिकांश बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता परिणाम निम्नानुसार हैं :—

लिपिक वर्ग :

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री विजय कुमार बजाज | बैंक आफ बड़ौदा नेपियर टाउन | प्रथम |
| 2. श्री रविन्द्र कुमार खरे | यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया | द्वितीय |
| 3. श्री रंगमोहन आयायो | बैंक आॅफ महाराष्ट्र | तृतीय |

**अधिकारी वर्ग :**

1. श्री टी.के. विजयावर्गी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर प्रथम

2. श्री एम.एन. कुरैशी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर द्वितीय

3. श्रीमती ममता श्रीवास्तव इलाहाबाद बैंक तृतीय

**अंतर बैंक हिन्दी काव्य प्रतियोगिता 14-9-88**

समिति द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वाह करते हुए इलाहाबाद बैंक ने दिनांक 14-9-88 को एक अंतर बैंक हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न बैंकों के 16 रचनाकारों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारी विजेता रहे :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री गोविन्द दास बरसैंया | इलाहाबाद बैंक नगर शाखा | प्रथम |
| 2. श्री कन्हैयालाल प्रसाद | पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय | द्वितीय |
| 3. श्री हरिन्द्रनाथ श्रीवास्तव | बैंक ऑफ महाराष्ट्र जबलपुर शाखा | तृतीय |

सप्ताह के दौरान हिन्दी में कार्य करने का यथासंभव प्रयास किया गया। बैंक ने दिनांक 14-9-88 को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक अन्य प्रतियोगिता "हिन्दी वक्तव्य प्रतियोगिता" का आयोजन किया।

**अंतर बैंक हिन्दी शब्दावली प्रतियोगिता**

विजया बैंक के द्वारा दिनांक 22-9-88 को हिन्दी शब्दावली प्रतियोगिता का आयोजन बड़ी सफलतापूर्वक किया गया। उल्लेखनीय है कि विजया बैंक के शाखा प्रबंधक श्री भट्ट हिन्दी के समुचित प्रयोग-प्रसार के लिए सतत प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारी विजेता रहे :—

(2) श्री हरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव बैंक ऑफ महाराष्ट्र—प्रथम

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव बैंक ऑफ महाराष्ट्र—द्वतीय

(3) श्री अशोक कुमार यादव बैंक ऑफ इंडिया—तृतीय (नेपियर टाउन शाखा)

**अंतर-बैंक हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता**

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिनांक 16-9-88 को आयोजित अंतर-बैंक हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारी विजेता रहे :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) कु. पंकज व्यास | पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, | प्रथम |
| (2) श्री हरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | द्वितीय |
| (3) श्री कमल कुमार नेमा | पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय | तृतीय |
| (4) श्री अशोक कुमार यादव | बैंक ऑफ इंडिया नेपियर टाउन | सांत्वना |
| (5) श्री मनमोहन मुखर्जी | पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय | सांत्वन |

**अंतर बैंक हिन्दी लेजर पोस्टिंग प्रतियोगिता**

दिनांक 16-9-88 को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा आयोजित अंतर-बैंक हिन्दी लेजर पोस्टिंग प्रतियोगिता में नगर के सभी बैंकों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पुरस्कृत विजेता इस प्रकार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) श्री हरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | प्रथम |
| (2) श्री विजय कुमार बजाज | बैंक ऑफ बड़ौद नेपियर टाउन | द्वितीय |
| (3) श्री अशोक कुमार यादव | बैंक ऑफ इंडिया नेपियर टाउन | तृतीय |

**अंतर-बैंक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता**

पंजाब नेशनल बैंक ने हिन्दी दिवस/सप्ताह का समापन दिनांक 26-9-88 को विस्तृत पैमाने पर किया। मुख्य अतिथि जबलपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रमुख श्री महावीरशरण जैन थे तथा अध्यक्ष बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी. वी. एल. नरसिंहन थे। कार्यक्रम का संचालन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री पवन कुमार जैन ने किया। बैंक कर्मचारियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।

समारोह में एक अंतर-बैंक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नगर के विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री माधव लिमये एवं उनके सहयोगी श्री डी. के. टण्डन सदस्य सचिव, नराकास, एवं श्री विनोद धामीजा, राजभाषा अधिकारी, बैंक आफ महाराष्ट्र थे।

निम्नलिखित पुरस्कृत हुए :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) श्री आर. एस. दलाल | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय | प्रथम |
| (2) श्री अजय जैन | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय | द्वितीय |

| | | |
|---|---|---|
| (3) कु. रीता बजाज | पंजाब नेशनल बैंक नागपुर रोड | तृतीय |
| (4) श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव | बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा | सांत्वना |
| (5) श्री हरप्रसाद सक्सेना | पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय | सांत्वना |

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 14-9-88 को महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा. गोकर्णनाथ शुक्ल, स्थानीय दैनिक नवभारत से जुड़े प्रख्यात कवि श्री मोहन शशि की उपस्थिति में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जे. जयसिंह ने की। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हिन्दी सप्ताह का भी आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान समस्त शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालय में समस्त कार्य हिन्दी में किया गया। इसके अलावा, त्रैमासिक 'आस्था' के 19वें अंक का विमोचन, अंतर-शाखा राजभाषा शील्ड योजना 1987 के परिणामों की घोषणा, हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरण एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण करके समारोह का समापन किया गया।

विजया बैंक (आंचलिक कार्यालय), नई दिल्ली

"विजया बैंक, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-9-88 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष में वाक्पटुता प्रतियोगिता, राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, लघु नाटक प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता तथा विविध कार्य रहे। समारोह में डा. रामसिंह, मुख्य अतिथि रहे, जो खालसा कालेज, नई दिल्ली में हिंदी के भूतपूर्व प्रोफेसर हैं। श्री सिंह ने हिंदी भाषा के आधुनिक हिंदी साहित्य की विकास यात्रा का परिचय देते हुए राजभाषा हिंदी में काम करने की आवश्यकता बताई।

> अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें।
>
> —डा. के. शंकर शेट्टी

डा. के. शंकर शेट्टी, सहायक महाप्रबंधक, आंचलिक कार्यालय नई दिल्ली ने बैंक द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे संघ की राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करें। श्री पी. के. हांडा, सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय बेंगलूर ने कर्मचारियों से निवेदन किया कि दिल्ली अंचल में हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाने में अपना सहयोग देते रहें।

## दूरसंचार विभाग

**दूरसंचार, केरल, तिरुअनन्तपुरम—अभिनव तरीका**

14-9-88 को हिन्दी सप्ताह समारोह का शुभारंभ करते हुए केरल दूरसंचार के मुख्य महाप्रबंधक श्री उ. वि. नायक ने परिमंडल के सभी कर्मचारियों से निवेदन किया कि राजभाषा से संबंधित आदेशों का उसी प्रकार अनुपालन किया जाना चाहिए जिस प्रकार दूसरे सांविधानिक और विधिक दायित्वों का पालन किया जाता है।

तिरुअनन्तपुरम में मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय में तारीख 14-09-1988 से 20-09-1988 तक कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, अनुवाद, हिन्दी टाइपराईटिंग, सुलेख, वक्तृता, प्रश्नोत्तरी और टिप्पण/आलेखन की प्रतियोगिताएं की गई। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि टिप्पण/आलेखन की प्रतियोगिता किसी लिखित प्रश्नपत्र के आधार पर न होकर सप्ताह में कर्मचारियों द्वारा फाइलों पर हिन्दी में किए गए कार्यों के आधार पर थी। इससे कार्यालय में हिंदी कार्य की मात्रा भी बढ़ी। पिछले वर्षों का अनुभव यह था कि हिंदी प्रतियोगिताओं में उस भाषा में योग्यता-प्राप्त बीस-पच्चीस कर्मचारी ही भाग लेते हैं और दूसरे कर्मचारी उसमें रुचि नहीं लेते। इसलिए इस साल हिंदी में केवल मेट्रिकुलेशन तक ज्ञान रखने वालों के लिए सुलेख की अलग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रकार ऐसे बहुत कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग ले सके जो सामान्य रूप से हिंदी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते थे।

> **राजभाषा के क्षेत्र में भी समस्यायें और कठिनाइयां जरूर होंगी, लेकिन उन्हें दूर करके सरकार की भाषा नीति पर अमल करना हमारा महान कर्त्तव्य है।**
>
> **—श्री उ० वि० नायक, उप महाप्रबंधक**

तारीख 16-09-1988 से 21-09-1988 तक कर्मचारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक श्री उ. वि. नायक ने किया। निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित इस कार्यशाला में परिमंडल कार्यालय के हिंदी अधिकारी के अलावा प्रोफसर एम. के. सुकुमारन नायर ने भी कार्यालयीन हिन्दी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

तारीख 21-09-1988 को हिंदी सप्ताह के समापन समारोह में भारत सरकार के 'राष्ट्रीय दूरसंचार मिशन' के निदेशक श्री जी. टी. नारायण मुख्य अतिथि रहे। उप महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री एस. विश्वनाथन् ने राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में केरल परिमंडल द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया। श्री उ. वि. नायक ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हर प्रकार के परिवर्तन में कठिनाइयां जरूर होती हैं। दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी

को अपनाते समय वर्तमान कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । लेकिन उस कारण से हम नई प्रौद्योगिकी को छोड़ नहीं देते । राजभाषा के क्षेत्र में भी समस्याएं और कठिनाइयां जरूर होंगी, लेकिन उन्हें दूर करके सरकार की भाषा-नीति को अमल करना हमारा महान कर्तव्य है । श्री नारायण ने हिंदी सप्ताह समारोह में भाग लेने में प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इस अवसर पर हमें भाषा परिवर्तन में पाई गई प्रगति का जायजा लेना चाहिए । केरल जैसे हिंदीतर प्रान्तों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए और निष्ठा के साथ उसे कार्यान्वित करना चाहिए । उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि केरल दूरसंचार के कर्मचारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए । श्री शशिकुमार, हिंदी अधिकारी ने कृतज्ञता प्रकट की । उल्लेखनीय है कि समारोह में मुख्य अतिथि और अन्य सभी अधिकारियों ने अपने भाषण हिंदी में ही दिए ।

शाम को 5 बज से "संगीत संध्या" में के कलाकार—सुकुमारन नायर, रती रानी, कुमारी, राजेन्द्रन, बेबी और मोहनदास ने अपने मधुर गीतों से श्रोताओं का मन जीत लिया । विस्तृत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पहली बार हुआ और हिंदी सप्ताह के कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों सहित सारे कर्मचारियों की भागीदारी एक उपलब्धि ही थी।

मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय के अलावा परिमंडल के विभिन्न अधीनस्थ एककों में भी हिंदी सप्ताह का आयोजन हुआ। तिरुअनन्तपुरम के दूरसंचार जिला प्रबंधक के कार्यालय में कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला, फिल्म प्रदर्शन और विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं चलाई गई ।

**केरल जैसे हिंदीतर प्रान्तों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए और निष्ठा के साथ उसे कार्यान्वित करना चाहिए :**

**—श्री जी०टी०नारायण, निदेशक (दूरसंचार)**

एरणाकुलम और कालिकट के जिला प्रबंधक कार्यालयों, सभी दूरसंचार इंजीनियर कार्यालयों, तार परियाज मंडलों, केन्द्रीय तार घरों और प्रशिक्षण केन्द्रों में भी हिंदी सप्ताह के सिलसिले में प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

### नागपुर दूरसंचार जिला

नागपुर दूरसंचार जिला प्रबन्धक कार्यालय में दिनांक 14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक 'हिन्दी सप्ताह' मनाया गया । 14 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया नागपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री व्ही. आर. सोलापुरकर ने किया । उन्होंने बताया कि हिन्दी में कार्य करना मात्र सांवैधानिक खानापूर्ति नहीं है, वरन राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भी अत्यन्त आवश्यक है । दूरसंचार जिला प्रबन्धक श्री एस. अरुणाचलम ने कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल दिया ।

सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात् दि. 16-9-88 को "हिंदी सुलेख प्रतियोगिता" का आयोजन मुख्य एक्सचेंज, इतबारी एक्सचेंज तथा जिला प्रबन्धक कार्यालय में एक साथ किया गया । दिनांक 17-9-88 को "हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता" सम्पन्न हुई । निबंध के विषय थे—सरकारी काम-काज में केवल हिन्दी के प्रयोग का औचित्य, 21वीं सदी का भारत तथा आज की नारी : कितनी अबला कितनी सबला । कर्मचारियों को 1 घंटे में किसी एक विषय पर 500 शब्दों में एक निबंध लिखना था । कर्मचारियों ने भारी उत्साह के साथ इसमें भाग लिया ।

दि. 19-9-88 को जिला प्रबन्धक कार्यालय में "हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता" रखी गई थी । दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रतियोगिता भी लाभदायक रही । इसमें भी काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया ।

अंतिम दिन पिछले वर्ष की सफलता से प्रेरित हो कर 'प्रश्न मंच' का आयोजन किया गया ।

हिन्दी सप्ताह समापन के अवसर पर दूरसंचार जिला प्रबन्धक श्री एस. अरुणाचलम ने सप्ताह भर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए।

### जिला प्रबंधक दूरसंचार भोपाल

दिनांक 10 से 15 अक्तूबर 1988 तक दूरसंचार जिला प्रबंधक भोपाल में हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसमें 1. हिन्दी टाइपिंग 2. सुलेख 3. निबन्ध 4. नोटिंग ड्राफ्टिंग तथा 5. भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गईं ।

पांचों प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार देने का निश्चय किया गया ।

श्री गोकल सिंह दूरसंचार जिला प्रबंधक ने हिन्दी सप्ताह के पूर्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हेतु एवं प्रेरणा देने के लिये बड़ी ही सरल एवं प्रभावशाली अपील जारी की । साथ ही श्री सतपाल, सचिव (दूरसंचार) नई दिल्ली द्वारा प्रसारित अपील की प्रति भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु एवं सच्ची भावना के साथ सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के समुचित प्रयोग के लिये प्रसारित की गई ।

हिन्दी सप्ताह का समापन 15-10-88 को

अध्यक्षीय भाषण में श्री गोकुल सिंह ने हिन्दी के महत्व को देश के कोने-कोने में संपर्क सूत्र, एकता के लिए बेजोड़ कड़ी के रूप में स्वीकारते हुए प्रेरणा दी कि हम हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें। अध्यक्ष महोदय की समस्त सद्भावनाओं के साथ हिन्दी अधिकारी श्री दिनकर ने सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।

## सरकारी तकनीकी उपक्रम

**हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं.लि., उटकमण्ड**

कंपनी में 14-9-1988 से हिन्दी सप्ताह में निम्न-लिखित प्रतियोगिताएं की गई—

कंपनी के कर्मचारियों के लिए—1. हिन्दी निबंध 2. हिन्दी भाषण 3. हिन्दी टंकण 4. हिन्दी तकनीकी शब्दावली 5. हिन्दी गीत

विद्यार्थियों के लिए—1. हिन्दी अनुलेखन 2. हिन्दी क्विज़ 3. हिन्दी गीत।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह 8-10-1988 को अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा की आवश्यकता और देश की एकता पर बल दिया।

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कंपनी की तरफ से श्री जी. किशन और श्री जे. एम. तिरुत्तुवनाथन् दो कर्मचारियों ने हिन्दी गीत प्रस्तुत किए।

श्रीमती प्रमा राव ने पुरस्कार वितरित किए। श्रीमती पी. एस. चांदनी, हिन्दी अधिकारी ने धन्यवाद समर्पित किया। राष्ट्र गीत के साथ समारोह समाप्त हुआ।

**माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन, लि., दुर्गापुर**

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्पोरेशन में प्रथम हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन कंपनी के अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक श्री उत्पल राय के कर कमलों से हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य उन कर्मचारियों की सहायता और मार्गदर्शन करना है जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना का प्राज्ञ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है और जो अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। श्री राय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में परामर्श दिया कि हिन्दी न केवल आज की भाषा है, बल्कि आने वाले भविष्य की भी। राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हिन्दी को सशक्त बनाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

**मिश्र धातु निगम लि., हैदराबाद**

9 सितम्बर 1988 को "हिन्दी दिवस" समारोह के आयोजन में उच्च शिक्षा व शोध संस्थान, दक्षिण भारत प्रचार सभा, हैदराबाद के प्रोफसर एवं अध्यक्ष डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मिधानि कर्मचारियों द्वारा संगीत की धुन पर महाप्राण निराला रचित "सरस्वती वंदना" के सस्वर पाठ से हुआ। कंपनी के निदेशक (वित्त) श्री जे.बी. दिवाले ने मुख्य अतिथि डॉ. गोस्वामी का परिचय दिया और आमंत्रित अतिथियों और उपस्थित हुए सज्जनों और देवियों का हार्दिक स्वागत किया। मिधानि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं प्रशिक्षण व विकास विभाग के प्रबंधक श्री जुगल किशोर ने हिन्दी के कार्यान्वयन पर संक्षिप्त रिपोर्ट दी।

डॉ कृष्ण कुमार गोस्वमी ने "हिन्दी दिवस" के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

श्री जे.बी. दिवाले ने डॉ. गोस्वामी के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि **हिंदी किसी एक प्रांत की भाषा नहीं है बल्कि वह हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों हैं और हमें इसका विकास इसी रूप में करके रहना चाहिए।**

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में निम्नलिखित हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इसमें 105 कर्मचारियों ने भाग लिया।

ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है :

**हिन्दी वाक् प्रतियोगिता :** इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारी, क्रमशः श्री पी० शंकर राव—वरिष्ठ आशुलिपिक, श्री मुरलीधर चिट्गुपकर—वरिष्ठ अभियंता और श्रीमती के० ललिता कुमारी—कार्यालय अधीक्षक।

**तकनीकी शब्दावली प्रतियोगिता :** इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारी, क्रमशः श्रीमती सी० सुकेशिनि-कनिष्ठ सहायक, श्री वी०वी० बी० आचार्य-वरिष्ठ आशुलिपिक, और श्री एस० वी० खरडेकर-कनिष्ठ तकनीशियन।

**श्रुतलेखन प्रतियोगिता :** इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारी, क्रमशः श्री पी० नरहरि राव-भंडारपाल, श्रीमती एल० स्वर्णश्री-कनिष्ठ सहायक और श्री एन० भिक्षापति-सहायक।

**निबंध लेखन प्रतियोगिता :** इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारी, क्रमशः श्री एस०वी० खरडेकर-कनिष्ठ तकनीशियन, श्री के० कृष्णा-कार्यालय अधीक्षक और श्री आर वी० एस० आर० शास्त्री-आर्टिजन "ए"।

**हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए तकनीकी शब्दावली प्रतियोगिता :** इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारी, क्रमशः श्री सतीश पंड्या-उप प्रबंधक श्री एन० पी० गिश्रा-वरिष्ठ अभियंता और श्री हंसनाथ सिंह-तकनीशियन ।

हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को, हिन्दी शिक्षण योजना से प्राप्त हुए प्रमाण-पत्र और इन परीक्षाओं में साधारण अंक लेकर उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को कंपनी की ओर से शब्दकोश भी दिए गए । इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया ।

## कोल इण्डिया लिमिटेड (मुख्यालय) कलकत्ता

गत वर्ष की तरह मुख्यालय में 3 से 11 अक्तूबर, 1988 तक हिन्दी सप्ताह समारोह भव्य रूप से मनाया गया ।

इस साल हिन्दी सप्ताह के दौरान 3 अक्तूबर से लेकर 6 अक्तूबर, 1988 तक प्रथम चार दिन, हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनका संचालन हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक एवं प्राध्यापकों ने किया । पूर्वांचल कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री इन्द्रनारायण झा ने कार्यशाला की प्रथम कक्षा का संचालन किया ।

कार्यशालाओं का विधिवत उद्घाटन 3 अक्तूबर, 1988 को श्री अ.वि. ब्रह्म, निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) ने किया जिनका स्वागत श्री केशव चन्द्र नन्दक्योलियार, महाप्रबन्धक (कल्याण एवं राजभाषा) ने करते हुए, हिन्दी सप्ताह की आवश्यकता एवं औचित्य पर प्रकाश डाला ।

उद्घाटन भाषण में श्री ब्रह्म ने सिओल में हुए ओलम्पिक खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि खेलों के समापन के अवसर हर वह के राष्ट्रपति ने कोरियायी भाषा में ही अपना समापन भाषण दिया जो इस छोटे से देश की भाषा के गौरव-बोध का द्योतक है । श्री ब्रह्म ने कहा कि इसी भावना के कारण आज कोरिया की विकास दर 10% से भी ज्यादा है । हमें इन सब देशों का भाषा के मामले में अनुकरण करना चाहिए ।

इसमें कुल 12 कार्यपालकों ने भाग लिया जिसमें वित्त, कंपनी सचिवालय, अध्यक्ष के तकनीकी सचिव के सचिवालय, जनसंपर्क, उपस्कर एवं अभियंत्रण, औद्योगिक अभियंत्रण तथा दूर संचार आदि विभागों के कार्यपालकों ने योगदान किया ।

इसके बाद तीसरे एवं चौथे दिन अर्थात् 5 एवं 6 अक्तूबर, 1988 को अन्य कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार की कार्यशालाएं चलाई गईं ।

**2. वाद विवाद प्रतियोगिता :**

पांचवें दिन, दिनांक 7-10-1988 को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कोल इण्डिया मुख्यालय से पांच प्रतिभागियों ने भाग लिया । प्रतियोगिता का विषय था "आजादी के चालीस वर्ष-कितने सफल एवं कितने असफल" ।

निर्णायक मण्डली में श्री सिद्धिनाथ झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कलकत्ता, श्री जयगोविन्द झा, उप कार्मिक प्रबन्धक तथा सातुपल्ली मोहन राव, हिन्दी अधिकारी उपस्थित थे ।

श्री झा ने तीन हिन्दी भाषी प्रतियोगियों के हिन्दी बोलने की धारा प्रवाहमानता एवं सटीक उच्चारण पर अपना हर्ष प्रकट किया ।

सप्ताह का अन्तिम दिन समापन समारोह के साथ-साथ एक भव्य काव्य गोष्ठी के साथ संपन्न हुआ । कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक (वित्त) श्री बी. स्वामीनाथन ने की और मुख्य अतिथि थे केन्द्रीय अनुवाद ब्यरो, कलकत्ता के संयुक्त निदेशक डा. अशोक कुमार भट्टाचार्य ।

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के सिवाय वे दूसरी भाषा की कल्पना भी नहीं करते ।

हिन्दी निबन्धों के पुरस्कार लेनेवालों के नाम हैं :—

(1) कुमारी नीला प्रसाद, कल्याण अधिकारी (प्रशि) सीसीएल, रांची ।

(2) श्री आनन्द कुमार रण्य, वरीय अधिशासी अभियंता (सी.पी.), सीएमपीडीआईएल, रांची ।

(3) श्री बी. के.पी. सिन्हा, वरीय सहायक डीआर तथा आरडो परियोजना करगली, सीसीएल, रांची ।

इसी तरह अंग्रेजी, उड़िया, बंगला भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ निबन्धों के लिए निबन्धकारों को पुरस्कृत किया गया । ये पुरस्कार अध्यक्ष श्री स्वामीनाथन् ने दिए ।

मई, 1988 सत्र में हिन्दी प्रबोध एवं प्राज्ञ परीक्षाओं में सफल 46 कर्मचारियों/अधिकारियों को बेयरर चेक द्वारा 23,900/- रुपयों की प्रोत्साहन राशियाँ श्री केशव चन्द्र नन्द क्योलियार ने दीं ।

### चाय बोर्ड, कलकत्ता

14, सितम्बर, 1988 से चाय बोर्ड कार्यालय में हिन्दी सप्ताह का शुभारम्भ किया गया। यह दिन बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए हिन्दी में हस्ताक्षर एवं अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए नियत था। 19-9-88 को टिप्पण-मसौदा लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

हिन्दी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता में प्रथम श्री गणपति दरवार, द्वितीय श्रीमती शिप्रा मुखर्जी, तृतीय श्री असीम खास्तगीर और श्री पवित्र किशोर घोष, श्रीमती सीमा राय चौधरी तथा श्रीमती कावेरी मुखर्जी को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

हिन्दी भाषी के लिए हिन्दी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री उमेश बिहारी माथुर, द्वितीय पुरस्कार श्री आनन्द बिहारी सिंह, तृतीय पुरस्कार श्री विनोद कुमार शर्मा अलावा श्री रमेश जन्द्र शर्मा, जेविस्कों सिंह, श्री लल्लन पाण्डेय को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता के पश्चात् वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय थे—"कार्यालय में कार्य करने वाली महिलाएं सफल गृहिणी हो सकती हैं" तथा "भारत में कम्प्यूटर की आवश्यकता"। प्रथम पुरस्कार श्री प्रदीप कुमार घोष; द्वितीय पुरस्कार श्रीमती कावेरी मुखर्जी, तृतीय पुरस्कार श्रीमती एस. सीथा लक्ष्मी को प्रदान किया गया।

इसके अलावा श्री निर्मल साहा, श्री मनोज कुमार भौमिक, श्रीमती संध्या सेनगुप्ता को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी भाषी प्रतिभोगियों में प्रथम पुरस्कार श्री रतन सिंह, द्वितीय पुरस्कार श्री विनोद शर्मा, तृतीय पुरस्कार श्री लल्लन पाण्डेय के अलावा श्री उमेश बिहारी माथुर, श्री आनन्द बिहारी सिंह, एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

#### हिन्दी कार्यशाला

दिनांक 15, 16 सितम्बर, 1988 को आयोजित कार्यशाला में 30 कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, कलकत्ता के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार भट्टाचार्य ने राजभाषा के भाषातत्त्व एवं उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को जानकारी दी। श्रीमती उर्मिला मल्होत्रा ने हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, श्री सुभाष पालीवाल ने टिप्पण-मसौदा लेखन, डॉ अवधेष सिंह ने "हिन्दी में तार" श्री करुणा शंकर मिश्र ने "लिंग निर्णय" एवं उमेश कुमार पाठक ने कार्यालय ज्ञापन/आदेश/सरकारी पत्र/अर्ध-सरकारी पत्र आदि विषयों पर कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया।

20-9-88 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह उपाध्यक्ष श्री एस. एस. आहूजा की अध्यक्षता में हुआ। श्री आहूजा ने कहा कि हिन्दी के प्रति कर्मचारियों में जो रुचि बढ़ी है, वह संतोषप्रद है, परन्तु लक्ष्य यह है कि हम अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में ही करें।

हिन्दी के प्रख्यात समालोचक, शिक्षाविद् एवं जोधपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति एवं कलकता विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री कल्याण मल लोढा ने कहा कि हिन्दी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं, बल्कि पूरे देश की भाषा है। इसमें हमारे देश की माटी की गंध है इसलिए इसे सीखना कठिन नहीं है। जो लोग इसे कठिन बताते हैं, वे अपने देश की माटी से परिचित नहीं हैं।

कार्यक्रम का संचालन बोर्ड के हिन्दी अधिकारी श्री करुणा शंकर मिश्र ने किया।

**मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा की दासता से मुक्ति की ओर हम निरंतर अग्रसर हो रहे हैं।**

**डी० बी० मुखर्जी**

बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी श्री डी. बी. मुखर्जी ने अभ्यागतों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यालय में कमचारियों में हिन्दी के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देख कर सुखद अनुभूति हो रही है और वे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की दासता से मुक्ति की ओर हम निरन्तर अग्रसर हो रहे हैं। अंत में निदेशक चाय संवर्धन श्री तपन कुमार चक्रवर्ती ने धन्यवाद देते हुए यह आशा व्यक्त की कि भविष्य में हिन्दी के विकास एवं कार्यान्वयन की दिशा में हम और अधिक सक्रिय होंगे।

### नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

सदैव की भांति इस वर्ष भी कंपनी के सभी कार्यालयों में 14 सितम्बर 1988 को हिन्दी दिवस तथा 14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक श्री गोपाल चन्द्र भट्टाचार्य ने हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में अपने संदेश में अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अपनी भाषाओं को अपनाने की पुरजोर अपील की और बताया कि प्रशासन को जनता के नजदीक लाने के लिए और जनता को हमारी योजनाओं को समझने और उनमें भागीदार बनाने के लिए जनभाषा हिन्दी में काम करना अति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश में विभागाध्यक्षों और अन्य उच्च अधिकारियों को स्वयं

हिन्दी में काम करने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों का हिन्दी में काम करने के लिए हौसला अफजाई करने के लिए आह्वान किया।

14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक सभी कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त "हिन्दी निबन्ध लेखन" तथा "टिप्पण तथा मसौदा लेखन" प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

### कलकत्ता

कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन हिन्दी शिक्षण केन्द्र में किया जिसका उद्घाटन महाप्रबन्धक श्री मधुकर भगत ने किया। इस अवसर पर सहायक महाप्रबन्धक श्री आर. एस. गुप्ता, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एस. के. सोम तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक श्री इन्द्र नारायण झा ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। हिन्दी सप्ताह के दौरान प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 19-9-88 को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता श्री गोपाल चन्द्र भट्टाचार्य, अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक ने की। उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए। बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय के अवर सचिव श्री राम प्रकाश सहगल बैठक में भाग लेने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से आये थे और उन्होंने कम्पनी द्वारा की गई प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की। हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत क.क्षे.का. ने एक हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया।

### मद्रास

**मद्रास स्थित दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय तथा तमिलनाडु राज्य स्थित अन्य कार्यालयों में हिन्दी दिवस धूमधाम से मनाया गया। मद्रास कार्यालय में आयोजित निबन्ध लेखन प्रतियोगिता के अवसर पर श्री के.सी.मित्तल, महाप्रबन्धक उपस्थित थे और उन्होंने तमिलनाडु में कर्मचारियों के हिन्दी के प्रति स्नेह की प्रशंसा की।**

### बम्बई

पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प. क्षे. का. में 'पश्चिम दर्पण' नामक एक हिन्दी पत्रिका का विमोचन किया गया। हिन्दी निबन्ध एवं वाद प्रतियोगिताएं की गयीं जिसमें लगभग 50 सदस्यों ने भाग लिया।

दिल्ली, लखनऊ, बेंगलूर, हैदराबाद, पुणे, नासिक गुवाहाटी आदि नगरों में हिन्दी दिवस /सप्ताह मनाये गए। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित सभा को श्री जी.एस. नारंग ने सम्बोधित किया। ल. क्षे. का. में आयोजित सभा को श्री आर. कपूर ने सम्बोधित किया तथा वहां गोमती होटल के सभाकक्ष में हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

### अहमदाबाद

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री विश्वनाथ मदान ने हिन्दी में कार्य की बढ़ौतरी पर प्रशंसा जाहिर करते हुए आगामी वर्ष में और अधिक काम हिन्दी में करने पर जोर दिया। 24 सितम्बर को चारों सहायक कम्पनियों ने मिलकर एक समारोह आयोजित किया जिसमें न्यू इंडिया के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक श्री एस. के. सेठ पधारे।

### बेंगलूर

बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह विशेष धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री एन. कृष्णामूर्ति, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे दैनिक कार्यक्रम में हिन्दी को उचित स्थान दें। इस अवसर पर अनेक कर्मचारियों ने हिन्दी कविता-पाठ किया तथा देशभक्ति के गीत गाए। इंदौर में भी क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एच. एल. कांकड़ की अध्यक्षता में हिन्दी समारोह हुआ।

### विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना

हिन्दी सप्ताह समारोह दि. 14-9-1988 से लेकर 20-9-1988 तक मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के शुभ अवसर पर मुद्रित की गई "विशाख इस्पात राजभाषा भारती" नामक किताब का, श्री डी. आर. आहूजा ने विमोचन किया।

हिन्दी सप्ताह के अवसर पर निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार दिए गए जिनका विवरण इस प्रकार है–

**हिन्दी टिप्पण प्रतियोगिता**:––सर्वश्री डी. एस. एन. मूर्ति–(प्रथम) जो. श्रीनिवास राव–(द्वितीय) सी.एच. रामकृष्ण–(तृतीय)

**हिन्दी वाक् प्रतियोगिता**:––जी. श्रीनिवास राव–(प्रथम) पी. ए. सूर्यनारायण–(द्वितीय) एस. जगन्नायन–तृतीय

**हिन्दी टंकण प्रतियोगिता**––सर्वश्री एम. आर. नरसिंह बाबू–(प्रथम) को. ना. वे. आंजनेयुलु–(द्वितीय) सालापु सत्यनारायण–(तृतीय)

**हिन्दी स्लोगन प्रतियोगिता** :—एम. जगदीश प्रसाद–(प्रथम डी. श्रीनिवास राव–(द्वितीय) बी. श्रीरामुलु–(तृतीय) बी. सत्यासिराव–(प्रोत्साहन पुरस्कार)।

**हिन्दी नाटक प्रतियोगिता** :—"डा. सर्वेश्वर" –(उत्तम नाटक) आर. नागभूषण राव (उत्तम निर्देशक) ए. बेनर्जी–(उत्तम अभिनेता) आर. एल. सी. पट्टनायक (उत्तम समर्थक) अभिनेता) एस. एम. वी. सूर्यनारायण–(उत्तम गौण पात्र)

इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री वी. तुलसी राम सांसद ने पुरस्कार प्रदान किए।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिक प्रयोग के लिए, श्री हरदयाल एन्ड्ले निदेशक, (वित्त) को परियोजना की राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

डा. एस. कृष्णबाबू हिन्दी अधिकारी ने धन्यवाद दिया।

### तेल एवं गैस आयोग, अहमदाबाद

परियोजना में दिनांक 14 से 21 सितम्बर 1988 तक आयोजित हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

सप्ताह का शुभारम्भ दिनांक 14 सितम्बर 1988 को परियोजना प्रमुख डा० भगवान सहाय उप महाप्रबन्धक (समन्वय) द्वारा समारोह के विधिवत् उद्घाटन से हुआ। डा. सहाय ने हिन्दी के कार्यालयीन प्रयोग पर प्रकाश डाला और कार्मिकों से आग्रह किया कि वे हिन्दी सप्ताह से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करें। श्री जगदीश चन्द्र गुप्त, उप महाप्रबन्धक (यांत्रिक) ने जो परियोजना के राजभाषा अधिकारी हैं, धन्यवाद दिया।

16 सितम्बर से 20 सितम्बर 1988 तक सप्ताह के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं की गईं। इन प्रतियोगिताओं में परियोजना के 124 कार्मिकों ने भाग लिया। जिन प्रतियोगियों ने नकद पुरस्कार प्राप्त किए उनकी सूची निम्नवत् है :—

(1) हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

(अ) आर.बी. पोखरियाल — प्रथम

**अन्यों के लिए :**

श्री राजकुमार असरानी — प्रथम
,, आर.एन. जहलानी — द्वितीय
श्रीमती मीनाक्षी एन. शाह — तृतीय
,, मौली थामस — तृतीय

**(2) वाक् प्रतियोगिता (हिन्दी भाषियों के लिए)**

श्री नरपत सिंह रावत, भू-भौतिकीविद् — प्रथम
श्री अखिलेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता — द्वितीय
श्री आर.एल. मिलवार सहायक अभियन्ता — तृतीय
श्री एस. एस. भटनागर, लेखाकार — तृतीय

**अन्य कार्मिकों के लिए :**

श्री राकेश सहगल, सहा. अधि. अभियन्ता — प्रथम
श्री राजकुमार श्राफ, सहायक ग्रेड-II — द्वितीय
श्री जे.एच. कथिरिया आशुलिपिक III — तृतीय
श्री राजकुमार असरानी सहायक–II — तृतीय

**(3) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)**

श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, अधीनस्थ भू भौतिकीविद् — प्रथम
श्री एन.एस. रावत भू भौतिकीविद् — द्वितीय
श्री कामेश्वर नाथ, वरिष्ठ भू भौतिकीविद् — तृतीय

**अन्य कार्मिकों के लिए :—**

श्री राकेश मोहन सहगल, सहा- अधि. अभि. (ई) — प्रथम
श्री राकेश कौल, सहा. अधि. अभि. (विद्युत) — द्वितीय
श्री राजकुमार श्राफ, सहायक पदक्रम — तृतीय
श्री राजेन्द्र खन्ना सहायक अभियन्ता (विद्युत) —तृतीय

**(4) टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)**

श्री समीर कान्त समशेरी, सहा. अधि. अभि —प्रथम
श्री त्रिलोक सिंह रावत सहा. अधि. अभि— द्वितीय
श्री अरविन्द कुमार शर्मा, सहायक विधि परामर्शी—तृतीय

**अन्य कार्मिकों के लिए:—**

श्री सी. नारायण सहायक पदक्रम-III — प्रथम
श्रीमती के. लसीअम्मा, सहायक पदक्रम-I— द्वितीय
श्री आर.एन. जहलानी; आशुलिपिक पदक्रम –तृतीय

दिनांक 19-9-1988 को आयोजित हिन्दी कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री रामकृष्ण त्रिवेदी थे। माननीय राज्यपाल द्वारा परियोजना की प्रकाशित हिन्दी पत्रिका के, जिसके प्रथम अंक को अहमदाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के एक समारोह में दिनांक 22 सितम्बर 88 को भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री शंभुदयाल द्वारा प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, तृतीय अंक का विमोचन किया। उन्होंने हिन्दी के कार्यालय प्रयोग पर भी सभी कार्मिकों को संबोधित किया।

दिनांक 21-9-88 को समापन समारोह में उप महाप्रबन्धक द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इस समापन समारोह पर हिन्दी कार्यकारिणी समिति के सचिव श्री राजेन्द्र झा वरिष्ठ उपनिदेशक (अ व सं) ने इस समारोह का समापन करते हुए सभी कार्मिकों का आभार प्रकट किया।

## अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद

दिनांक 14-9-88 से 20-9-88 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन डॉ. ज्योर्ज जॉसेफ, उप निदेशक, सुदूर संवेदन ने किया और नियंत्रक श्री एम. एम. शाह ने आमंत्रित अतिथि विशेष डॉ. भोलाभाई पटेल तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण में श्री शाह, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी को केवल नियमानुसार ही नहीं वरन् अन्तःकरण से सरकारी कामकाज की भाषा बनाने पर बल दिया।

डॉ. ज्योर्ज जॉसेफ ने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारी संपर्क भाषा ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को जोड़े। उन्होंने हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रसार के लिए संचार माध्यमों के योगदान पर भी प्रकाश डाला तथा अंत में हिन्दी के प्रचार के उत्साह को हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित भाषणों तक ही सीमित न रखे जाने की सलाह दी।

डॉ. भोलाभाई पटेल ने कार्यालय का कामकाज अंग्रेजी माध्यम से करने में अभ्यस्त कर्मचारियों से कहा कि वे सरल एवं सुबोध हिन्दी का प्रयोग करके हीन भावना को दूर करने में सहायक हों।

हिन्दी अधिकारी श्री वि. दत्त ने अध्यक्ष, आमंत्रित अतिथियों तथा सभी स्टाफ सदस्यों का हिन्दी सप्ताह समारोह में दिए गए योगदान के लिए आभार प्रकट किया।

निदेशक श्री पी. पी. काले ने हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए केन्द्र के कर्मचारियों के विशेष उत्साह के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान कीं और इस समारोह में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए।

### वाद-विवाद प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी

| | |
|---|---|
| 1. प्रथम | श्री जगदीश प्रसाद शिवहरे |
| 2. द्वितीय | श्री सर्वेश्वरप्रसाद व्यास |
| 3. तृतीय | श्री गोपीराम शर्मा |
| 4. प्रोत्साहन | श्री एन. के. रावत |

अन्य

| | |
|---|---|
| 1. प्रथम | श्री नथन शेलत |
| 2. द्वितीय | श्री ए. चटर्जी |
| 3. तृतीय | श्री संदीप ओझा |
| 4. प्रोत्साहन | श्री पी. सी. रावल |
| 5. प्रोत्साहन | श्रीमती एच. पी. शाह |

### काव्यपाठ प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी

| | |
|---|---|
| 1. प्रथम | श्री अरविंद के. सिंहा |
| 2. द्वितीय | श्री जगदीश प्रसाद शिवहरे |
| 3. तृतीय | श्री सी. एल. राय |
| 4. प्रोत्साहन | श्री राकेशमोहन गैरोला |
| 5. प्रोत्साहन | श्री सी. एन. सारस्वत |
| 6. प्रोत्साहन | श्री के. एम. माथुर |

अन्य

| | |
|---|---|
| 1. प्रथम | डॉ. ए. एस. देशपांडे |
| 2. द्वितीय | श्री आर. ए. बारापात्रे |
| 3. तृतीय | श्री एस. एस. पलसुले |
| 4. तृतीय | श्री. पी० सी० रावल |
| 5. प्रोत्साहन | श्री बी. एस. मुंजाल |
| 6. प्रोत्साहन | श्री एम. एस. नारायणन् |

### प्रश्नमंच प्रतियोगिता

| | |
|---|---|
| 1. प्रथम | श्री चन्द्रमोहन किस्तवाल |
| 2. द्वितीय | श्री डी. बी. दवे |
| 3. तृतीय | श्री एन. एम. देसाई |
| 4. प्रोत्साहन | श्री एस. पी. व्यास |
| 5. प्रोत्साहन | श्री एस. पी. व्यास |
| 6. प्रोत्साहन | डॉ. एन. के. व्यास |
| 7. प्रोत्साहन | श्री जे. टी. देसाई |
| 8. प्रोत्साहन | श्री एस. एम. भंडारी |

## कंडला पोर्ट ट्रस्ट

ट्रस्ट में 12 सितम्बर से 17 सितम्बर, 1988 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कैप्टन एस. के. सोमयाजुलु ने एक अपील द्वारा पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे सरकारी पत्राचार में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिन्दी अधिकारी श्री आर. एन. मिश्र ने हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें 41 प्रतिभागियों को विभागीय पत्राचार का गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि में "हिन्दी टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता" तथा "हिन्दी निबंध" प्रतियोगिताएं की गई।

दिनांक 2 दिसम्बर, 1988 को "हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह" आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित कर्मचारियो को कंडला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक भव्य समारोह में पुरस्कृत किया :—

### हिन्दी टंकण तथा आलेखन प्रतियोगिता

| | |
|---|---|
| 1. श्री राम अनन्दानी | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री चन्द्र जे. अनन्दानी | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री राजेन्द्र मेहता | तृतीय पुरस्कार |

इसके साथ ही 4 कर्मचारियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए ।

**हिन्दी निबंध प्रतियोगिता**

| | |
|---|---|
| 1. कु. मधु जेठानी | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री राम अनन्दानी | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री चन्द्र जे. अनन्दानी | तृतीय पुरस्कार |

वर्ष के दौरान सरकारी पत्राचार में 50,000/- से अधिक हिन्दी शब्दों का प्रयोग करने वाले पोर्ट ट्रस्ट के 3 कर्मचारियों को रु. 500/- 500/- के नकद पुरस्कार भी दिए गए।

हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पोर्ट ट्रस्ट के सचिव, श्री ए.एस. केलकर ने हिन्दी संबंधी सरकारी नियमों की जानकारी दी और पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कैप्टन एस.के.. सोमयाजुलु ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने नेमी पत्राचार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को नई गति प्रदान करें । इस समय पोर्ट ट्रस्ट के कुल पत्राचार का लगभग 25% हिन्दी में किया जा रहा है। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित करते हुए सलाह दी कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित हिन्दी पत्राचार के 50% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सघन प्रयास करें ।

**नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. बम्बई**

निगम में 3 नवम्बर 1988 को हिन्दी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर निगम में निम्नलिखित कार्य किए गए :-

1. हिन्दी कार्यान्वयन से संबंधित लघु पुस्तिका तैयार करके सभी कर्मचारियों में वितरित की गई । 2. हाजिरी रजिस्टर पर केवल हिन्दी में ही हस्ताक्षर । 3. हिन्दी में ही वार्तालाप । 4. कार्यालय का कार्य अधिक से अधिक हिन्दी में । 5. निबंध प्रतियोगिता । 6. कविता पाठ प्रतियोगिता तथा 7. अंत्याक्षरी ।

समापन समारोह में कविता पाठ, निबंध तथा अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया ।

**राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे**

14 सितम्बर, 1988 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर हिन्दी निबन्ध एवं हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें स्टाफ के 25 सदस्यों ने भाग लिया । हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का विषय था– "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाएं ।" इसी प्रकार एक हिन्दी वाक्संच का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी 16 कर्मचारियों ने अपने विचार हिन्दी में व्यक्त किए ।

मुख्य समारोह की अध्यक्षता डा० ए०पी०बी० सिन्हा वैज्ञानिक, (निदेशक ग्रेड) ने की। डा. रमाशंकर व्यास, हिन्दी अधिकारी ने स्वागत भाषण में एन.सी.एल. में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। डा० सिन्हा ने हिन्दी निबन्ध तथा हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए और हिन्दी की प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले 64 कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र भी दिए ।

श्री के. एल. गौतम, सेवानिवृत्त उप-निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना, बम्बई) वैज्ञानिक संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार पर बल दिया। उन्होंने प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे पूरी निष्ठा के साथ हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाए ।

श्री आई. डी. पी०, श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी, ने संचालन किया और डा. व्यास ने आभार व्यक्त किया ।

**राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर**

"देश के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में हो रहे अनुसंधान के परिणाम जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।" राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर में 16 सितंबर को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि तथा कई मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों के सदस्य प्रो. मुकुलचन्द पांडेय ने 'हिन्दी में वैज्ञानिक संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है,' इस भ्रांति का निराकरण करते हुए प्रो. पाण्डेय ने प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शब्दावली को अपनाते हुए सरल हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जिसमें राष्ट्रभाषा के विकास की गति तीव्र होगी।

प्रो. मुकुलचन्द द्वारा, श्री राधेश्याम शर्मा, डा. वसंत म्हैसालकर और श्री आर. परमशिवम् द्वारा तैयार की गई "मंद वालू छन्ना—प्रचालक मार्गदर्शिका" नामक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया गया ।

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग ...श को पीछे धकेलना है" विषय पर एक खुली वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई । इससे पहले 14 सितम्बर को स्कूल/जुनियर कालेजों के विद्यार्थियों की इसी विषय पर अलग वाद-विवाद प्रतियोगिता सम्पन्न हुई । पराजपे स्कूल, नीरी शाखा के प्राचार्य श्री जी.सी.लोकरे, मुख्य अतिथि थे । संस्थान के डा. जयशंकर पाण्डे, वैज्ञानिक तथा कु. कमला जनियानी, अनुसंधान अध्येता ने खुली प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम और द्वितीय तथा स्कूल/कालेज विद्यार्थियों में माऊंट कार्मल की कु० रचना शुक्ल और मदनगोपाल अग्रवाल हाईस्कूल के श्री महेश चतुर्वेदी ने क्रमशः प्रथम और

द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए । भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर संस्थान के सर्वश्री एस. के. गोस्वामी, उच्च श्रेणी लिपिक, जी० के० चकोले, अवर श्रेणी लिपिक ओर जे० वी० रहाटे, अवर श्रेणी लिपिक, को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया ।

शाम को संस्थान के कर्मचारियों द्वारा "अभिनय" एकांकी प्रस्तुत किया गया जिसकी निर्देशिका श्रीमती दमें थी । सभी कलाकारों का अभिनय सराहनीय था । इसके अतिरिक्त, परांजपे स्कूल, नीरी शाखा द्वारा विविध मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें कक्षा 2 की छात्रा कु. कल्याणी केलकर का भारत नाट्यम और गरबा नृत्य समूह गान का श्रेष्ठ प्रस्तुतीकरण उल्लेखनीय रहा ।

कार्यक्रम का संचालन एवम् आभार प्रदर्शन श्री राधेश्याम शर्मा, प्रभारी, राजभाषा एकक और वाद-विवाद प्रतियोगिता का संचालन डा० के० एस० एम. राव द्वारा किया गया ।

### भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून

दिनांक 14 से 20 सितम्बर, 1988 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवधि में छह प्रतियोगिताएं (वाचन, तत्काल भाषण, प्रश्न मंच, निबन्ध लेखन, पत्र-लेखन और हिन्दी टंकण) की गई जिनमें 72 कर्मचारियों ने सोत्साह भाग लिया और 26 विजेताओं को पीतल की सजावटी कलाकृतियों एवं प्रमाणपत्रों ओर सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार दिए गए । राजभाषा अधिनियम की रजत जयन्ती का समारोह अत्यन्त उत्साहवर्धक रहा । सभी कार्मिकों से सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का अनुरोध किया गया ।

### आयल इंडिया लि., जोधपुर

ऑयल इंडिया लिमिटेड (राजस्थान परियोजना) कार्यालय जोधपुर में वर्ष 1988 का हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया । इस अवसर पर निम्न कार्यक्रम आयोजित हुए । (1) दो आयु समूहों में हिंदी निबंध प्रतियोगिता (2) सांस्कृतिक कार्यक्रम (3) "हिन्दी प्रगति" नामक स्मारिका का प्रकाशन ।

मुख्य अतिथि डा० विमल, प्रोफेसर, जोधपुर विश्वविद्यालय ने राजभाषा हिन्दी की गरिमा, और देश की एकता में सक्षम कड़ी के रूप में उसका महत्व बताया । कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के व्यापक प्रयोग की प्रेरणा दी । श्री जे. एम० बी. बरुआ ,महाप्रबंधक (राजस्थान परियोजना) ने भाषण दिया। कार्यक्रम संचालक श्री किशन लाल राजपूत, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने कार्यालय में राजभाषा हिन्दी की प्रगति बताई । बच्चों व कर्मचारियों ने गीत, गज़ल, भजन, कविता पाठ के रूप में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए । कर्मचारियों ने "कमाल पाशा के मंत्रिमण्डल का फैसला" नामक नाटक अभिनीत किया जिसमें राजभाषा का महत्त्व प्रतिपादित किया गया था । अंत में पुरस्कार दिए गए ।

### बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, दिल्ली

हिन्दी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया और अनेक कार्यक्रम किए गए ।

हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 13-9-88 को श्री एम.आर. राव, महाप्रबंधक का एक संदेश व्यापक रूप से परिचालित किया गया जिसमें महाप्रबंधक ने कर्मचारियों से अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने और नोटिंग/ड्राफ्टिंग हिन्दी में करने का अनुरोध किया ।

कामगारों/पर्यवेक्षकों के लिए हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन दिनांक 14-9-88 को हिन्दी दिवस के अवसर पर श्री डी. के. गोयल, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण) ने किया ।

हिन्दी दिवस पर हिन्दी के संबंध में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त संख्या में बैनर आदि बनवाकर प्लांट में मुख्य स्थानों पर लगाए गए । बैनरों पर हिन्दी के संबंध में महापुरुषों की प्रेरणादायक उक्तियां और प्रभाव डालने वाले स्लोगन लिखे गए थे ।

### राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

दिनांक 19 सितम्बर से 23 सितम्बर, 1988 तक आयोजित हिन्दी सप्ताह में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं की गईं :-

1. हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता
2. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता
3. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
4. वाद-विवाद प्रतियोगिता
5. गैर-हिन्दी भाषियों के लिए भाषण प्रतियोगिता

प्रतियोगिताओं में मुख्यालय के 31 कर्मचारियों ने भाग लिया । 15 सफल प्रतियोगियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए ।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह 23 सितम्बर, 1988 को हुआ । श्री शिवराज पाटिल, माननीय नागर विमानन एवं पर्यटन राज्य मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि थे । इस समारोह की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री चं. शा. राजे, प. वि.से. पदक, अ.वि.से. पदक ने

की । इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में संसद सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी का मान विशेष रुप से उल्लेखनीय है । इसी दिन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रथम त्रैमासिक पत्रिका "विमान पथ" का विमोचन भी श्री पाटिल के कर-कमलों द्वारा हुआ । मंत्री जी ने प्राधिकरण द्वारा पत्रिका निकाले जाने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त की ।

इसके बाद मंत्री जी ने सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र वितरित किए ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजे ने गतिविधियों के उल्लेख के साथ सभी व्यक्तियों का धन्यावाद किया ।

**मुख्य महालेखाकार (ले.एवं हक.) तमिलनाडु, मद्रास**

कार्यालय मुख्य महालेखाकार (ले.एव हक.), तमिलनाडु, मद्रास में हिन्दी सप्ताह समारोह में दिनांक 14-9-88 से 21-9-88 तक प्रतिदिन निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

14-9-88 को उद्घाटन श्री एम. एन. के. नायर, उप म.ले. (प्र) ने किया । कार्यालय के कार्मिकों द्वारा हिन्दी नाटक "सन्यास की तलाश" खेला गया । श्री आर. वासुदेवन लेखा अधिकारी, ने हिन्दी नाटक में मुख्य भाग लेने के अलावा नाटक की कथा एवं संवाद लिखकर उसका निर्देशन किया ।

16-9-88 को हिन्दी भाषण प्रतियोगिता रखी गई । श्री आर. एम. श्रीनिवासन हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना और श्रीमती बी. जयलक्ष्मी, सहायक लेखा अधिकारी इसके जज बने। प्रतियोगिता की समाप्ति पर श्री. आर. एम. श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में हिन्दी की स्थिति के बारे में एक भाषण दिया ।

भाषण प्रतियोगिता के बाद मई 88 में उत्तीर्ण सभी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और विशेष पुरस्कार, श्रीमती उषा शंकर, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (निधि) ने दिए ।

कार्यक्रम की समाप्ति पर जापानी "पेपर कट्टिंग" कला का प्रदर्शन किया गया ।

19-9-88 को हिन्दी निबंध लेखन और टिप्पण आलेखन प्रतियोगिताएं की गईं ।

22-9-88 को प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्रीमती उषा शंकर, वरिष्ठ उप महालेखाकार (निधि) ने पुरस्कार वितरित किए। हिन्दी नाटक के अभिनेताओं को भी सम्मानित किया गया । पुरस्कार वितरण के बाद हिन्दी सुगम संगीत कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ लेखाकार, श्रीमती एच.एस.कुसुमा तथा सहायक लेखा अधिकारी, श्री सी.जी. सत्यनारायण ने सुगम संगीत पेश किया ।

राष्ट्रगान के साथ समारोह समाप्त हुआ ।

**संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन**

सिलवासा में प्रशासन द्वारा दिनांक 1-8-1988 से 6-8-1988 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । इसका उद्घाटन समाहर्ता श्री आर.के. वर्मा ने दीप जला कर किया । सप्ताह के दौरान नीचे लिखी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में करीब 250 छात्रों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया ।

(1) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता
(2) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
(3) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
(4) हिन्दी नाटक प्रतियोगिता
(5) हिन्दी वाक् प्रतियोगता
(6) हिन्दी कवि सम्मेलन
(7) देश भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम
(8) अन्य वर्ग सांस्कृतिक कार्यक्रम
(9) हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग में दिनांक 1-9-1987 से 31-8-1988 तक फाईलों पर लिखे गये शब्दों का 50,000 शब्दों का लक्ष्य की प्रतियोगिता—दो वर्गों में जैसे कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग ।
(10) वार्षिक विभागीय हिन्दी प्रगति रिपोर्ट 1-9-3987 से 31-8-1988 तक प्रतियोगता ।

**हिन्दी कविता पाठ**

हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह में श्री बी. परमार, परियोजना निदेशक ने उपस्थित सभी अधिकारीगण विद्यार्थीगण, कर्मचारीगण एवं निर्णायकगण और कलाकारों का जिन्होंने इस सप्ताह के अन्तर्गत प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया है उनका आभार प्रकट किया और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि "इसी तरह भविष्य में भी ऐसा उत्साह दिखाते रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना बहुमूल्य समय एवं योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद ।

दिनांक 14 सितम्बर, 1988 के दिवस को प्रत्येक वर्ष की तरह "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया गया । इस की अध्यक्षता संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन के समाहर्ता श्री आर. के. वर्मा ने की । इस समारोह में करीब 700 कर्मचारियों, अधिकारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया । समाहर्ता श्री आर.के. वर्मा ने कहा कि प्रादेशिक हिन्दी और राष्ट्रीय हिन्दी जैसी कोई चीज़ नहीं हैं । हिन्दी न तो क्लिष्ट है और न ही वह किसी पर लादी जा रही है इसे तो आज़ आम आदमी अपने आप ही स्वीकार कर रहा हैं ।

इस शुभ अवसर पर संसद श्री सीताराम जे. गावली ने हिन्दी के कार्य और प्रसार व प्रचार पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे आम व्यक्ति समझ सकता है और अपने विचार एक दूसरे के आगे व्यक्त कर सकता हैं ।

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दियू के आमंत्रित विशेष अतिथि सहायक पुलिस महा-निरीक्षक श्री दीपक मिश्रा, ने पुरस्कार दिए ।

श्री वी. एन. परमार, परियोजना निदेशक,, ग्रामीण विकास एजेंसी और राजभाषा कार्यान्वन की निरीक्षण समिति के अध्यक्ष ने सबका स्वागत किया तथा श्री एल. पी. व्यास ने हिन्दी का वैहिचक प्रयोग करने का आह्वान किया ।

हिन्दी सप्ताह एवं हिन्दी दिवस के कार्यक्रम का संयोजन हिन्दी अनुभाग के श्री एस. के. पटियाल, हिन्दी अनुवादक, श्रीमति वी. जे. सोलंकी, हिन्दी आशुलिपिक, और श्री भरत प्रसाद, हिन्दी टाईपिस्ट की देख-रेख में सम्पन्न हुआ ।

### पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, बम्बई

निरीक्षण निदेशालय में 14 सितंबर, 1988 से 20 सितंबर, 1988 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर निरीक्षण निदेशक श्री डी. के. नन्दी ने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि हिंदी सप्ताह के दौरान कर्मचारी अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करें । उन्होंने कहा कि कार्यालय में हिंदी की निरंतर प्रगति हो रही है और यह आवश्यक है कि इस प्रगति को बनाए रखा जाए। पूर्ति विभाग की शील्ड योजना के अंतर्गत वर्ष, 1985-86 तथा 1986-87 में हिंदी कामकाज के लिए कार्यालय को तृतीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए श्री नन्दी ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी।

हिंदी सप्ताह के दौरान कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनके विजेता प्रतियोगियों का विवरण इस प्रकार है।

**1. निबन्ध प्रतियोगिता**

श्रीमती लता सालुंखे (अ श्रे. लि.)—प्रथम
श्री एच. एच. रूपारेल (अ. श्रे. लि.)—द्वितीय
श्री पी. पी. देशमुख (अ. श्रे. लि.)—तृतीय

**2. कविता पाठ प्रतियोगिता**

श्री एच. एच. रूपारेल (अ. श्रे. लि.)—प्रथम
श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा (भंडार परीक्षक)—द्वितीय
श्री पारस नाथ दीक्षित (भंडार परीक्षक)—तृतीय

**3. गीत-गायन प्रतियोगिता**

श्री टी. टी. सुधाकरन (स. निरीक्षण अधि.)—प्रथम
श्रीमती कल्पना कपाड़िया (अ. श्रे. लि.)—तृतीय
श्री वी. जे. कपाड़िया (अ. श्रे. लि.)—तृतीय

**4. भाषण प्रतियोगिता**

श्री बी. एल. अजगांवकर (उ. श्रे. लि.)—प्रथम
श्री एच. एच. रूपारेल (अ.श्रे. लि.)—द्वितीय
श्री जे. के. मसन्द (उ. श्रे. लि.)—तृतीय

श्री एम. टी. कणसे, उप महानिदेशक निरीक्षण ने 16 सितंबर को विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। श्री कणसे ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि कर्मचारीगण हिंदी कामकाज में अधिकाधिक रुचि ले रहे हैं।

### प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद

14-9-88 को "प्रथम हिंदी दिवस" का आयोजन हुआ। इस उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता मुद्रणालय के कार्य प्रबंधक श्री प्र. कु. मेहरोत्रा ने की। विशेष अतिथि के रूप में श्री वी. सुब्बा राव, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद तथा वक्ता के रूप में प्राध्यापिका, श्रीमती दुर्गा लक्ष्मी प्रसन्ना ने भाग लिया।

प्रारंभ में सभी का स्वागत श्री कीर्ति वासन, हिंदी अनुवादक ने किया। तत्पश्चात् श्री डी. डी. माथुर, उप नियंत्रण अधिकारी, कुमारी एस. उषा, उ. श्रे. लि. तथा श्रीमती संध्या प्रोहित ने कविता प्रस्तुत की।

प्रवोध तथा प्रवीण परीक्षाओं में, प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले निम्नलिखित चार कर्मचारियों को श्री. पी. के. डी. ली., महा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्रों का वितरण श्री सुब्बा राव ने किया, जिनका विवरण नीचे है :—

1. श्री. मारूया, उप कार्य अभियंता—प्रथम पुरस्कार—प्रवीण
2. श्री कृष्ण मूर्ति, फार्मासिस्ट—द्वितीय पुरस्कार—प्रवीण
3. कुमारी, उषा, उ.श्रे.लि.—प्रथम पुरस्कार—प्रवोध
4. श्री एन. एस. बाबू, उ. श्रे. लि.—द्वितीय पुरस्कार—प्रवोध

श्रीमती प्रसन्ना को हिंदी शिक्षण में अधिक से अधिक कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।

साथ-साथ, मई, 1988 की प्रवोध तथा प्रवीण परीक्षाओं में नकद पुरस्कार पाने वाले पांच कर्मचारियों के नाम श्री. प्र. कु. मेहरोत्रा, कार्य प्रबंधक ने पढ़कर सुनाए। अंत में श्री डी. डी. माथुर, उप नियंत्रण अधिकारी ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

### केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, इन्दौर

दिनांक 5 से 12 अक्तूबर, 88 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी शुद्धलेखन, हिंदी टिप्पण/आलेखन तथा हिंदी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 12 अक्तूबर, 1988 को कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में इन सभी प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को विभाग प्रमुख श्री बालकृष्ण अग्रवाल समाहर्ता ने नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। और कहा कि सरकार प्रोत्साहन योजनाओं तथा अन्य विविध उपायों द्वारा हिंदी का विकास कर रही है। हम सभी इसे बढ़ाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। श्री विजय कुमार पुरी, अपर समाहर्ता ने कहा कि इन आयोजनों में हिंदी कार्य को प्रोत्साहन मिलता है तथा हम अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। श्री मदनलाल शर्मा प्रमुख लेखा अधिकारी ने कहा कि यह कैसी विसंगति है कि हमें हिन्दी बोलने और लिखने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। हम अपनी मानसिकता बदलें और संकल्प लें कि अधिकतम कामकाज हिंदी में ही करेंगे।

हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन तथा आभार प्रदर्शन श्री राजकुमार केसरवानी सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया।

**भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, उत्तरी परिमंडल, देहरादून**

7-10-88 को कार्यालय के, कैलागढ़ रोड स्थित नवनिर्मित भवन के सभागार में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हिंदी दिवस विधिवत् प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम हिंदी टिप्पण, आलेखन, सुलेख तथा निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय तथा आमंत्रित स्थानीय विभिन्न उच्च अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों से हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरणापूर्ण अपील की गई। हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें डा. पी. के. हजरा, श्री देवराज अग्रवाल व श्री बी. डी. नैथानी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए। एक कवि-गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय तथा स्थानीय विभिन्न गणमान्य कवियों ने भाग लिया। कवि गोष्ठी का संचालन स्थानीय डी. ए. वी. महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० गिरिजा शंकर त्रिवेदी ने किया।

मुख्य अतिथि सुश्री विभा पुरी, जिलाधिकारी, देहरादून ने कहा कि हिंदी में कार्य करने में राष्ट्र का सम्मान निहित है। अतः कर्मचारियों को चाहिए कि वे सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। समारोह की अध्यक्षता डा. आर. आर. राव, उप निदेशक तथा संचालन श्री पी. सी. विश्वकर्मा, हिंदी अनुवादक, ने किया।

**रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली**

14 सितंबर को केन्द्र में हिंदी दिवस मनाया गया। डेसीडाक के निदेशक ने समारोह का उद्घाटन द्वीप प्रज्वलित करके किया, तदुपरांत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना की। श्री एस. एस. मूर्ति, निदेशक, डसीडाक ने अपना स्वागत भाषण पढ़ा तथा श्री के. सुकुल ने श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन् का परिचय दिया। इस अवसर पर हिंदी की सेवा के लिये श्रीमती राघवन् का सम्मान किया गया। हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष में प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी श्रीमती राघवन् ने किया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती पद्मा सचदेव प्रसिद्ध साहित्यकार ने की। पुरस्कृत कविताओं का पाठ भी किया गया। श्रीमती पद्मा सचचेव ने पुरस्कार दिए तथा अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्रोताओं की मांग पर अपनी कविताओं का पाठ भी किया। निदेशक डा. चांसरकर ने धन्यवाद दिया। हिंदी दिवस से पूर्व पखवाड़े में हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 60 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रथम तीन पुरस्कारों के अतिरिक्त शेष सभी लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस पखवाड़े में दो विशेष वार्ताओं का भी आयोजन किया गया। एक का विषय था "भारतीय प्रतिरक्षा के कुछ पहलू" दूसरा विषय था "हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य प्रकाशन की समस्याएं व समाधान"। पहली वार्ता मेरठ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरवीर शर्मा ने तथा दूसरी प्रकाशन विभाग के निदेशक डा. श्याम सिंह शशि ने दी।

**भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली**

हिंदी सप्ताह 1 से 20-9-1988 तक मनाया गया। दिनांक 14-9-88 को हिंदी सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय से संयुक्त निदेशक (प्रशा.) श्री हरचरण जीत सिंह, संयुक्त निदेशक (तकनीकी) श्री ह. आ. यादव तथा भूतपूर्व संयुक्त निदेशक (प्रशा.) श्री आर. डी. राजवंशी भी उपस्थित थे। श्री सुशील कुमार वर्मा, प्रबंधक ने सभी प्रतिभागी कर्मचारियों से हिंदी में काम करने की अपील करते हुए कहा कि हमें हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए तथा हिंदी सप्ताह के बाद भी इस गति को बनाए रखें। प्रतियोगिताएं मात्र नकद पुरस्कारों के लिए ही नहीं होती बल्कि इससे हमें अपना काम निरंतर हिंदी भाषा में करते रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री राजवंशी ने काम-काज में हिंदी के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा मिलने का उल्लेख किया। श्री यादव, संयुक्त निदेशक (तक.) ने आशा प्रकट की कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इस गति को बनाए रखेंगे और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। संयुक्त निदेशक (प्रशा.) श्री हरचरणजीत सिंह ने पांचवीं हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताओं में सर्वश्री चौकस राम शर्मा, श्री करतार सिंह डबास, तथा ईश्वर दत्त क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे तथा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में सर्वश्री अशोक कुमार, श्री प्रवीण चन्द, तथा चौकस राम शर्मा, क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर विजयी घोषित किए गए। दिनांक 27-10-87 को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उपर्युक्त विजयी कर्मचारियों को क्रमशः 125/-रुपये, 100/-रु. व 75/-रु. के नकद पुरस्कारों तथा प्रमाण पत्रों का वितरण प्रबंधक श्री सुशील कुमार वर्मा ने किया। मुद्रण निदेशालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) डा. राजकुमार अहलुवालिया ने सभी विजयी कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपना अधिक से अधिक सरकारी काम हिंदी में करेंगे। श्री नरेन्द्र सिंह, हिंदी अधिकारी ने इस अवसर पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बताया कि इससे बढ़िया तथा कारगर पुरस्कार योजना बनाई जाएगी जिससे और अधिक प्रभावशाली परिणाम सामने आएं।

**कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली**

कंपनी कार्य विभाग में मुख्यालय तथा दिल्ली स्थित संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 14 से 21 सितंबर, 1988

तक "हिंदी सप्ताह" का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। हिंदी सप्ताह" के दौरान हिंदी में कार्य करने का निर्णय लिया गया। "कर्मचारियों को राजभाषा नीति से अवगत कराया गया और हिंदी कार्य प्रतियोगिता, कविता पाठ, हिंदी आशुवार्ता, हिंदी निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं की गईं।

हिंदी कार्य प्रतियोगिता में पुरस्कृत प्रतियोगी इस प्रकार हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| (1) श्री रणवीर सिंह | मुख्यालय, | प्रथम |
| (2) श्री खीमसिंह, | एम.आर.टी.पी. आयोग | द्वितीय |
| (3) कुमारी श्यामली आचार्य, | शासकीय समापक | तृतीय |

समापन समारोह में उद्योग मंत्री श्री बैंगल राव ने प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतियोगियों को पारितोषिक दिए। कंपनी कार्य विभाग के सचिव श्री गिरीश नारायण मेहरा ने कहा कि माननीय उद्योग मंत्री द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए उनकी इस अवसर पर उपस्थित सभी को अधिकाधिक काम हिंदी में करने की प्रेरणा का स्रोत रहेगी। अवर सचिव (हिंदी) श्री मोहन लाल शर्मा ने कंपनी कार्य विभाग में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विभाग में पिछले वर्ष से अब तक तकनीकी तथा विधिक स्वरूप के विषयों को हिंदी में अभिव्यक्त करने में कार्मिकों की कठिनाइयों व संकोच को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए जिससे हिंदी में पत्राचार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मूल पत्राचार का प्रतिशत जो 31-12-87 तक 8 प्रशित तक ही था, 30-6-88 को समाप्त तिमाही में 17 प्रतिशत तक पहुंच गया और भविष्य में इसे और अधिक बढ़ाकर वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। उद्योग मंत्री जी ने सभी से अपील की कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। संयुक्त सचिव श्री वाई. ए. राव ने सभी को धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की कि उद्योग मंत्री जी द्वारा दिए गए संदेश से प्रेरणा लेकर विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अधिक से अधिक काम हिंदी में करने का संकल्प लेंगे।]

### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कलकत्ता

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यालय में दिनांक 14 से 20 सितम्बर तक आयोजित हिंदी सप्ताह का समापन समारोह भारतीय भाषा परिषद के सभागार में 20 सितंम्बर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। समापन समारोह का श्रीगणेश क्षेत्रीय आयुक्त श्री ए. विश्वनाथन ने आगत अतिथियों के स्वागत से किया।

समारोह के मुख्य अतिथि डा. पांडुरंग राव, निदेशक, भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता ने विद्वतापूर्ण भाषण में हिंदी के अखिल भारतीय रूप की चर्चा करते हुए भारतीय भाषाओं में उसके अप्रतिम स्थान की जोरदार वकालत की। डा. राव ने आगे कहा कि भारतीय भाषाओं के सहयोग से ही हिंदी का शब्द भंडार अभिवृद्ध हो सकता है। अपने भाषण के पूर्व डॉ. राव ने सप्ताह के दौरान आयोजित 'हिंदी निबंध' तथा 'हिंदी टिप्पण एवं आलेखन' प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिए।

हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री भवरंजन हालदार, प्र. श्रे. लि., द्वितीय श्री पी. सी. नाग, भविष्यनिधि निरीक्षक ग्रेड 1 एवं तृतीय श्री संजीव कुण्डू तथा हिंदी टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्रीमती कंचन पाठक, प्र. श्रे. लि., द्वितीय श्री उपापद बसाक, प्रधान लिपिक एवं तृतीय पुरस्कार श्री अपूर्व भट्टाचार्य, अ. श्रे. लि. को मिला।

क्षेत्रीय आयुक्त श्री ए. के. सेन (वित्त एवं लेखा) ने अध्यक्षीय भाषण में सरकार की भाषा नीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस संबंध में अपने कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। पूरे कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन क्षेत्रीय कार्यालय के हिंदी अधिकारी डॉ. जगदीश नारायण ने किया।

### बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) ने 16 से 22 अगस्त, 1988 तक अपने परिसर में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया। दिनांक 16-8-88 को पूर्वाह्न में बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस. के. आर. जैदी ने समारोह का उद्घाटन किया और बोर्ड का अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों की प्रशंसा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी बोर्ड का अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही किया जाएगा। इस अवसर पर बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के उपनिदेशक (हिन्दी) श्री जगदीश राज सेठ; पंजाब नेशनल बैंक से श्रीमती माधुरी सहाय एवं श्री शम्भुदास चौहान तथा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) के सदस्य श्री नीपेश तालुकदार भी उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने हिन्दी में कार्य करने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रबन्धक श्री बृज भूषण मल्होत्रा ने किया।

इस अवसर पर चार चरणों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में निम्न चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :—

1. सुपठन प्रतियोगिता, 2. वाद-विवाद प्रतियोगिता विषय : नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। 3. कविता पाठ प्रतियोगिता, 4. हिन्दी में हस्ताक्षर प्रतियोगिता।

निर्णायक मंडल द्वारा इन प्रतियोगिताओं के परिणाम तत्काल घोषित किए गए।

प्रतियोगिताओं के द्वितीय चरण में 18-8-88 को निम्न दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :—

1. बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिता,
2. निबन्ध प्रतियोगिता।

तीसरे चरण में 19-8-88 को निम्न तीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :—

1. श्रुतलेख प्रतियोगिता,
2. सुलेख प्रतियोगिता,
3. स्लोगन प्रतियोगिता

दिनांक 22-8-88 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह मनाया गया। उसी दिन "आशु-भाषण प्रतियोगिता" आयोजित की गई। पुरस्कार वितरण श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय, निदेशक, रामायण विद्यापीठ ने किया। श्री मालवीय ने हिन्दी सप्ताह के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

**श्री तालुकदार, सदस्य, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) ने बोर्ड के अधिकतम कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी हिन्दी सम्पदा में वृद्धि करनी चाहिए ताकि हम शुद्ध हिन्दी लिख सकें, न कि मिश्रित हिन्दी।**

तत्पश्चात् वरिष्ठ प्रबन्धक श्री सुशील कुमार गुप्ता ने सभी का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि भविष्य में बोर्ड के कार्य में हिन्दी का और अधिक प्रयोग किया जाएगा।

### केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, अबोहर शाखा

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् अबोहर शाखा द्वारा 14 सितम्बर, 1988 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भाषण व कविता उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विभिन्न स्कूलों के लिए भी भाषण व कविता उच्चारण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं का परिणाम इस प्रकार रहा :—

कर्मचारी :

कविता : श्री हरप्रीत कालडा, यूको बैंक – प्रथम
श्री हेत राम बिशनोई, इलाहाबाद बैंक – द्वितीय
श्री राकेश कुमार शर्मा, यूनाईटिड इंडिया इन्श्योरेंस कं. – तृतीय

भाषण : श्री हरप्रीत कालडा, यूको बैंक – प्रथम
श्री सुशील मेहता, भारतीय जीवन बीमा निगम–द्वितीय

विद्यार्थी :

कविता : ज्योति किरण, जी डी सीनियर माडल स्कूल – प्रथम
राजीव कामथ, अनुराग नागपाल } अमृत माडल स्कूल – द्वितीय
नीति राज, राजकीय हाई स्कूल – तृतीय

भाषण :

गौरव धीगड़ा, डी. ए. वी. माडल स्कूल – प्रथम
दीपक गगनेजा, अमृत माडल स्कूल – द्वितीय
भावना सूरी, जी. डी. सीनियर स्कूल – तृतीय

इन प्रतियोगिताओं में कुल मिला कर 44 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

2. नगर के वयोवृद्ध एवं विशिष्ट हिन्दी सेवी श्री धर्मचन्द शास्त्री का अभिनन्दन किया गया। उन्हें परिषद् की ओर से एक दुशाला व स्मृति चिह्न भेंट किया गया।

3. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्रत्येक कार्यालय के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कार्यकर्त्ता को सम्मानित किया गया तथा उन्हें परिषद का स्मृति चिह्न भेंट किया गया। जिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कार्यकर्त्ता का सम्मान दिया गया उनके नाम निम्नलिखित है :—

सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कार्यकर्ताओं की सूची

1. श्री सुमन कुमार महेजा, यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कं.
2. श्री चन्द्र प्रकाश मदान, भारतीय स्टेट बैंक
3. श्री रवि सचदेव घायल, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर
4. श्री रवीन्द्र सिंह पंवार, सीमा सुरक्षा बल
5. श्री सुशील कुमार मेहता, भारतीय जीवन बीमा निगम
6. कुमारी रेणु मोंगा, दी न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कं.
7. श्री हरप्रीत कालडा, यूको बैंक
8. श्री विनोद गोलछा, पंजाब नेशनल बैंक
9. श्री ओम प्रकाश कन्सल, केनरा बैंक
10. श्री हेत राम बिशनोई, इलाहाबाद बैंक
11. श्री केवल कृष्ण बजाज, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
12. श्री राम कुमार, कृषि मंत्रालय, ग्राम विकास विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
13. श्री ओम प्रकाश शर्मा, यूको बैंक
14. श्री कैलाश चन्द्र पारीक, भारतीय कपास निगम
15. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, बैंक आफ इंडिया
16. श्री विजय कुमार मिगलानी, बैंक आफ बड़ौदा
17. श्री भीम सैन मित्तल, न्यू बैंक आफ इंडिया
18. श्री योगेश नागपाल, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
19. श्री हरबंस लाल बठला, केन्द्रीय भांडागार निगम

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रवीन्द्र चलाना ने की तथा दिल्ली से पधारे स. दर्शन सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। कलकत्ता से पधारे श्री मुरली धर सर्राफ ने प्रतियोगिता सत्र में अध्यक्षता की तथा श्री जगदीश शर्मा जो कि दिल्ली से पधारे थे उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार दिए।

हिन्दी दिवस के अवसर पर ही अन्य संस्थानों में भी हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है जिनमें से निम्नलिखित संस्थाओं में परिषद् की ओर से चलविजयोपहार प्रदान किए जाते हैं।

1. स्वामी केशवानन्द बाल विद्यालय कवितोच्चारण प्रतियोगिता में चल विजयोपहार।

2. केन्द्रीय विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में चल विजयोपहार तथा कविता उच्चारण प्रतियोगिता में चल विजयोपहार।

3. डी. ए. वी. सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल हिन्दी हस्तलेख प्रतियोगिता में चल विजयोपहार।

---

पृष्ठ 67 का शेषांश

प्रतिशत बढ़ाने के गहन प्रयास करें और प्रत्येक अधिकारी/अनुभाग यह भली-भांति सुनिश्चित करें कि हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर अंग्रेजी में किसी भी हालत में न दिया जाए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं।

हुई है :—

(क) कुल 34 अनुभागों ने 50% से अधिक पत्रादि हिन्दी में भेजे।

(ख) कुल 22 अनुभागों ने 55% से कम पत्रादि हिन्दी में भेजे। इनका ध्यान बैठक के निर्णय की ओर दिला दिया गया है।

(ग) रिपोर्टों के अनुसार किसी भी अनुभाग ने हिन्दी में प्राप्त किसी भी पत्रादि का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया है।

3. हिन्दी पत्राचार

"क" और "ख" क्षेत्रों को भेजे गए पत्रादि

हिन्दी में भेजे गए पत्रादि की दृष्टि से, इस तिमाही में भी संपदा निदेशालय ने 1-4-85 से 30-6-88 तक की पिछली 18 तिमाहियों का रिकार्ड तोड़ कर, "क" और "ख" क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे गए पत्रादि का नया रिकार्ड 48% कायम किया है। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में भेजे गए पत्रादि की स्थिति निम्नानुसार रही —

| क्रम सं. | "क" और "ख" क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे गए पत्रादि का प्रतिशत | भेजने वाले अनुभागों की संख्या (हिन्दी अनुभागों को छोड़कर) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | किराया पक्ष के अनुभाग | अन्य अनुभाग | जोड़ (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | 100% | 1 | — | 1 |
| 2. | 75% से 99% तक | 9 | 4 | 13 |
| 3. | 50% से 74% तक | 13 | 7 | 20 |
| 4. | 25% से 49% तक | 6 | 7 | 13 |
| 5. | 1% से 24% तक | 1 | 7 | 8 |
| 6. | शून्य | — | 1 | 1 |
| | जोड़ | 30 | 26 | 56 |

# हिंदी कार्यशालाएं

## अहिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का विशेष हिन्दी प्रशिक्षण

### बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा 17 से 29 अक्टूबर, 1988 तक हिन्दीतर भाषी प्रदेशों से राजस्थान अंचल में आए अधिकारियों के लिए विशेष हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

उदघाटन भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के संयुक्त मुख्य अधिकारी, श्री सुनिर्मल बोस ने 17 अक्तूबर, 1988 के दिन किया । उन्होंने राजस्थान में उस प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की सराहना की । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे अधिकारियों के जिनकी मातृ-भाषा हिंदी नहीं है, उनके मन में हिन्दी के प्रयोग के प्रति जो हिचक है, वह दूर होगी तथा वे बिना किसी रोक-टोक के हिन्दी में अपना दैनिक बैंकिंग व्यवहार करेंगे । उन्होंने कहा कि बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से ही विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ जनसाधारण तक पहुंचता है ।

उप महाप्रबन्धक श्री एन.एस.खन्ना ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य हिन्दीतर भाषी अधिकारियों को हिन्दी के प्रयोग के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है । उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाएगा ।

प्रारम्भ में वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रचार, लेखन सामग्री एवं राजभाषा) श्री डी.एम.जैन ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए, राजस्थान अंचल में हिन्दी के प्रयोग के लिए किये जा रहे प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी दी । अंत में प्रबन्धक (राजभाषा) श्री उमाकांत स्वामी ने धन्यवाद दिया ।

दो सप्ताह तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिन्दी भाषा तथा बैंकिंग हिन्दी एवं राजभाषा नीति की विस्तृत जानकारी दी गई । हिन्दी समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रतिभागियों को रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई ।

29 अक्तूबर, 1988 को समापन समारोह में प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अत्यन्त ज्ञानवर्धक एवं प्रयोजनमूलक बताया । उनके विचार सुनकर, उप महाप्रबन्धक ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कर्यक्रम में प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों से निरंतर सम्पर्क रखा जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे शाखाओं में जाकर हिन्दी में काम करें ।

कार्यक्रम का संचालन प्रबन्धक (राजभाषा) श्री उमाकांत स्वामी, राजभाषा अधिकारी श्रीमती विजया श्रीवास्तव तथा श्री नरेन्द्र निर्मोही ने किया ।

### कार्पोरेशन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन

दिनांक 17-18 तथा नवंबर 19, 1988 को केरल क्षेत्र के प्रबंधकों/अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला अयोजित की गई ।

उद्घाटन करते हुए केरल में हिन्दी आंदोलन के प्रवर्तक व प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सैनानी श्री जी.एस. धारा सिंह ने कहा कि अगर भारत की एकता के लिए कोई कार्य करना हैं तो वह हिन्दी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता हैं । उन्होंने कहा कि हिन्दी राजभाषा, राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि भारत के जन-जन की भाषा हैं । श्री सिंह ने कार्पोरेशन बैंक द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की ।

बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस.आर.मल्या ने प्रबंधकों/अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के हिन्दी में कामकाज आरम्भ करें । कार्यशाला का संचालन श्री देवेन्द्र कुमार ने किया ।

कार्यशाला के पहले सत्र में भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम तथा नियमों पर राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोचिन के सहायक निदेशक (का) श्री. जोस ऑस्टिन ने प्रकाश डाला और संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया ।

### आंध्र बैंक, कोईलान (आंध्र प्रदेश)

10 तथा 11 नवम्बर 1988 तक कोईलान में द्विदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इण्डियन बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री ए.पी. शशिकान्त ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया । श्री राम शेषन ने सभी सहभागियों तथा मुख्य अतिथि का स्वागत किया । बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री शेख जाफर साहेब ने इसे प्रारंभिक कार्यशाला बताया ।

मुख्य अतिथि श्री ए.पी. शशिकान्त ने कहा कि पूरे देश को एकसूत्र में बांधने के लिए सर्म्पक भाषा के रूप में आज हिन्दी का महत्वपूर्ण योगदान है । हिन्दी भारत की राजभाषा भी है । सभी कर्मचारियों के सहयोग से यह और भी आगे बढ़ सकती है ।

कार्यशाला के अंतिम दिन लिखित परीक्षा आयोजित की गई । इस परीक्षा में तीन पुरस्कृत कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं :—

प्रथम पुरस्कार—श्री एम.पी. हरिदास—पालघाट शाखा।

द्वितीय पुरस्कार—सुश्री सुधा नायर—कोईलान शाखा।

तृतीय पुरस्कार—श्री के. प्रभाकरन—एर्णाकुलम शाखा।

कार्यशाला में उपस्थित सभी सहभागियों को प्रमाण-पत्र दिए गए

### आंध्र बैंक, रायचूर

रायचूर में दि. 12-7-88 से 13-7-88 द्विदिवसीय हिन्दी कार्यशाला (अग्रिम पाठ्यक्रम) का आयोजन किया गया । कार्यशाला में रायचुर, गुलबर्गा, गंगावती, हास्पेट, बल्लारी, हुबली, दावणगेरे शाखाओं से कमचारी शामिल हुए ।

मुख्य अतिथि प्रो. वाई. एम. पांडे ने कहा कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रचार व प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने आन्ध्र बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की । कार्यशाला के अंतिम दिन लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और प्रथम तीन स्थान प्राप्त कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया । पुरस्कार विजेताओं का विवरण इस प्रकार है :—

प्रथम : श्री उपेन्द्र पाटील—गुलबर्गा शाखा

द्वितीय : श्री मनोहर भट्ट—गंगावती शाखा

तृतीय : श्री स्वामी प्रसाद—हास्पेट शाखा

उपरोक्त तीनों पुरस्कार श्री एम.एल.एन. रेड्डी, रायचूर शाखा प्रबन्धक द्वारा दिये गये । श्री मनोहर भट्ट के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ ।

### आंध्र बैंक, बंगलूर

दि. 19-7-88 से 20-7-88 तक क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में द्वदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । श्री वी.वी. हनुमन्तराव, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि कार्यशाला में सहभागियों की संख्या पिछली कार्यशालाओं की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है । उन्होंने सभी सहभागियों से आग्रह किया कि वे पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अच्छी तरह समझें और हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने की कोशिश करें । कार्यशाला का संयोज श्री शेख जाफर साहेब ने किया ।

लिखित परीक्षा में प्रथम तीन पुरस्कार प्राप्त कमचारी :

प्रथम—वी.के. अन्नपूर्णा, लिपिक, इन्दिरानगर शाखा

द्वितीय—वी.एस. लक्ष्मी, लिपिक, राजाजीनगर शाखा

तृतीय—यू.वी. सुधीर कुमार, अधिकारी, एन.आर. रोड शाखा ।

समापन समारोह के अवसर पर श्री पी.आर. श्रीनिवास शास्त्री, सलाहकार एवं संस्थापक, कर्नाटक महिला सेवा समिति बेंगलूर ने कहा कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए इस बेंगलूर शहर में केनरा बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, आन्ध्र बैंक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । इस अवसर पर श्री वी.वी. हनुमन्तराव ने कहा कि वे इस कार्यशाला से लौटने के बाद हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत भी बढ़ाएं ।

### भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता

16-9-88 को समारोह का शुभारंभ श्री जे.पी. एन. शुक्ला की सरस्वती वंदना तथा श्री एन.आर. शर्मा के मुख्य अतिथि डा. अशोक कुमार भट्टाचार्य के मालार्पण के साथ हुआ । डा. आर. के. वार्ष्णेय वैज्ञानिक एस.ई. ने मुख्य अतिथि सहित सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया । प्रतियोगिता का विषय था "औद्योगिक विकास पर्यावरण संतुलन में अहितकरा" हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में ही इससे पूर्व हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । तीनों प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार व प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए । साथ ही गत वर्ष हिन्दी प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा में सफल कर्मचारियों को अध्यक्ष द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए । मुख्य अतिथि ने सभा को अपने भाषण में खुसरो की समकालीन हिन्दी और आम-बोलचाल की भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किए किए जाने पर बल दिया तत्पश्चात् अध्यक्ष ने सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को हार्दिक बधाई दी और भविष्य में इस प्रकार के सहयोग की कामना की ।

### दि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं.लि., बर्नपुर (पं. बंगाल)

26 सितम्बर को राजभाषा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय, नई दिल्ली) के निदेशक डा. महेश चन्द गुप्त ने कार्यालय के काम काज में हिन्दी के प्रयोग के सिलसिले में कहा कि तैरने के लिए पानी में उतरना होगा उन्होंने हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कहा कि वर्तनी और लिंग की गलतियों के भय से हिन्दी के प्रयोग में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग भी निःसंकोच किया जा सकता है । डा. गुप्त ने इस्को में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति संतोष व्यक्त किया ।

समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक श्री एम. एफ. मेहता ने इस क्षेत्र में किये गये कार्य की सराहना की और इस काम को और बढ़ाने के लिए कहा। महाप्रबन्धक (वर्कस) श्री एम.एस. चावला ने अधिक से अधिक लोगों को इस काम से जुड़ने की अपील की । यह उद्घाटन समारोह 26 सितम्बर को हिन्दी कार्यशाला के रूप में आयोजित हुआ ।

इस वर्ष राजभाषा सप्ताह के अवसर पर हिन्दी में सर्वाधिक कार्यालयीन कार्य, हिन्दी कहानी लेखन, कहानी अनुवाद, हिन्दी में टिप्पण व प्रारूप लेखन और कर्मियों के बच्चों के लिए हिन्दी में कविता पाठ प्रतियोगिता के अलावा अहिन्दी भाषी कर्मियों के लिए अन्तर इकाई हिन्दी एकांकी नाटक प्रतियोगिता भी आयोजित हुई।

हिन्दी नाटक प्रतियोगिता का शुभारंभ 26-9-88 को स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र में हुआ । प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व बर्नपुर में 1 अप्रैल, 88 से 30 जून, 88 तक आयोजित हिन्दी में सर्वाधिक पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगियों को महा प्रबन्धक (वर्कस) ने पुरस्कार प्रदान किए । इन तीन महीनों में सबसे अधिक पत्र लिखने वाले संविदा विभाग को महाप्रबन्धक (वर्कस) को राजभाषा चल वैजयंती मिली । श्री पी. घोष अधीक्षक संविदा ने विभाग की ओर से चल वैजयंती ग्रहण की । श्री देबी प्रसाद मुखर्जी (संविदा विभाग) , श्री कल्याण कुमार श्रीवास्तव (स्क्रैप व साल्वेज) और श्री अशोक कुमार बनर्जी (रोलिंग मिल) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यक्तिगत पुरस्कार मिले । इसके अतिरिक्त आठ कर्मियों को सांत्वना पुरस्कार मिले।

9 सितम्बर को सायं 6.30 बजे स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता के तीन वर्गों में 95 प्रतियोगियों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को पूरी तरह से सफल बना दिया ।

### पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बम्बई

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय—बम्बई के तत्वावधान में दो कार्यशालाएं—एक बम्बई में तथा दूसरी बंगलूर में आयोजित की गई । दोनों कार्यशालाओं में 20–20 सहभागियों ने भाग लिया ।

कार्यशालाओं की अध्यक्षता अंचल प्रबंधक, बम्बई श्री रवीन्द्र नाथ टंडन ने की और स्थानीय व्यवस्था राजभाषा अधिकारी श्री राजिन्दर सिंह बेवली द्वारा की गई ।

बम्बई में सम्पन्न हिन्दी कार्यशाला में मुख्य अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त मुख्य प्रबंधक श्री के. एल. खेतरपाल ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा किए जा रहे हिन्दी के कार्यों की सराहना की और 'ख' क्षेत्र में कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डाला ।

सहायक महाप्रबंधक श्री रवीन्द्र नाथ टंडन ने दैनिक काम-काज में सरल हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया ।

बंगलूर कार्यशाला में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य अतिथि उप नियंत्रक श्री एन.पी. सिन्हा ने मन, वचन और कम से हिन्दी भाषा अपनाने पर बल दिया । श्री रवीन्द्र नाथ टंडन, सहायक महाप्रबंधक ने दक्षिण भारतीय स्टाफ सदस्यों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया ।

कार्यशाला में अतिथि वक्ताओं के नाते भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के श्री अमजल अली खां तथा केनरा बैंक के श्री बलराज तथा डा. गणेश राम को भी आमन्त्रित किया। गया ।

### आकाशवाणी, औरंगाबाद

केन्द्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 1988 से 29 दिसम्बर, 88 तक तीन दिवसीय "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन पहली बार किया गया । उद्घाटन श्री आर. गणेशन, केन्द्र अभियंता ने किया। समारोह के अध्यक्ष श्री जनार्दन शिन्दे थे । श्री आर. गणेशन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमें खुशी है हमने हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया है । उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि इस कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के बाद अपना कार्यालयीन काम अधिक से अधिक हिन्दी में ही करेंगे।

श्री जनार्दन शिन्दे, केन्द्र निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आकाशवाणी औरंगाबाद केन्द्र में दक्षिण भारतीय अधिकारी श्री आर. गणेशन ने अपने कार्यकाल में यह हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया है । इसलिए उन्होंने सभी कमचारियों की ओर से श्री गणेशन को बधाई दी ।

तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला में पन्द्रह कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लेकर भविष्य में अधिक से अधिक काम हिन्दी में ही करने का निश्चय किया ।

कार्यशाला का संचालन श्री साहेबराव सोनवणे, हिन्दी अनुवादक ने किया ।

### केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, बम्बई

23 दिसम्बर, 1988 को अंचल कार्यालय में राजभाषा अधिनियम 1963 का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया । समारोह की अध्यक्षता अंचल कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री आर. वांची स्वरन ने की, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार, बम्बई के संयुक्त निदेशक डा. नगेन्द्र नाथ पांड्य समारोह के मुख्य अतिथि थे । सभी अतिथियों एवं आमंत्रितों का स्वागत बम्बई अंचल कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री पी.एम. पै ने किया । उन्होंने अपने स्वागत भाषण में राजभाषा के क्षेत्र में केनरा बैंक की अपूर्व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

केनरा बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) डा. नारायण प्रसाद पांडेय को राजभाषा हिन्दी की अमूल्य सेवाओं हेतु सम्मानित किया गया । डा. नारायण पांडेय ने बैंकिंग जगत में राजभाषा कार्यान्वियन के क्षेत्र में केनरा बैंक की गौरवपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा की ।

कार्यक्रम का संचालन अंचल कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार सक्सैना ने किया । कार्यक्रम श्री एम.आर. राधाकृष्णन प्रबन्धक द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ ।

### मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

पुणे स्थित मौसम विज्ञान के अपर महा निदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय में सरकारी कामकाज में कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और मसोदालेखन का प्रशिक्षण देने के लिए 9 से 13 जनवरी, 1989 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिन्दी कार्यशाला का शुभारम्भ डा. आंशुमति दुनाखे, सहायक निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना, पुणे के राजभाषा संबंधी हिन्दी नीति पर व्याख्यान से हुआ। इस कार्यशाला में पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के चारों कार्यालयों से कुल 4 अधिकारियों 14 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिन्दी कार्यशाला में मौसम कार्यालय के ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्याख्यान दिए ।

हिन्दी कार्यशाला समापन दिवस पर श्री नूतनदास, प्रभारी अपर महानिदेशक (अनु.) द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। श्री एस.व्ही. दातार, उप महानिदेशक ने हिन्दी कार्यशालाओं के सफल संचालन हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद, मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 की प्रशंसा करते हुए उनको व सभी व्याख्याताओं को धन्यवाद दिया।

### भारतीय जीवन बीमा निगम
### नागपुर मंडल कार्यालय

19 व 29 दिसम्बर, 1988 को नागपुर, मंडल कार्यालय में एक कार्यशाला ली गई जिसमें 22 अधिकारियों/पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उदघाटन दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 को नागपुर के वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक श्री के.वि. नातू ने विपणन प्रबन्धक श्री के. गोपालन तथा प्रबन्धक (कार्मिक) श्री वी. शिवकुमारन ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला का महत्व बतलाया ।

समापन महाराष्ट्र हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष तथा विधायक डा. राम मनोहर त्रिपाठी की उपस्थिति में हुआ । डा. त्रिपाठी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के हिन्दी संबंधी कार्य की प्रशंसा करते हुए कि सार्वजनिक संस्थाओं को जनता से सम्पर्क करना होता है अतः उन्हें उनकी ही भाषा अर्थात हिन्दी में कार्य करना चाहिए । उन्होंने कहा कि हमें सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए तभी हम हिन्दी से भी प्रेम करना आरंभ कर देंगे। जनसाधारण के समीप जाने का सबसे अच्छा माध्यम हिन्दी ही है ।

---

मैं पिछले एक वर्ष से प्रत्येक बैठक या सभा में हिन्दी बोलता हूं। —के. गोपालन

---

अध्यक्षता करते हुए नागपुर के वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक श्री के. वि. नातू ने कहा कि यदि हमारे अधिकारीगण स्वयं हिन्दी में काम करते हैं तो उनके विभागों में अपने आप हिन्दी कार्य बढ़ने लगेगा । अपने हस्ताक्षर से लेकर विभाग के छोटे बड़े सभी काम हिन्दी में सरलता से किए जासकते हैं। राजभाषा अधिनियमों के अनुसार सभी परिपत्र व अन्य सामग्री के द्विभाषी रूप में जारी करने की आवश्यकता भी उन्होंने प्रतिपादित की।

समारोह के प्रमुख आकर्षणों में विपणन प्रबन्धक श्री के. गोपालन का धाराप्रवाह हिन्दी भाषण रहा । उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से वे प्रत्येक बैठक या सभा में हिन्दी में ही बोलते हैं। केवल अभ्यास के कारण ही वे आज हिन्दी सरलता से बोल पाते हैं।

कार्यक्रम के आरंभ में हिन्दी अनुभाग के श्री ज्ञा०प्र. तिवारी ने प्रमुख अतिथि का परिचय कराया तथा नागपुर मंडल में चल रहे हिन्दी संबंधी कार्य की जानकारी देते हुए कार्यशालाओं का महत्व बतलाया ।

प्रमुख अतिथि डा. त्रिपाठी द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र बांटे गए । प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव बतलाने हुए हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने का अपना संकल्प दोहराया ।

प्रशासन अधिकारी (राका) श्री म.गो. देशपांडे ने आभार व्यक्त करते हुए सभी से मंडल में हिन्दी कार्य बढ़ाने का आग्रह किया ।

समारोह में श्री सि.सि.रा. आंजनेयुलु, मंडल प्रबन्धक (लेखा) श्री वी. शिवकुमारन, प्रबन्धक (कार्मिक) अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।

### आयकर विभाग, सूरत

आयकर आयुक्त कार्यालय में 5 से 8 दिसम्बर, 1988 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में 21 कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन के अवसर पर आयकर सहायक आयुक्त श्री राजेन्द्र नारायण त्रिपाठी ने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा दी तथा सरकार की राजभाषा नीति का खुलासा किया । कार्यशाला में हिन्दी शब्दावली, वाक्य रचना, शुद्ध लेखन, रिपोर्ट टिप्पणियां तथा आवेदन लिखने के सिद्धांत बताये गये तथा साथ-साथ अभ्यास पर जोर दिया गया ।

दिनांक 9-12-88 को समापन समारोह में आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सूरत, श्री जयदेव ने आशा व्यक्त की कि सभी प्रशिक्षत कर्मचारी आगे से अपना कार्य हिन्दी में ही करेंगे।

डॉ. रामअवतार ने बताया कि सूरत प्रभाग में 1988-89 वर्ष की यह चौथी कार्यशाला है। इससे पूर्व, एक-एक कार्यशाला सूरत, नवसारी तथा वलसाड में आयोजित हो चुकी है । आयकर आयुक्त श्री जयदव की प्रेरणा व प्रोत्साहन से आयकर विभाग सूरत में हिन्दी का कार्य अपेक्षित गति से आगे बढ़ रहा है ।

### केनरा बैंक, चण्डीगढ़ अंचल का शतकीय प्रहार

अंचल कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़ में 100वीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । उद्घाटन समारोह में पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ. यश गुलाटी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। डॉ. गुलाटी हिन्दी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार हैं । इस अवसर पर बैंक के कार्यपालकगण उपस्थित थे।

श्री एस.सी. गौड ने समारोह का संचालन किया तथा बैंक व विशेष कर अंचल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। श्री आर. जे. कामत, स.म.प्र. ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कहा—"हम कृत संकल्प हैं कि हिन्दी को अपनी शाखाओं के आन्तरिक कार्य में अधिकाधिक प्रयोग करें ।"

डॉ. यश गुलाटी ने दीप प्रज्वलित कर के 100वीं हिन्दी कार्यशाला का उदघाटन करते हुए कहा कि "एक दक्षिण भारतीय आधार के इस बैंक में इतनी अधिक रुचि लेकर हिंदी में काम किया जा रहा है यह देखकर मैं पुलकित हो उठा हूं । हमें अंग्रेजी पर अपना समय बर्बाद करने की बजाय हिन्दी सीख कर तथा हिन्दी माध्यम से काम करके अपना तथा अपने देश का गौरव बढ़ाना है । हिन्दी अपनाकर हमें मानसिक गुलामी से उबरना है । जो भाषा हम बचपन से सीखते हैं उसकी पैठ अधिक होती है अतः बजाए अंग्रेजी भाषा पर अपना समय नष्ट करने के हम अपनी भाषा सीखें तथा हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग करें । उन्होंने आगे कहा कि गुलामी की जहनियत सबसे बुरी है उससे भी बुरी है मानसिक गुलामी जिसका आधार भाषा है। हिन्दी सरल भाषा है इसे आसानी से सीखा व समझा जा सकता है "।

कार्यशाला का संचालन कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़ के संकाय सदस्यों श्री रवि भाटिया तथा श्री रविन्द्र नाथन के सहयोग से निम्नलिखित अधिकारियों ने किया 1. श्री एस. के. तुली—(मण्डल कार्यालय चण्डीगढ़), 2. श्री एस. सी. गौड—(अंचल कार्यालय चण्डीगढ़) तथा 3. श्री एम. एम. शर्मा —( मण्डल कार्यालय जालंधर) ।

कार्यशाला का समापन श्री के. शेखर मं. प्र. मण्डल कार्यालय चण्डीगढ़ की अध्यक्षता में हुआ । उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए तथा अनुरोध किया कि हिन्दी का व्यवहार पत्राचार में तथा आन्तरिक कार्य में करें तथा अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित करें । हर स्थिति में वर्ष '88 की शील्ड चण्डीगढ़ अंचल के लिए जीतनी है"। श्री गौड़ द्वारा धन्यवाद के साथ ही 100वीं कार्यशाला सम्पन्न हुई।

### केनरा बैंक जयपुर

जयपुर मंडल द्वारा तीन दिवसीय हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई जिसका उद्घाटन प्रतिष्ठित हिन्दी सेवी श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया । उन्होंने हिन्दी के विकास की ऐतिहासक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला । केनरा बैंक द्वारा किए जा रहे प्रोत्साहनवर्धक कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिन्दी का प्रयोग स्वेच्छा से और मानसिकता परिवर्तन पर निर्भर है । बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है जो बैंक तथा ग्राहकों के हित में है ।

इससे पूर्व मंडल प्रबंधक श्री वी.वी. कामत ने मुख्य अतिथि श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी का स्वागत किया तथा कहा कि यदि बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण के बाद हिन्दी का प्रयोग ग्राहक सेवा क्षेत्र में करेंगे तो मैं समझूंगा कि हिन्दी

कार्यशाला पर किया गया श्रम तथा व्यय का सदुपयोग किया गया है । अंचल कार्यालय चण्डीगढ़ से पधारे हिन्दी अधिकारी श्री सुभाष गौड़ ने केनरा बैंक में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग पर प्रकाश डाला । करनाल मण्डल के राजभाषा अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा ने धन्यवाद दिया । कार्यशाला का संचालन जयपुर मण्डल के राजभाषा अधिकारी रमेश चन्द द्वारा किया गया ।

उल्लेखनीय है कि जयपुर मंडल की यह अंतिम कार्यशाला है । जिसमें जयपुर, करनाल मंडल एवं चण्डीगढ़ अंचल कार्यालय के 15 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

अंतिम दिवस एक टिप्पण आलेखन पर एक परीक्षा ली गई जिसमें नीचे दिए कर्मचारी सम्मानित किए गए--

प्रथम--श्री गिरधारी लाल (24811), जयपुर।

द्वितीय--श्री शिवचरण (45301) चण्डीगढ़ ।

तृतीय--श्री नारायण सिंह (53558) श्रीगंगानगर ।

समूह चर्चा में मंडल के मंडल प्रबंधक श्री वी.वी. कामत तथा ग्राहक सेवा अनुभाग, चण्डीगढ़ के मंडल प्रबंधक यू.पी.ए. नायक ने भाग लिया । श्री नायक ने हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें आज शपथ लेनी चाहिए कि हम अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही करेंगे। उन्होंने कामकाजी हिन्दी के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि हम बोलचाल में सरल हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए जिनमें अन्य भाषाओं के भी शब्द आएं तो निःसंकोच प्रयोग करना चाहिए ।

### स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बाड़मेर

कार्यशाला में बाड़मेर जिले के करीब 21 शाखाओं के हिन्दी मानसेवी प्रतिनिधियों ने भाग लिया । कार्यशाला की अध्यक्षता अंचल क्षेत्रीय प्रबन्धक-प्रथम श्री एम. माधव ने की । विशेष अतिथि श्री डॉ. आईदान सिंह भाटी, प्रवक्ता, हिन्दी राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर ने भाग लेने वाले कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा काम शाखाओं में हिन्दी में करने के लिये प्रेरित किया । कार्यशाला में हिन्दी के प्रयोग संबंधी मुद्रित सामग्री अंग्रेजी के शब्दों को हिन्दी में प्रत्यक्ष रूप से अनुवाद करवाया गया। संयोजन अंचल कार्यालय, जोधपुर के प्रभारी अधिकारी श्री हस्तीमल जैन ने किया ।

### आकाशवाणी : इन्दौर

आकाशवाणी, केन्द्र इंदौर में वर्ष 1988 की तृतीय "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन दिनांक 25 से 30-11-88 तक किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रो. डॉ गणेशदत्त त्रिपाठी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ने किया।

आरम्भ में मुख्य अतिथि का स्वागत अधीक्षण अभियंता श्री के. के. शर्मा एवं केन्द्र निदेशक, श्री रामकृष्ण अग्रवाल ने किया।

हिंदी अधिकारी श्री मेघ सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा श्री राजकुमार केसरवानी, ने कार्यशालाओं का महत्व बताया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रो. डॉ. गणेशदत्त त्रिपाठी ने इन कार्यशालाओं की उपयोगिता दर्शाते हुए कहा कि जिस प्रकार सैनिक कवायद करते हैं ताकि वक्त आने पर उसका उपयोग कर सकें उसी तरह हमें भी निरंतर हिंदी कार्य का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि समय आने पर हम सही शब्दों का सही जगह पर प्रयोग कर सकें और उसके लिए अटकना/रुकना न पड़े।

उन्होंने हिन्दी और देवनागरी लिपि की चर्चा करते हुए बताया कि हिंदी केवल भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की एक ऐसी सरल व सरस भाषा है, कि जिसे जैसा बोला जाता है, ठीक वैसे ही लिखा भी जाता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम जैसा बोलते हैं, वैसा का वैसा लिख भी डालते हैं। चूंकि यह सारे देश की संपर्क भाषा है जिसे 70 प्रतिशत लोग समझते हैं इसलिए यही हमारी राजभाषा भी होगी।

श्री के. के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता ने कहा कि केन्द्र में अब अधिकांश काम हिंदी में होने लगा है और हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों में हिंदी में काम करने की काफी रुचि बढ़ी है।

### आयकर प्रभार, आगरा

त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशला का आयोजन दिनांक 16 से 18-11-1988 तक किया गया। कार्यशाला में कर सहायक, प्रवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक स्तर के कर्मचारियों ने भाग लिया।

उद्घाटन हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं केन्द्रीय हिंदी संस्थान के प्रो. श्री एन. वी. राजगोपालन ने किया। श्री गोपालन ने प्रतिभागियों का कुशल मार्गदर्शन किया।

समापन के अवसर पर आगरा आयकर प्रभार के आयकर आयुक्त (अपील) श्री वी० के० मिश्र ने प्रतिभागियों ने जो भी अभ्यास के दौरान सीखा है उसे व्यावहारिक बनाने पर बल दिया।

समापन सत्र में प्रतियोगी-परीक्षा का भी आयोजन किया गया जिसमें सर्वश्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, प्रवर श्रेणी लिपिक, प्रमोद चन्द्रा, प्रवर श्रेणी लिपिक, टी. के. दास, अवर श्रेणी लिपिक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, स्थान प्राप्त किए जिन्हें आयकर आयुक्त (अपील) ने पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए।

## मथुरा रिफाइनरी

"किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कारक होती है। यह कहना नितांत सत्य नहीं है कि आज के इस तकनीकी युग में कोई भी राष्ट्र अंगरेजी के बिना प्रगति नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात होती तो जर्मन, हंगरी, फ्रांस, जापान, रूस आदि कतई प्रगति नहीं कर पाते। मौलिकता किसी भाषा विशेष में न होकर सब भाषाओं में होती है और मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति कर पाता है":—

यह विचार मथुरा रिफाइनरी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा विभागाध्यक्षों हेतु आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मथुरा रिफाइनरी के उप महाप्रबंधक (सामान्य) व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री शिवदत्त मिश्र ने व्यक्त किए।

कार्यशाला में अनेक विभागाध्यक्षों ने भाग लिया।

इसी श्रंखला में प्रबंधक स्तर की भी एक दो–दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विभागों के प्रबंधकों ने भाग लिया :—

अधिकारियों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ाने व सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में अधिकारी वर्ग के लिए दिनांक 27 व 28 अक्तुबर 88 को प्रशिक्षण विभाग में एक द्विदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला की समाप्ति पर आधे घंटे की वस्तुपरक परीक्षा ली गई जिसमें निम्नांकित अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय घोषित किया गया :—

1. श्री पंकज कुक्छल (प्रथम)
2. श्री राजेश उपाध्याय (द्वितीय)
3. डॉ. प्रेमलता एस. नायक अहिंदी भाषी (तृतीय)

समापन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री ए. के. सैन ने विजेता प्रतिभागियों को शब्दकोश देने के साथ अन्य सभी प्रतिभागियों को शब्दकोश, कार्यालय सहायिका, हिंदी कार्यशाला सहायक सामग्री आदि प्रमाणपत्र साहित्य वितरित किया। दिनांक 1 व 2 दिसंबर 1988 को कर्मचारी वर्ग हेतु एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कार्मिक व प्रशासन प्रबंधक श्री सी. आर. सीकरी ने कहा कि "देखने में आया है कि हिंदी के प्रति आम कर्मचारियों में रुझान बढ़ा है और पत्राचार में भी हिंदी को बढ़ावा मिला है और मथुरा रिफाइनरी में हिंदी अनुभाग के खुलने के साथ-साथ इस क्षेत्र में तेजी आई है।" कार्यशाला में प्रतिभागियों को संघ की राजभाषानीति, पत्रलेखन, टिप्पण लेखन, अनुवाद प्रक्रिया, परिभाषिक शब्दावली एवं वर्तनी की आम समस्याओं पर जानकारी दी गई एवं अभ्यास कराया गया।

## कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक (वा०सें०) देहरादून

हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 29 दिसंबर, 1988 को वार्षिक हिंदी समारोह का भव्य आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता, श्री उमाशंकर प्रसाद, नियंत्रक ने की।

इस अवसर पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें देहरादून नगर के प्रतिष्ठित कवियों को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया गया। कवि गोष्ठी का संयोजन डॉ. गिरिजा शंकर त्रिवेदी अध्यक्ष संस्कृत विभाग डीएवी कॉलेज देहरादून ने किया। 14 सितंबर 1988 से 21 सितंबर 1988 तक हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित हिंदी निबंध भाषण, सुलेख आदि प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यालय में अधिकतर सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पुरस्कार दिए गए। अध्यक्षीय भाषण में श्री प्रसाद ने प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा प्रकट की कि सरकारी कामकाज में भी वे हिंदी का प्रयोग करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी कोई कठिन भाषा नहीं है, बात केवल मनोवृत्ति की है। यदि हिंदी भाषी हिंदी के प्रति अपनापन रखते हुए उसका प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो हिंदी अपना स्थान जल्दी ही ले सकेगी।

## केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केन्द्र, झरौदा कलां, नई दिल्ली

ग्रुप केन्द्र, सिगनल बटा. एक एवं 88 महिला बटालियन, बेस अस्पताल-एक केरिपुबल के कार्मिकों के लिए अक्तूबर 3, 10, 24, एवं 31 अक्तूबर, 88 से 6 दिवसीय 4 कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में झरौदा कलां स्थित उपर्युक्त सभी कार्यालयों के 67 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यवाहक कार्यालय अध्यक्ष श्री ए. एल. दत्त ने दिनांक 3-10-88 को कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए महानिदेशालय के हिंदी विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यशाला चलाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिन्दी के कार्य के लिए हिन्दी अनुवादक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि सभी को मूल रूप से हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग के लिए पहल करना चाहिए। महानिदेशालय के हिन्दी अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र धस्माना ने सभी कार्मिकों को राजभाषा नीति एवं इसमें दी गई व्यवस्था के बारे में बताया

दिनांक 11 नवम्बर 1988 को सभ्रांत परीक्षा भी ली गई तथा सफल कार्मिकों को नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया।

## यूको बैंक, नई दिल्ली

20–21 दिसम्बर, 1988 को आयोजित कार्यशाला में यूको बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न शाखाओं के 30 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उदघाटन मंगलवार 20 दिसम्बर, 1988 को अंचल प्रबंधक श्री सतीश गिरोत्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया।

उदघाटन भाषण में अंचल प्रबंधक, श्री सतीश गिरोत्रा ने हिन्दी कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और आग्रह किया कि वे हिन्दी में काम करना देश के प्रति सम्मान और अपने स्वाभिमान का प्रतीक समझें।

प्रधान राजभाषा अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पालीवाल ने कहा कि अंग्रेजी के अंधर और अंधेरे के बीच हिन्दी की मशाल लेकर निरन्तर आग बढ़ते रहने का दायित्व कुछ निष्ठावान लोगों को सौंपा गया है वे महात्मा गांधी के डांडी मार्च की भांति बराबर आगे बढ़ रहे हैं, अनुयायियों और समर्थकों की संख्या भी बढ़ रही है और हिन्दी का प्रकाश सारी प्रादेशिक सीमाएं और बाधाएं तोड़ कर शनैः शनैः चारों और फैल रहा है।

बैंकिंग प्रभाग में उप निदेशक (हिन्दी) श्री जगदीश सेठ ने भारत सरकार की राजभाषा नीति को स्पष्ट, सुनियोजित और सुविचारित बतलाते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हिन्दी कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक साधन और स्टाफ भी बैंकों में बहुत कम है फिर भी बैंकों ने जनता से जनता की भाषा में बात करने का बीड़ा उठाया है।

राजभाषा अधिकारी, श्री भविष्य कुमार सिन्हा ने दिल्ली अंचल में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची भी प्रस्तुत की जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान हिन्दी में प्राज्ञ और हिन्दी टाइपलेखन की परीक्षाएं पास की हैं। सहायक महाप्रबन्धक ने इन 11 कर्मचारियों में से 4 को प्राज्ञ और 7 को हिन्दी टाइपलेखन के प्रमाण-पत्र वितरित किए। □

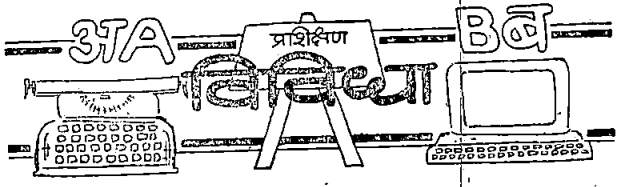


भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

## केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

### सूचना

विषय :— संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों, लोक उद्यमों, अभिकरणों, आदि के कर्मचारियों के लिए 8-3-89 से 20-3-1990 तक चलाए जाने वाले हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों तथा अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित कर्मचारी नामित किए जा सकते हैं :—

(क) प्रोबेशनर ;

(ख) उन स्थानों के कर्मचारी जहां हिन्दी प्रशिक्षण का कोई केन्द्र नहीं हैं ;

(ग) शिफ्ट डयूटी पर काम करने वाले कर्मचारी ;

(घ) अन्य कर्मचारी जिनके लिए मंत्रालय/कार्यालय यह समझते हैं कि उनको पूर्णकालिक प्रशिक्षण देना लाभदायक होगा।

इस संबंध में उप सचिव (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किया गया, दिनांक 17-6-1988 का कार्यालय आदेश संख्या 14016/51/88 केहिप्रस देखा जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि जितनी देर केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के केन्द्र दूसरे शहरों में नहीं खोले जाएं उतनी देर तक जिन कार्यालयों में एक भी हिन्दी टाइपिस्ट नहीं है या पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपिस्टों के अभाव में हिन्दी में काम करने में कठिनाई हो रही है, न्यूनतम आवश्यक टाइपिस्टों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली केन्द्र पर हिन्दी टाईपिंग पूर्णकालिक प्रशिक्षण कोर्स के लिए भेजा जाए।

8 मार्च, 1989 से 20 मार्च, 1990 तक चलाए जाने वाले हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | पाठ्यक्रम | प्रशिक्षण की अवधि | प्रशिक्षण की तिथि | प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | टाइपलेखन | 40 कार्य दिवस | 8-3-1989 से 8-5-1989 तक | (1) 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11 (जे. एंड के. हाउस के सामने) (फोन 3018196) (2) कमरा नं. 106, लेवल – 1 पूर्वी खंड – 2, डी. जी. सी. ए. भवन, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली–66 (फोन – 606011/313) |
| 2. | टाइपलेखन | 40 कार्य दिवस | 9-5-1989 से 3-7-1989 तक | |
| 3. | टाइपलेखन | 40 कार्यदिवस | 18-7-1989 से 13-9-1989 तक | |
| 4. | टाइपलेखन | 40 कार्यदिवस | 14-9-1989 से 10-11-1989 तक | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | टाइपलेखन | 40 कार्यदिवस | 27-11-1989 से 22-1-1990 तक | |
| 6. | टाइपलेखन | 40 कार्यदिवस | 23-1-1990 से 20-3-1990 तक) | |
| 7. | आशुलिपि | 80 कार्यदिवस | 8-3-1989 से 3-7-1989 तक | (1) 2–ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली – 110011 |
| 8. | आशुलिपि | 80 कार्यदिवस | 18-7-1989 से 10-11-1989 तक | (2) कमरा नं. 106, लेवल – 1, पूर्वी खंड–2, डी. जी. सी.ए. भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली |
| 9. | आशुलिपि | 80 कार्यदिवस | 27-11-1989 से 20-3-1990 तक | |

विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित केन्द्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टं./आशु.) अथवा उप निदेशक (टं./आशु.), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली (फोन–361852) से सम्पर्क करें।

# समाचार दर्शन

### संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून, 88 की अर्थात चौथी बैठक के निर्णयानुसार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, चण्डीगढ़ में दिनांक 9-1-89 से 13-1-89 तक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से पंजाब नेशनल बैंक तथा चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा के सदस्य बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु पांच दिन का "संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन उपमहाप्रबंधक श्री स्वराज कुमार गुप्ता ने किया एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण अधिकारियों श्री रूप किशोर शर्मा एवं डा. सुरेन्द्र अरोड़ा ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन अंचल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री रा. इ. सिंह सिद्धू ने किया। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में भागीदारी से संबंधित प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये। □

### विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना में अनुवाद पाठ्यक्रम

प्रौढ़ शिक्षा विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अनुवाद प्रक्रिया एवं अभ्यास का एक पाठ्यक्रम वी एस पी में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन समारोह दि. 14-9-88 को श्री डी आर आहूजा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष वी एस पी राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने ज्योति जला कर किया।

श्री सी एल नारायण, राजभाषा अधिकारी ने अपने स्वागत भाषण में परियोजना में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में हो रहे प्रयासों की जानकारी दी।

डा. एस वी माधवराव, आंध्र विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रोफ़ेसर ने अपने भाषण में विभिन्न दफ्तरों में उपयोग की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा की सेवा के द्वारा समाज की सेवा भी होती है।

श्री आहूजा ने स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाते हुए कहा कि उन दिनों में, हिन्दी, स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनी रही थी। देश की जनता के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश की अखंडता और एकता के लिए हिन्दी सीखने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि परियोजना के कर्मचारी इस अनुवाद पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाकर, भविष्य में सरकारी कामकाज में इस का लाभ उठाएंगे।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वी तुलसीराम, संसद सदस्य और अध्यक्ष संसदीय राजभाषा उप समिति एवं सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति, इस्पात व खान मंत्रालय ने अपने उद्घाटन भाषण में एक अहिन्दी-भाषी प्रांत जैसे विशाखापटनम में स्थित विशाखापटनम इस्पात परियोजना में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन, प्रचार और प्रसार के लिए हो रहे प्रयासों के प्रति हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरल हिन्दी ऐसी क्षमता रखती है और सरकारी कामकाज में इसी का प्रयोग हो।

इस शुभ अवसर पर श्री तुलसी राम ने "कार्यपालकों के लिए सेवा नियमावली" नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें कार्यपालकों के लिए सेवा नियमावली द्विभाषी रूप में मुद्रित की गई। इसी अवसर पर श्री माधवराव द्वारा "गुणवत्ता संबंधी शब्दावली" नामक एक किताब का अनावरण किया गया।

### वालतेरु रेल मंडल में राजभाषा प्रदर्शनी

दक्षिण पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28वीं बैठक के अवसर पर वालतेरु मंडल द्वारा श्री श्री श्रीनिवास कल्याण मंडपम में दिनांक 11-10-88 को राजभाषा प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का बड़ा चित्ताकर्षक आयोजन किया गया । इस अवसर पर श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी, संसद सदस्य, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक, श्री एन० मित्र, प्रायः समस्त विभागाध्यक्ष एवं इस मंडल के एवं अन्य मंडलों के मंडल रेल प्रबन्धक तथा भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री अंसारी ने किया । इस प्रदर्शनी से अहिन्दी भाषी क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की एक सुन्दर झांकी मिली । तत्पश्चात् महाप्रबंधक महोदय ने इस मंडल के 16 कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशंसनीय काम करने के फलस्वरूप चार हजार रुपयों के नकद पुरस्कार दिए तथा खड़गपुर मंडल के श्री जी. अप्पाराव को "हिन्दी में आशुलिपि का शिक्षण" सम्बन्धी पुस्तक लिखने के फलस्वरूप रु० 2000/- का नकद पुरस्कार अलग से दिया । पुरस्कार वितरण के बाद केन्द्रीय विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती आई० लक्ष्मी ने छात्र/छात्राओं द्वारा हिन्दी में राष्ट्रीय गान एवं सुप्रसिद्ध रेडियो कलाकार कुमारी मंडपाका शारदा ने अपने संगीत निदेशक श्री चिट्टी बाबू एवं पार्टी के साथ हिन्दी में अपना सुमधुर संगीत प्रस्तुत किया।

### हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी प्रयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 6 मई 1986 में पत्र सं. 1-2/85(हिंदी) के अधीन हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि उक्त विश्वविद्यालयों में भारत सरकार की भाषा नीति का पूर्णतया अनुसरण किया जाए तथा समस्त पत्राचार हिन्दी में किया जाए ।

### हिन्दी हम सबकी

विजया बैंक, अहमदाबाद के प्रभागीय कार्यालय में स्थापित हिन्दी पुस्तकालय में संदर्भ ग्रन्थ और सामान्य रुचि की 101 उत्कृष्ट पुस्तकें स्टाफ के उपयोग के लिए संजोई गई हैं ।

हिन्दी पुस्तकालय का शुभारंभ प्रभागीय प्रबंधक श्री के यतिराज हेगड़े द्वारा दिनांक 27-9-88 को किया गया। इस अवसर पर प्रभागीय कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे । पुस्तकालय से "हिन्दी हम सबकी" नामक पुस्तक को चुनकर दर्शाते हुए श्री हेगड़े ने संदेश दिया कि "हिन्दी हम सबकी है" और इसी भावना के साथ इसका प्रयोग हमें बैंक में करना है।

यह पुस्तक श्री ए.सी. त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रबंधक को सौंपते हुए उन्होंने अपेक्षा की कि "हिन्दी हम सबकी" संदेश हमारे सभी साथियों तक पहुंचे । अपने वक्तव्य में श्री यतिराज हेगड़े ने सहर्ष कहा कि प्रभागीय कार्यालय में इतना अच्छा हिन्दी पुस्तकालय होना एक उपलब्धि है । आप सब इसका लाभ उठा कर अपने हिन्दी ज्ञान को बढ़ाएं तथा बैंक के काम-काज में उस हिन्दी ज्ञान का उपयोग करें।

स्टाफ सदस्यों को पुस्तकों की सूची देने के अलावा प्रभागीय कार्यालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तिका "हिन्दी सुबोधिनी" भी इस अवसर पर वितरित की गई।

वरिष्ठ प्रबंधक श्री ए० सी० त्रिवेदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पढ़ने से हमारा शब्द-भंडार बढ़ता है और अभ्यास से भाषा में निखार आता है । हिन्दी का हमारा शब्द-भंडार बढ़ाने में निश्चय ही यह हिन्दी पुस्तकालय सहायक होगा । बैंक का काम-काज हिन्दी में करने से हमारा अभ्यास बना रहेगा । इस हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना का यही उद्देश्य है । □

### मासिक समाचार पत्र का विमोचन

नव वर्ष के अवसर पर दि० 1-1-88 को पारादीप पत्तन न्यास के बोर्ड कक्ष में पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री प्रसन्न कुमार मिश्र आई.ए.एस. के द्वारा पत्तन के मासिक समाचार पत्र का विमोचन किया गया । इस अवसर पर समस्त विभागाध्यक्ष और वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे ।

अपने अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला "न्यूज लेटर" जोकि अब हिन्दी में भी "मासिक समाचार पत्र" के रूप में निकाला जा रहा है यह अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है । सभी अधिकारी और कर्मचारी इस समाचार पत्र का लाभ अवश्य उठाएंगे।

### लखनऊ विश्वविद्यालय में राजभाषा पाठ्यक्रम

हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग द्वारा एक वर्षीय राजभाषा -डिप्लोमा पाठ्यक्रम गत वर्ष प्रारम्भ किया गया । इस पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.ए. रखी गई है । कुल पांच प्रश्नपत्र 1 राजभाषा का स्वरूप, 2. कार्यालयीन हिन्दी, 3. आलेखन : सिद्धांत और प्रयोग 4. टिप्पण : सिद्धांत और प्रयोग तथा 5. मौखिकी हैं । प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंक का है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36 % अंक प्राप्त करने होंगे। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया , सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। □

### कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल, कृषि अनुसंधान भवन पूसा, नई दिल्ली,

कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा में हिन्दी माध्यम से भर्ती परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों की उल्लेखनीय संख्या थी

1. वर्ष 1986 में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या 2278

2. उक्त परीक्षा में हिंदी माध्यम के विकल्प के मांगकर्ता 576

उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा में बैठने की न्यूनतम अर्हता एम.एस.सी. (कृषि) है।

□

**वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 13-5-89 का० ज्ञापन सं र० ई– 11011 (76)/88–हिन्दी**

विषय : हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक (7-10-1988) के निर्णयों पर कार्रवाई केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री पन्ना लाल शर्मा के सुझाव

---

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समिति की उक्त बैठक में केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि श्री पन्ना लाल शर्मा ने अनेक सुझाव दिए थे। जिनके विषय हैं; बैनर आदि द्विभाषी रखना, हिंदी में अनुदित कोड/मैन्युअल/फार्म आदि का शीघ्र मुद्रण, हिन्दी में प्रशिक्षित स्टेनोग्राफरों तथा टंककों से काम लेना, मशीनीकरण को हिंदी के मार्ग में बाधक नहीं बनने देना, बैठकों तथा सम्मेलनों आदि में स्वागत और धन्यवाद हिन्दी में देने की परिपाटी शुरू करना, ऐसा मोनोग्राम/मोहर पत्रों आदि पर लगाना कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का सहर्ष स्वागत है, राजभाषा नीति संबंध आदेशों का पालन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्र-पंजियों/रिपोर्टों में इस बात की "अच्छी प्रविष्टि" करना, आदि। समिति का मत था कि यह सुझाव उपयोगी है तथा उनके अनुसार कार्रवाई की जाए। (देखिए : कार्यवृत्त, पृष्ठ 10–11, पैरा 24(ख) से (ज) तक)

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों को संगठन के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी में लाएं तथा उनपर समुचित कार्रवाई करें। कृत कार्रवाई की सूचना मंत्रालय को भी भेजने का कष्ट करें।

□

**हिन्दी के विकास में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान**

"हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों, बोलियों और सम्प्रदायों का देश है। इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सदियों से एकता के सूत्र में बंधे हैं। हमारी एकता के पीछे हमारे साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश के लेखकों, कवियों, साहित्यकारों ने एक दूसरे की भाषा को अपनाकर राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को मजबूती दी है। हिन्दी का विकास देश के सभी राज्यों, प्रान्तों और धर्मों के सहयोग से हुआ है। इसके विकास में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और स्तुत्य है। ये विचार कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानन्द भारती द्वारा हिन्दी अकादमी, दिल्ली की ओर से "हिन्दी के विकास में मुस्लिम साहित्यकारों का "योगदान" विषय पर आयोजित दो-दिवसीय विचार-गोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए गए।

उल्लेखनीय है कि हिन्दी अकादमी द्वारा आयोजित इस विचार-गोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों और प्रान्तों के विशेषज्ञ विद्वानों ने भाग लिया। जिनमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, कालीकट आदि राज्य शामिल हैं।

उदघाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए दैनिक हिन्दुस्तान के सलाहकार सम्पादक श्री विनोद कुमार मिश्र ने कहा––"हिन्दी इस देश के जन-जन की भाषा है। यह भाषा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लिखी, पढ़ी तथा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। अपने इसी धर्मनिरपेक्ष और सार्वदेशिक गुण के कारण इस भाषा को सदा ही देश के विभिन्न मत-मतान्तरों, धार्मिक विश्वासों और प्रदेशों का योगदान मिला है और यह सभी के सहयोग से आगे बढ़ी है। मुस्लिम लेखकों और साहित्यकारों का इस भाषा के विकास में अद्वितीय योगदान है।"

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उर्दू के सुप्रसिद्ध विद्वान ख्वाजा हसन सानी निजामी ने कहा–– "साहित्यकार जाति, भाषा और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर पूरे देश, समाज और मानव जाति का होता है। उसके विचारों और संदेश की अभिव्यक्ति किसी भी भाषा और रूप में हो सकती है ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। हिन्दी को पूरे देश ने अपनाया है। मुस्लिम लेखकों और साहित्यकारों ने हिन्दी के उद्भव और विकास में योगदान दिया ––अमीर खुसरो, कबीर, जायसी, रहीम और रसखान इसके उदाहरण हैं।"

हिन्दी अकादमी के सचिव डा. नारायणदत्त पालीवाल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी अतिथियों और विद्वानों का हार्दिक स्वागत किया तथा हिन्दी अकादमी की "भाषा भारती" योजना की जानकारी दी।

इस अवसर पर हिन्दी अकादमी की ओर से हिन्दी के वरिष्ठ मुस्लिम कवि श्री अली शेर "अलि" को 1100/ रुपये की राशि का चैक तथा एक शाल भी भेंट किया गया।

विचार-गोष्ठी के चार सत्रों की अध्यक्षता क्रमशः प्रो. तारकनाथ बाली, प्रो. मुहम्मद अयूब खान, प्रो. मुजीब रिजवी तथा प्रो. विजयेन्द्र स्नातक ने की। इन सत्रों में आलेख प्रस्तुत करने वालों में डा. परमानन्द पांचाल, डा. माजदा असद, प्रो. इकबाल अहमद, डा. रंजन जैदी, प्रो. मुहम्मद अयूब खान, प्रो. रवीन्द्र भ्रमर, श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त, डा. कोसर यजदानी, श्री नूर नबी अब्बासी, डा. ओमप्रकाश सिंहल, डा. हरमहेन्द्र सिंह बेदी तथा डा. शैलेश जैदी सम्मिलित हैं। □

## प्रोत्साहन/ पुरस्कार योजनाएं

**भारत सरकार**

**पर्यटन विभाग**

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1988

**सूचना**

भारत सरकार, पर्यटन विभाग ने पर्यटन के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

हिन्दी में पर्यटन संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए "राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार" कहा जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य पर्यटन संबंधी विषयों में हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पर्यटन संबंधी किसी भी विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए 10,000/- रुपये का प्रथम पुरस्कार, 8000/- रु. का द्वितीय नकद पुरस्कार तथा 5000/- रु. का तृतीय नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

पुरस्कार के लिए पात्रता:

1. सभी भारतीय लेखक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए विचारार्थ प्रस्तुत प्रकाशित सामग्री अथवा पाण्डुलिपि लेखक की अपनी मौलिक प्रति होनी चाहिए।

3. उन्हीं पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार मिलने के वर्ष से एक वर्ष पूर्व लिखी गई हों।

4. किसी लेखक को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

5. वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की गई पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर इस योजना के अधीन पुरस्कार देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

कृपया विस्तृत जानकारी के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा)/ संयोजक, 'राहुल सांकृत्यान पर्यटन पुरस्कार समिति' पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सम्पर्क करें।

□

## □ पुस्तक समीक्षा □

**"राजभाषा हिन्दी : ओर से छोर तक"**

लेखक: वेद प्रकाश दूबे

प्रकाशक: पुष्प प्रकाशन, 57-ए, संत नगर, नेहरू प्लेस के पास, नई दिल्ली-110065

पृष्ठ: 136 मूल्य: 50 रु.

युवा लेखक श्री वेद प्रकाश दूबे की सद्य प्रकाशित पुस्तक "राजभाषा हिन्दी—ओर से छोर तक" हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में रचनात्मक प्रयास है। इस पुस्तक में हिन्दी के प्रशासनिक प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का न केवल प्रयत्न ही किया गया है बल्कि यह पाठक के सूक्ष्म मन को टटोलती है। लेखक द्वारा हिन्दी के भारतीय "ओर से" अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के "छोर तक" की विभिन्न स्थितियों का तथ्यपरक विवरण दिया गया है। इसमें एक ओर तो राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं तो दूसरी ओर सांस्कृतिक व सामाजिक चिन्तन की गहन प्रस्तुति देखने को मिलती है।

लेखक ने उक्त पुस्तक को बड़े सुन्दर ढंग से विभिन्न उदाहरण देकर कामकाजी हिन्दी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। इसके साथ-साथ विशेष उपलब्धि के रूप में लिखित अध्याय "भारतीय भाषाएं व शाब्दिक एकता" प्रमुख है जो देश की 15 प्रमुख भाषाओं व हिन्दी के बीच सामंजस्य व समन्वय के मधुर व सुन्दर प्रभाव को परिलक्षित करते हुए यह प्रमाणित करता है कि हिन्दी भारतीयता की आत्मा है।

पुस्तक को देखने से पता चलता है कि "हिन्दी वर्तनी-मानक स्वरूप" क्या है और किस प्रकार अनुवाद में हमें अपनी अभिव्यक्ति को मुखर करने में इससे सहायता मिल सकती है।

यह पुस्तक जितनी हिन्दी भाषा में शोधार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, उतनी ही मंत्रालयों/कार्यालयों/बैंकों के पुस्तकालयों तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों हेतु उपयोगी ग्रन्थ के रूप में भी सिद्ध हो सकती है।

कुल मिलाकर यह पुस्तक हिन्दी के विकास में एक सार्थक प्रयास है।

—नरेन्द्र सिंह, हिन्दी अधिकारी
भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड मायापुरी
नई दिल्ली

पारादीप पत्तन न्यास : "मासिक समाचार पत्र" का विमोचन करते हुए अध्यक्ष—श्री प्रसन्न कुमार मिश्र।

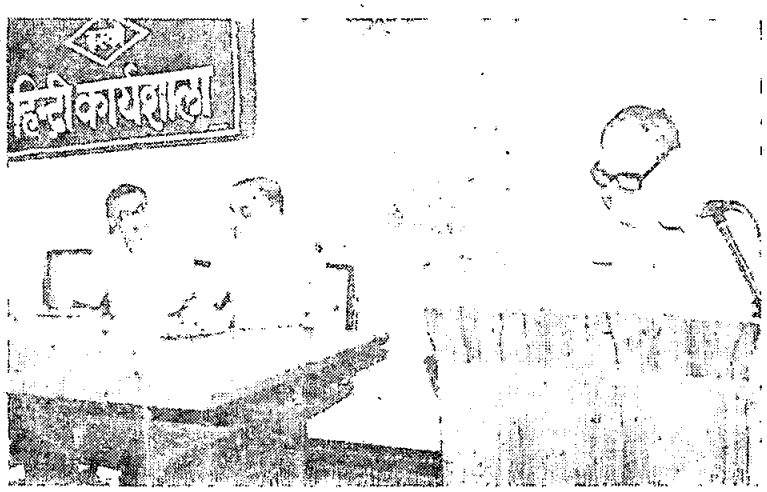


इस्को–वर्नपुर (पश्चिम बंगाल) उद्घाटन भाषण करते हुए प्रबन्ध निदेशक श्री एम. एफ. मेहता। मंच पर (बाएं से) डा. महेशचन्द्र गुप्त, (निदेशक अनुसंधान), राजभाषा विभाग तथा श्री मधुसूदन चावला, महाप्रबन्धक (वर्कस)

विवरण प्रस्तुत करते हुए श्री एस. सी. गौड़। मंचासीन मुख्य अतिथि–(बाएं से), डा. यश गुलाटी, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पंजाब वि., वि. श्री के. पि. जी. राव (अध्यक्ष) तथा श्री एन. कान्ता कुमार, स.म.प्र.

कार्यक्रम का एक दृश्य

केनरा बैंक, बम्बई, राजभाषा अधिनियम, 1963: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए डा. नागेन्द्र नाथ पाण्डेय, संयुक्त निदेशक के. अ. ब्यूरो।

उद्घाटन भाषण देते हुए भा. रि. बैंक के सं.मु.प्र. श्री के. एल. खेतरपाल। मंच पर (दाएं से) श्री रवीन्द्रनाथ टण्डन, श्री एस. एस. वेदी स.म.प्र. तथा डा. विनोद मलिक।

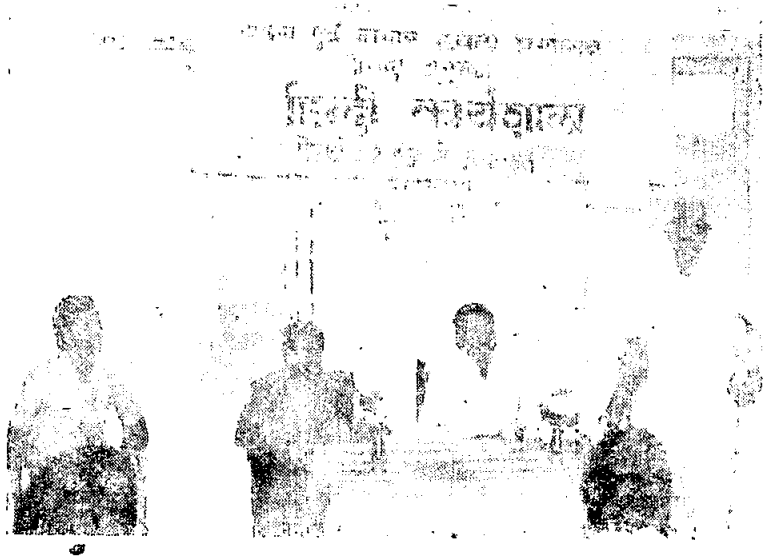

भाषण देते हुए मुख्य वक्ता श्री एम. एल. गुप्ता, व. हि. अ. (रेल) तथा साथ में मंच पर (दाएं से) उप वन संरक्षक श्री एच. सी. धवन, प्रशासक के सहायक सचिव श्री एल. पी. व्यास तथा श्री एस. के. पटियाल ।

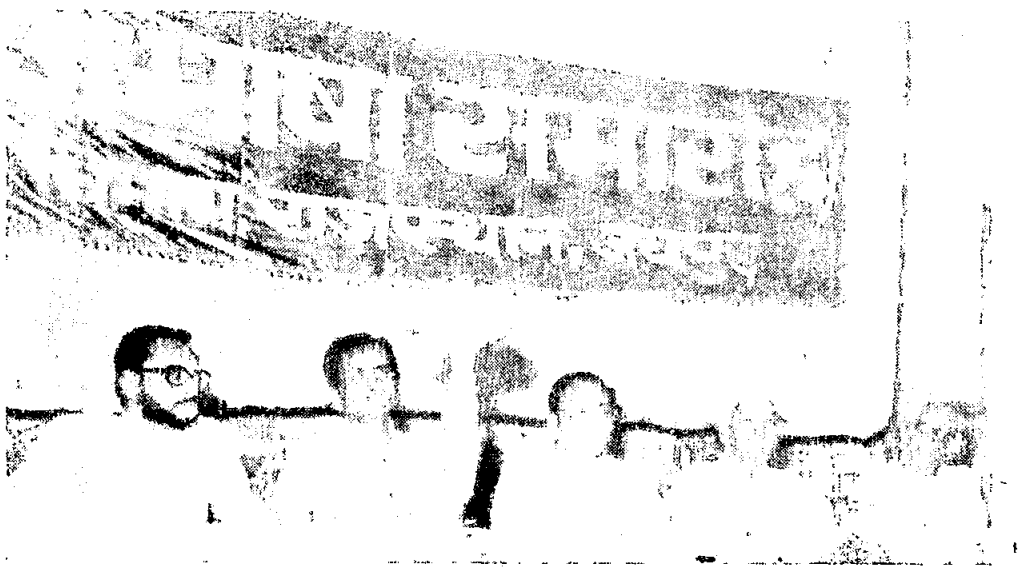

मंच पर (बाएं से) डा. कलानाथ शास्त्री, भाषा- निदेशक राजस्थान, डा. ओंकारनाथ त्रिपाठी-आयकर आयुक्त, न्या. श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव, राज. उच्च न्यायालय, श्री युगल किशोर चतुर्वेदी, संपादक लोक शिक्षक तथा न्या. पोनाचन्द्र जैन

मंच पर (बाएं से) श्री एल. जी. भट्ट, अध्यक्ष कैप्टन एस. के. सोमयाजुलु तथा श्री ए. एस. कैलकर ।

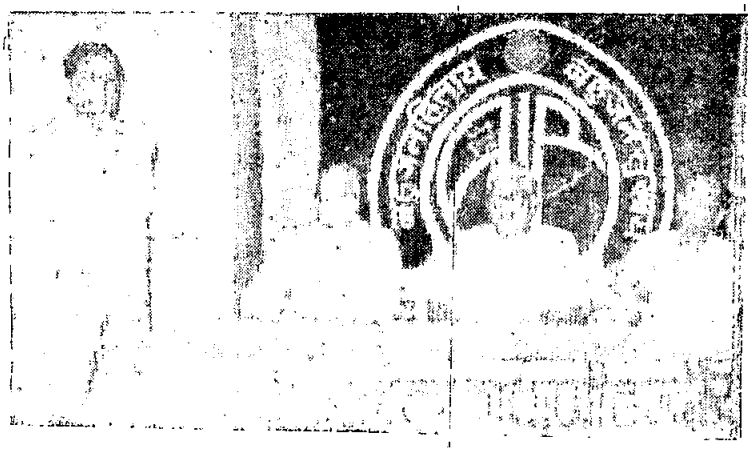

हिन्दी कार्यशाला की रूपरेखा बताते हुए श्री मेघ सिंह। मंचासीन हैं–(बाएं से) श्री के. के. शर्मा, मुख्य अतिथि डा. गणेशदत्त त्रिपाठी तथा केन्द्र निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल।

संबोधित करते हुए श्री नाहर सिंह वर्मा, क्षेत्रीय उप निदेशक (का.) (मध्य में)। उनकी दांई ओर बैठे हैं समिति अध्यक्ष श्री अवतार सिंह बेहन (मण्डल रेल प्रबन्धक) तथा अन्य अधिकारीगण।

विजया बैंक, अहमदाबाद : हिन्दी पुस्तकालय को 'हिन्दी हम सब की' पुस्तक भेंट करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक श्री के. यतिराज हेगड़े।

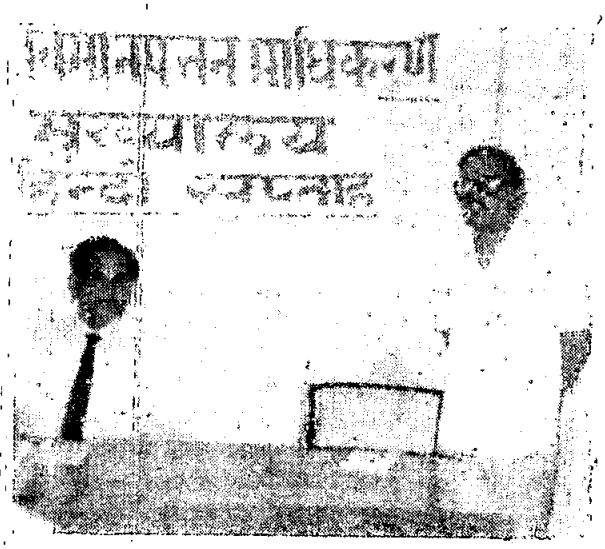

मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर श्री बी. एम. जोशी (बैठे हुए) का स्वागत करते हुए सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री मंगतराम धस्माना।

# आदेश-अनुदेश

**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 15-2-89 के का.ज्ञा. सं. 19011/1/89- केहिप्रसं० 650 की प्रतिलिपि**

विषय :—अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में भर्ती-टंकण में प्रवीणता—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन ली गई परीक्षाओं को मान्यता देने का प्रश्न ।

———

भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23-3-1985 से हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जारी किए गए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाणपत्र को, अवर श्रेणी लिपिकों को नियमित बनाए जाने, वेतन वृद्धियों को प्राप्त करने आदि के प्रयोजनों से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के बराबर माना जाएगा। तद्नुसार, जहां कहीं आवश्यक हो, भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएं। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 08 अगस्त 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14021/1/88-स्था.(घ) की एक प्रति सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

□

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का दिनांक 8 अगस्त 1988 का का० ज्ञा० सं० 14020/1/88—स्था. (घ)**

विषय :—अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में भर्ती—टंकण में प्रवीणता—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन ली गई परीक्षाओं को मान्यता देने का प्रश्न ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 20 सितंबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14020/5/79-स्था.(घ) के अधीन इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि, क्योंकि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन तैयार किया गया टाइपिंग टैस्ट उम्मीदवारों की हिन्दी टंकण में गति जांचने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था इसलिए इसे अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के नियमन/वेतन वृद्धि की मंजूरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी में ली गई टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बराबर नहीं माना जा सकता । उपर्युक्त योजना के अधीन आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षा में 23-3-1985 से भारी परिवर्तन किया गया है और कर्मचारी से अब अपेक्षित है कि वे इसे 25 शब्द प्रति मिनट की गति से पास करें । इस आशय का उल्लेख राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए प्रमाण पत्रों में भी किया गया है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23-3-1985 से हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जारी किए गए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र को, अवर श्रेणी लिपिकों को नियमित बनाए जाने, वेतन-वृद्धियों को प्राप्त करने आदि के प्रयोजनों से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए प्रमाण-पत्र के बराबर माना जाएगा। तद्नुसार जहां कहीं आवश्यक हो, भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएं ।

2. कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों के मार्गदर्शन के लिए सभी संबंधित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को जानकारी दें ।

□

**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 14-2-89 का.का.ज्ञा. सं. 11034/11/88-अ.वि.एकक**

विषय :—भारत सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाना ।

उपर्युक्त विषय पर सभी मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों आदि का ध्यान राजभाषा विभाग के दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11034/7/77-अ.वि.एकक और दिनांक 19-10-87 के सं. 11034/11/87-अ. वि. एकक की ओर दिलाया जाता है जिनमें यह अनुरोध किया गया था कि सरकारी प्रकाशनों में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित "देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण" नामक पुस्तिका में दी गई हिन्दी वर्णमाला और बर्तनी आदि का ही प्रयोग करें ।

इस संबंध में उक्त पुस्तिका के 1983 के संस्करण के पृष्ठ 8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें देवनागरी व्यंजनों में 'ल' का भी समावेश किया गया है

उदाहरणार्थ, यह व्यंजन मुले, जोगलेकर, धुमले, तुलेपुले, तिलक आदि नामों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका यथोचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण का कार्य हो चुका है, अतएव अनुरोध है कि प्रकाशनों की पांडुलिपियां तैयार करते समय और बाद में प्रेस में प्रूफ देखते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मानक वर्तनी का ही प्रयोग किया जा रहा है, जैसाकि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तिका में बताया गया है।

□

**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 8-12-88 का √**

**का.ज्ञापन सं० 1/14034/11/88-रा.भा. (क-1)**

विषय :—"क" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों द्वारा चैक हिन्दी में जारी करना।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/14011/3/79-रा. भा.(क-1) दिनांक 7-2-81 (हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, तृतीय संस्करण, आदेश संख्या-21) में ये अनुदेश दिये गये थे कि "क" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा वेतन, आदि के सभी चैक यथासंभव हिन्दी में तैयार किये जाएं तथा "क" क्षेत्रों में स्थित सरकारी बैंकों द्वारा "क" क्षेत्र के लिए तैयार किये गये चैक और ड्राफ्ट यथासंभव हिन्दी में जारी किये जाएं।

2. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य हैं, की 20 मई, 1988 को हुई बैठक में की गयी सिफारिश के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि "क" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि द्वारा सभी चैक हिन्दी में जारी किये जाएं। अपवाद-वश यदि कोई व्यक्ति चैक अंग्रेजी में चाहे तो उसे अंग्रेजी में जारी कर दिया जाए। चैक हिन्दी में जारी करने से पहले चैक जारी करने के लिए अधिकृत किये गये अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर (स्पैसीमैन सिगनेचर्स) संबंधित बैंकों को हिन्दी में भी भेजे जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी बैंकों द्वारा ड्राफ्ट ग्राहकों को इच्छानुसार हिंदी या अंग्रेजी में जारी किये जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यन्वयन समिति की उपर्युक्त बैठक में यह भी सिफारिश की गई है कि "क" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में सामान्य भविष्य निधि संबंधी जो रिकार्ड रखा जाता है और उनके द्वारा जो विवरण भेजा जाता है या "घ" वर्ग के कर्मचारियों को पास बुकों में जो प्रविष्टियां की जाती हैं, वे भी हिन्दी में की जाएं। अपवाद वश यदि कोई कर्मचारी अपना विवरण अंग्रेजी में मांगे तो अंग्रेजी में दे दिया जाएं। केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की इस सिफारिश को भी मान लिया गया है।

4. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निदेशों को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें तथा इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने का भी अनुदेश दें।

5. इस संबंध में दिये गये निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी सूचनार्थ भेजें।

□

**गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का परिपत्र सं 68/88 एवं का.ज्ञापन सं. 11016/16/88-रा.भा. (ध)**

विषय :—हिन्दी की कक्षाओं में नामांकन और अनिवार्य उपस्थिति-आदेशों का समेकीकरण।

संदर्भ :—1. का.ज्ञा. सं. 8/19/65-एच-दिनांक 3-3-1966

2. पत्र सं. 3/13/68-एच-दिनांक 2 मई, 1968,

3. का.ज्ञा. सं. ई-12054/1/73-हिन्दी दिनांक 23-1-1974

4. का.ज्ञां. सं. 11016/4/76-रा.भा.(घ) दिनांक 27-7-1976

गृह मंत्रालय राजभाषा, विभाग समय-समय पर ऊपर लिखित विषय पर आदेश जारी करता रहा है। इन आदेशों का समेकित आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नलिखित है :—

(1) ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी मंत्रालय और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत जिन कर्मचारियों के लिए हिन्दी में प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है, उनमें से 20 प्रतिशत हर वर्ष हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए भेजे जाएं।

(2) जिस समय नामांकन किया जाए उसी समय हर सरकारी कर्मचारी को लिखित रुप में यह बतला दिया जाए कि प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना और उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य है और गैर हाजिरी कर्तव्य की अवहेलना होगी।

(3) कभी-कभी नामांकित व्यक्ति कक्षाओं में इसलिए नहीं जा पाते कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारी कक्षा में जाने के लिए छोड़ने के लिये राजी नहीं होते और इस तरह उनकी अनुपस्थिति में संबंधित व्यक्ति का कसूर नहीं होता। यह देखते हुए मंत्रालयों और विभागों आदि को चाहिये कि वे अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को हिदायत दें कि नामांकित व्यक्तियों को कक्षाओं में जाने के लिये छोड़ने से तब तक इंकार न किया जाये जब तक कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक न हो। ऐसी संभावना वर्ष में दो-चार बार ही

हो सकती है। जब कभी ऐसा हो तो संबंधित मंत्रालय/विभाग कार्यालय को चाहिए कि वह उसकी सूचना संबंधित प्राध्यापक या अनुदेशक को भेज दे, जिसमें गैरहाजिरी के कारण का भी उल्लेख किया जाये।

(4) यदि कोई प्रशिक्षार्थी कक्षा में नियमित रुप से उपस्थित न हो तो उसे पहले मौखिक रुप में चेतावनी दी जाए और बाद में लिखित। उसके बाद भी यदि स्थिति में सुधार न हो तो संबंधित प्रशिक्षार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(5) सभी हिन्दी प्राध्यापक और टंकण/आशुलिपि के सहायक निदेशक निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न-1) में अनुपस्थित कर्मचारियों का विवरण प्रत्येक महीने की पहली और 16 तारीख को तैयार करके संबंधित सम्पर्क अधिकारी/हिन्दी/प्रशासनिक अधिकारी को एक हफ्ते के अन्दर भेजें। इस पाक्षिक रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सहायक निदेशक की अनुपस्थिति में सर्वकार्यभारी अधिकारी/उप निदेशक को भेजी जाए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इन रिपोर्टों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। इन रिपोर्टों के परिणाम से समय-समय पर संबंधित उप निदेशकों को भी अवगत कराया जाए।

(6) केन्द्रीय सरकार के जिन मंत्रालयों/विभागों के अनुभागों में 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान जिन्हें हाई स्कूल को या उससे अधिक हिन्दी का ज्ञान है या जिन्होंने प्राज्ञ परीक्षा पास कर ली है रखते हों, उन अनुभागों में हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए।

□

**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 30 मई 1988 का का० ज्ञा० सं 9 14013/1/85 रा. भा (घ)**

विषय :—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवाकालीन हिन्दी शिक्षण की अनिवार्यता।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 मार्च, 1986 व 24 सितम्बर, 1987 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह देखा गया है कि कई अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी विषय में पास होने के लिए बहुत कम प्रतिशत नम्बरों की आवश्यकता निर्धारित की गई है और कहीं-कहीं तो 15 या 20 प्रतिशत नम्बर लेने वाले भी पास घोषित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में हिन्दी के शिक्षण की अवधि भी बहुत थोड़ी है। इन कारणों से कई मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में विभागों द्वारा यह विचार व्यक्त किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखते हैं और हिन्दी में काम नहीं कर पाते हैं।

2. इसलिए यह निर्णय किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने मैट्रिक स्तर पर हिन्दी विषय तीसरी भाषा के रुप में लिया है उनको राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार मैट्रिक परीक्षा (हिन्दी में) पास नहीं माना जायेगा। अतः उनके लिए हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य है। उनका हिन्दी का ज्ञान प्रवीण के समान माना जा सकता है और उन्हें सीधा प्राज्ञ में दाखिला दे दिया जायेगा।

ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने बी. ए. हिन्दी विषय के साथ पास किया है, उन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है।

---

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचारपत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम

**"राजभाषा भारती" के स्वामित्व तथा अन्य विवरणों की सूचना**

| | |
|---|---|
| 1. प्रकाशन स्थान | लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003. |
| 2. प्रकाशन अवधि | त्रैमासिक। |
| 3. मुद्रक का नाम व पता | प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली। |
| क्या भारत का नागरिक है ? | भारतीय नागरिक |
| 4. प्रकाशक का नाम व पता | डॉ. गुरुदयाल बजाज उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, 11वां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली। |
| क्या भारत का नागरिक है ? | भारतीय नागरिक। |
| 5. संपादक का नाम व पता | डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली |
| 6. उन व्यक्तियों के नाम व पते. जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से सांझेदार या हिस्सेदार हों। | भारत सरकार। |

मैं डॉ. गुरुदयाल बजाज एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./--

दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 — प्रकाशक के हस्ताक्षर

हिन्दी एक जानदार भाषा है। वह जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा।

—जवाहरलाल नेहरू

सबको हिन्दी सीखनी ही चाहिए---इसके द्वारा भाव विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।

---रविन्द्र नाथ ठाकुर

उद्घाटन करते हुए श्री सुनिर्मल बोस, संयुक्त मुख्य- अधिकारी (भा.रि. बैंक) मंच पर (बाएं से) श्री डी. एम. जैन, प्रबन्धक (रा. भा.) तथा श्री एन. एस. खन्ना–उप- महाप्रबन्धक, राज. अंचल

मद्रास (तमिलनाडु) की वरिष्ठ उपमहालेखाकार श्रीमती उषा शंकर लेखा अधिकारी श्री आर. वासुदेवन को पुरस्कृत करती हुई।

श्रद्धांजलि

# कथाशिल्पी जैनेन्द्र कुमार जैन

24 दिसम्बर, 1988 को हिन्दी के सुप्रसिद्ध यशस्वी कथाकार, दार्शनिक-चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी—श्री जैनेन्द्र कुमार जी के महा प्रयाण से राष्ट्र तथा भारतीय संस्कृति को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। 2 जनवरी, 1905 को कौड़ियागंज, जिला अलीगढ़ (उ.प्र.) में जन्मे जैनेन्द्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा हस्तिनापुर आश्रम में हुई। प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में दसवीं कक्षा पास करने के बाद जैनेन्द्र जी ने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया परन्तु 1920 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जैनेन्द्र जी 1929 में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द तथा 1932 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्पर्क में आए और तदुपरान्त पूरी तरह से स्वतन्त्रता आंदोलन में जुटे गए।

बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न जैनेन्द्रजी की 65 कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें तेरह उपन्यास, बारह कहानी संग्रह, पांच यात्रा वृत्तान्त/संसमरण आदि शामिल हैं। वैसे तो उनका संपूर्ण कृतित्व साहित्य जगत् में चर्चित रहा है परन्तु उनके उपन्यास 'त्याग पत्र', 'सुनीता, 'सुखदा', 'दशार्क' 'जयवर्धन', 'परख', 'मुक्तिबोध' तथा आलोचनात्मक कृति 'समय और हम' महत्वपूर्ण हैं।

जैनेन्द्रजी को 'मुक्तिबोध' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार (1965), 'परख' पर हिन्दुस्तानी अकादमी पुरस्कार (1929), 'समय और हम' पर मंगला प्रसाद पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, सरकार के सर्वोच्च भारत भारती (1984) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

जैनेन्द्रजी को विभिन्न विश्वविद्यालयों से साहित्य वाचस्पति, विद्यावाचस्पति, डी.लिट् उपाधियों से विभूषित किया गया तथा भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मभूषण' से अलंकृत किया। महामहिम राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरामन् ने जैनेन्द्र जी के प्रति आदरांजलि अर्पित करते हुए कहा—"जैनेन्द्र भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के प्रतीक थे। उनके देहावसान से राष्ट्र और संस्कृति को गहरी चोट पहुंची है।"

मानव अधिकारों के रक्षक और हिन्दी साहित्य के महान् कथाशिल्पी की पावन स्मृति को 'राजभाषा भारती परिवार' का कोटि-कोटि नमन्। —गु० व०

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए डा० गुरुदयाल बजाज द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्किट नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।
1989